(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 4] षष्ठम् विधान सभा के चतुर्थ सत्र का 34वां दिवस | संख्या 8

सोमवार,
दिनांक 6 नवम्बर, 1978

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री काशीनाथ गुप्त।

राज-कार्य में हिन्दी भाषा का प्रयोग

198. श्री **काशीनाथ गुप्त** (कुम्हेर) : क्या भाषा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राज्य सरकार अपना समस्त काम-काज हिन्दी में अधिक से अधिक करने की नीति अपना चुकी है ? यदि हां, तो क्या सभी विभागीय कार्यालयों में पूर्ण रूप से हिन्दी में काम होने लगा है ? यदि नहीं, तो किन-किन विभागों में पूरा, किन-किन में आंशिक तथा किन-किन में अभी लेशमात्र भी काम नहीं होने लगा है ?

(2) जिन विभागों में केवल आंशिक तथा जिनमें अभी तक हिन्दी में काम होने ही नहीं लगा है उनमें हिन्दी का पूरा प्रयोग कराये जाने के लिए राज्य सरकार ने क्या उपाय किये हैं ? तथा पूर्ण हिन्दीकरण होने में अभी कितना समय लगने की और सम्भावना है ?

भाषा मंत्री (श्री भंवरलाल शर्मा): (1) जी हां। अतकनीकी विभागों में निर्धारित अपवादों को छोड़ कर प्रायः समस्त कार्य हिन्दी में होता है। अहिन्दी भाषी राज्यों, विश्व बैंक, कृषि पुनर्वित निगम आदि तथा केन्द्रीय सरकार के कतिपय विभागों से पत्राचार में राज्यहित एवं जन हित में अंग्रेजी का प्रयोग करना पड़ता है। जिन विभागों अथवा कार्यालयों में ऐसे पत्राचार की आवश्यकता नहीं पड़ती है जैसे संस्कृत शिक्षा विभाग, भाषा विभाग, देवस्थान आदि उनमें पूर्ण हिन्दी का प्रयोग होता है। तकनीकी विभागों में जैसे डाक्टरी व इंजीनियरी से संबंधित कुछ कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग होता है। सभी विभागों में हिन्दी का प्रयोग प्रारम्भ हो चुका है। कोई विभाग ऐसा नहीं हैं जहां हिन्दी में कोई भी कार्य नहीं होता हो।

(2) जिन विभागों में किन्हीं व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण हिन्दी का पूर्ण प्रयोग नहीं हो पा रहा है, वहां उसके प्रभावी प्रयोग के लिए किए गये उपायों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। आशा है शीघ्र ही उन विभागों में भी अधिकाधिक रूप से हिन्दी का प्रयोग होने लगेगा।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें।)

Page No 2

(2)

श्री काशीनाथ गुप्त : अध्यक्ष महोदय, राजभाषा हिन्दी का समस्त विभागों में कब तक पूर्ण रूप से प्रयोग शुरू हो जायेगा ? दूसरा प्रश्न है कि क्या कोई डेट निश्चित की गई है, कोई अवधि निश्चित की है जबकि सभी विभागों में हिन्दी का प्रयोग शुरू हो जायेगा ? हिन्दी के प्रशिक्षण के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ? हिन्दी का प्रयोग कब तक पूर्ण होने लग जावेगा ?

श्री **भंवरलाल शर्मा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्पूर्ण कार्य में हिन्दी जल्दी से जल्दी प्रयोग में लाई जावे इसके लिए राज्य सरकार ने कुछ निर्णय लिये हैं, वे इस प्रकार हैं :—

(1) दिनांक 2-10-78 से सारी वित्तीय स्वीकृतियां, सरकारी बैठकों और आयोजनों के कार्यवृत्त तथा प्रशासनिक एवं वार्षिक रिपोर्ट देवनागरी में लिखित हिन्दी में अधिकृत और मान्य मानी जाये।

(2) सचिवालय तथा विभिन्न विभागों से आदेश, परिपत्र आदि भी राजकीय प्रशासनिक सामग्री मुद्रित तथा साइक्लोस्टाइल होकर जारी की जानी हो, वह 20-10-78 से हिन्दी में हो।

(3) नियम ग्रन्थों (आर. एस. आर. आदि) के अधिकृत हिन्दी अनुवादों का प्रकाशन यथासंभव शीघ्र कर दिया जाय।

(4) वर्तमान में सेवारत कनिष्ठ लिपिक, जो केवल अंग्रेजी टाइप जानते हैं, एक वर्ष में हिन्दी टाइप सीख लें।

(5) केन्द्र सरकार के कार्यालयों से हिन्दी या अंग्रेजी में पत्राचार की वही नीति रखी जाए जो पहले मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित थी।

(6) हिन्दीकरण के योजनाबद्ध प्रयत्नों तथा राजभाषा के विकास हेतु भाषा विभाग को यथावत् रखा जावे।

(7) तकनीकी विभागों में हिन्दी प्रयोग के योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाने तथा क्रियान्वित करने हेतु एक विशिष्ट समिति गठित की जाय।

(8) समस्त अर्द्ध-तकनीकी फार्म (शिड्यूल रेट, कांट्रेक्ट फार्म आदि) भविष्य में हिन्दी में या द्वि भाषा में छपें।

(9) राजभाषा के प्रयोग संबंधी आदेशों के क्रियान्वयन की देख-रेख हेतु भाषा मंत्रीजी की अध्यक्षता में एक क्रियान्वयन समिति गठित की जाय।

(10) सचिवालय में हिन्दी प्रयोग हेतु भाषा विभाग द्वारा सर्वेक्षण किया जाय और मुख्य सचिव को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाय तथा हिन्दी टंकण यंत्रों की उपलब्धि हेतु वित्त विभाग के सहयोग से और हिन्दी टंककों और शीघ्रलिपिकों की . . . .

श्री **ईश्वरचन्द्र** (पिड़ावा): कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं। हिन्दी पढ़ रहे हैं या अंग्रेजी पढ़ रहे हैं।

श्री **भंवरलाल शर्मा** : उपलब्धि हेतु व्यवस्था एवं पद्धति विभाग के सहयोग से योजना बनाई जाए।

(11) समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिन्दी माध्यम के अधिकाधिक प्रयोग हेतु समयबद्ध योजना बनाने के लिए हरिश्चन्द्र माथुर राजकीय लोक प्रशासन संस्थान को निर्देश दिये जायं।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

(12) समस्त राज्य सेवक निर्धारित अपवादों को छोड़ कर (जैसे अहिन्दी भाषी राज्यों, विश्व बैंक, कृषि . . . .

(व्यवधान)

पुनर्वित्त निगम आदि से पत्राचार) सारा प्रशासनिक कार्य अविलंब हिन्दी में करना शुरू कर दें। जिनको अभ्यास की आवश्यकता हो, उनके लिए अभ्यास कक्षाएं, सेमीनार, कर्मशालाएं आदि चलाई जाएं।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि हिन्दी की प्रगति के संबंध में राज्य सरकार ने अपनी तरफ से क्या प्रयास किए ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री विजयेन्द्रपाल सिंह।

(व्यवधान)

कोई उत्तर नहीं हो, अंकित नहीं हो।

× × ×

श्री वृजन्द्रपाल सिंह : He caught my eyes first.

श्री वृजेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि जो सैंट्रल गवर्नमेंट को प्रपोजल्स भेजते हैं उन्हें हिन्दी में भेजते हैं या अंग्रेजी में भेजते हैं? अगर हिन्दी में भेजते हैं तो वहां पर उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने की क्या व्यवस्था है? क्या यह सही है कि हिन्दी में भेजने से बहुत देरी लग जाती है। इस कारण से बहुत सारी स्कीमों में डिले हो जाती है? स्कीम्स को हिन्दी में भेजना चाहिए या अंग्रेजी में भेजना चाहिए? अगर हिन्दी में भेजते हैं तो अंग्रेजी में भी साथ-साथ क्यों नहीं भेजते हैं?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय!

श्री ईश्वरचन्द्र : कृपया मंत्री महोदय यह भी बतायें . . . .

श्री अध्यक्ष : आपको टाइम दूंगा, माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैंने अपने उत्तर में बताया है कि कुछ विभागों और केन्द्रीय सरकार के विभागों से पत्राचार में राजहित और जनहित में अंग्रेजी का प्रयोग करना पड़ता है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि जो माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है वह बहुत पुराना है। हम भी इस तरह की हिदायतें विभागों को दिया करते थे, आप भी हिदायतें देने लगे हैं लेकिन फिलहाल कोई सुधार नहीं हुआ है। आपने नई बात क्या की, यह बतावें? आज भी सारे नोटिंग्स अंग्रेजी में किये जा रहे हैं। आपने जो बातें बताई हैं ऐसी तो पहले भी हिदायतें जारी की गई थीं। इसमें कोई नई बात नहीं है। इस प्रकार कैसे हिन्दी का प्रचार करते हुए किस प्रकार हिन्दीकरण कर सकेंगे, इस बारे में कुछ बतायें?

श्री अध्यक्ष : इस संबंध में प्रचुर मात्रा में प्रगति की है, यह मेरा अभिमत है।

श्री कल्याणसिंह सांखला (अजमेर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, कृपया माननीय मंत्री महोदय

×××अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री कल्याणसिंह सांखला)
यह बतायें कि हिन्दी को प्रोत्साहन देने की आपकी नीति है, उसके बाद भी जिन लोगों ने हिन्दी की परीक्षायें पास कर रखी हैं उनको नौकरियों मे क्यों नहीं लिया जा रहा है ?

(विराम)

जिन लोगों ने सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी के समकक्ष हिन्दी परीक्षायें, जिनको आपके द्वारा मान्यता प्राप्त है, पास कर रखी हैं उनको नौकरियों में क्यों नहीं लिया जाता है ?

श्री **मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या मंत्री महोदय. . . .

श्री **श्योपतसिंह मक्कासर** (हनुमानगढ़) : इसका जवाब तो आने दें ।

श्री **अध्यक्ष** : दो-तीन प्रश्न एक साथ पूछ लें, फिर उत्तर हो जायेगा ।

श्री **रामेश्वरप्रसाद यादव** (चौमू) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि राज्य सरकार के जो आदेश हैं, क्या मंत्री और सचिवालय के अन्दर बैठने वाले सचिवों पर ये आदेश लागू नहीं होते ? उनके द्वारा नोट इंगलिश मे लिखे जाते हैं। वे क्या इस नीति में शामिल नहीं होते ?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि सचिवालय में ऐसे कितने मिनिस्टर और कितने सचिव हैं जो हिन्दी में ही नोट लिखते हैं और हिन्दी में ही दस्तखत करते हैं ?

श्री **ईश्वरचन्द्र** : यह बतावें कि कितने आई०ए०एस० अधिकारी ऐसे हैं जो हिन्दी का एक शब्द भी नहीं जानते ?

श्री **अध्यक्ष** : ऐसा भी है क्या ?

श्री **ईश्वरचन्द्र** : अधिकांश आई०ए०एस० अधिकारी ऐसे हैं जो हिन्दी की कोई जानकारी नहीं रखते । उनको प्रशिक्षण देने की और हिन्दी सिखाने की क्या मंत्री महोदय के दिमाग में कोई योजना है ?

श्री **मूलचन्द डागा** : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने आज से कई साल पहले हिन्दी के प्रचार के लिए कारगर कदम उठाए थे । क्या राज्य सरकार यह बतायेगी कि लिखित कौन-कौन से आदेश किन-किन सालों में आपने जारी किए ? उनकी प्रति भी सदन की मेज पर रखें । उनकी अनुपालना नहीं होने पर किस-किस सरकारी कर्मचारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? जिसने आदेशों की पालना नहीं की हो ऐसे एक भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ क्या कोई कार्यवाही विचाराधीन है ? क्या उसकी सी०आर० में लिखा गया है या नहीं ? क्या यह केवल हिदायतें हैं जिनको मानना जरूरी नहीं है ?

श्री **मदनसिंह दांता** (दांतारामगढ़) : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आई० ए०एस० की हिन्दी क्या है ?

श्री **बंशीलाल सारस्वत** (नागौर) : लोक सेवा आयोग द्वारा जितनी परीक्षाएं होती हैं क्या वे हिन्दी भाषा के माध्यम से होती हैं ? साक्षात्कार के समय जो व्यक्ति जाते हैं उनसे साक्षात्कार हिन्दी में किया जाता है या अंग्रेजी में किया जाता है ?

श्री **अध्यक्ष** : श्री वृद्धिचन्द्र जैन ।

श्री **वृद्धिचन्द्र जैन** : हाई कोर्ट में जो भी आर्ग्यूमेन्ट होते हैं और फैसले होते हैं वे

Page No 5

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
अंग्रेजी में होते हैं । इसके बारे में राज्य सरकार ने क्या डायरेक्शन दिये हैं और उनका किस प्रकार से परिपालन हो रहा है ?

श्री **भंवरलाल शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, जो पूरक प्रश्न किये गये हैं उनमें बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनका उत्तर बिना सूचना के नहीं दिया जा सकता । जैसे कितने आई०ए० एस० हैं जो हिन्दी नहीं जानते या कितने अधिकारी हैं जो हिन्दी का प्रयोग नहीं करते, ये सब अलग-अलग प्रश्न हैं, जिनका अलग से उत्तर मांगा जाय तो निश्चित रूप से उत्तर दूंगा ।

हिन्दी के लिये माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता व्यक्त की है, मेरा विश्वास है कि सरकार पूरी तरह से हिन्दी के प्रयोग के लिये कार्य कर रही है । जैसा भूतपूर्व शिक्षा मंत्रीजी ने कहा कि आप कुछ नहीं कर सके उसके लिये मेरा निवेदन है कि हमने कुछ ऐसे कदम उठाये हैं जिनसे हिन्दी का प्रयोग अधिक से अधिक हो । यह तो आप मानेंगे कि अधिक दबाव से हिन्दी नहीं सिखाई जा सकती । इसके लिये कुछ समय देना पड़ेगा । हिन्दी में अनुवाद कार्य किया गया है ताकि एक साल में हिन्दी सीखी जा सके । जो अंग्रेजी के जानने वाले हैं उनको हिन्दी सीखनी चाहिये । इसके लिये एक साल का समय दिया गया है । हिन्दी में विभाग काम करते हैं या नहीं, इस पर एक्शन लेने की सोच रहे हैं । ये सभी ऐसी बातें हैं जिनमें आप सभी के सहयोग से . .

श्री **अध्यक्ष** : श्री निर्मल कुमार ।

ग्राम कनवाडा (झालरापाटन) में सैकण्डरी स्कूल

199. श्री **निर्मल कुमार सकलेचा** (झालरापाटन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या ग्राम कनवाड़ा एवं कनवाड़ी, तहसील झालरापाटन एवं पिड़ावा की वर्तमान आबादी 4 हजार से अधिक है ?

(2) क्या ग्राम कनवाड़ा से कनवाड़ी की दूरी 100 मीटर से अधिक है ?

(3) क्या ग्राम कनवाड़ा में सैकण्डरी स्कूल के लिये पर्याप्त लड़के हैं ?

(4) ग्राम कनवाड़ा में सैकण्डरी स्कूल न खोल कर उस इलाके की जनता के साथ क्या न्याय किया है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री भंवरलाल शर्मा) :
(1) वर्तमान आबादी जानने का कोई निश्चित आधार नहीं है ।

(2) जी नहीं ।

(3) छात्रों की संख्या कक्षा 1 से 8 तक 243 है ।

(4) जनसंख्या के निर्धारित मान-दण्ड में नहीं आने के कारण वहां सैकण्डरी स्कूल नहीं खोला जा सका ।

श्री **निर्मल कुमार सकलेचा** : आपने जनसंख्या का आधार बताया इसके बावजूद भी स्कूल खोले जाते हैं । एक विधान सभा क्षेत्र में 4-4 सैकण्डरी स्कूल हैं । हमारी बराबर मांग रही कि कनवाड़ा में सैकण्डरी स्कूल खोला जाय . . .

श्री **रामकृष्णदास गुप्ता** (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, जनसंख्या के आधार पर स्कूल खोलना परिवार नियोजन कार्य-क्रम के विपरीत है । पश्चिमी राजस्थान में, जैसलमेर, बाड़मेर इलाके का क्षेत्रफल बड़ा है

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता) और अबादी कम है वहां कोई स्कूल आपने नहीं खोले। जनसंख्या के आधार पर स्कूल खोलना परिवार नियोजन जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम के खिलाफ है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती श्यामा कुमारी।

श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर (कपासन) : मेरा जो प्रश्न है वह इस प्रकार है..

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर): यह जनसंख्या से रिलेटेड सवाल बहुत जरूरी है।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री थानवी। I give chance to Shri Thanvi. He caught my eyes.

श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, फलौदी तहसील में चाड़ी गांव है। वहां 5 हजार से अधिक की आबादी है पर वहां नियम में आने पर भी सैकण्डरी स्कूल नहीं खोला गया है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती अरोड़ा !

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : मैं जानना चाहूंगी कि शाहपुरा में एक स्कूल खोला गया ......

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

एक माननीय सदस्य : मेरा प्रश्न इससे संबंधित है, अध्यक्ष महोदय। स्कूल खोला मगर बिना कारण बन्द कर दिया गया। दूसरी ओर माननीय मंत्री महोदय उत्तर देते हैं......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री निर्मलकुमार सकलेचा : कनवाड़ा में...

श्री अध्यक्ष : मैं जवाब दिलवाना चाहता हूं, लेकिन जवाब तो कनवाड़ा, कनवाड़ी.....

श्री किशनसिंह भाटी : यह जनसंख्या का सवाल किससे संबंधित है ? स्कूलों में, अस्पतालों में, रोड्स में, हर चीज में विकास का आधार जनसंख्या माना गया है, तो क्या हम समझें कि जहां कम जनसंख्या है वहां के लोग विकास में पीछे रहेंगे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जनसंख्या का आधार स्कूल खोलने के लिये तय किया गया है, यह कोई मेरी व्यक्तिगत रुचि नहीं है। विधान सभा में जब बजट पेश हुआ था उस समय भी सरकार ने बताया कि इस बार स्कूल खोलने में जनसंख्या का यह आधार रहेगा। यही आधार है। हमेशा के लिये जरूरी नहीं है कि यही मानदण्ड रखा जाय। अगली बार पुनर्विचार करेंगे।

श्री निर्मलकुमार सकलेचा : अध्यक्ष महोदय, उस आधार को तोड़ कर स्कूल खोले हैं मंत्री महोदय ने। हमारे यहां स्कूल क्यों नहीं खोला, इसका जवाब दें।

मेजर श्री फतेहसिंह (भीम) : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है.....

श्री निर्मलकुमार सकलेचा : जनसंख्या के आधार को तोड़कर आपने और जगह स्कूल

(श्री निर्मलकुमार सकलेचा)
खोले हैं और कनवाड़ा-कनवाड़ी में स्कूल नहीं खोला है।

मेजर श्री फतहसिंह : क्या उस क्षेत्र में जहां पर 3 हजार अथवा ढाई हजार की आबादी वाले गांव नहीं है वहां कोई भी सैकण्डरी स्कूल नहीं खोला जायेगा ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : या नहीं खोले गये ?

मेजर श्री फतहसिंह : मेरे क्षेत्र में 3 हजार अथवा ढाई हजार की आबादी वाले गांव कहीं नहीं हैं तो क्या वहां पर कोई सैकण्डरी स्कूल खोला ही नहीं जायेगा ?

श्री जगतारसिंह कंग (करणपुर) : गांवों के लिए आपने आबादी का अनुपात रखा है, यह क्या नीति अपनाई है ? क्या दुवारा इस सम्बन्ध में कोई नीति बनायेंगे ?

(व्यवधान)

मजर श्री फतेहसिंह : मुझे ऐसी सूचना मिली है कि यह नीति निर्धारित कर देने के बाद भी आपने 3 हजार और ढाई हजार की आबादी से कम आबादी वाले गांवों में सैकण्डरी स्कूल खोल दिये हैं ......

(व्यवधान)

श्री निर्मलकुमार सकलेचा : अध्यक्ष महोदय, आबादी के नियम को मंत्री महोदय ने तोड़ा है और बिधायक गणों की इच्छा पर स्कूल खोले हैं, तो मेरे यहां पर क्यों नहीं खोले ? यह बतायें आप ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन अपने पैरों पर है। अब इस संबंध में चर्चा नहीं होगी । मंत्री महोदय, यदि जवाब की कुछ गुन्जाइश समझें, और माननीय सदस्यों की शंका निवारण के लिए कुछ कह दें तो अच्छा हो ।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : मंत्री महोदय घोषणा करें ।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप मुझ से मिल लें।

श्री निर्मलकुमार सकलेचा : आप से मैं 100 बार मिल लिया हूं ।

मेजर श्री फतहसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसी सूचना मिली है कि कनवाड़ा गांव की 3 हजार से कम आबादी होते हुए भी सैकण्डरी स्कूल खोल दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष : We cannot compel the Minister to give reply.

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क) : माननीय अध्यक्ष; इतनी देर से खड़े होने पर भी मुझे अपनी बात नहीं कहने दी जा रही है व लोग गड़बड़ करके बोल रहे हैं । यह बात तो ठीक नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री चुन्नीलाल जेलिया ।

मेजर श्री फतहसिह(भीम): अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े अदब के साथ में निवेदन करना चाहता हूं । मैं कभी आसन के आदेशों की अवहेलना नहीं करता हूं, लेकिन यह सरकार की नीति का प्रश्न है । स्कूल खोलने के बारे में सभी माननीय सदस्यों को असन्तोष है । इसलिए सरकार अपनी नीति पर प्रकाश डालें । क्या यह जो नीति बनाई गई है इसमें परिवर्तन होगा या नहीं होगा ? इस नीति का पालन करने में पक्षपात क्यों बरता गया ?

Page No 8

(8)

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य सुनें। मैं माननीय सदस्यों को सरकार की ओर से विश्वास दिलाना चाहूंगा कि यदि नीति में कोई खामी है तो उस खामी को दूर किया जायेगा। सदन की जानकारी के लिए यह कहना चाहूंगा कि इस सरकार ने जितनी संख्या में स्कूल खोले हैं उतनी संख्या में भूतपूर्व सरकार ने कभी नहीं खोले हैं।...

(व्यवधान)

श्री **प्रद्युम्नसिंह** : आपने अध्यक्ष महोदय, इस सरकार को शील्ड करने की कोशिश की है.....

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : भूतपूर्व शिक्षा मंत्री इस बारे में क्या कहना चाहते हैं ?

श्री **खेतसिंह राठौड़** : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष के लिए तो सदन के दोनों पक्ष बराबर हैं। आप किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं.....

श्री **अध्यक्ष** : मेरे लिये दोनों ही पक्ष बराबर हैं।

श्री **खेतसिंह राठौड़** : आपने कहा कि इस सरकार ने बहुत कुछ किया है और पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया ...

श्री **प्रद्युम्नसिंह** : आप जैसा महान् व्यक्ति......

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, मैंने जो कुछ कहा है वह अवास्तविक नहीं है...

(व्यवधान)

श्री **किशनसिंह भाटी** : आपने तुलनात्मक बात कही है।

श्री **रतनलाल वर्मा** (भिनाय) : यह सत्य है कि कांग्रेस के जमाने में इतने स्कूल नहीं खुले हैं।

श्री **रघुनाथ विश्नोई** (सांचौर) : यह आपकी बापौती नहीं है...

श्री **रतनलाल वर्मा** : आपने हमेशा पक्षपात किया है।

श्री **रघुनाथ विश्नोई** : हमारा शासन पर आरोप है.....

श्री **अध्यक्ष** : अब इस प्रश्न पर चर्चा नहीं होगी। श्री चुन्नीलाल जेलिया !

(व्यवधान)

अब इस पर चर्चा नहीं होगी। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री चुन्नीलाल जेलिया !

श्री **बजरंग लाल शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा.....

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, इस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री **बजरंगलाल शर्मा** : मैं बार-बार खड़ा हुआ लेकिन आपने इजाजत नहीं दी।

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, I am very sorry. अब इस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री **शंकर लाल** (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न पर चर्चा नहीं कर रहा

(श्री शंकरलाल)
हूं, लेकिन आपने जो आश्वासन दिया है सरकार की तरफ से उसके लिए कहना चाहता हूं। आपका उत्तर सरकार का उत्तर नहीं होता है....

(व्यवधान)

श्री **किशनसिंह भाटी** : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री **मूलचन्द डागा** : No point of order during question hour.

(व्यवधान)

आसन सरकार की ओर से इस तरह का उत्तर नहीं दे सकता। यह उनकी अयोग्यता का प्रमाण है। ऐसा लगता है कि उनमें कार्य करने की क्षमता नहीं है। आपने उनको प्रोटेक्शन दिया है। हम चाहते हैं कि आप इस प्रकार से उनको प्रोटेक्शन देने के रूप में उत्तर न दें। वह खुद बोलें। आपने यह जो काम किया है यह ठीक नहीं है...

(व्यवधान)

श्री **खेतसिंह राठौड़** : यह नीति का प्रश्न है। माननीय मुख्य मंत्रीजी जवाब दें।

श्री **मूलचन्द डागा** : माननीय मुख्य मंत्रीजी बैठे हैं। इस प्रकार से उत्तर देना आपका कर्त्तव्य नहीं था। आपने इस प्रकार से सरकार को प्रोटेक्शन दिया है। आपको निष्पक्ष होना चाहिए था।

श्री **अध्यक्ष** : क्या आप मेरी बात एक क्षण के लिए सुनने की कृपा करेंगे ?

(व्यवधान)

श्रीमती **उजला अरोड़ा** : अध्यक्ष महोदय, 34 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए टाइम निर्धारित कर दीजिये।

(व्यवधान)

श्री **मदनसिंह दांता** : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी इसका जवाब दे रहे हैं।

श्री **मूलचन्द डागा** : कहां दे रहे हैं ?

श्री **मदनसिंह दांता** : दे रहे हैं।

श्री **बजरंगलाल शर्मा** : माननीय मुख्य मन्त्रीजी, इतना और साथ में बता दें कि 1973 के बाद जिन इलाकों में तेजी से जनसंख्या में वृद्धि हुई है, जहां पर कई गुना वृद्धि हुई है ऐसे इलाकों के बारे में क्या आप एक्सेप्शनली विचार करके...

(व्यवधान)

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता था कि भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री और बाकी के सदस्य इस बात की प्रसंशा करेंगे इस सरकार की....

श्री **मूलचन्द डागा** : हर्गिज नहीं। आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि पक्षपात हो रहा है। गलत कह रहे हैं ?

श्री **दूलाराम** (रायसिंह नगर) : मैं कहता हूं पक्षपात हुआ है। मैं चैलेन्ज करता हूं।

(व्यवधान)

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : इतनी-सी भी व्यवस्था करके नहीं चल सकते कि एक आदमी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
बोल रहा हो, तो पहले उसको बोल लेने दिया जाय ।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले तीस वर्षों में अंग्रेजों के राज से लेकर जिस समय खेतसिंहजी का पदार्पण हुआ, उस वक्त तक 950 सैकण्डरी स्कूल हमारे यहां पर थे । वर्तमान राजस्थान सरकार को इस बात का गर्व है कि उसने 15 महीनों में 501 सैकण्डरी स्कूल खोले हैं । इस समय मेरे पास प्राइमरी स्कूलों और मिडिल स्कूलों की संख्या नहीं है लेकिन मोटे तौर पर मैं यह कह सकता हूं कि जो शिक्षा का विस्तार 30 वर्षों में नहीं हुआ वह हमने 13 महीनों में किया है, इस बात का हमें गर्व है । मैं मानता हूं कि प्राइमरी स्कूल, सैकण्डरी स्कूल और मिडिल स्कूल, हायर सैकण्डरी और कालेजों की सब जगह से मांग है उस मांग का सम्बन्ध केवल इसी से नहीं है कि कहां-कहां स्कूल खोले जायं और कहां-कहां नहीं खोले जायं, यह वित्तीय स्थिति पर भी निर्भर करता है । हम कितना वित्त इसके लिए खर्च कर सकते हैं, इस पर निर्भर करता है ।

जहां तक यह प्रश्न है कि आबादी के आधार पर स्कूल खोले जायं इस संबंध में जैसा कि अभी शिक्षा मंत्रीजी ने कहा पिछले बजट सत्र में शिक्षा के बारे में नीति की घोषणा की गई थी उस समय मुझे याद है किसी भी माननीय सदस्य ने इसका विरोध नहीं किया कि संख्या के आधार पर स्कूल खोलना वाजिब नहीं होगा । इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में जो कठिनाइयां आई हैं उनको ध्यान में रखते हुए यह करने की कोशिश करेंगे कि प्राथमिकता के आधार पर स्कूल खोले जायं । माननीय खेतसिंहजी आज के कुछ दिन पहले मिले थे । उन्होंने कहा था मेरे क्षेत्र में स्कूल नहीं खोले । उनको खुशी होनी चाहिये, उनके क्षेत्र में स्कूल खोले गये हैं । जब वे शिक्षा मंत्री थे उस समय उनके क्षेत्र में स्कूल नहीं खुले ।

श्री **खेतसिंह राठौड़** : मैं बड़ा निष्पक्ष था ।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : अध्यक्ष महोदय, उनकी सारी जिन्दगी में केवल चार स्कूल खुले, अब और 9 स्कूल खोल दिये । वे मेरे पास माला लेकर आये कि मेरे क्षेत्र में जिन्दगी आ गई । इससे आप उनके कथन का सही होने का अन्दाजा लगा सकते हैं ।

यह आधार हमने इसलिये बनाया कि शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति बिल्कुल नहीं आनी चाहिये । स्कूल कहां खोलें और कहां नहीं खोलें, हर क्षेत्र के बच्चे राजस्थान के बच्चे हैं । किसी के क्षेत्र में भी यदि शिक्षा का विस्तार होता है तो उसमें राजनीति का प्रवेश नहीं होना चाहिये । मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि स्कूल खोलने में राजनीति का लेशमात्र भी आधार नहीं लिया जायगा । यही कारण है..

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : नैक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री **शिवचरणसिंह** (बयाना) : रूपवास में अभी दो स्कूल खोले हैं । क्या वे राजनीतिक आधार पर नहीं खोले हैं-

(व्यवधान)

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : मैं माननीय सदस्य से यह सवाल करना चाहता हूं कि क्या रूपवास में स्कूल नहीं खोलने चाहिये ?

श्री **शिवचरणसिंह** : खुलने चाहिये । यहां खोले हैं ?

श्री **प्रद्युम्नसिंह** : चुनाव के मौके पर नहीं खोले जाने चाहियें ?

(व्यवधान)

श्री **शिवचरणसिंह** : मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे क्षेत्र में....

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, इसका तो पारावार नहीं होगा। मुख्य मंत्रीजी ने इस समस्या पर जो प्रकाश डाला वह पर्याप्त है। भूतपूर्व शिक्षा मंत्रीजी की निष्पक्षता की सराहना करते हुए मैं इस चर्चा को समाप्त करता हूं।

श्री **किशनसिंह भाटी** : अध्यक्ष महोदय, मैं एक....

श्री **अध्यक्ष** : No more.

श्री **किशनसिंह भाटी** : मेरा सवाल इतना ही है, मैं यह पूछना चाहता हूं कि विकास का आधार नेसेसिटी होगा या पापुलेशन ? मुख्य मंत्रीजी इसका जवाब दें।

श्री **अध्यक्ष** : इसका जवाब मुख्य मंत्रीजी की इच्छा होगी तो देंगे।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : कौनसा क्राइटेरिया चाहते हैं, माननीय सदस्य, वह बता दें।

श्री **किशनसिंह भाटी** : मैं विकास का आधार नीड बेस्ड चाहता हूं, पापुलेशन बेस्ड नहीं चाहता।

श्री **जगतारसिंह कंग** : मेरे यहां पापुलेशन होते हुए भी स्कूल नहीं खोले गये·

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : आप तीन हजार की पोपुलेशन बता दें।

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : पोपुलेशन बेसिस कोई रिजिड बेसिस नहीं है,

(व्यवधान)

श्री **मदनसिंह दांता** : क्या स्कूल ऐसी जगह खोले हैं जहां कि कांग्रेसी नहीं हैं ?

श्री **किशनसिंह भाटी** : अध्यक्ष महोदय, जो क्वेश्चन मुख्य मंत्रीजी का खुद का था मुझसे कि कौनसा क्राइटेरिया चाहते हैं, उसका रिप्लाई आने दें।

श्री **अध्यक्ष** : You please resume your seat.

श्री **किशनसिंह भाटी** : Yes sir.

श्री **अध्यक्ष** : प्रश्न संख्या 200।

ईसरदा स्टेशन (सवाई माधोपुर) पर पुलिस चौकी

200. श्री **चुन्नीलाल जेलिया** (खंडार) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

ग्राम ईसरदा स्टेशन जिला सवाई माधोपुर में पुलिस चौकी (ओ०पी०) स्थापित किए जाने बावत महानिरीक्षक आरक्षी को कई बार प्रार्थना-पत्र दिए जाने के बाद भी पुलिस चौकी क्यों नहीं स्थापित की गई ? अब ग्राम ईसरदा रेल्वे स्टेशन पर पुलिस चौकी की स्थापना करने का राज्य सरकार इरादा रखती है या नहीं ? अगर हां, तो कब तक ?

गृह मंत्री (श्री सम्पतराम) : री-आर्गेनाइजेशन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर चौकी ईसरदा व चौकी चौथ-का-बाड़ा मिला कर थाना चौथ-का-बरवाड़ा स्थापित किया गया था। ग्राम ईसरदा में पुलिस चौकी

(श्री सम्पतराम)
पुनः स्थापित किए जाने का मामला अभी विचाराधीन है। इसका औचित्य जाहिर होने पर ही यह निर्णय लिया जा सकेगा कि चौकी स्थापित करना उचित है या नहीं।

श्री **चुन्नीलाल जेलिया** : हमारे क्षेत्र में बनास नदी पड़ती है वहां आए दिन गुंडागर्दी की वारदातें होती रहती हैं। ग्राम ईसरदा में पुलिस चौकी थी जिसको हटाया गया। मेरा सरकार से निवेदन है कि वहां चौकी खुलवाने का कब तक सरकार इरादा रखती है ?

श्री **मदनसिंह दांता** : क्या सदस्य का विश्वास है कि थाना स्थापित होने से गुंडागर्दी नहीं होगी ? जहां आई०जी० बैठे हैं वहां भी गुंडागर्दी हो रही है।

(व्यवधान)

श्री **ईश्वर चंद्र** : जितनी भी पुलिस चौकियां हैं, आपने कभी अध्ययन कराया है कि वहां काम होता है ? न रिपोर्ट दर्ज होती है न कोई और कार्यवाही करते हैं तो फिर पुलिस चौकी खोलने का औचित्य क्या है ? क्यों आपने खर्चा बढ़ा रखा है ? इनके द्वारा गांवों में गुंडागर्दी बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं होता है।

श्री **मन्जूर अली** (सवाई माधोपुर) : ग्राम ईसरदा में पुलिस चौकी का रहना अहम था। सवाई माधोपुर व ईसरदा के बीच बनास नदी है इसलिए वहां चौकी खोलना अहम था। अब थाना आप चौथ-का-बरवाड़ा में रखना चाहते हैं बाकी चौकियों को आपने खतम कर दिया। तो क्या ईसरदा में फिर चौकी कायम करने का सरकार इरादा रखती है ?

श्री **गोपाल सिंह** (खण्डेला) : क्या यह सही है कि राज्य की बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ते हुए अपराधों को देखते हुए राजस्थान के सभी भागों में सरकार उतने अनुपात में थाने स्थापित करने का विचार रखती है ?

श्री **काशीनाथ गुप्त** : मैंने कई बार मुख्य मंत्री से कहा है कि हमारे प्रान्त में उत्तर प्रदेश से डकैत आते हैं और बार-बार चोरियां हो रही हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ।

श्रीमती **नारंगी देवी** (किशनगंज) : हमारे क्षेत्र में पिछले महीने में 4 डकैतियां पड़ी। पुलिस चौकियों को बताने के उपरांत भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। 5 जने मर गए और 6 जने अस्पताल में पड़े हुए हैं। इसलिए चौकियों को समाप्त किया जाए, जनता अपने आप अपनी सुरक्षा करेगी।

श्री **अब्दुल अजीज** (मकराना) : आई० जी० पुलिस राजस्थान ने राज्य सरकार को लिखा है कि पुलिस अधिकारियों की संख्या कम होने के कारण क्राइम्स काबू में नहीं आ पा रहे हैं। क्या सरकार आई. जी. की दरख्वास्त पर विचार कर नई भर्ती शुरू करेगी? किस प्रकार आप बढ़ते हुए क्राइम्स को काबू में लायेंगे ?

(व्यवधान)

श्री **बजरंग लाल शर्मा** : विधायकपुरी में एक थाना बन रहा है। सिविल लाइन्स के लिए भी एक थाना बनाने की सरकार कोशिश करेगी ? सिविल लाइन्स में ज्यादा क्राइम्स की संभावना है, क्या गृह मंत्री वहां थाना कायम करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री **मंजूर अली** : चुन्नीलालजी का अहम सवाल है, मंत्री महोदय जवाब दें।

श्री **अध्यक्ष** : मंत्री महोदय को उत्तर देने का समय मिले तो वह उत्तर दें। यहां तो सप्लीमेंट्रीज की बौछार होती है। इस प्रकार तो मंत्री महोदय को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे।

श्री **मबनसिंह दांता** : यह तो गवर्नमेंट के लिए संभव नहीं है कि जगह-जगह थाने बने लेकिन सरकार के पास सुझाव आए, प्रधान मंत्री ने मुख्य मंत्री को सुझाव दिया है कि ग्राम चौकीदार की नियुक्ति होनी चाहिए। पुलिस एक्ट में भी प्रावधान है। जगह-जगह चौकीदारी सिस्टम रखें ताकि कुछ वारदात होते ही आपको जानकारी मिले।

श्री **श्योपतसिंह मकासर** : इस तरह सप्लीमेंट्री पूछने और जवाब आने का तरीका विधान सभा के इतिहास में पहली बार ही देखा है, पहले कभी नहीं देखा। दो सप्लीमेंट्रीज का मंत्रीजी जवाब दें ताकि पर्पज सर्व हो। लगातार सप्लीमेंट्रीज पूछने से पर्पज सारा खतम हो जाता है और एक अजीब-सा तमाशा हो जाता है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दें कि दो-तीन सप्लीमेंट्रीज के बाद मंत्रीजी को जवाब देना पड़ेगा।

श्री **अध्यक्ष** : मैं निरंतर कह रहा हूं कि अगर सप्लीमेंट्रीज की बौछार होती रहेगी तो सरकार का उत्तर नहीं आ पायेगा और प्रश्नकाल का महत्व ही घट जाएगा।

श्री **श्योपतसिंह मकासर** : महत्व खतम हो रहा है।

श्री **सम्पतराम** : अभी कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि जनसंख्या बढ़ गई, इसलिए जुर्म बढ़ गये। काफी संख्या में अपराधों में नए-नए परिवर्तन हुए हैं, तो क्या सरकार नये तरीके से इस सारी व्यवस्था पर विचार कर कुछ पुलिस फोर्स को बढ़ाने या नये थानें या चौकियां खोलने का इरादा रखती हैं ? मेरा निवेदन है कि हमारे पुलिस मुख्यालय से बाकायदा हमने जानकारी मंगाई है। रूरल एरियाज व शहरों के लिए नई पद्धति सरकार शीघ्र ही स्वीकार करना चाहती है, लेकिन उसके लिए वित्तीय साधन उपलब्ध होना आवश्यक है। पिछले कई वर्षों से पुलिस विभाग महसूस कर रहा है कि जिस प्रकार की व्यवस्था जनसंख्या के आधार पर होनी चाहिए, वह नहीं हो पाई, राज्य सरकार चिंतित है। सरकार निकट भविष्य में करीब 2 करोड़ रुपये पुलिस के एक्सपेन्शन पर खर्च करना चाहती है। यह व्यवस्था भी करना चाहती है कि शहरों में रात को जो पेट्रोल पार्टी में रहते हैं वे दिन में इन्वेस्टीगेशन नहीं कर सकते, इसलिए दो भागों में बांटने की व्यवस्था हो सके तो करनी चाहिए। इण्डस्ट्रीज बढ़ गई, विद्यार्थियों की संख्या बढ़ गई, इसलिए जो सदन की भावना है, वह पहले ही सरकार के विचाराधीन है और निश्चित तौर से कोई न कोई कार्यवाही की जाएगी।

श्री **खेतसिंह राठौड़** : तफतीश करने के लिए निचले स्टाफ को अधिकार दें, चौकियों पर ए. एस. आई. लगायें तो विभाग में काफी रफ्तार आ जाएगी।

श्री **श्योपतसिंह मकासर** : मंत्रीजी ने कहा कि छात्रों की संख्या बढ़ रही है। व्यवस्था कर रहे हैं, तो मास्टरों की व्यवस्था करें, पुलिस की व्यवस्था से क्या ताल्लुक है ?

Page No 14

(14)

श्री मंजूर अली : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मेरा सप्लीमेंट्री मूल प्रश्न से संबंधित है। जो आप चौकी खोलते हैं वह आप हैड कान्सटेबल के जिम्मे छोड़ते हैं। क्या सरकार ने कभी सोचा है कि ए. एस. आई. के रेंक के नीचे जो इन्चार्ज रहेगा उसकी कोई परफार्मेंस नहीं होगी ? जब तक चौकियां ए. एस. आई. के जिम्मे नहीं की जायेंगी, आपकी चौकियों का कहीं महत्व नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उत्तर आने दें।

श्री नूरा (मसूदा) : आप कहते हैं विद्यार्थी बढ़ गये, इसलिए पुलिस बढ़ानी चाहिए. . . . .

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि चौथ-का-बरवाड़ा और ईसरदा दो चौकियां हैं। राज्य सरकार ने सन् 72 में एक कमेटी बनाई थी और कहा था कि सारे पुलिस के कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए और वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए जो भी कुछ परिवर्तन हुए पुलिस के ढांचे में बहुत बड़ा वित्तीय भार न डालते हुए करेंगे। उस रिपोर्ट के आधार पर यह दोनों चौकियां खोल कर एक नया पुलिस स्टेशन चौथ-का-बरवाड़ा कायम किया गया था। अब सवाल यह होता है कि कहीं भी कोई पुलिस चौकी या पुलिस स्टेशन कायम किया जाता है तो उसके आधार और बहुत से होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा आधार यह होता है कि जनसंख्या कितनी है और वहां पर जुर्म कितने और किस-किस प्रकार के होते हैं। अगर इस दृष्टि से भी देखा जाये तो सारे मामले में. . .

श्री मदनसिंह दांता : कम्युनिकेशन की भी सुविधा देते हैं या नहीं ?

श्री सम्पतराम : देते हैं।

जुर्म की संख्या 1976 में 21, 1977 में 31 और बाद में 23 हुई। किसी भी पुलिस स्टेशन में 80 से ज्यादा जुर्म तो आज भी नहीं हैं। पहले सवाई माधोपुर में दोनों चौकियां लगती थीं। उसके बाद चौथ-का-बरवाड़ा पुलिस स्टेशन कायम किया गया। चौकियां होती हैं उनका काम पेट्रोलिंग करना है, इनफोर्मेशन देना और लोकल पुलिस को असिस्ट करना है। बहुत से आन्दोलन या झगड़े होते हैं उसमें लोकल पुलिस को असिस्टेन्स देना होता है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : चौकी का इन्चार्ज ए. एस. आई. से कम रेंक का रखते हैं तो इसका मतलब यह है कि उस चौकी का कोई महत्व नहीं है। आपको इन्चार्ज ए. एस. आई. से कम रेंक का नहीं बनाना चाहिए, यह मेरा सजेशन है।

श्री मंजूर अली : सवाई माधोपुर में अब उसे बरायें नाम ही कह सकते हैं। मसला तो यह है, थाना कायम करने की जरूरत यों थी कि बीच में बनास नदी थी और उस पर पुल नहीं था। वह मसला तो हल ही नहीं हुआ। दूसरों के इलाकों में तफतीश के वास्ते आने के लिए जो दिक्कत थाना सवाई माधोपुर को थी वही थाना चौथ-के-बरवाड़ा को है क्योंकि बनास नदी चौथ-के-बरवाड़ा व ईसरदा के बीच है।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य

Page No 15

(15)

(श्री सम्पतराम)
को शायद यह भ्रम है कि पुलिस चौकी पर कोई केस रजिस्टर होता है। सवाल यह नहीं है। केस तो पुलिस स्टेशन पर ही रजिस्टर होता है, चौकी में नहीं। इनवेस्टीगेशन इसी आधार पर होता है। केवल 57 गांव हैं और जितने जुर्म हुए वह भी बता दिये, इसलिए चौकी कायम करने का औचित्य नहीं है।

श्री **अध्यक्ष** : नैक्स्ट। श्री टीकमचन्द कांत!

पंचायत समिति, जालोर के गांवों का विद्युतीकरण

201 **श्री टीकमचन्द कान्त** (जालोर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जालोर पंचायत समिति के ग्रामों का विद्युतीकरण वर्षों से नहीं हो रहा है और इसके लिए ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की आवश्यकता अनुभव की जा रही है? यदि हां, तो अब जालोर पंचायत समिति की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कब से प्रारम्भ की जा रही है?

(2) क्या यह भी सही है कि जालोर जिले के दो हजार विद्युत कनेक्शन मीटरों के अभाव में नहीं हो पा रहे हैं? यदि हां, तो क्या मीटर देने में जालोर जैसे पिछड़े जिले को प्राथमिकता दी जायेगी?

श्री **चुन्नीलाल जेलिया** : आज की तारीख में अपराध, चोरियां, डकैती और बलात्कार के मामले होते हैं और आने जाने का रास्ता नहीं है। ईसरदा चौकी कायम कराने का दृष्टिकोण यह है। ईसरदा में चौकी होनी चाहिए।

श्री **मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : आपका स्टेटमेन्ट कान्ट्रेडिक्टरी है। आप जांच करके किसी नतीजे पर पहुंचने के बाद स्टेटमेंट दें पहले ही आपने स्टेटमेंट दे दिया। . . .

(व्यवधान)

श्री **सम्पतराम** : माननीय सदस्य ने मेरा उत्तर शायद सुना नहीं . . . .

श्री **मूलचन्द सामरिया** : सुना है।

श्री **सम्पतराम** : मैंने निश्चित रूप से कहा है कि पुलिस की स्ट्रेन्थ को बढ़ाने के लिए सरकार ने कुछ प्रपोजल मांगे हैं। आपने जो अभी उत्तर चाहा है मैं उसका उत्तर क्या दूं। सारे राजस्थान के परिप्रेक्ष में जो भी उचित होगा देख लिया जायेगा।

श्रीमती **उजाला अरोड़ा** : चौकियों का आधार बनाते समय यह ध्यान रखें कि जहां-जहां शराब की दुकानें हैं उनको भी आधार बना लिया जाये, वहां पर थाने की व्यवस्था हो।

श्री **अध्यक्ष** : नैक्स्ट। श्री टीकमचन्द कांत 201.

श्रीमती सुमित्रा सिंह . . .

श्री **रामेश्वरदयाल यादव** : प्रश्न संख्या 201 रह गया। माननीय सदस्य इसको बोल चुके हैं।

प्रश्न संख्या 201

श्री **अध्यक्ष** : श्री टीकमचन्द कांत!

(अनुपस्थित)

श्री **रामेश्वरदयाल यादव** : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बिजली से संबंधित है । वह शायद बाहर चले गये हैं ।

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य श्री टीकमचन्द कांत कहां हैं ?

श्री **रामेश्वरदयाल यादव** : वह बाहर गये हैं । शायद पेशाव करने गये होंगे । प्रश्न 201 बहुत जरूरी है, बिजली के संबंध में है ।

श्री **अध्यक्ष** : श्रीमती सुमित्रा सिंह ।

श्री **रामेश्वरदयाल यादव** : वह बोल कर गये हैं ।

श्री **अध्यक्ष** : श्रीमती सुमित्रा सिंह ।

श्री **रामेश्वरदयाल यादव** : 201 बिजली से संबंधित है ।

श्री **मदनसिंह दांता** : आने तो दो उनको।

श्री **रामेश्वरदयाल यादव** : वह प्रश्न बोल चुके हैं। प्रोसीडिंग्स में मुलाहिजा फर्मा लें ।

(व्यवधान)

प्रश्न लैप्स कैसे होगा ? वह बीच में बोल गये । शायद पेशाव करने गये होंगे ।

एक माननीय सदस्य : वह आ गये ।

श्री **अध्यक्ष** : श्रीमती सुमित्रा सिंह ।

आयुर्वेदिक औषधालयों में दवाइयों की व्यवस्था

202. **श्रीमती सुमित्रासिंह** (झुंझुनू): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

आयुर्वेद विभाग में विभिन्न औषधालयों में जो दवायें उपलब्ध कराई जाती हैं वे कहां निर्मित होती है ? क्या जिला आयुर्वेद अधिकारी अपनी मर्जी से किसी भी फार्मेसी से दवा खरीद कर औषधालयों में वितरित कर सकते हैं ? यदि हां, तो झुंझुनूं जिले में मनसा फार्मेसी की दवायें सभी औषधालयों में किस प्रकार वितरित की जा रही हैं ?

आयुर्वेद मंत्री (श्री त्रिलोकचन्द जैन): आयर्वेद औषधालयों में राजकीय रसायनशालाओं में निर्मित औषधियां भी उपलब्ध कराई जाती हैं । यह औषधियां राजकीय आयर्वेद रसायनशाला अजमेर, भरतपुर, उदयपुर व जोधपुर में निर्मित होती हैं । आयुर्वेद अधिकारी किसी फार्मेसी से दवाइयां खरीद कर सप्लाई नहीं कर सकते हैं अतः मनसा फार्मेसी की दवाइयों के खरीदने व वितरण का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है ।

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि मनसा फार्मेसी के प्रोप्राइटर के साथ झुंझुनूं आयुर्वेद अधिकारी अक्सर जीप में बैठे घूमते दिखाई देते हैं ?

श्री **अध्यक्ष** : जीप में बैठ कर घूमते हैं तो अब क्या करना है ?

श्री **त्रिलोकचन्द जैन** : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार के पास यह शिकायत आई है । उसके बारे में जांच के आदेश दे दिये गये हैं ।

श्रीमती सुमित्रासिंह : जांच के आदेश दे दिये है आपने ?

श्री **त्रिलोकचन्द जैन** : जी हां ।

श्रीमती सुमित्रासिंह : तारीख भी बता दीजिए जांच की ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री लालूदास !

श्री रामेश्वरदयाल यादव : अध्यक्ष महोदय, 201। श्री टीकमचन्दजी कांत आ गये हैं। आप प्रश्न बोल चुके हैं इसलिए पहले यह प्रश्न लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री टीकमचन्द कांत।

(विराम)

आप ही टीकमचन्द कांत हैं ?

श्री टीकमचन्द कांत : जी हां।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 201।

(प्रश्न संख्या 201 का उत्तर)

विद्युत मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी): (1) जी हां, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का संशोधित प्रारूप, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को भेजा जा रहा है और योजना की स्वीकृति के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

(2) जी नहीं। इस समय केवल 568 कनेक्शनों के लिये मीटर्स की आवश्यकता है। जिनमें 425 सिंगल फेज व 143 पोली फेज चाहियें। इनके पेटे 400 सिंगल फेज व 1000 पोली फेज मीटर्स की व्यवस्था कर दी गई है। शेष का शीघ्र प्रबन्ध किया जा रहा है।

श्री टीकमचन्द कांत : मैं यह जानना चाहूंगा कि जो निगम को योजना का संशोधित प्रारूप भेज रहे हैं वह कब तक स्वीकृत हो जायेगा ? जालौर पंचायत समिति में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कब तक प्रारम्भ हो जायेगी ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, निगम पर हमारा कन्ट्रोल नहीं है। हम यहां से योजना बना कर भेजते हैं दिल्ली को। वहां निगम सारी योजना देखता है। उसको देखने के पश्चात् संशोधन करता है। हम उसे देख कर वापस भेज देते हैं। अभी कहने की स्थिति में नहीं हूं, इसमें कितना समय लग जायेगा।

श्री मूलचन्द डागा : आप निगम को डाइरेक्शन दे सकते हैं।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : विद्युत मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जालौर पंचायत समिति में क्या अब तक कोई ग्रामीण विद्युतीकरण योजना स्वीकृत नहीं है ?

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि राजस्थान में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में कई स्वीकृत योजनाओं का अभी तक काम चालू नहीं हुआ है, उदाहरणतः मैं नाम भी दे सकता हूं।

मेरा तीसरा प्रश्न है कि ऐसे कितने गांव हैं जिनके ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत एल फार्म और रुपये जमा हैं परन्तु सामान के अभाव में कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं जिससे फसल को पूरी हानि होने की संभावना है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्पेसिफिक क्वेश्चन का रिप्लाई तो आने दीजिये।

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा): जोधपुर डिवीजन के अन्दर वर्षा का अकाल रहता है, बिजली का अकाल भी है। जो ग्रामीण विद्युतीकरण की योजायें बनाई जा रही हैं। लेकिन लोगों को कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। जोधपुर शहर के अन्दर 4000 डोमेस्टिक कनेक्शन बाकी हैं ? गांवों में भी कनेक्शन बाकी हैं ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पंचायत समिति जालौर का प्रश्न है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, जालौर पंचायत समिति में केवल 64 ग्राम हैं जिनमें से 22 ग्रामों का विद्युतीकरण पहले हो चुका है। केवल 42 ग्राम ऐसे हैं जिनकी योजना बना कर भेजी जा रही है। 22 गांव आलरेडी विद्युतीकृत हैं।

चौमूं से आये हुए माननीय विधायक ने प्रश्न किया है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली की उपलब्धता के अनुसार आर. एस. ई. बी. ने लगातार कनेक्शन देने का प्रोग्राम चालू किया है और कनेक्शन देने का काम जोरों पर है। मांग अधिक है। मांग पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान सरकार और विद्युत निगम पूरे प्रयत्नशील हैं, इसमें कोई भी बाधा आयेगी तो उसको निश्चित रूप से दूर करने की कोशिश करेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ। माननीय सदस्य, प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अनुसूचित जाति/जन-जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

162. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति तथा जन जाति कालेज विद्यार्थियों को 1967-68 से 1974-75 तक उत्तर मैट्रिक एवं राज्य सरकार दोनों से छात्रवृत्ति मिला करती थी ? यदि हां, तो प्रत्येक विद्यार्थी को किस स्तर पर कुल कितनी छात्रवृत्ति मिला करती थी ?

(2) राज्य सरकार की छात्रवृत्ति बंद कर दिये जाने के बाद अब प्रत्येक छात्र को कुल कितनी छात्रवृत्ति मिलती है ? क्या पूर्व में मिलने वाली छात्रवृत्ति तथा अभी मिलने वाली छात्रवृत्ति में अन्तर है ? यदि हां, तो क्या यह उचित है ?

(3) क्या राज्य सरकार विद्यार्थियों की महंगाई की कठिनाई को देखते हुए छात्रवृत्ति को पुनः चालू करेगी या उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि करने हेतु प्रयत्न करेगी ?

(4) क्या यह भी सही है कि छात्रावासों तथा कमरा लेकर रहने वाले विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में अन्तर है जब कि कमरा किराये पर मंहगा मिलता है ? क्या राज्य सरकार इस अन्तर को भी समाप्त करने हेतु आदेश प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची संलग्न है।

(समाज कल्याण मंत्री)

(2) राज्य सरकार की छात्रवृत्ति बन्द कर दिये जाने के बाद, अब प्रत्येक छात्र को जितनी छात्रवृत्ति मिलती है उसकी सूचना संलग्न तालिका में है तथा अन्तर भी संलग्न तालिका में है। छात्रवृत्ति की दरें देश के हर प्रान्त के लिये समान हैं इसलिये उचित ही हैं।

(3) छात्रवृत्ति नियमों में जो भारत सरकार द्वारा प्रसारित किये गये हैं एक छात्र द्वारा दो प्रकार की छात्रवृत्ति लिये जाने पर रोक होने के कारण ही राज्य सरकार के छात्रवृत्ति बन्द की गई थी और इसी रोक के कारण यह छात्रवृत्ति पुनः चालू नहीं की जा सकती है। जहां तक उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि करने का प्रश्न है इसके लिये भारत सरकार ही सक्षम है।

(4) छात्रावासों तथा कमरा लेकर रहने वाले विद्यार्थियों, यदि कमरे को संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य ने छात्रावास मान-लिया तो छात्रवृत्ति की दरों में कोई अन्तर नहीं है। छात्रावास मानने के लिये एक स्थान पर कई छात्रों का रहना आवश्यक है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

राज्य की एक वर्ष की उपलब्धियों पर प्रकाशित सामग्री

163. श्री **मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जन-सम्पर्क विभाग ने आज तक राजस्थान की एक वर्ष की उपलब्धियों पर जो सामग्री प्रकाशित की है, उस पर कुल कितना खर्चा किस-किस रूप में किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या एक वर्ष की उपलब्धियों का प्रकाशन राज्य व हिन्दुस्तान के सभी भागों में किया गया ? यदि हां, तो कौन कौन से; और इस हेतु जन सम्पर्क विभाग ने कितना-कितना खर्चा किस समाचार पत्र के लिये किया ? उसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) अन्त्योदय योजना पर जो सामग्री राज्य सरकार ने प्रकाशित की है, उस पर विभाग द्वारा कितना खर्चा किया गया और किस-किस रूप में ?

उत्तर

(1) जन-सम्पर्क विभाग ने आज तक एक वर्ष की उपलब्धियों पर साहित्य प्रकाशन के रूप में जो खर्चा किया है, उसकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) एक वर्ष की उपलब्धियों का प्रकाशन राज्य तथा राज्य के बाहर के प्रमुख पत्रों में किया गया। जन सम्पर्क विभाग द्वारा राज्य तथा राज्य के बाहर के पत्रों में जो विज्ञापत प्रकाशित कराये गए उनकी सूची मय खर्चों के सदन की मेज पर रखदी गई है।

(3) अन्त्योदय योजना से संबंधित पुस्तिकाओं तथा फोल्डर्स के रूप में साहित्य के प्रकाशन पर वर्ष 1977-78 में 17,326.17 पैसे खर्च हुए हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

नारायण खेड़ा गांव में बिजली का क्वार्टर उड़ाने का मामला

164. श्री **बालचन्द आर्य** (डग) : क्या

(20)

(श्री बालचन्द आर्य)
गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले के डग विधान सभा क्षेत्र में तहसील पचपहाड़ के नारायण खेड़ा ग्राम में एक शिड्यूल्ड कास्ट के कुए पर टोटे रखकर किसी ने बिजली का मकान उड़ा दिया ?

(2) क्या उसकी थाना भवानी मंडी में रिपोर्ट की गई ? यदि हां, तो उस पर क्या कड़ी कार्यवाही हुई ?

(3) यह बिजली का क्वार्टर कब कितनी तारीख को टोटे रखकर उड़ाया गया ? उसकी रिपोर्ट कितनी तारीख को हुई ? क्या उस पर पुलिस द्वारा मौके पर जाकर मुआयना किया गया ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। थाना भवानी मंडी में दिनांक 28-2-78 को खेत के कुए पर बने कमरे की छत को गिर जाने व किसी पर शक न होने की रिपोर्ट श्री केसूराम ने दर्ज कराई, जिससे कोई पुलिस हस्तक्षेप अपराध नहीं था इसलिए कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(3) यह कमरा दिनांक 27, 28 फरवरी की रात को गिरना रिपोर्ट में दर्ज कराया था। रिपोर्ट 28 फरवरी को पुलिस में की गई। पुलिस हस्तक्षेपीय अपराध घटित न होने के कारण कोई मुआयना नहीं किया गया।

चौथ-का-बरवाड़ा, तहसील सवाई माधोपुर में चोरियां एवं उनकी बरामदगी

165. **श्री चुन्नीलाल जैलिया (खण्डार):** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

तहसील सवाई माधोपुर, थाना चौथ-का-बरवाड़ा के अन्तर्गत वर्ष 1977-78 में कितनी चोरियां हुई हैं व उनमें से पुलिस द्वारा कितनी बरामद की गयी हैं ?

उत्तर

जनवरी, 1977 से 1978 के माह अगस्त तक कुल 20 चोरियां हुई है जिनमें से पुलिस ने 9 चोरियां बरामद करली है तथा 3 अभियोगों में अभी अनुसंधान जारी है।

बड़े उद्योगपतियों पर बिजली की बकाया राशि

166. **श्रीमती श्यामा कुमारी संगर** (कपासन) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पिछली सरकार के समय राज्य के बड़े-बड़े उद्योगों के मालिकों पर करीबन 5 करोड़ रुपये की बिजली की रकम बाकी थी, उसमें से जनता सरकार के आने के बाद कितनी रकम किस-किस से वसूल की गई है और किन-किन पर कितनी बाकी है ?

(2) जिन लोगों पर बिजली की बकाया है उनसे राज्य सरकार कब तक वसूल कर लेगी ? क्या आज भी पुराने अफसरों की मिलीभगत से यह काम तेजी से नहीं हो रहा है और राज्य सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है ?

उत्तर

(1) जून, 1977 में राजस्थान के जिन

(21)

(विद्युत मंत्री)

बड़े उद्योगों पर बिजली खर्च की रकम बाकी थी, उन उद्योगों पर सितम्बर, 1978 में जितनी रकम उपलब्ध सूचना के अनुसार बाकी है, उसका ब्यौरा संलग्न तालिका "अ" में दिया गया है ।

(2) अधिकतर मामले न्यायालय में विवादास्पद हैं, अत: उनके फैसलों के पश्चात् ही अग्रिम कार्यवाही हो सकेगी । कुछ उद्योगों से रकम की वसूली का कार्य जांच अथवा विचार हेतु चल रहा है । कुछ उद्योगों से वसूली के लिये ई. डी. आर. के अन्तर्गत मामले चल रहे हैं । प्रत्येक मामले की स्थिति संक्षिप्त में संलग्न तालिका में दर्शादी गई है ।

(ब्यौरे के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

कुम्हेर निर्वाचन क्षेत्र के अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त गांवों की भूमि के कृषि योग्य बनाने के उपाय

167. श्री काशीनाथ गुप्त (कुम्हेर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कुम्हेर निर्वाचन क्षेत्र के गोवर्धन ड्रेन से लगे हुए गुनसारा, ताखा, रारह, बिलौठी, सांतरुक आदि ग्रामों की कितने ही हजार हैक्टेयर भूमि अतिवृष्टि और सीपेज के पानी के एकत्र हो जाने से बिना फसल बेकार पड़ी रहती है जिसके कारण किसानों को भारी आर्थिक हानि होती है और भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट होकर देश के लिए खद्यान्न के उत्पादन की हानि होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस बीसों हजार बीघा भूमि में भरे पानी को पम्पों द्वारा निकालने की व्यवस्था करेगी जैसा कि गोवर्धन ड्रेन के दूसरी ओर उत्तर प्रदेश व हरियाणा की सरकारें कर रही हैं ?

(2) क्या यह सही है कि गत वर्ष भी सरकार ने आश्वासन दिया था कि रबी की फसल की बुवाई तक इस भूमि से पंपों द्वारा पानी निकाल दिया जायेगा और इस कार्य के लिए कुछ राशि इंजन खरीदने को राज्य सरकार ने मंजूर भी की थी परन्तु राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही नहीं की गई ? क्या अब भी राज्य सरकार की वही इच्छा रहेगी ? यदि नहीं, तो कब तक पम्प कार्य आरम्भ कर देंगे और कितने पंपों से यह पानी कब तक निकाल दिया जायगा ? क्या जिन गांवों में बिजली पहुंच गयी है वहां बिजली की मोटरें ही लगाकर इस बाढ़ के पानी को राज्य सरकार निकालने की तत्काल कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कितनी मोटरें कहां कहां लगाई जावेंगी ?

उत्तर

(1) जी हां । कुम्हेर निर्वाचन क्षेत्र के गोवर्धन ड्रेन से लगे हुए गांवों गुनसारा, ताखा, रारह, बिलौठी व सातरुक में इस वर्ष कुल लगभग 460 एकड़ जमीन में ड्रेन के सीपेज व वर्षा के कारण पानी भरा हुआ था । यह क्षेत्र निम्न तल (Depression) में होने के कारण हर वर्ष वर्षा ऋतु में भर जाता है । सिंचाई विभाग द्वारा पम्पों से पानी निकाल दिया गया है ।

(2) जी नहीं । गत वर्ष इस कार्य के लिए कोई धनराशि इन्जन खरीदने के लिए नहीं दी गई थी । सिंचाई विभाग ने उपलब्ध पम्पों द्वारा पानी निकालने की व्यवस्था की थी अब तक पानी पूरा निकाला जा चुका है। इस पानी को निकालने हेतु सरकार एक ड्रेन बनाने हेतु विचार रखती है, जिसका सर्वेक्षण प्रगति पर है ।

जोधपुर व पाली जिले के सिंचाई के बांध

168. श्री **मांधोसिंह दीवान** (सोजत): श्री **रामसिंह विश्नोई** (लूणी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जोधपुर व पाली जिले में सिंचाई के कितने बांध कहां-कहां पर स्थित हैं तथा प्रत्येक से पिछले पांच वर्षों में कितनी-कितनी भूमि सिंचित की गई तथा प्रत्येक बांध के नीचे नहरों की लम्बाई अलग-अलग साइज की पक्की एवं कच्ची कितनी-कितनी है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक बांध की नहरों को (अ) पक्का करने (ब) मरम्मत करने (स) सफाई एवं रख रखाव हेतु प्रत्येक पर कितना-कितना खर्च हुआ तथा कार्य विभाग द्वारा या ठेकेदारों द्वारा किया गया ? यदि ठेकेदारों से करवाया गया तो उनके नाम, पते, ठेके की राशि तथा कार्य-काल की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उपरोक्त ठेकों का टेण्डर कब मांगा गया ? किस तारीख को फाइनल किया गया, किस तारीख से काम शुरू हुआ, किन-किन अधिकारियों द्वारा संयंत्र को सर्टिफाई किया, तारीख सहित तथा किस बांध में किस किस तारीख से पिलाई के लिए पानी छोड़ा गया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जोधपुर जिले में 21 बांध हैं व पाली जिले में 58 बांध हैं। सम्बन्धित सूचना की सूची ध्वज 'क' सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) उपरोक्त सूची 'क' तथा 'ख' में अंकित है।

(3) सूचना सूची 'ख' में अंकित है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

राजस्थान नहर की शाखाएं एवं उप-शाखाएं

169. श्री **हरचन्दसिंह** (पीलीबंगा): क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) राजस्थान नहर की शाखाएं व उप-शाखायें जब कच्ची थीं तो सिंचाई सघनता क्या प्रतिशत थी ?

(2) अब जब शाखाएं, उप-शाखाएं पक्की कर दी गई हैं तो सिंचाई सघनता का क्या प्रतिशत रहा ? शाखा एवं उप-शाखावार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) जब खाले पक्के कर दिए हैं तो सिंचाई सघनता का शाखावार प्रतिशत क्या है ?

(4) क्या राजस्थान नहर मुख्य बख्तावरपुरा की दक्षिणी सीमा से ही निकली है या रोही गोपालसर तहसील उपनिवेशन नं. 2 सूरतगढ़ में से निकली है ?

(5) क्या यह सही है कि श्री लालूराम बुड़िया साकिन बख्तावरपुरा उपनिवेशन तहसील नं. 2 सूरतगढ़ के खेत में से राजस्थान नहर मुख्य नहीं निकली है और बिना नहर निकले जबरन उसी की भूमि अवाप्त की जा रही है, तथा उसके पड़ौसी के खेत में से भी बिना नहर निकले उसकी रद्दी भूमि अवाप्त करके उसे कूपली तहसील अनूपगढ़ में तबादला दे दिया गया है जब कि गोपालसर

Page No 23

(23)

(श्री हरचन्दसिंह)

के काश्तकारों के खेतों में से नहर निकली है और गलत अलाइनमेंट सजरा गांव गोपालसर बनाकर उन काश्तकारों को भूमि के बदले भूमि 20 वर्षों से नहीं दी जा रही है ? क्या राज्य सरकार इस घोटाले की जांच करने की सोच रही है ? अगर हां, तो कब तक ? और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(6) क्या राज्य सरकार उपनिवेशन अधिकारियों एवं नहर गलत एलाइनमेंट करने वाले अभियन्ताओं के खिलाफ कोई कार्यवाही करने की सोच रही है ? अगर हां, तो क्या ? अगर नहीं तो, क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) कच्ची शाखाएं तथा विसरिकाओं के लिए डिजाइन सिंचाई सघनता कुल सिंचित क्षेत्र का 78 प्रतिशत आंका गया था। इसकी तुलना में वर्ष 1970-71 तक जब कि नहरें कच्ची थीं वास्तविक सिंचाई सघनता 46 प्रतिशत तक विकसित हुई।

(2) शाखाएं तथा विसरिकाएं पूर्ण रूप से पक्की होने पर रिफाइन्ड सिंचाई सघनता 110 प्रतिशत आंकी गई है। नहरों को पक्का किये जाने का काम प्रगति पर है। शाखावार वास्तविक सिंचाई सघनता जो वर्ष 77-78 तक विकसित हुई है, उसका विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है।

(3) खालों के पक्के होने पर चक की डिजाइन सिंचाई सघनता, 130 प्रतिशत आंकी गई है। खालों की लाइनिंग का कार्य चल रहा है।

(4) राजस्थान मुख्य नहर ग्राम बख्तावरपुरा की दक्षिणी सीमा तथा ग्राम गोपालसर की उत्तरी सीमा से निकलती है। इस प्रकार इस नहर में दोनों ही ग्रामों का क्षेत्रफल आता है।

(5) श्री लालूराम बुड़िया के खेत में से राजस्थान नहर निकली है अथवा नहीं इस विषय में उपनिवेशन विभाग द्वारा मालूमात की जा रही है। राजस्थान मुख्य नहर के 1965 में तैयार मानचित्रों के अनुसार श्री लालूराम बुड़िया के खेत की भूमि अवाप्त करके उसके बदले में अन्य भूमि देने की कार्यवाही की गई। श्री लालूराम के पड़ौसी काश्तकार श्री नानुराम पुत्र कानाराम जाट गांव बख्तावरपुरा की खसरा नं. 32 व 34 की 48 बीघा 14 बिस्वा भूमि में से खसरा नं. 34 की 30 बीघा 2 बिस्वा भूमि नहर व खदानों में अवाप्ति विषयक कार्यवाही में 16-12-70 को खसरा नं. 34 की भूमि के बदले में चक 16 ए. एस. में 32 बीघा भूमि देने की कार्यवाही की गई है। उक्त श्री नानूराम की भूमि मानचित्र के अनुसार अवाप्त करके बदले में अन्य भूमि देना बतलाया गया है। गोपालसर के काश्तकारों को 20 साल से तबादला नहीं देने का कथन सत्य नहीं है। श्री हेमा पुत्र लादू सुथार गोपालसर को छोड़कर शेष सबके भूमि अवाप्ति के मामले निपटाये जा चुके हैं। श्री हेमा के क्षेत्रफल में पक्षपात की वजह से उक्त मामला नहीं निपटाया जा सका है। तहसीलदार द्वारा मौके की जांच करके क्षेत्रफल की सही जानकारी होने पर इस मामले में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। गोपालसर गांव का अधिकांशतर भू-अभिलेख अपर अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक विभाग श्री गंगानगर को भूमि अवाप्ति रिकार्ड सहित जांच हेतु भेजा हुआ है।

(6) जैसा कि प्रश्न के भाग 5 में

(राजस्थान नहर मंत्री)
निवेदन किया गया है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग श्री गंगानगर से संबंधित रिकार्ड प्राप्त होने पर विभाग द्वारा जांच करवाई जाकर यदि कोई नियम विरुद्ध कार्यवाही किसी अधिकारी द्वारा करनी प्रकट हुई तो उनके विरुद्ध नियमानुकूल कार्यवाही की जा सकती है। मगर उक्त अभिलेख भ्रष्टाचार विभाग से प्राप्त होने से पूर्व किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही बिना जांच करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(तालिका के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता

171. श्री **निर्मलकुमार सकलेचा** (झालरापाटन): क्या रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कुल कितने बेरोजगार हैं ? जिलेवार सूची प्रस्तुत करने की कृपा करें।

(2) इनको रोजगार दिलाने की राज्य सरकार की क्या व्यवस्था है ?

(3) क्या बेरोजगारी भत्ता देना वर्तमान सरकार के घोषणा-पत्र का एक मुद्दा था ?

(4) बेरोजगारी भत्ता देने की राज्य सरकार की क्या नीति है ?

उत्तर

(1) राज्य में नियोजन कार्यालयों की जीवित पंजिका पर दिनांक 31-8-1978 को रोजगार प्राप्त करने के लिये 3,11,220 आशार्थी पंजीकृत थे। जिलेवार सूची परिशिष्ट 'क' पर प्रस्तुत है।

(2) इस विभाग से संबंधित नहीं है।

(3) इस विभाग से संबंधित नहीं है।

(4) यह विषय राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

चयनित हैल्परों में अनुसूचित जाति व अन्त्योदय के सदस्य

172. श्री **चुन्नीलाल जैलिया** (खण्डार): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सवाई माधोपुर में अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिनांक 10-7-78 से अब तक जो हैल्परों का चयन किया गया उसमें अन्त्योदय योजना व अनुसूचित जाति के कितने सदस्य लिये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि चयनित किये गये प्रत्येक व्यक्ति से अधिशासी अभियन्ता ने 2000/- रुपये प्रति सदस्य बतौर रिश्वत के लिए हैं ? यदि हां, तो क्यों न इन चयनित व्यक्तियों के आदेश को रद्द कर दिया जावे तथा भविष्य में कोई इन्टरव्यू हो तो जिला स्तरीय एक समिति बनायी जावे जिसमें सम्बन्धित अधिकारियों के अतिरिक्त जन प्रतिनिधि भी उस समिति का सदस्य हो ?

(जन स्वास्थ्य मंत्री)

उत्तर

(1) अन्त्योदय योजना के किसी भी व्यक्ति का निर्धारित योग्यता के अभाव में चयन नहीं किया गया। अनुसूचित जाति के चयनित कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) अधिशाषी अभियन्ता द्वारा रिश्वत लेने की शिकायत निराधार है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

राज्य के स्वतन्त्रता सेनानियों को पेन्शन

173. श्री **वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य के विभिन्न जिलों में किन-किन स्वतन्त्रता सैनिकों को कितनी पेंशन दी जा रही है ? सूची, उनके नाम एवं पते के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

राज्य के विभिन्न जिलों में स्वतन्त्रता सैनिकों तथा उनके आश्रितों को दी जा रही पेंशन सम्बन्धी सूची सदन को मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति इटावा के गांवों में नल योजना के प्रस्ताव

175. श्री **हीरालाल आर्य** (पीपल्दा): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पंचायत समिति इटावा में सुमेरगंज मंडी तथा पीपल्दा कलां में नल योजना लागू करने हेतु डी. पी. सी. द्वारा प्रस्ताव भेजे हैं ? क्या राज्य सरकार क्षेत्र के पिछड़ेपन को देखते हुए इन दोनों स्थानों पर नल योजना शीघ्र लागू करने की स्वीकृति प्रदान करेगी ?

(2) क्या यह सही है कि इटावा, खातौली, गैंता पंचायत समिति के बड़े-बड़े कस्बे हैं ? यहां पर नल योजना लागू की जाना आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस हेतु प्रयास करेगी ?

(3) क्या पीपल्दा क्षेत्र के मांगरोल तथा इन्द्रगढ़ में नल योजना चालू है ? क्या राज्य सरकार यहां पर ड्रेनेज सिस्टम लागू करने की स्वीकृति प्रदान करेगी ?

(4) क्या पीपल्दा क्षेत्र के करीब 40 गांवों में पेयजल का नितान्त अभाव है ? राज्य सरकार अपनी घोषणा के अनुसार इन गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु क्या प्रयत्न कर रही है तथा अब तक क्या प्रयत्न किये गये ?

उत्तर

(1) जी हां। सुमेरगंज मंडी की योजना स्वीकृत कर दी गई है।

(2) इटावा, खातौली एवं गैंता ग्राम की जनसंख्या सन् 1971 की जनगणनानुसार क्रमशः 4474, 3713 एवं 3056 है ये ग्राम जिला आयोजना समिति वर्ष 77-78 एवं 78-79 द्वारा प्रस्तावित किये गये हैं। राज्य सरकार अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों

Page No 26

(26)

(जन स्वास्थ्य मंत्री)
में शीघ्र पेयजल योजना स्वीकृत करने का प्रयास कर रही है ।

(3) पीपल्दा क्षेत्र के मांगरोल ग्राम में ड्रेनेज सिस्टम बनाने हेतु कोई भी योजना राज्य सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। इन्द्रगढ़ ग्राम में ड्रेनेज योजना बनाने हेतु सर्वे कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं इसकी योजना तैयार की जा रही है ।

(4) राज्य सरकार समस्या ग्रस्त ग्रामों में शीघ्र पेयजल उपलब्ध कराने के लिये प्रयत्नशील है । विश्व बैंक परियोजना में पीपल्दा तहसील के 12 ग्रामों को सम्मिलित किया गया है ।

मंत्रियों की विदेश यात्रा

176. श्री **ईश्वर चन्द्र** (पिड़ावा) क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य के कितने मंत्री दिनांक 22-6-77 से 30-9-78 तक विदेश यात्रा पर गये ?

(2) इन यात्राओं पर राज्य सरकार को कितना रुपया व्यय करना पड़ा ?

(3) सन् 1979-80 में किन-किन मंत्रियों को विदेश भेजने की राज्य सरकार की योजना है ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) जी हां। केवल सहकारिता मंत्री श्री कैलाश मेघवाल विदेश यात्रा पर गये ।

(2) राज्य सरकार ने उक्त यात्रा हेतु रुपये 20,300/- यात्रा अग्रिम के रूप में दिया है ।

(3) जी नहीं। किसी को भेजने की योजना नहीं है ।

चिकित्सा विभाग की पर्चेज कमेटी

177. श्री **हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि चिकित्सा विभाग में दवाइयों की खरीद के लिये कोई पर्चेज कमेटी बना रखी है ? यदि हां, तो कब से तथा इसके कौन-कौन सदस्य हैं और इस सम्बन्ध में बने हुए नियम क्या हैं और इस कमेटी को क्या-क्या अधिकार हैं ? नियमों की प्रति सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि कमेटी ने जिस दवा को खरीदने का तय किया उसको ऊपर के स्तर पर बदल भी दिया जाता है ? यदि हां, तो कमेटी की राय को चालू वर्ष व पिछले वर्ष में किन-किन मामलों में किन-किन द्वारा बदला गया और बदलने के कारण के क्या-क्या थे ?

(3) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के पास कोई शिकायतें आई हों तो कब-कब क्या-क्या और उनमें क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां । राज्य सरकार ने 1-10-77 से 31-3-79 के क्रय के लिए अपने आदेश क्रमांक एफ. 22 (15) एम. पी. एच. /74/ ग्रुप-II दिनांक 16-6-77

(चिकित्सा मंत्री)

16-6-77 एवं दिनांक 24-1-78 के द्वारा विभिन्न सदस्यों की कमेटी का गठन किया है:--

(1) निदेशक .. .. सभापति
(2) अतिरिक्त निदेशक .. सदस्य (प्रशासन)
(3) अतिरिक्त निदेशक .. सदस्य (प. क.)
(4) उप-सचिव, चिकित्सा सदस्य एवं जन स्वास्थ्य विभाग
(5) उप-सचिव (सी. .. सदस्य एस. पी. ओ.)
(6) डा. एन. के. शर्मा .. सदस्य (सर्जन)
(7) डा. वी. के. जाजू .. सदस्य (फिजीशियन)
(8) डा. हितेश भार्गव .. सदस्य (गायनोकोलोजिस्ट)
(9) वरिष्ठ लेखाधिकारी सदस्य
(10) अतिरिक्त निदेशक, सदस्य उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।

(1) नियमों की प्रति संलग्न है ।

(2) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(3) कमेटी के निर्णय को परिवर्तन करने संबंधी कोई शिकायत आई प्रतीत नहीं होती ।

(नियमों की प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों का वकाया वेतन

178. श्री **रामकरण** सिंह (कोटपूतली) : क्या चिकित्सा मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे:--

(1) जिला जयपुर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कितने ऐसे कर्मचारी हैं, जिनका वकाया वेतन अभी तक नहीं दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) सब तरह के वकाया भुगतान के कुल कितने मामले किस-किस स्वास्थ्य कर्मचारी व अधिकारी के हैं ?

(3) उक्त कर्मचारियों को उपरोक्त वकाया कब तक दिलवा दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) जिन कारणों से कर्मचारियों की वकाया भुगतान है, उन पर लगाये गये आरोपों की पूर्ति होने पर व बजट के उपलब्ध होने पर भुगतान अविलम्ब कर दिया जावेगा ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अर्नेस्ट मनी एवं सिक्योरिटी की वापसी

179. **मेजर** श्री **फतहसिंह** (भीम) : क्या चिकित्सा मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि राज्य के चिकित्सालयों के लिए दवा व औजार व अन्य सामान की खरीद के लिए हर वर्ष रेट कान्ट्रक्ट के लिऐ टेंडर मांगे जाते हैं और टेंडरों के साथ हर फर्म को नियमानुसार अर्नेस्ट मनी देनी पड़ती है तथा स्वीकृत फर्मों से निर्धारित सिक्योरिटी ली जाती है ?

(मेजर श्री फतहसिंह)

और टेन्डर पीरियड खतम होने के छः माह बाद में लौटा देनी चाहिए ?

(2) क्या यह सही है कि चिकित्सा विभाग ने 1973–74 से अब तक बहुत सी फर्मों की प्रश्न के भाग (1) में वर्णित अर्नेस्ट मनी व सिक्योरिटी की रकम नहीं लौटाई है और इस तरह की लाखों की रकम विभाग में बिना किसी कारण के पड़ी हुई है ? अगर हां, तो प्रत्येक फर्म की सूची मय उनकी रकम दर्शाते हुए जो इस सम्बन्ध में पड़ी है, सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) क्या प्रश्न के भाग (2) में वर्णित रकम जिन फर्मों की अकारण पड़ी है उसे लौटाने की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा की जाएगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) प्रश्न के भाग (1) से (3) में वर्णित लापरवाही के लिए जो अधिकारी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही राज्य सरकार करने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) चिकित्सा विभाग में 1-4-72 से 30-9-77 तक की अवधि के लिए फर्मों से प्राप्त अर्नेस्ट मनी व सिक्योरिटी का पूर्ण विवरण जिसको अब तक फर्मों को रिफण्ड नहीं किया गया है संलग्न है ।

(3) सिक्योरिटी मनी को लौटाने से पूर्व अधिनस्थ कार्यालयों से फर्मों में बकाया की जानकारी प्राप्त होना अति-आवश्यक है क्योंकि टेण्डर्स के नियमों के अन्तर्गत बहुत फर्मों से पैनल्टी (लेट सप्लाई) रिस्क पर्चेज आदि की जाती है । यह सूचना कुछ कार्यालयों से प्राप्त हो गई है और अन्य कार्यालयों से बाकी है, जिसके लिए अर्द्ध-शासकीय-पत्र भेज दिये हैं । सूचना प्राप्त होने के उपरान्त जिन फर्मों पर किसी प्रकार की बकाया नहीं होगी उनको शीघ्र भुगतान (रिफण्ड) कर दिया जावेगा ।

(4) इस कार्य हेतु किसी अमुक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है क्योंकि यह सूचना राज्य के 113 यूनिट अधिकारियों से प्राप्त की जानी है, जिसमें समय लगना स्वाभाविक ही है ।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

राज्य में मल्टीपरपज स्कीम

180. श्री **करतार सिंह** (किशनगढ़): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में मल्टीपरपज स्कीम किन-किन जिलों में लागू की गई है ?

(2) यह स्कीम किस कमेटी की सिफारिश पर तैयार की गई है तथा कब से लागू की गई है ?

(3) इस स्कीम में किस–किस केडर के कर्मचारी कार्यरत हैं तथा उनकी योग्यता एवं वेतन क्या-क्या हैं ?

(4) क्या यह सही है कि एक ही स्कीम में विभिन्न केडरों के कर्मचारियों का वेतन पृथक-पृथक है ? यदि हां, तो एक ही पद पर एक तरह का कार्य करने वाले कर्मचारियों को समान वेतन न देना क्या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस वेतन असंगति को दूर

(श्री करतार सिंह)

करने के लिए क्या कदम उठा रही है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) मल्टीपरपज स्कीम राज्य के निम्न जिलों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चालू की गई हैं:--

जिला	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
(1) जयपुर	(1) वाटिका
	(2) मानपुर
	(3) भांडारेज
	(4) बस्सी
(2) अजमेर	(5) पीसांगन
	(6) श्रीनगर
	(7) मसूदा
	(8) जवाजा
(3) टौंक	(9) मालपुरा
	(10) भिनाय

(2) यह स्कीम भारत सरकार के योजनान्तर्गत उक्त केन्द्रों पर अक्टूबर, 1977 से चालू की गई थी तथा मई, 1970 से इन्हीं जिलों के शेष प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर लागू की गई है।

(3) सूची संलग्न है।

(4) जी हां।

जब तक राज्य के सभी जिलों में यह स्कीम लागू नहीं हो जाती है तब तक प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण समान वेतन करना संभव नहीं है। अभी तक यह योजना प्रयोगात्मक रूप में तीन जिलों में चालू है इसकी सफलता की जांच करने पर इसे शेष जिलों में भारत सरकार द्वारा चालू करना संभव होगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

निदेशक की जन्म तिथि का मामला

181. श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

श्री रामनारायण चतुर्वेदी, निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान की प्रथम नियुक्ति से अब तक उनके सेवा अभिलेखों के अनुसार क्या जन्म तिथि में कोई परिवर्तन स्वीकार किया गया है ? यदि हां, तो प्रथम नियुक्ति (राज्य सेवा में आने के समय) के समय इनकी जन्म तिथि क्या थी और वर्तमान में क्या है ?

उत्तर

जी नहीं। राजकीय सेवा अभिलेख में जन्म तिथि में कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं किया गया।

राज्य के कालेजों में एल-एल० एम० डिग्रीधारी प्राध्यापक

182. श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) राज्य के सरकारी लॉ कॉलेज में कितने एल-एल०एम० डिग्रीधारी प्राध्यापक कार्यरत हैं ? इनमें कितने स्थाई व कितने अस्थाई हैं ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य के 15 एल-एल०एम० डिग्रीधारी प्राध्यापकों को पिछले 3 वर्षों से अस्थाई नियुक्तियां दी

(श्री ईश्वरचन्द्र)
जाती रही हैं व उन्हें छुट्टियों का वेतन नहीं दिया जाता ?

(3) राज्य सरकार इस संबंध में प्राध्यापकों के हितों की रक्षार्थ क्या कर रही है ?

उत्तर

(1) राज्य के सरकारी लॉ कॉलेजेज में 18 एल-एल०एम०-डिग्रीधारी प्राध्यापक कार्यरत हैं। जिनमें 4 स्थायी व 14 अस्थायी हैं।

(2) जी नहीं। सत्र 1976-77 में 9 प्राध्यापकों की अस्थायी नियुक्ति सत्र के अन्त तक की गई थी। जिन प्राध्यापकों ने सत्र के अन्त तक एवं अगले सत्र में समय पर नियमानुसार कार्यभार सम्भाल लिया, उन्हें ग्रीष्मावकाश के वेतन का भुगतान किया गया।

(3) यू०जी०सी० वेतनमान के क्रियान्वियन के अन्तर्गत स्थायी नियुक्तियां लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराने की व्यवस्था की जावेगी।

नगरपालिका राजगढ़ (अलवर) में गबन का मामला

183. श्री **समरथलाल**, (राजगढ़): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अक्टूबर, 1974 से आज तक नगरपालिका, राजगढ़ (अलवर) में कितनी राशि का गबन हुआ है और कौन-कौन जिम्मेदार हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने कृपा करें।

(2) उक्त अवधि के दौरान हुई अवैध नियुक्तियों की सूची सदन की मेज पर रखते हुये यह बताने की कृपा करें कि आज तक विभागीय कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

(3) क्या राज्य सरकार गबन और अवैध नियुक्तियों के संबंध में अविलम्ब कानूनी कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) कुल 4420/- रुपये का गबन हुआ है। इस गबन की जांच कार्यवाही जारी हैं। बाद जांच ही जिम्मेदारी निश्चित की जा सकेगी।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। नियमानुसार 13 व्यक्तियों को सेवा समाप्त करने के नोटिस नगरपालिका द्वारा दे दिये गए हैं तथा शेष कर्मचारियों के मामलों में कार्यवाही नगरपालिका में जारी है।

(3) कार्यवाही जारी है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

नगरपालिका, मण्डावा (झुन्झुनूं) के अधिशासी अधिकारी

184. श्री **ओंकारलाल चौहान** (अटरू): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) नगरपालिका, मण्डावा (झुन्झुनूं) में अधिशासी अधिकारी सहित कितने पद स्वीकृत हैं ? पदवार व नामवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री ओंकारलाल चौहान)

(2) क्या यह सही है कि उक्त नगरपालिका में स्वीकृत पदों से अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो किन-किन पदों पर ?

(3) नगरपालिका, मण्डावा (झुन्झुनूं) का वार्षिक खर्चा कितना है और चुंगी वगैरह से वार्षिक आय कितनी है ?

(4) क्या यह सही है कि निर्वाचित नगरपालिका के बनिस्वत वर्तमान में चुंगी कम वसूल की जा रही है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके लिये कौन जिम्मेदार है तथा राज्य सरकार ने अब तक उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त नगरपालिका के प्रशासन का मुख्यालय झुन्झुनूं है और इस कारण अधिशासी अधिकारी और व्यापारियों की मिलीभगत से चुंगी की चोरी हो रही है ? यदि हां, तो ऐसे भ्रष्ट अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध क्या राज्य सरकार कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(6) क्या उक्त चुंगी चोरी में प्रशासक भी पर्यवेक्षण-प्रमाद के दोषी हैं ? यदि हां, तो प्रशासक के विरुद्ध राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) नगरपालिका, मण्डावा में अधिशासी अधिकारी सहित स्वीकृत पदों की नामवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) वार्षिक खर्चा लगभग 1,21,000 रुपया है तथा चुंगी वगैरह से कुल वार्षिक आय 1,24,111 रुपये हैं।

(4) जी नहीं। इसलिये अन्य प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(5) जी हां। प्रशासक का मुख्यालय झुंझुनूं है, परन्तु यह सही नहीं है कि इस कारण चुंगी में चोरियां होती हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

नगरपालिका कुचामन से जमीन का टुकड़ा खरीदने का मामला

185. **श्री रामेश्वरलाल चौधरी (नावां)**: क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री इस्माईल पुत्र श्री नजीर जाति मणिहार निवासी कुचामन सिटी ने नगरपालिका, कुचामन से एक जमीन का टुकड़ा खरीद लिया जिसकी पत्रावली मंत्री महोदय के कार्यालय में मंगा ली गई ?

(2) क्या यह सही है कि इसकी सुनवाई दिनांक 15-5-78 को मंत्रीजी ने की एवं इसी पत्रावली संख्या एफ० 2 (1) डी-2 बी० 174 का निर्णय नजरसानी कर दिया गया ? अगर हां, तो क्या यह पत्रावली संबंधित नगरपालिका को भेज दी गई थी ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि श्री इस्माईल के उक्त फैसले की नकल विभाग से नियमानुसार मांगी थी ? अगर हां, तो क्या नकल दी गई ? यदि नहीं तो, क्यों नहीं ?

Page No 32

(32)

(स्वायत्त शासन मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। पत्रावली नगरपालिका, कुचामन को दिनांक 26-10-78 को भेज दी गई है।

(3) जी हां। नकल दे दी गई है।

(पत्रावली विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 9 अक्टूबर, 1978)

चिकित्सा विभाग में खराब वाहन

52. श्री **दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पास पांचों डिवीजनों में किस-किस किस्म की कितनी-कितनी गाड़ियां हैं तथा कितनी गाड़ियां खराब हालत में पड़ी हुई हैं ?

(2) जयपुर के एस०एम०एस० के अहाते में कितनी गाड़ियां, कब से व क्यों पड़ी हुई हैं ?

(3) उन खराब गाड़ियों के विषय में मंत्रालय क्या विचार रखता है व बेचना चाहता है, तो कब तक ? अब तक इन गाड़ियों को, जो राज्य के भिन्न-भिन्न हिस्सों में पड़ी हैं, किन-किन अधिकारियों की लापरवाही से ठीक या बेची नहीं गई ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) इस चिकित्सालय के अहाते में दो वाहन (वाहन संख्या आर.एस.एल. 7382 एवं आर.जी.क्यू. 2538) जो कन्डम घोषित किये जा चुके हैं, गैरेज के अभाव में उन्हें चिकित्सालय के अहाते में गत चार वर्षों से रखी गई है।

(3) विभाग में खड़ी अधिशेष और खारिज वाहनों के निष्पादन के लिए भारत सरकार से पत्राचार चल रहा है। जो गाड़ियां राज्य सरकार की हैं उन्हे राइट आफ या मरम्मत करने के लिए वैधानिक कार्यवाही की जा रही हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखे)।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 9 अक्टूबर, 1978)

अधिकारियों को कार एवं बंगले के लिए ऋण की सुविधा

68. श्री **ईश्वरचन्द्र** (पिड़ावा) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) राज्य के कितने आई.ए.एस. अधिकारियों ने कार या बंगले के लिये राज्य सरकार से कर्ज ले रखा है ? सूची मय नाम व ऋण के विवरण व मद दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या आर.ए.एस. व अन्य गजेटड आफिसर भी यह ऋण सुविधा ले सकते हैं ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार इस विसंगति को कब तक दूर करेगी ?

उत्तर

(1) राज्य के 76 आई. ए. एस.

(मुख्य मन्त्री)

अधिकारियों ने कार के लिये व 84 आई. ए. एस. अधिकारियों ने बंगले के लिये राज्य सरकार से कर्ज ले रखा है। सूची परिशिष्ट 'क' व 'ख' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। इन अधिकारियों को भी यही सुविधा उपलब्ध है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 10 अक्टूबर, 1978)

मंत्री परिषद् की बैठकें

97. श्री ईश्वरचंद्र (पिड़ावा) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) दिनांक 22-6-77 से 30-9-78 तक राज्य मंत्री-परिषद् की कितनी बैठकें किन-किन तारीखों में हुई हैं ? विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त अवधि में मंत्री-परिषद् का प्रत्येक सदस्य राजधानी में कितने दिन रहा तथा कितने दिन बाहर दौरे पर रहा ?

(3) मंत्री-परिषद् की बैठक में सर्वाधिक अनुपस्थित रहने वाले मंत्रियों की सूची क्रमानुसार बतायें ? इनकी अनुपस्थिति के क्या कारण रहे ?

उत्तर

(1) कुल 63 बैठकें हुईं। तारीखवार विवरण परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(2) विवरण परिशिष्ट "ब" संलग्न है।

(3) क्रमानुसार सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है। अनुपस्थित रहने का कारण मंत्री महोदय का बाहर दौरे पर रहना, अस्वस्थता आदि रहा है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 10 अक्टूबर, 1978)

राज्य के पुलिस स्टेशनों में उगने वाली घास

110. श्री रामेश्वर प्रसाद (जमवारामगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में कुल कितने पुलिस स्टेशन हैं ?

(2) उक्त पुलिस स्टेशनों के अधीनस्थ कितनी भूमि है ?

(3) उक्त भूमि की वार्षिक आय क्या है ?

(4) पुलिस स्टेशनों के डण्डे के अन्दर वर्षा के समय जो घास उगती है उसका क्या उपयोग होता है ?

(5) अब तक प्रत्येक पुलिस स्टेशन से इस घास का क्या उपयोग किया गया है ?

(6) क्या भविष्य में यह घास जो कई हजारों की कीमत की है का ठेका दिया जावेगा।

उत्तर

(1) राज्य में 558 पुलिस स्टेशन हैं ?

(2) इन थानों के अन्तर्गत अनुमानतः 156 बीघा 13 बिस्वा जमीन है।

Page No 34

(34)

(गृह मंत्री)

(3) इस भूमि की कोई नियमित वार्षिक आय नहीं है। कभी-कभी अधिक प्राकृतिक उपज होने पर उसे नीलाम किया जाता है।

(4) वर्षा के समय घास बढ़ने से पूर्व उसे समय समय पर साफ कर दिया जाता है। अत: उसका कोई उपयोग नहीं होता। विशेष मामलों में अधिक घास होने पर नीलाम भी किया जाता है।

(5) केवल दो पुलिस स्टेशन की घास को नीलाम कर धनराशि पुलिस कल्याण कोष में जमा कराई गई है।

(6) थानों की सुरक्षा की दृष्टि से घास को बढ़ने देना उचित नहीं समझा जाता है। अत: ठेके देने का प्रश्न पैदा नहीं होता है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री रामकरण सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील कोटपूतली में अवाप्त किसानों की जमीन का मुआवजा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कई वर्षों बाद भी न दिये जाने के विषय में।

इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(2) श्री श्योपतसिंह मकासर, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय में आर. ए. सी. व पुलिस दस्ते तैनात होने के विषय में।

(3) श्री रामनाराण चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में फैल रही इनसेफलाइटिस नामक बीमारी के भरतपुर जिले में फैलने की आंशका के विषय में।

(4) श्री रामकृष्णदास, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर विश्वविद्यालय पर छात्रों द्वारा बलपूर्वक कब्जा किये जाने के विषय में।

(5) श्री मूलचन्द डागा एवं श्री शंकर लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 28 अक्टूबर को महाराजा श्री उम्मेद मिल, पाली के हड़ताली मजदूरों पर किये गये लाठी चार्ज के विषय में।

इन सब प्रस्तावों को राज्य सरकार के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है। मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(6) श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य, विधान सभा ने चिक मंगलूर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को भेजने के विषय में भी एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

यह विषय इस सदन के कार्य क्षेत्र से बाहर का है। माननीय सदस्य ने आज ही एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना भी दी है। अत: वे चाहें तो इन दोनों में से किसी भी एक स्थगन प्रस्ताव पर संक्षेप में अपनी बात कह सकते हैं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री मूलचन्द डागा : सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजस्थान मंत्रिमंडल में कुछ नये मंत्री लिये गये हैं। इन मंत्रियों का परिचय नेता

Page No 35

(35)

(श्री मूलचन्द डागा)
महोदय दे दें सदन को, क्योंकि वे विदाउट पोर्टफोलियो हैं ।

श्री अध्यक्ष : ऐसा कभी नहीं हुआ ।

श्री मूलचन्द डागा : पार्लियामेंट में मैंने बराबर देखा है । 'नता महोदय का यह कर्तव्य है कि सारे मंत्रियों का परिचय दें ।

श्री मन्जूर अली : अध्यक्ष महोदय, 1-2 मिनट लूंगा । दिनांक 5-10 को..........

श्री मूलचन्द डागा : क्या यह मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो रहेंगे ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह मंत्री विदाउट पोर्टफोलियो ही रहेंगे ।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव आपके सामने रखा है.....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप एक-एक कर के बोलें तो सदन की कार्यवाही चल सकती है । व्यवधान ही व्यवधान, इस तरह सदन की कार्यवाही कैसे चलेगी, मेरी समझ में नहीं आता ।

श्री मदनसिंह दांता : स्थगन प्रस्ताव की....

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों की व्यवस्था दे दी है । आपका कोई है, तो मुझसे चैम्बर में मिल लीजिये ।

श्री मंजूर अली : अध्यक्ष महोदय, मैं तीन मिनट से खड़ा हुआ हूं । मैंने पांच अक्टूबर को एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया था ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये सरकार का ध्यान समाज कल्याण विभाग के डाइरेक्टोरेट, जो केशरगढ में है, की मुतकली की ओर दिलाया था कि 1,000) रु. माहवार किराये के मकान का मुकदमा जीतने पर भी खाली करके 4,000) रु. माहवार का मकान किराये पर लिया जा रहा है और इस प्रकार 36,000) रु. सालाना का नुकसान पब्लिक के खजाने का किया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष : आप चैम्बर में मिल लीजिये ।

श्री मंजूर अली : आप मेरी सुन लीजिये ।

इसको पहले डॉ. हरिसिंह ने भी उठाया था और इसका जवाब नहीं आया था । बेशक कि डाक्टर साहब अब हलकाए खामोशी में फंस गये हैं । बेचारे कुछ बोल नहीं सकते । आज दूसरे माननीय सदस्य का सवाल भी है जो समय के अभाव में पुकारा नहीं जा सका । मेरा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है.......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको जो कुछ कहना है, चैम्बर में कहिये । आपका प्रस्ताव साढ़े दस बजे आया है, कल समय दे दूंगा ।

श्री मंजूर अली : इसको आधे घंटे की चर्चा के लिये रखने की आज्ञा प्रदान करें ।

श्री अध्यक्ष : आप चम्बर में मिलें, वहां डिस्कस कर लेंगे ।

श्री भवरलाल ऐरन (नसीराबाद) : मैंने श्रीमान् की सेवा में एक स्थगन प्रस्ताव दिया था ...

श्री अध्यक्ष : मैं कल समय दे दूंगा।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव आपकी सेवा में पेश किया है। पी. डब्ल्यू. डी ने जितनी जमीन किसानों की सड़कों के लिये ली है, उसको लेते वक्त तो सरकार का उतावलापन रहता है, उस समय तो किसानों की फसल को भी नहीं देखते हैं, खड़ी फसल तक को कटवा देते हैं, लेकिन उनको उसके बदले में कुछ नहीं देते हैं। राज्य सरकार को उन्होंने अपनी जमीनें सम्भलवाई हैं, बिना अपनी खेती की परवाह किये हुये विकास को ही उन्होंने अपना मुख्य ध्येय समझा है। किन्तु 15-15, 20-20 साल हो गये जमीन लिये हुये, उसके बाद आज तक उन किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया, बल्कि उनके साथ सौदेबाजी की गई है। मैं नहीं कह सकता हूं कि यह सौदेबाजी ऊपर के लेवल से हुई है या क्या लेकिन उन लोगों को बुलाया गया और उनमें से कुछ को मुआवजा दे दिया गया। बाकी को शर्तें मानने को कहा गया और शर्तें न मानने पर मुआवजा नहीं दिया गया। मेरा निवेदन है इस तरह की कार्यवाही करने वालों के खिलाफ सख्ती के साथ कदम उठायें। कुछ व्यक्तियों को मुआवजा दे देना और कुछ व्यक्तियों को नहीं देना इससे मालूम होता है कि एक मेलाफाइड इन्टेंशन है। ऐसे कार्यों के लिये अधिकारियों को सजा दी जायेगी तब तो मैं समझूंगा कि मुख्य मंत्रीजी का शुद्ध संकल्प पूरा हुआ है कि कोई चीज बताई जायेगी तो एक्शन जरूर लिया जायेगा। मेरा निवेदन है माननीय मुख्य मंत्रीजी से, 10 में से 7 को मुआवजा दे दिया गया और तीन को रख दिया गया, इसमें मेलाफाइड इन्टेंशन है। ऐसे अधिकारी को सजा अवश्य दें। उनकी जमीनें ली गई हैं, अतः मुआवजा दिलवाया जाय। उनको आज लगान भी देना पड़ता है और मुआवजा भी नहीं दिया गया है। कितनी बेहरमी से उनके साथ अन्याय हुआ है, यही मेरा निवेदन है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है। हमारी यूनिवर्सिटीज में खास तौर से राजस्थान विश्वविद्यालय में और अभी उदयपुर विश्वविद्यालय में जैसी कि खबर आई है, पुलिस के केम्प बने हुए हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय पिछले एक माह से पुलिस का केम्प बना हुआ है। आखिरकार इसका असर किस पर पड़ता है। यह आँटोनोमस बाँडी है, यह बात समझ में आ गई मगर कोई जागीर नहीं है। आटोनोमस बाडी का महत्व अलग है मगर जागीरदारों की तरह व्यवहार हो, यह बर्दाश्त नहीं होगा। हजारों विद्यार्थियों के जीवन यूनिवर्सिटी से सम्बन्धित हैं। मर्जी आये उन लोगों को अधिकारी एडमिशन दे देवें और एडमिशन देने के बाद खारिज कर देवें, एक के नहीं, सैकड़ों के तो फिर लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन खराब नहीं होगी तो क्या होगी। आँटोनोमस बाडी के नाम पर हमारी सरकार मूक दर्शक बनी रह जायगी तो इन विश्वविद्यालयों की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जायगी....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उन विश्वविद्यालयों में हजारों की तादाद में पुलिस पहुंचे, आर. ए. सी. पहुंचे। मैं याद दिलाना चाहता हूं जब आप लोग इधर बैठते थे

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

तब विश्वविद्यालयों में इस तरह पुलिस पहुंच जाती थी तो क्या होता था। आज क्या वे सब व्यवहारिक बाते भूल गये। यह बहुत ही डेलीकेट इश्यू है। विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान नहीं करना चाहते और पुलिस के जरिये उनको दबाना चाहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि आप आग से खेलना चाहते हैं। यह आग भड़कने के बाद आप इस पर काबू नहीं कर सकेंगे। पैसा हमारा लगे, राजस्थान की जनता का पैसा खर्च हो और आटोनोमी के नाम पर यूनिवर्सिटी को पुलिस कैम्प बनायें। अभी उप-कुलपति बीमार हैं। आप उन विद्यार्थियों से पूछिये कि क्या उनकी ग्रिवेन्सेज हैं? आप पुलिस के जरिये से उनको दबाना चाहते हैं, तो चाहे वह राजस्थान का विश्वविद्यालय हो, चाहे उदयपुर का विश्वविद्यालय हो, आप गलती करेंगे। आपके सामने सबक है। आप गुजरात के आन्दोलन को याद रखिये। कुछ होस्टल में फेसिलिटीज को लेकर आन्दोलन हुआ था। उसके बाद बिहार का आन्दोलन हुआ। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप कुछ व्यवहारिक बनें। आज जो आग भड़क रही है वह अभी तो नीचे-नीचे है, अगर अभी से इस समस्या को नहीं सुलझाया गया तो यह पूर्ण रूप से भड़क उठेगी। मंत्रिमंडल के दो तीन सदस्यों की एक कमेटी बना दें, वह विद्यार्थियों से जाकर पूछे कि क्या दिक्कते हैं? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप जाकर विश्वविद्यालयों के अधिकारियों से पूछें कि क्यों तो पहले एडमिशन दिया गया, पैसा लिया गया और फिर खारिज हुआ? अब एडमिशन नहीं देंगे तो मेरा मानना है, निश्चित तौर से आन्दोलन होगा। अगर पुलिस के जरिये आन्दोलन की समस्या को हल करने की कोशिश की तो आप नाकामयाब रहेंगे।

बिहार और गुजरात से आप सबक लीजिये। क्यों नहीं उन बच्चों को बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि उनकी क्या-क्या दिक्कतें हैं? उनकी क्या-क्या शिकायतें हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत शिक्षा मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी से यही कहता हूं कि राजस्थान के अन्दर राजस्थान विश्वविद्यालय और उदयपुर विश्वविद्यालय हैं जो बन्द हो गये हैं और पुलिस व आर. ए. सी. के कैम्प बन गये हैं। मेहरबानी करके आपस में बैठकर उनके मसले को हल करिये, पुलिस फोर्स को यूज मत करिये।

श्री खेतसिंह राठौड़: ये पावर के नशे में चूर हैं।

श्री गुल मोहम्मद: आपका नशा उत्तर गया क्या?

श्री खेत सिंह राठौड़: हमारा तो उत्तर गया।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा): अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे कुछ शब्द कहने की इजाजत दी। मान्यवर, जो प्रस्ताव मैंने सदन के सामने प्रस्तुत किया है की कर्नाटक राज्य में चिकमंगलूर निर्वाचन क्षेत्र में रिजर्व पुलिस को भेजने के बारे में, वह मैंने कोई नींद से उठ कर नहीं दिया है, सदन में विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिये दिया है। मैंने इस प्रश्न पर बहुत गंभीरतापूर्वक सोचा है और मैंने अपने अन्य साथियों से सलाह-मशविरा भी किया है। मान्यवर, जब मैं चुनाव में गया था तब भी महसूस हो रहा था और आज भी विश्वास है कि नीचे स्तर के हथकंडे भारत सरकार

(38)

(श्री रामनारायण चौधरी)

द्वारा अपनाए गए हैं उन्हें देख कर, मान्यवर, मेरा यह विश्वास बनता जा रहा है कि यह कोई एक बंगलोर के चिकमंगलूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव ही नहीं है। सदन के माननीय सदस्य जो यहां पर बिराजे हुए हैं, चाहे पक्ष के हों और चाहे विपक्ष के हों, वे अपने हृदय पर हाथ रख कर सोचें कि क्या इस प्रकार का चुनाव पहले कभी हुआ है ? ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर क्या कभी इस प्रकार का चुनाव हुआ है ? भारतवर्ष ही नही, राजस्थान ही नहीं, मान्यवर, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों के अन्दर एक महत्वपूर्ण और राष्ट्र के लिए ऐतिहासिक चुनाव यह पहला हुआ है, जिसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि चुनाव कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन, भारत के ऊपर आधारित है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के ऊपर स्वतंत्र रूप से काम करने की मर्यादाओं को तोड़ने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा, देश के प्रधान मंत्री के द्वारा और विधि मंत्री के द्वारा जो दबाव डाला गया और इलेक्शन कमीशन को प्रभावित करने का प्रयास किया गया, और वहां के मत-दाताओं को जिस प्रकार से भयभीत करने की चेष्टायें की गई और श्रीमती इन्दिरा गांधी को स्वतंत्रतापूर्वक चुनाव अभियान चलाने के अन्दर जो बाधायें उपस्थित की गई, उनके बारे में देश के शासन के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए प्रधान मंत्री, श्री मोरारजी देसाई के द्वारा समय-समय पर जिस प्रकार के वक्तव्य दिए गए, देश के विधि मंत्री, श्री शांति भूषण के द्वारा जो वक्तव्य दिये गए और जो स्पष्टीकरण दिए गए उनसे और दूसरे ऐसे मामले थे, मान्यवर, जिनके द्वारा देश के इस महान चुनाव को प्रभावित करने के लिए कोई कमी नहीं रखी गई। वहां पर सी. आर. पी. . .

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, माननीय अध्यक्ष महोदय . . .

श्री रामनारायण चौधरी : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर क्या है अभी ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : बीच में कौन-सा पॉइन्ट ऑफ आर्डर आ गया ?

श्री रामनारायण चौधरी : मैं बोल रहा हूं और बीच में ही पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर. . .

श्री श्योपत सिंह मकासर : यह मेरा अधिकार है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बहुत जरूरी समझता हूं कि आखिरकार कोई भी बात हो, हिन्दुस्तान में कहीं पर कोई भी घटना हो, चुनाव हो, चुनाव कितना महत्व-पूर्ण है और कितना महत्वपूर्ण नहीं है इसको राजस्थान के सदन के अन्दर उठाने से और यहां पर बहस करने से क्या फायदा है ? अगर यह परिपाटी डाल दी जायेगी तो हमारे राजस्थान की ही बहुत महत्वपूर्ण समस्यायें हैं, हम लोग भी स्थगन प्रस्ताव रखते हैं. . .

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : विरोधी दल के नेता बोल रहे हैं और अध्यक्ष की इजाजत से बोल रहे हैं। बीच में बोलने की कौनसी परिपाटी है ?

श्री मूलचन्द डागा : Was it a point of order?

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। जिसका हाउस से कोई ताल्लुक नहीं है ऐसी बात को आप रखना चाहते हैं। चाहे कितना ही महत्वपूर्ण चुनाव हो, अखबारों में कुछ भी छपा हो, दोनों तरफ के लोग जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण चुनाव है, लेकिन इस असेम्बली का, राजस्थान विधान सभा का इससे क्या सम्बन्ध है।

(व्यवधान)

आर. ए. सी. भेजी है तो यह केन्द्र का मामला है। यह गलत परिपाटी यहां पर डाल रहे हैं...

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : जब अध्यक्ष महोदय ने इजाजत दे दी...

श्री श्योपतसिंह मकासर : जब सदन से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है, कोई मसला नहीं है...

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह ऐसा मामला है जो राष्ट्रीय महत्व का मामला है...

श्री टीकमचन्द कान्त : अध्यक्ष महोदय, अगर यही परिपाटी रही तो इन्दिरा गांधी ने कल दो रोटी कम खाई या संजय ने दो लड्डू खाये, यह भी सारा विधान सभा में डिस्कस होगा...

श्री मूलचन्द डागा : सवाल लड्डू खाने का नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : चिकमंगलूर में हार होने वाली है इसलिए पहले से ही बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : यह बात मैं ही नहीं कह रहा हूं बल्कि देश के सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है। समाचारों में...

श्री मदनसिंह दांता : गोली से लड़की को फूंक दिया, यह भी कहो।

श्री श्योपतसिंह मकासर : जो लड़की की हत्या हुई उस पर भी स्थगन प्रस्ताव लाएं ?

श्री दुलाराम : यह तो माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं कि किस तरह से क्या हुआ ? आप भी वहां पर थे और मैं भी वहीं पर था। अगर यहां पर बोल रहे हैं तो क्या गुनाह हो गया .....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपना भाषण जारी रखें।

श्री मदनसिंह दांता : आपने व्यवस्था दे दी तो आपकी व्यवस्था के बाद हमें मजबूर होकर सुनना पड़ेगा परन्तु यह विषय राजस्थान विधान सभा से सम्बन्धित नहीं है। हमारे स्थगन प्रस्ताव रह गए हैं। कल ही लोग मारे गए हैं, आज रात को लोग मरे हैं, उन पर स्थगन प्रस्ताव लाते।

श्री अध्यक्ष : यह कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। मैंने निर्णय लिया और माननीय सदस्य को मैंने दो शब्द कहने का अवसर दिया तो उनको बोलने का अधिकार है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : दूसरे माननीय सदस्यों के भी स्थगन प्रस्ताव हैं ।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय मैं आपसे प्रोटेक्शन चाहता हूं। मान्यवर माननीय सदस्य श्री श्योपतसिंह को मेरे कथन के बारे में कोई आपत्ति है तो मेरे बोलने के बाद आप उनको भी पांच मिनट, दस मिनट, पन्द्रह मिनट, बीस मिनट बोलने की इजाजत दें । मान्यवर, लेकिन मैं जब कुछ कह रहा हूं और आपकी आज्ञा से कह रहा हूं तो उसके बीच में माननीय सदस्य बोलते हैं तो यह कोई तरीका नहीं है । मैं जो कुछ यहां पर कह रहा हूं वह कोई मनगढन्त बात नहीं है । मैंने अपनी आंखों से देखा है, वहां पर और देश के नेशनल लीडिंग पेपर्स हैं उन सब के अन्दर, मान्यवर, यह प्रकाशित हुआ है । उस प्रकाशन के बाद देश का एक जनमानस बना है कि आज की केन्द्रीय सरकार इलेक्शन कमीशन जैसी स्वतंत्र, कांस्टीट्यूशनल एजेंसी को किस प्रकार से प्रभावित करके, किस प्रकार से वहां के मतदाताओं को भयभीत करके......

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : बंगाल में तो चुनाव होने ही नहीं दिए थे आपने । सन् 72 में तुम्हारी कांग्रेस ने चुनाव ही नहीं होने दिए थे और अब शिकायत कर रहे हो ।

श्री मगतारसिंह कंग : ये फिर कैसे बोले जा रहे हैं ।

श्री रामनारायण चौधरी : Janta Leaders' conspiracy to postpone the poll.

(व्यवधान)

श्री माधोसिंह कछवाह : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है । मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है कि इस सदन के अन्दर इस किस्म के स्थगन प्रस्ताव पर एक सदस्य कितना बोल सकते हैं ? क्या ऐसे विचार रख सकते हैं जिसका उत्तर न आप दे सकते हैं, न सरकार दे सकती है, न मंत्री दे सकते हैं ? ऐसे मुद्दों पर क्यों सदन का समय बरबाद किया जा रहा है ? यह किस प्रकार समय दिया जा रहा है, यह कैसी व्यवस्था है, इसको आप निश्चित कीजिए ।

श्री मदनसिंह दांता : क्या ऐसा प्रस्ताव पार्लियामेंट में नहीं आयेगा ?

श्री अध्यक्ष : This is no point of order. माननीय सदस्य बोलें । Let the Hon'ble Member carry on.

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, "Deployment of CRP a threat to fair poll. यह नेशनल हैराल्ड में प्रकाशित हुआ है...

श्री श्योपतसिंह मकासर : आपने तो फौज लगा दी थी ।...

(व्यवधान)

वहां पर तो सी०आर०पी० विथ दी परमिशन आफ इलेक्शन कमीशन लगाई गई है । इलेक्शन कमीशन ने कहा तब लगाई है ।

श्री रामनारायण चौधरी : "Janta Leaders' conspiracy to postpone poll." The deployment of the C.R.P. in Chickmaglur has been traced to conspiracy

(श्री रामनारायण चौधरी)

hatched by Mr. George Farnandes, the Janta Election Manager and Mr. S.D. Patil, Union Minister of State for Home in violation of all constitutional norms.

(व्यवधान)

मान्यवर, जनता पार्टी के नेताओं ने वहां पर इस बात की हरचन्द कोशिश की कि यह चुनाव किसी प्रकार से हो नहीं जावे। पहले इस बात का वहां की सरकार पर दबाव डाला और इस बात की कोशिश की गई कि वे हारें। चुनाव स्थगित करवाना चाहते थे, जब इसमें कामयाब नहीं हुए तो इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाला गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देखें, अखबारों में जो कुछ प्रकाशित हुआ है उससे आपका भी मत बना है और आपका मत भी वही है क्योंकि आप भी स्वतंत्रता प्रेमी रहे हैं और जनतंत्र, लोकतंत्र, जिसका यह सदन कस्टोडियन है, के प्रेमी रहे हैं। मान्यवर, राजस्थान विधान सभा का ही प्रश्न नहीं है, प्रश्न यह है कि देश में लोकतांत्रिक, पार्लियामेंट्री इलेक्शन स्वतंत्रतापूर्वक हो भी सकते हैं या नहीं ? यह प्रश्न आज जनता पार्टी की केन्द्रीय सरकार ने उठा दिया है। इसलिये मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि क्या इस सदन का यह काम है, सरकार की तरफ से जो बिल प्रस्तुत कर दिया जाय उस पर हां, नां कह कर चले जायं। यह सदन राजस्थान की 3 करोड़ जनता का प्रतिनिधि फोरम है। यहां से हमारी राय, हमारे निर्वाचित मण्डल के लोग और राजस्थान के लोग जो कुछ महसूस करते हैं उसको बुलन्द करें। माननीय मुख्य मंत्रीजी करते रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनता पार्टी की केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में संविधान में संशोधन करके सी. आर. पी. के अधिकारों को खतम किया। लोकसभा में उस बिल को पास किया, राज्य सभा में पास किया। अभी राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी बाकी है। इस बीच में जनता पार्टी की सरकार को कोई नैतिक और कानूनी अधिकार नहीं थे कि वहां की सरकार पर इस बात का दबाव डालें कि इलेक्शन कमीशन को कहा जाय कि सी. आर. पी. के बिना चुनाव नहीं हो सकेंगे। मान्यवर, इस प्रकार के आतंकपूर्ण वातावरण में कोई भी चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकते।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री रामनारायण चौधरी : मेरा टाइम सदस्यों ने ले लिया।

अध्यक्ष महोदय, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वहां के लोग श्रीमती गांधी के प्रति जो श्रद्धा और भावनाएं रखते हैं वह मैं यहां व्यक्त नहीं करना चाहता। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि किस प्रकार से जनता पार्टी के लीडरों ने, जार्ज फर्नाण्डीस और भारत के राज्य मंत्री गृह धनिक लाल मण्डल और भारत के प्रधान मंत्री ने मतदाताओं को आतंकित किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मान्यवर, भूतपूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी चुनाव के दो दिन पहले अपने अभियान को सुचारू रूप से संचालित नहीं कर सकीं क्योंकि जनता पार्टी के लीडर्स और सी. आर. पी. के...

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, अब समाप्त करें ।

श्री **रामनारायण चौधरी** : चुनाव अभियान के पहले चिकमंगलूर सिटी में श्रीमती इंदिरा गांधी के...

(व्यवधान)

लेकिन जनता पार्टी के लीडर्स ने चुनाव कार्यक्रम को आगे चलने नहीं दिया । मान्यवर, वहां की सरकार पर इस बात का दबाव डाला..

(व्यवधान)

श्री **रतनलाल वर्मा** : इस बात से यहां क्या फायदा मिलने वाला है ?

श्री **रामनारायण चौधरी** : मान्यवर, आपके प्रधान मंत्री मोरारजी देसाई ने चुनाव अभियान के समय यह कहा कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी ने पार्लियामेंट को कैद कर रखा था । मान्यवर, देश की सर्वोच्च संस्था के लिये उन्होंने जो कहा उसको कोई आथेन्टिकेट नहीं कर सकता..

(व्यवधान)

इसके बारे में इस सदन को विचार करने का अधिकार है । मैं निवेदन करना चाहता हूं, केन्द्रीय सरकार ने भारत के इलेक्शन कमीशन को, जो भारत के संविधान के तहत चुनाव करवाने के लिये एक स्वतंत्र एजेन्सी है, न केवल धमकाया बल्कि इलेक्शन कमीशन को यह कह कर उसके अधिकार पर कुठाराघात किया कि आप सी.आर.पी. या बी.एस.एफ. को बुलाने का प्रस्ताव स्वीकार करें, यदि नहीं करते हैं तो चुनाव नहीं होगा और चुनावों को पोस्टपोन कर दिया जाएगा ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री **श्योपतसिंह मकासर** : यह खबर लाये हैं आप चिकमंगलूर से ?

श्री **रतनलाल वर्मा** : मैं कहना चाहता हूं, हत्यारो ! सी.आर.पी. बुलाने के तुम जिम्मेदार हो ! दंगा तुम करवाते हो, हत्या तुम करवाते हो !

(व्यवधान)

श्री **रामनारायण चौधरी** : नादिरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी !

श्री **श्योपतसिंह मकासर** : यह चिकमंगलूर का भाषण बन्द कर दें तो उचित रहेगा । यह विधान सभा का भाषण नहीं है, श्रीमान् ।

श्री **रामनारायण चौधरी** : देश के प्रधान मंत्री ने यह कहा कि श्रीमती गांधी को किसी तरीके से हराने की कोशिश की जाएगी । अगर देश के प्रधान मंत्री...

श्री **मदनसिंह दांता** : इनकी इंदिरा गांधी के साथ दोस्ती की साजिश है ।

श्री **रामनारायण चौधरी** : मान्यवर, आज तक देश के किसी भी प्रधान मंत्री ने इतने नीचे स्तर की बात नहीं कही, ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया...

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, अब आप दो मिनट में इस चर्चा को समाप्त करें ।

एक माननीय सदस्य : इनको 15 मिनट हो गये बोलते हुए ।

श्री **माधोसिंह कछवाह** : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री **रामनारायण चौधरी** : यदि देश के....

श्री **माधोसिंह कछवाह** : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । इस सदन के अन्दर जब दूसरे मेम्बर एतराज करते हैं और आपसे निवेदन करना चाहते हैं तो आप ध्यान नहीं देते हैं । सारे सदन का समय निर्धारण करना और इस सदन की गरिमा बनाये रखना आपके हाथ में है । आप जो कहते हैं वह हम मान लेते हैं । आप बार-बार यह कहते हैं कि 2 मिनट बोल लें । इसके बारे में व्यवस्था का प्रश्न रखते हैं तो आप कहते हैं कि यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । तो व्यवस्था का प्रश्न कौनसी चीज है, यह चीज हमें समझाइये ?

श्री **रामनारायण चौधरी** : मान्यवर, यह चुनाव इस देश के एक हिस्से में हो रहा है, वहां पर सी.आर.पी. भेज कर श्रीमती इन्दिरा गांधी के चुनाव को रोका जा रहा है। जैसा कि जनता पार्टी के नेता लोग कहते हैं कि उनके चुनकर आ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, श्रीमती इन्दिरा गांधी जीतकर भी आ जायें तो आकाश नहीं गिरेगा और पृथ्वी नहीं हिलेगी । तो, मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि यदि कुछ नहीं होने वाला है तो आप और आपकी सरकार, केन्द्रीय सरकार क्यों भयभीत हो रही हैं ?

श्री **मदनसिंह दांता** : भयभीत इसलिए हो रहे हैं कि फिर गोलियां चलेंगी और फिर रोले होंगे ।

श्री **रामनारायण चौधरी** : मान्यवर, केन्द्रीय सरकार ने कर्नाटक के चिकमंगलूर चुनाव में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, वहां की सरकार और चुनाव अधिकारी की बिना अनुमति के भेज कर इलेक्शन कमीशन को आतंकित किया । वहां की सरकार को धमकी दी कि यदि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और बी.एस.एफ. को वहां पर डिप्लाय करने को स्वीकार नहीं करोगे तो यह चुनाव नहीं हो सकेगा और चुनाव स्थगित कर देंगे । यही नहीं, मान्यवर, यहां तक धमकी दी गई कि यदि आप केन्द्रीय सरकार के आदेशों की अवहेलना करोगे तो केन्द्रीय सरकार इस बात में सक्षम है कि प्रदेश की सरकार को ला एण्ड ऑर्डर के पाइंट पर डिसमिस कर वहां पर राष्ट्रपति शासन कर सकती है...

श्री **श्योपतसिंह मकासर** : तुमने कितना किया ? जिनके हाथ खून से रंगे हुए हैं वह कहते हैं कि हम साफ हैं । क्या बात करते हैं ?

(व्यवधान)

श्री **रामनारायण चौधरी** : इस विधान सभा के अन्दर बैठे हुए, मान्यवर, राजस्थान के मुख्य मंत्री माननीय शेखावत साहब ने उदयपुर के एक 8-9 साल के लड़के को वहां पर पैसे देकर भेजा । पता नहीं यह वाकया क्या है ? वह वहां पर प्लेकार्ड लिए हुए था जिसमें लिखा था कि मेरे पिता को फांसी किसने दी । राजस्थान में या दूसरी जगह पर कोर्ट के अलावा फांसी तो कोई नहीं दे सकता है । फांसी अगर हुई है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किसी मर्डर या डेकोइटी के केस में हुई होगी...

श्री **मदनसिंह दांता** : राजस्थान के मुख्य मंत्री क्यों नहीं बोलते हैं ?

श्री **रामनारायण चौधरी** : राजस्थान से चिकमंगलूर में यह प्रदर्शन करने के लिए जिस लड़के को भेजा गया उसके पिता को फांसी किसने दी ? यह प्रदर्शित करना चाहते हैं,

(श्री रामनारायण चौधरी)
मुख्य मंत्रीजी मोरारजी भाई को प्रसन्न करने के लिये कि मैंने भी श्रीमती इन्दिरा गांधी को हराने में कोई कमी नहीं रखी और मैंने आपका साथ पूरी तरह से निभाया है।

मान्यवर, यही नही राजस्थान सरकार ने राजस्थान की तरफ से 100 जीप गाड़ियां पैसा देकर अथवा अपने दबाव से भेजीं . . .

श्री **रतनलाल वर्मा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल अनर्गल बातें कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने 100 जीप गाड़ियां भेजीं उनके नम्बर बतायें।

(व्यवधान)

श्री **रामनारायण चौधरी** : मान्यवर, मैंने स्वयं ने झुन्झुनु और जयपुर के ड्राइवरों को देखा है। मैंने उनसे पूछा है कि आप लोग यहां कैसे ? तो उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार ने हमें भेजा हुआ है। राजस्थान सरकार ने हमें कहा कि वहां पर जाओ। राजस्थान सरकार के खर्चे के साथ हम यहां आये हैं। तो, मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री और दूसरे मंत्रियों ने अपने नाजायज प्रभाव के द्वारा राजस्थान से 100 जीप गाड़ियां भेजीं। 10 लाख रुपया इकट्ठा किया गया राजस्थान से। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वह रुपया ले जाकर चन्द्रशेखरजी को दिया। यह स्वयं चन्द्रशेखरजी के साथ वहां पर जाना चाहते थे।

श्री **श्योपतसिंह मकासर** : आप कहां थे जिस वक्त यह रुपया दिया जा रहा था ? आप वहां थे क्या ? आपको कैसे पता लगा ?

श्री **अध्यक्ष** : इस चर्चा को समाप्त करें।

श्री **मदनसिंह दांता** : 10 लाख रुपया आपने तो नहीं दिया है चन्द्रशेखरजी को ?

श्री **अध्यक्ष** : आप समाप्त करें।

श्री **रामनारायण चौधरी** : मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं।

श्री **अध्यक्ष** : मैं माननीय रामनारायणजी को कह रहा हूं, आप विषयान्तर हो रहे हैं। कृपया समाप्त करें।

श्री **रामनारायण चौधरी** : मान्यवर, मैं विषयान्तर नहीं हो रहा हूं। एक मिनट के अन्दर ही मैं इसको समाप्त कर रहा हूं।

माननीय मुख्य मंत्रीजी चिकमंगलूर के चुनाव के अन्दर जनता पार्टी के प्रेसीडेन्ट चन्द्रशेखर के साथ जाना चाहते थे, और जा रहे थे लेकिन वह नहीं जा सके। उसका कारण यहां पर राजनैतिक परिवर्तन का भय था, जिसकी वजह से उनको वापस आना पड़ा। लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और राजस्थान के दूसरे मंत्रियों ने 10 लाख का चन्दा राजस्थान में इकट्ठा किया। यहां के व्यापारियों से चन्दा एकत्रित करके चन्द्रशेखरजी को दिया, और मुख्य मंत्रीजी वापस आ गये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार ने और केन्द्रीय सरकार ने येन केन प्रकारेण फेयर या फाउल मीन्स से श्रीमती गांधी को हराने के लिये सी०आर०पी० भेजकर धमकी देकर और इलेक्शन कमीशन को आतंकित करके यह चुनाव करवाया है। इसने लोकतंत्र और जनतंत्र की तमाम प्रक्रियाओं को नष्ट कर दिया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं, मान्यवर, देश के प्रधान मंत्री और

(श्री **रामनारायण चौधरी**)
केन्द्रीय सरकार की भर्त्सना करता हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में जो विचार व्यक्त किये गये हैं वह उन तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता ने चिकमंगलूर चुनाव के संबंध में जिस प्रकार के विचार व्यक्त किये हैं उनसे मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाली घटना की भूमिका इस सदन में प्रस्तुत करना चाहते हों। मुझे इस बात का भी खेद है कि नेता महोदय जब अपनी बात कह रहे थे तो उस बीच में उनको कई बार पसीना आ गया और बार-बार उन्होंने रुमाल का प्रयोग किया।

अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैं इसका उत्तर नहीं देना चाहता था, क्योंकि जो चीज इस हाउस की कान्करेन्स में नहीं है उसके बारे में इस हाउस में किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने अनुमति दे दी और वह बोल गये इसलिए कुछ बातों के संबंध में स्पष्टीकरण करना चाहूंगा।

पहला प्रश्न माननीय सदस्य ने सी० आर० पी० का उठाया। सदन जानता है अच्छी तरह से कि स्टेट्स में सी०आर०पी० को डिप्लाय करने के संबंध में निर्णय पिछली सरकार का था या इस सरकार का? कान्स्टीट्यूशन में यदि इसके संबंध में संशोधन किया गया तो वह संशोधन पिछली सरकार ने किया था। यदि अधिकार भी दिया गया तो वह अधिकार भी पिछली सरकार ने दिया था। बंगाल में सी०आर०पी० ने जिस प्रकार की पूर्व में घटनाऐं की हैं, मैं यहां पर उनका उल्लेख नहीं करना चाहता हूं और न ही उसका विश्लेषण यहां करना चाहता हूं, लेकिन सी.आर.पी. को डिप्लाय करने का अधिकार स्वयं इन्दिरा गांधी ने दिया है किसी और आदमी ने नहीं दिया है। उन्होंने सी. आर. पी. के डिप्लायमेंट का अधिकार दिया है। आज माननीय सदस्य को आपत्ति हो गई कि चिकमंगलूर में सी. आर. पी. चली गई। उसका अधिकार उन्होंने ही प्रदान किया है। उन्होंने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन को डराया धमकाया और उनसे स्वीकृति ली गई। कर्नाटक के मुख्य सचिव और गृह मंत्री, इन दोनों ने इस प्रकार का वक्तव्य नहीं दिया जिसमें यह आरोप लगाया गया हो कि इलेक्शन कमीशन को डराया, धमकाया और सी. आर. पी. बुलाने के लिए स्वीकृति ली · ·

श्री **श्योपतसिंह मकासर**: ये समाचार लाये हैं वहां से ··

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : कर्नाटक में यह जरूर हुआ कि सी. आर. पी. का कन्ट्रोल किसके हाथ में हो? उसको भी उन्होंने यह कह दिया कि एक आदमी हमारा और एक आदमी सी.आर.पी. का रहेगा। जहां जहां पर आवश्यकता थी वहां पर उन्होंने सी. आर. पी. को साथ लिया। वहां की सरकार ने जिस प्रकार की योजना बनाई उसी प्रकार से व्यवस्था हुई।

लॉ एण्ड ऑर्डर की व्यवस्था वहां पर बिगड़ी वहां पर जिस प्रकार की घटनाएं हुई उनकी जिम्मेदारी कर्नाटक सरकार पर है। आज वह इस जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती। स्नेहलता देवी की मृत्यु के बाद उसकी पुत्री जनता को यह बताना चाहती है कि मेरी मां के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया। वह उसका अधिकार है। उसको आप छीनना

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चाहते हैं, तो जनता पार्टी की सरकार यह नहीं होने देगी। उसने कुछ जुबान से कहा नहीं, केवल मुंह पर पट्टी बांध कर बताया कि किस प्रकार से तंग आकर मेरी मां मर गई। क्या आप यह चाहते हैं कि इस प्रकार का अधिकार उससे छीन लिया जाय। क्या आप चाहते हैं कि आपने जो 19 महीनों में प्रचार करने का और बोलने का अधिकार छीन लिया उससे जनता पार्टी की सरकार ने मुक्ति दिलाई उसको वापिस ले लिया जाय? और जनता की जुबान पर ताला लगा दिया जावे? इस प्रकार की बात जनता पार्टी के राज में नहीं होने दी जायगी। जनता पार्टी के राज में बोलने का अधिकार दिया गया है, मैं इसलिए कहना चाहता हूं...

(व्यवधान)

श्री दुलाराम : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि माननी यहां पक्ष के नेता और विरोधी पक्ष के नेता को समान समझना चाहिए। जब विरोधी पक्ष के नेता बोलते हैं तो हां पक्ष के लोग खडे होकर हो-हल्ला मचाते हैं और माननीय मुख्य मंत्रीजी बोलते हैं तो विरोधी पक्ष के लोग टस से मस नहीं होते।

विरोधी पक्ष के नेता कुछ भी कहेंगे तो उनको बोलने नहीं देंगे।

श्री रतनलाल वर्मा : सही बात कहनी चाहिए, झूटी बातें नहीं करनी चाहिए।

श्री कल्याण सिंह सांखला : माननीय सदस्य को यह पता नहीं है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। There is no point of order.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा था कि चिकमंगलूर में जिस प्रकार की घटनाएं हुई उसकी चिन्ता कर्नाटक सरकार को भी है। कर्नाटक सरकार ने जिस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए वह नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने सोचा कि यहां पर जिस प्रकार की परिस्थितियां चल रही हैं उसमें निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा और शान्ति और व्यवस्था नहीं रह सकती, इसलिए सी. आर. पी. का डिप्लायमेन्ट किया जाय, तो उचित होगा। इसमें आप अगर यह कहें कि इलेक्शन कमीशन का गला घोंट दिया तो आज दुनिया में कोई भी इस बात को मानने वाला नहीं है कि जनता पार्टी की सरकार ने इलेक्शन कमीशन को डराया, धमकाया। पार्लियामेन्ट को आतंकित किया या जुडिशियरी का गला घोंट दिया, सुप्रीम कोर्ट का गला घोंट दिया या प्रेस का गला घोंट दिया, इन बातों का श्रेय तो, माननीय रामनारायणजी, आपको और आपकी नेत श्रीमती इन्दिरा गांधी को मिला है। हमने इनको वापस रेस्टोर किया, उसके कारण से आपकी नाराजगी है और इन्दिरा गांधी को नाराजगी है। यही आपमें और हमारे में सबसे बड़ा मतभेद है कि हमने लोकतन्त्र को खुल्लम-खुल्ला कर दिया, जुडिशियरी के दरवाजे खोल दिये, जेल के दरवाजे खोल दिये, लोगों को बोलने का अवसर दे दिया। आप चाहते हैं कि इस व्यवस्था को समाप्त करना चाहिए और हम खुली छूट देना चाहते हैं। यही बहुत बड़ा मतभेद है। जनता किस प्रकार की व्यवस्था चाहती है यह हिन्दुस्तान की जनता ने आपको दिखा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

दिया। आपने डेमोक्रेसी पर जिस प्रकार से कुठाराघात किया यह अब कतई होने वाला नहीं है।

अब प्रश्न आता है, आपने जाते-जाते मेरे ऊपर आरोप भी लगा दिया कि मैंने दस लाख रुपये चन्दे के इकट्ठे किये और चन्द्रशेखरजी को भेज दिये। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा इस सदन में इस प्रकार की चर्चा नहीं होनी चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने चिकमंगलूर चुनाव के लिए किसी से एक पैसा भी नहीं लिया दस लाख की तो बात ही क्या। इस प्रकार का गलत आरोप लगाया जाय, अखबारों में इसकी चर्चा आवे। कोई यह कहे कि इन्दिरा गांधी ने करोड़ों रुपया लगाया और शराब की नदियां बहा दीं, लोगों को खरीद लिया उसका कोई कोटेशन नहीं दिया। आप कहते हैं कि वहां पर उदयपुर का एक लड़का भेज दिया। मैं कहता हूं कि चिकमंगलूर तो दूर था, वहां तो लोग जा नहीं सकते थे, लेकिन उत्तरी भारत में चुनाव होते तो राजस्थान में परिवार नियोजन के कारण जो हत्यायें हुईं उनके परिवार वाले वहां जाकर यह बताते कि 19 महीनों में हमारे साथ क्या हुआ? लोगों के साथ जो अन्याय हुआ और जो उनको दुःख है वे उसका प्रचार करेंगे अपने दुःख की बात करेंगें। आप चाहते हैं उनको रोक दिया जाय, यह नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में आप इस प्रकार की अनर्गल बातें कहें यह सदन के लिए शोभा की बात नहीं है। आपने कहा, दस लाख रुपये इकट्ठे कर लिये और सौ जीपों का इन्तजाम कर दिया। मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि दस लाख का क्या हिसाब है आपके पास, किस-किस आदमी से कितना कितना रुपया ले लिया और 100 जीपें किस-किस की थीं? मैं चुनौती देता हूं, आप बता दें किस व्यापारी से जीप ली और किस आदमी से कितने रुपये लिये? आप नहीं कह सकते। आप केवल यही प्रचार करने के लिये बोलते हैं कि रामनारायणजी अच्छा बोलते हैं। दस लाख रुपये ले लिये और सौ जीपें ले आये, आपमें दम हो तो खड़े होकर कहो किस आदमी से...

श्री **रामनारायण चौधरी**: अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि दम हो तो खड़े होकर कहें। मैं पेश कर सकता हूं, क्या गारन्टी है, उनकी सुरक्षा...

(व्यवधान)

की गारन्टी दीजिये। जिन लोगों ने चन्दा लिया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। यह पता चल जाय कि इतना चन्दा दिया तो उनका राजस्थान में रहना मुश्किल हो जायगा।

(व्यवधान)

श्री **रतनलाल वर्मा**: आप नाम बताइये, नेता बनकर थोथी पंचायत मत कीजिये...

(व्यवधान)

आप सदन को प्रमाण दीजिये, सबूत दीजिये।

श्री **रामनारायण चौधरी**: अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी के उत्तर में मैं कह रहा हूं। राजस्थान में उनकी सुरक्षा नहीं हो सकती। आप कहते हैं नाम क्या है? उनकी सुरक्षा को क्या जिम्मेदारी है?

श्री **मदनसिंह दांता**: आप विरोधी दल के नेता है, कम से कम एक का नाम तो बता दें।

Page No 48

(48)

श्री **रामनारायण चौधरी**: जनता पार्टी के अध्यक्ष चन्द्रशेखर ने बम्बई में स्वयं कहा है; हमारी अक्ल कोई घास चरने नहीं चली गई कि जिन लोगों ने लाख-लाख रुपये चन्दे दिए उनके नाम बता दें।

(व्यवधान)

श्री **मदनसिंह दांता** : शायद कांग्रेस की तरफ से 10 लाख रुपये गए हों और चन्द्रशेखर के न हों।

श्री **एच. एन. शर्मा**: धोखेबाज।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : सदन को इस बात से अनुमान लगा लेना चाहिए कि विरोधी दल के माननीय नेता ने जो बात कही है, वह कितनी सत्य है? ज्यादा विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं अनुमान लगायें। मैं समझता हूं जिन्होंने आरोप लगाया वह भी इसकी गंभीरता को समझ गए और मन में पश्चाताप करते होंगे। मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। मैं एक शब्द माननीय सदस्य से एक्सपैक्ट करता था, गायत्री की सहानुभूति में दो शब्द आप बोलते। अगर दो शब्द कहते तो आपकी जुबान सूखती नहीं, पर लड़खड़ाते नहीं बदन में पसीना नहीं आता। एक लड़की वहां पुलिस के अत्याचार के कारण मर गई।

श्री **खेतसिंह राठौड़** : आप ही हमदर्दी बता दीजिए।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : खेतसिंहजी, आपके लिए मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं कि कल यदि इन्दिरा गांधी जीत गई तो आप राम नारायणजी के साथ होंगे और हार गई तो माथुर साहब के साथ होंगे।

श्री **खेतसिंह राठौड़** : माथुर साहब हमारे साथ आयेंगे।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : मैं ज्योतिषी नहीं हूं लेकिन खेतसिंहजी के ग्रह के बारे में कह सकता हूं कि इनके भाग्य का फैसला कल शाम होगा। इन्दिरा गांधी जीत गई तो रामनारायणजी की जय बोलेंगे और हार गई, तो सुबह होने से पहले माथुर साहब का दरवाजा खटखटायेंगे।

श्री **खेतसिंह राठौड़** : हरगिज नहीं।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : ऐसी स्थिति में चिकमंगलूर का प्रश्न यहां उठाना आवश्यक नहीं। रामनारायणजी ने अपनी भावनायें व्यक्त कर दीं। सदन जानता है सी. आर. पी. के डिप्लायमेंट के बारे में किसने पहले अधिकार दिया था, किसने समाप्त किया, किन परिस्थितियों में सी. आर. पी. भेजी गई है। जार्ज का नाम लेकर, चन्द्रशेखर का नाम लेकर इस प्रकार आरोप लगाए जायें तो माननीय सदस्य खुद ही विचार करें, इसकी सीमा कहां तक है? आरोप लगाने के लिए आपके पास कुछ है या नहीं लेकिन हमारे पास कमीशन की सारी रिपोर्ट्स हैं। उन कमीशन्स की रिपोर्ट्स को सदन में रखेंगे तो आप कहेंगे कि यह मारुति कमीशन का मामला क्यों उठाया? नागरवाला का मामला क्यों उठाया? विरोध उनकी तरफ से होगा। इसलिए आप इस प्रकार की परम्परा न डालें जिससे आपको ही कष्ट हो। आपने जो कुछ कहा, ठीक है, सदन अनुमान लगा लेगा कि आपकी बात कितनी सही है।

श्री **मदनसिंह दांता**: आज राजस्थान की जनता ने देखा कि मुख्य मंत्री वहां नहीं

(श्री मदनसिंह दांता)
पधारे। क्या इनका आपसी झगड़ा है, वहां न पधारने का क्या कारण था ?

श्री अध्यक्ष : No more discussion on this issue.

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, चिकमंगलूर के अन्दर सी. आर. पी. ने अत्याचार किया या नहीं, हम इतना दूर न जाकर अगर अपने ही कपड़ो के अन्दर देखें तो हम नंगे नजर आयेंगे। उदयपुर में किस प्रकार छात्रों ने राजस्थान के इतिहास में पहली बार और अगर गलत नहीं हूं तो भारत के इतिहास में पहली बार विश्वविद्यालय की इमारत पर कब्जा करके प्रशासन को मजबूर किया कि विश्वविद्यालय को बंद किया जाए। इतने गंभीर विषय पर मैं समझता था कि सरकार चिंतित होगी, परन्तु सरकार चाहे केरल की हो या राजस्थान की हो या कर्नाटक की हो, जब जन समर्थन खो बैठती है तो पुलिस और सी.आर.पी. की मदद से शासन करती है। उदयपुर में विद्यार्थी ने मांग की कि मुझे एडमिशन दिया जाए, मैं प्रथम श्रेणी में पास हुआ हूं। प्रशासन मुझे गलत तरीके से बाहर निकालता है। मेरे कैरियर का सवाल है। उसकी सुनवाई नहीं हुई। उसने आत्मदाह का नोटिस दिया। 4 तारीख को 11 बजे अपने कपड़ों पर मिट्टी का तेल छिड़क लिया उप-कुलपति के कानों में जूं नहीं रेंगी, शिक्षा-मंत्री के कानों में जूं नहीं रेंगी। उनको डर था कि मेरा मंत्री पद छिन जायेगा। अगर वह छात्र कपड़ों पर आग लगा देता तो क्या गायत्री जैसी छात्र की हत्या उदयपुर में नहीं हो जाती लेकिन समय रहते हुए नहीं होने दिया। आप लोगों के पास इतना समय नहीं है कि राजस्थान के विश्वविद्यालयों में उप-कुलपति नियुक्त कर सकें। उदयपुर में कार्यवाहक उप-कुलपति नियुक्त है। राजस्थान विश्वविद्यालय में रिटायर्ड हाई कोर्ट जज को वाइस-चांसलर के पद पर नियुक्त कर जयपुर के नाम पर बट्टा लगा दिया है। आपको इतना समय नहीं, कि सही स्थान पर सही नियुक्ति करें ? उसका यह असर है कि आज राजस्थान में तीनों विश्वविद्यालयों जैसे पवित्र स्थलों पर, शिक्षा क्षेत्र में पुलिस प्रहरी बन कर खड़ी है। शिक्षा मंत्री को त्याग-पत्र देना चाहिए। आप टिके हुए हैं। 1978 का आधा समय पास हो चुका है, लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय में एक भी क्लास नहीं लगी। उदयपुर में एक भी क्लास नहीं लगी। छात्रों के परिणाम भी घोषित नहीं हुए। आप किस प्रकार छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको यह अनुमान है कि शिक्षा जगत में आज अंधेरा है।

ग्रामीण स्कूलों में 30 प्रतिशत, यानी जहां 8 अध्यापक हैं वहां 3 अध्यापक ही काम चला रहे हैं। पिछले सैशन में मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि नए वर्ष में ऐसी स्थिति नहीं होगी, परन्तु शिक्षा मंत्री ने चूड़ियां पहन रखी हैं, आपके आदेशों की पालना नहीं हो रही है। ग्रामीण छात्रों का भविष्य अंधकारमय है। उदयपुर यूनिवर्सिटी की यह दशा है, जयपुर यूनिवर्सिटी की यह दशा है। आप चाहते हैं कि जैसे वहां गायत्री का खून हुआ वैसे ही यहां भी हो। लॉ एण्ड ऑर्डर खतम करना चाहते है। आप मत भूलिए कि गुजरात के छात्रों के आंदोलन के समय जे. पी. ने निर्देश दिया और कांग्रेस को कुर्सी छोड़नी पड़ी। कहीं ऐसा न हो कि तीनों विश्वविद्यालयों की एक लाख युवा पीढ़ी सड़कों पर आ जाए और नई क्रांति करें। आप ध्यान दीजिए। तीनों

Page No 50

(50)

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

वाइस-चांसलर ने मांग की है कि तीनों विश्वविद्यालयों का गठन इतना बड़ा हो चुका है, विद्यार्थियों की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि सही कन्ट्रोल नहीं किया जा सकता। इसलिए राजस्थान में एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। मैं यह चाहूंगा कि कालूलाल श्रीमाली की रिपोर्ट और कोठारी की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में नया विश्वविद्यालय खोला जाये जिससे कि छात्रों की जो भीड़ इन विश्वविद्यालयों में होती है वह घटे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट।

सबसे बढ़ कर इन विश्वविद्यालयों को आपने राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। जो नियुक्तियां राजनैतिक आधार पर की हैं, उनको नहीं करके, जो शिक्षाविद हैं उनके साथ न्याय किया जाये। यूनिवर्सिटी की वर्तमान स्थिति के ऊपर यदि उच्च स्तर पर सरकार ने एक्शन नहीं लिया, तो गुजरात से सटा हुआ हमारा राजस्थान है, यह आन्दोलन निश्चित रूप से चिन्गारी से बढ़ कर बम्ब का रूप लेगा। उसमें गांव-गांव का छात्र साथ देगा। हमारा शिक्षा का 109 करोड़ का बजट है। 900 करोड़ रुपये के कुल बजट में से 109 करोड़ रुपये की राशि हम शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं और वह पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। अव्यवस्था है, अशांति है, राजनीति है, सरकार निष्क्रिय है मंत्री महोदयों कोई खबर नहीं है। इनको तो चिन्ता हो रही है कि कौन-कौन से पोर्टफोलियो किस-किस को मिलेंगे। मंत्रिमण्डल जॉइन्ट रेस्पान्सिबिलिटी के माफिक काम करता है। उदयपुर की घटनाओं के लिए, जयपुर की घटनाओं के लिए आपने क्या किया? यह बतायें। जो उनकी मांग है राजस्थान में नया विश्वविद्यालय खोले जाने की, इसके लिए आपने क्या किया है? क्या दिमाग में कोई योजना है? आपके हाथ में शक्ति है। छात्र समुदाय, में जो अशान्ति का वातावरण हो गया है गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है, युवा वर्ग के अधिकारों को अनदेखा किया जा रहा है, इसकी ओर सरकार कुछ कदम उठाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आज एक लाख नौजवान इस हाउस से यह आशा और अपेक्षा करते हैं कि जो सरकार सोई हुई है, जो सरकार गूंगी और बहरी हो गयी है वह इस तरफ ध्यान देगी और निश्चित रूप से कोई समाधान निकालेगी। इसी आशा के साथ मैं चाहूंगा कि शिक्षा मंत्रीजी इस बात का जवाब दें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं और इस संबंध में मैंने भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा है....

श्री अध्यक्ष: मैंने उसे स्वीकार कर लिया है और सरकार को भेज दिया है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया: मैं इसी विषय में कुछ कहूंगा।

श्री अध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर कह दीजियेगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया: मैं दो बातें कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैंने कभी भी समय की सीमा का उल्लंघन नहीं किया है।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)
वाइस-चान्सलर की छोटी-सी नादानी के कारण उदयपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई ....

श्री अध्यक्ष : सरकार को उत्तर तैयार कर लेने दीजिए । वह उत्तर तैयार हो जाये, मैं आपको अवसर दे दूंगा ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं केवल एक मिनट आपसे अर्ज करना चाहता हूं ।

वाइस-चान्सलर की छोटी सी नादानी के कारण 48 घंटे के बच्चे ने नोटिस दिया कि मुझे सन्तुष्ट करें कि मेरी कौनसी गलती थी जिसके कारण से मुझे एक साल के लिए रोका है । एक कापी भरने के बाद दूसरी सप्लीमेन्ट्री कापी में 4 लाइन लिखी थी कि पहली कापी को वह पढ़ने लगा । वह नीचे गिर गयी । पास में बैठा हुआ दूसरा लड़का उसको उठा कर दे रहा था । उससे कापी ले ली गयी और कहा गया कि तुमने नकल की है । उस लड़के ने कहा कि मैंने नकल नहीं की और नकल की हो तो मुझे बता दें । मैं पहली क्लास से फर्स्ट क्लास हूं । सारे कालेज के विद्यार्थियों ने आग्रह किया कि आप इसे समझाइयें कि इसने कैसे नकल की और सही बात यह है । लेकिन वाइस-चान्सलर के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी । वह बाहर तक नहीं आये। कई बार कहा जाता है कि युवा गलती करता है लेकिन मैं कहता हूं कि उदयपुर की घटना में छात्र की कोई गलती नहीं । वाइस-चान्सलर को कहा गया कि आप और यह छात्र एक मेज पर बैठ जांय और बात कर लें। लेकिन वह बात करने के लिए तैयार नहीं हुए। उसको धक्का लगा । धक्का लगते ही लड़कों पर लाठियों की बौछार हो गयी । वह लड़का मरने लिए जाने वाला था वाइस-चान्सलर की हठधर्मी के कारण लेकिन लड़कों ने उसे दबाये रखा । उस पर पुलिस का लाठी प्रहार हुआ । इसके लिये मैं सरकार और पुलिस को दोषी नहीं मानता । उस निकम्मे वाइस-चान्सलर के पास मैं स्वयं गया हूं और मैंने कहा कि आप एक मेज पर बैठ जाइये और बात कर लीजिए । बालक ने यदि गलती की है तो उसको सजा दीजिये । लेकिन केवल यह दिखाने के लिए कि विश्वविद्यालय प्रशासन कितना कठोर है वह बात करने के लिए तैयार नहीं हुए ।

मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि उस महेन्द्र माथुर, जिसने गलती की और हाथापाई की, की डाइरेक्टर एम. बी. कालेज ने रिपोर्ट की । उसको वाइस-चान्सलर फोन करता है कि तुम दखलन्दाजी मत करो जिस लड़के ने नकल की उसको तो कुछ नहीं कहा क्योंकि उसने सामने चाकू रख दिया । तो उसका रिजल्ट तो 10 मिनट में निकाल दिया और दूसरे लड़के के साथ कोई बात तक करने के लिए तैयार नहीं हैं । वाइस-चान्सलर की गलती के कारण वहां के विद्यार्थियों में भारी आक्रोश है । उन्होंने चैलेन्ज किया कि चाहे हमारी जान चली जाये हमें परवाह नहीं । बालकों ने इतना विश्वास किया, समझाने का प्रयास किया । वह समझाने की स्थिति में थे लेकिन वाइस-चान्सलर की हठधर्मी के कारण और जिद्द के कारण उदयपुर में यह घटना हुई । राज्य सरकार कहे कि विश्वविद्यालय ओटोनोमस बॉडी है तो जनता में इस प्रकार का आक्रोश पैदा वह नहीं कर सकती । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर उस बालक के सम्बन्ध में उचित निर्णय नहीं लिया तो यह जो आग आज विश्वविद्यालय में लगी है, कल उदयपुर

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)
की गली-गली में लगेगी। आपको न्याय देना पड़ेगा। बालक की गलती है तो उसको सन्तुष्ट करना पड़ेगा। उसकी गलती है तो उसको एक साल के लिए नहीं, बल्कि पांच साल के लिए निकाल दिया जाये। लेकिन बिना गलती के इस तरह से नहीं दबायें। चाकू दिखाने वाला दस मिनट में अपना रिजल्ट लेकर चला जाये, तो यह कैसे बर्दाश्त किया जायेगा? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जांच करवा लीजिए। इसमें गलती पुलिस की नहीं है, बल्कि वाइस-चान्सलर की गलती है। आज भी वहां आग सुलग रही है, लड़के एक कॉलेज से दूसरे कालेज में भाग रहे हैं और पुलिस उनका पीछा कर रही है। गुण्डागर्दी हो रही है। मैं चाहता हूं कि वाइस-चान्सलर को बुला लीजिए। उनसे कहिये कि आप यहां बिराजे रहिये। उनसे बात की जाये जिससे उदयपुर में अशान्ति नहीं रहे।

आपने मुझे समय दिया, जोश में कुछ ऊटपटांग बात कह दी हो, तो मैं क्षमा चाहता हूं। मेरी मांग है कि वाइस-चान्सलर को यहां से हटाया जाये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : बिना ऊट-पटांग के समझेंगे नहीं।

एक माननीय सदस्य : Vice-Chancellor should be removed.

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : वाइस-चान्सलर को हटाने वाली बात पर कह रहे हैं क्या?

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) : जो भी है, मैं आपके सामने पेश कर दूंगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : गृह मंत्रीजी से विश्वविद्यालय का कोई संबंध नहीं है। शिक्षा मंत्रीजी से कहा जाये।

श्री रघुनन्दन व्यास : Vice-Chancellor should be removed.

श्री सम्पतराम : आप सुन लीजिए, सरकार का ही जवाब है।

अध्यक्ष महोदय, उदयपुर विश्वविद्यालय मे दिनांक 4 नवम्बर, 1978 को हुई घटना का विवरण इस प्रकार है :

उदयपुर विश्वविद्यालय के द्वितीय वर्ष वाणिज्य के छात्र अशोक कुमार चौहान द्वारा परीक्षा में अनुचित तरीके अपनाने के फल-स्वरूप विश्वविद्यालय में उनकी परीक्षा निरस्त करते हुए उनका परीक्षाफल घोषित नहीं किया। इस पर छात्र अशोक कुमार ने विश्वविद्यालय प्रशासन एवं जिला अधिकारियों को लिखित सूचना दी कि अगर उनका परीक्षाफल दिनांक 4 नवम्बर, 11 बजे तक घोषित नहीं किया तो वह उस रोज दिन में 1 बजे कुलपति कार्यालय के समक्ष आत्मदाह कर लेंगे। कुलपति ने भी इस बात की सूचना जिला प्रशासन को देते हुए दिनांक 4 नवम्बर को विश्वविद्यालय परिसर में उचित पुलिस व्यवस्था करने हेतु लिखा, जिस पर परिसर में पुलिस प्रबन्ध किया गया तथा नगर दंडनायक एवं उप-अधीक्षक, पुलिस स्वयं उपस्थित रहें। कुलपति ने छात्र अशोक कुमार व कुछ अन्य छात्र नेताओं को वार्ता हेतु आमंत्रित किया। जिस पर

(श्री सम्पत राम)
तीन छात्र नेता उनसे बातचीत करने उनके कार्यालय में गये । कुलपति ने छात्रों को समझाया कि वह अपना आवेदन-पत्र विश्वविद्यालय की एकेडेमिक कौंसिल के समक्ष प्रस्तुत करें । छात्र उप-कुलपति के साथ हुए वार्तालाप से संतुष्ट नहीं हुए और कुलपति को उनके कार्यालय से बाहर ले आये, जहां करीब 400-500 अन्य छात्र हाथों में लोहे के सरिये एवं स्टिक आदि लिये उत्तेजनात्मक नारे लगा रहे थे ।

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : बन्दूकें और कह दो ।

श्री सम्पतराम : छात्रों ने कुलपति के बाहर आते ही उन्हें घेर लिया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया, सीढ़ियों से धक्का दिया । दुर्व्यवहार में चांटे आदि मारे हैं ।..

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : गोलियों से मारा है, चांटों की बात कह रहे हैं ?

श्री सम्पत राम : मौके पर उपस्थित पुलिस अधिकारियों एवं नगर दण्डनायक ने कुलपति को बचाने का प्रयत्न किया जिस पर उत्तेजित छात्रों ने पुलिस पर हमला कर दिया और पथराव भी किया जिससे कई पुलिस कर्मचारियों के चोटें आईं । स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर उपस्थित नगर दण्डनायक ने छात्रों के मजमें को मजमा खिलाफ कानून घोषित करते हुए तितर-बितर हो जाने हेतु चेतावनी दी । मगर कई बार चेतावनी के बावजूद विद्यार्थी नहीं हटे और हिंसात्मक कार्यवाही करते रहे । उन्होंने फर्नीचर में आग लगा दी तथा विश्वविद्यालय सम्पत्ति की तोड़ फोड़ करने लगे । इस पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु नगर दण्डनायक के आदेश पर पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग किया गया । और कुलपति को छात्रों के घेरे से निकाल कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया ।

छात्रों की क्रुद्ध भीड़ ने विश्वविद्यालय कार्यालय में कार्य कर रहे कर्मचारियों को कार्यालय से बाहर निकाल कर कुलपति कार्यालय पर कब्जा कर सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया । कार्यालय पर अपना ताला लगा दिया ।

छात्रों द्वारा पथराव व हमला करने से करीब 22 पुलिस कर्मचारियों को चोटें आई स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण है । शांति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु सभी प्रबंध कर लिये गये हैं ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मुझे बड़ा दुःख है कि हमारी सरकार जैसी अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट आती है, पढ़ कर सुना देती है । किसी भी लड़के के हाथ में लाठी नहीं थी । पुलिस का लाठी चार्ज हुआ तब वे भागने लगे तो पीछे से पुलिस ने पत्थर भी फैंके । किसी भी बात को तोड़-मरोड़ यह कह देना बिलकुल उचित नहीं है । मैं उदयपुर की घटना के बारे में कहता हूं कि उदयपुर के विद्यार्थियों का दोष नहीं था उनको जबरदस्ती आग में धकेला गया । पुलिस ने पत्थर फैंके हैं । जिस गाड़ी से वी. सी. गया था उस गाड़ी से बराबर पुलिस पत्थर फेंकती रही । अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप किसी भी व्यक्ति को भेज दीजिये । वह जाकर जांच करे । जिन्होंने आंखों देखी सारी घटना कही है उन्होंने कतई नहीं कहा कि छात्रों के पास लाठी और छड़ियां थीं । यह सरकार के बयान में लाठी छड़ियां

(श्री गुलाबचन्द कटारिया) कहां से पैदा हो गई। मैं ऐसा मानता हूं कि पुलिस ने जो कुछ किया केवल वी. सी को बचाने के लिये किया।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

ये उनके साथ न्याय नहीं करना चाहते जिन लोगों ने लाठियों और छड़ियों की बात कहीं है अगर गलत है तो उनको पनिशमेंट मिलना चाहिये। सरकार को गुमराह करते हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : जिस प्रकार का जवाब दिया है इससे मुझे शर्म महसूस होती है। जिस व्यवस्था के खिलाफ चुनाव लड़ कर हम लोग यहां पर आये हैं, उसी लाइन पर हम चल रहे हैं। मुझे दुःख है। किसी मंत्री को वहां क्यों नहीं भेजा ? यह रिपोर्ट एफ. आई. आर. की रिपोर्ट है। वह पढ़ कर सुना दी।

श्री सम्पत राम : यह नहीं मानते कि वी. सी. को बाहर निकाला ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : पहले क्यों नहीं बुलाया गया ?

(व्यवधान)

लाठियां दिखलाई। इस तरह के लोग बैठे हैं।

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : आन ए पाईंट आफ इन्फार्मेशन, सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है . . .

(व्यवधान)

विद्यार्थियों का जीवन बरबाद करना चाहते हैं। पुलिस की मदद से अपनी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं . . . .

एक माननीय सदस्य : गृह मंत्रीजी इस रिपोर्ट पर अपना अफसोस जाहिर करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : विद्यार्थियों के पास लाठियां और डंडे नहीं थे . . . .

श्री रघुनन्दन व्यास: विद्यार्थियों का जीवन बरबाद किया। वी. सी. को उदयपुर विश्वविद्यालय में नहीं रखना चाहिये। उनके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करें। शिक्षा मंत्रीजी यह बतायें कि क्या वे विद्यार्थियों के खिलाफ हैं, क्या शिक्षा के खिलाफ हैं ? क्या राजस्थान सरकार यह सब कुछ चाहती है ? अगर नहीं चाहती है तो इसकी जांच करवाई जाये। यह जिन अधिकारियों की रिपोर्ट है उनको बदला जाये। उन अधिकारियों के खिलाफ, जिन्होंने राज्य सरकार को गलत रिपोर्ट दी है, कार्यवाही कीजिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बोल चुके हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इसकी रिपोर्ट में है कि 22 पुलिस कर्मचारियों को चोटें लगीं। किसी विद्यार्थी को चोट नहीं लगी। जो विद्यार्थी अस्पताल में भर्ती हुए वह क्यों भर्ती हुए हैं। इससे सत्यता प्रकट होती है कि किस तरह से बायस होकर आपने यह रिपोर्ट दी है।

श्री नूरा : यह सही कहते हैं। आप अलग से जांच करवाने को तैयार हैं ? अलग

Page No 55

(55)

(श्री नूरा)
से जांच नहीं करवाना चाहते तो इसका मतलब है कि जो कुछ हुआ है उसको आप छुपाना चाहते हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हमें तकलीफ नहीं, हमारी बात नहीं मानी जाती। एक एक महीने से हमारी पुलिस बैठी है।

श्री ईश्वर चन्द : अध्यक्ष महोदय, जब पूरा विवरण दिया गया, उसके बाद गृह मंत्री-जी को इस तरह का वक्तव्य नहीं देना चाहिये था। घटना की जांच की बात कहते हैं। छात्रों पर दोषारोपण करना और पुलिस की लिखी हुई रिपोर्ट को पढ़ना गलत है।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री गोविन्द सिंह।

श्री गोविन्दसिंह शक्तावत (कुम्भलगढ): पुलिस द्वारा जो रिपोर्ट दी जाती है वह मंत्री महोदय पढ़ देते हैं। यूनिवर्सिटी की चार तारीख की जो घटना है इसके बारे में पुलिस की रिपोर्ट है कि 300, 400 या 500 विद्यार्थी थे। इतने बड़े सरकारी अधिकारी सही अनुमान नहीं लगा सकते।

दूसरी बात यह सही है कि आर. ए. सी. के जवान लाठियों से लस थे। उप-कुलपति को निवेदन करने के बाद जब आत्मदाह की धमकी दी तो क्यों नहीं उसको हिरासत में लिया गया? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि न वहां पर कलेक्टर था, न कोई एस. पी. था।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं उदयपुर सिटी के कई पुलिस स्टेशनों पर न कोई टेलीफोन की व्यवस्था है, न कोई वायरलेस की व्यवस्था है ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया आप स्थान ग्रहण करें।

श्री गोविन्दसिंह शक्तावत : इस प्रकार की गलत रिपोर्ट माननीय मंत्री महोदय द्वारा सदन में पढ़ी जाती है तो हम लोगों के लिये शर्म की बात है।

(व्यवधान)

मूल कारण यह है कि विद्यार्थियों के सामने आकर बात नहीं कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब चर्चा नहीं होगी। सरकारी उत्तर सुन लीजिये। शिक्षा मंत्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा (शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो तथ्य प्राप्त किये गये थे और जो सूचना का आधार है वह गृह मंत्रीजी ने पढ़ कर सुनाया है...

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी (मावली) : क्या इस आधार को सही मानते हैं? आप अपनी बात बता दीजियेगा। उसको तो हम कन्डेम कर चुके हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप मेरी बात सुन लें तभी तो पता लगेगा कि क्या कह रहा हूं।

(व्यवधान)

इस घटना की जानकारी के बाद मैंने और उन्होंने कल से जो वहां के स्थानीय नेता हैं

J8

(श्री भंवरलाल शर्मा)
कार्यकर्त्ता हैं, उनसे सम्पर्क किया। भाई गुलाब चन्द जी कटारिया से भी सम्पर्क करने की कोशिश की थी....

श्री गोविन्दसिंह शक्तावत : आपने लाठी-चार्ज होने के बाद सम्पर्क करने की कोशिश की है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, उसके बाद ही कोशिश की है, पहले तो पता ही नहीं था।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप हमको बता दीजिये कि इस समस्या को हल करने जा रहे हैं क्या ?

श्री भंवरलाल शर्मा : या तो आप बोल लीजिये या मुझे बोलने दीजिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप बोलिये..

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : बोल रहा हूं, चिन्ता मत करिये। कोई छिपाने की बात नहीं है।

हम खुद सम्पर्क करना चाहते हैं लेकिन हमारी मुलाकात नहीं हुई है। आप इस जानकारी को मानते हैं कि जानकारी सही नहीं है, यह राय बहुत से एम. एल. एज. की हो सकती है तो आप समय निकाल कर मेरे साथ बैठ जायं। जो आप कहेंगे, उस पर विचार किया जा सकता है। इसमें कोई छिपाने की बात नहीं है।

(व्यवधान)

श्री गोविन्दसिंह शक्तावत : जब आप यह मानते हैं कि जो वह रिपोर्ट आई है वह ठीक नहीं है और विश्वास नहीं करते हैं तो बैठकर विचार करना चाहिये। इसमें फिर और कौनसी बात आती है, वह यहां बता दीजिये . . .।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं आमंत्रित करता हूं, चार बजे बैठ जाइये। बैठकर चर्चा कर लेते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब इस बारे में चर्चा नहीं होगी।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : सवाल एक बात का है ....

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। आपका अधिकार था, जो सुनाना था, वह सुना दिया। माननीय मंत्री महोदय से बातचीत कर लीजिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर: शिक्षा मंत्री-जी ने कहा है बैठकर बात कर लीजिये कौन-कौन बैठेगा, कौन-कौन नहीं बैठेगा ? जो विश्व-विद्यालयों की स्थिति है ......

(व्यवधान)

इस समस्या को हल करिये कि हमारी यूनिवर्सिटीज पुलिस का क्षेत्र नहीं बनें।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय अध्यक्ष महोदय, तारीख 28 के दिन प्रातः 5-00 बजे पांच हजार मजदूर जो कई दिनों से इस व्यवस्था के खिलाफ, बोनस के मामले को लेकर, बिना किसी पार्टी से संबंध रखते हुए हड़ताल पर थे, हरि भजन कर रहे थे...

एक माननीय सदस्य : हरि भजन ?

श्री मूलचन्द डागा : हां, जहां कैम्प था उनका

(श्री मूलचन्द डागा)

वहां बैठे हुए थे और सब हरि भजन कर रहे थे। उस समय पाली के अन्दर मैं भी था। पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। कम से कम एक सौ मजदूर घरों में थे उनके घरों में घुस कर उन पर व उनकी औरतों पर पुलिस ने लाठियों के प्रहार किये। यहां तक लाठी प्रहार किया है कि उनकी औरतों को और उनको घायल कर दिया है। मैं उनके कुछ कपड़े सदन में रखना चाहता हूं। ये खून से रंगे हुये कपड़े है। अधिक कपड़े तो ला नहीं सकता था, क्योंकि सदन में लाने नहीं देते.....

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : ये कपड़े इस बात का प्रमाण है कि पाली में क्या हुआ है? माननीय सदस्य यदि कपड़े पेश करते हैं तो यह उनको अधिकार है।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : इस प्रकार 100 मजदूरों को पीटा गया। उनको अस्पताल में भर्ती किया गया है। यह रिपोर्ट नहीं बनी कि किस कारण पीटा गया है। समाज में अन्याय और शोषण के खिलाफ यदि मजदूर अंहिसात्मक तरीके से आन्दोलन करते हैं तो आन्दोलन करने वाले लोगों के प्रति सरकार का इस प्रकार का रवैया है, प्रशासन का इस प्रकार का रवैया है तो मेरे ख्याल से बड़े शर्म की बात है। करोड़ों और अरबों की पूंजी पड़ी है। श्रम मंत्रीजी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और गृह मंत्रीजी से प्रार्थना करता हूं बोनस के मामले में जो रिपोर्ट है उसको न मानते हुए उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, उनकी आमदनी को देख कर 15 पर्सेन्ट का आपने जो हुक्म दिया था उसको नहीं मान रहे हैं। उस आधार को न मान कर न मजदूरों को बुलाया, न मुझे बुलाया जैसा कि आपने कहा था। धारा 144 बिना लगाये, बिना घोषणा किये इस प्रकार का जो जुल्म किया है, पाली की धरती पर, सुबह के समय में और जो मजदूरों के चोट लगी है वह शर्मनाक है। उसके बावजूद महाराजा उम्मेद मिल का मैनेजमेंट और श्रम विभाग उनको चार्ज शीट देता है उनको नौकरी से अलग करता है, इस प्रकार की अन्याय और दमन की नीति यह सरकार अपना रही है। मैं जब आया तो मालूम हुआ, जुल्म हो रहा है। मैं बार-बार कहूंगा, श्रीमती उजला अरोड़ा और श्रीमान गिरधारी लालजी भार्गव और कई विधायक, माधोसिंह जी इन सबको मालूम है कि यह कोई पार्टी का सवाल नहीं था। मेरा निवेदन है कि शोषण से की हुई कमाई की, जो महाराजा उम्मेद मिल के श्री बांगड़ ने की है, जांच कराई जाय और मजदूरों को उनके अधिकार दिये जायें।

पुलिस, प्रशासन और धनवान लोगों के बीच गठबन्धन के कारण मजदूरों का शोषण हो रहा है। उनके खिलाफ आप क्या करने जा रहे हैं? उस पूंजीपति के कहने से वहां के प्रशासन ने सरकारी कर्मचारियों ने गठबन्धन करके उन पर अत्याचार किया है। मैं ये कपडे सदन की मेज पर रखता हूं, इनकी जांच की जाय। इसकी इन्क्वायरी की जाय कि किस प्रकार का उनके साथ दमन हुआ है, अत्याचार हुआ है? यह बात कह कर ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, इस पर मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव दिया हुआ है। उस पर बोलने के लिए मुझे भी आप दो

(श्री कौशल किशोर जैन)
मिनट का समय दीजिए। मेरा स्थगन प्रस्ताव दिया हुआ है. . . .

श्री **अध्यक्ष** : किस सम्बन्ध में ?

श्री **कौशल किशोर जैन** : इसी बारे में। पाली में 28 तारीख को पुलिस ने जिस नृशंसता से अत्याचार किया. . . .

श्री **अध्यक्ष** : श्री डागाजी ने जिसकी चर्चा की है ?

श्री **शंकरलाल** : उसी बारे में मेरा भी स्थगन प्रस्ताव है।

श्री **कौशल किशोर जैन** : जी हां, उसी बारे में मेरा भी है।

श्री **अध्यक्ष** : आपने अभी दिया है, मैं उसको स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री **शंकरलाल** : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है।

श्री **माधोसिंह कछवाह** : दो-दो मिनट का समय दे दिया जाय, अध्यक्ष महोदय।

श्री **कौशल किशोर जैन** : जो कुछ पाली के अन्दर हुआ है उसके बारे में मुझे बोलने का अवसर दिया जाय।

श्री **अध्यक्ष** : आप पहले बोल लीजिए, फिर शंकरलाल जी बोल लें।

श्री **शंकरलाल** : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो स्थगन प्रस्ताव है। श्री कौशल किशोर-जी के साथ आपने मेरा नाम पुकारा है।

श्री **अध्यक्ष** : I am sorry.

श्री **शंकरलाल** (जैतारण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाली में जो यह घटना हुई उस वक्त दुर्भाग्य से मैं भी अस्पताल में था मेरी पुत्री की बीमारी के कारण। अस्पताल के सामने मजदूर नारे लगाते हुए आए और बहुत बड़ा हजूम इकट्ठा हुआ। कई लोगों के हाथ पांव टूटे हुए थे, उन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया। जब मैंने उनसे पूछा तो ज्ञात हुआ कि उस रोज दीपावली का त्यौहार था। जनता पार्टी की सरकार ने, उसकी पुलिस और वहां के प्रशासन ने, आर. ए. सी. आदि सब ने मिल कर यह उपहार मजदूरों को दिया है। मजदूरों को ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, राह चलते हुए लोगों को, आम नागरिकों को पुलिस ने पीटा है। स्थगन प्रस्ताव में बताया गया है कि हड़तालियों पर लाठी-चार्ज हुआ, मुझे इस पर भी आपत्ति है। केवल हड़ताली मजदूरों पर ही नहीं, आम नागरिकों और राहगीरों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, औरतों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, घरों से खींच खींच कर उनको बुरी तरह से पीटा गया उनको घसीटा गया और बेइज्जत किया। इस जनता पार्टी के राज पर यह एक ऐसा धब्बा है, ऐसा कलंक है पाली के इतिहास में जो कभी मिटाये नहीं मिटेगा। मुझे अफसोस है, अध्यक्ष महोदय, कि पाली मिल जहां है वहां आम सड़क चलती है, जहां से जोधपुर और पाली का आम रास्ता है। चारों तरफ नाकेबन्दी करके धारा 144 लगाई गई, यह बिल्कुल गलत है। केवल ऐलान किया गया। यह इतनी झूठी सरकार है। अधिकारियों के द्वारा ऐलान किया जाता है कि धारा 144 लगाई जा रही है जब कि धारा 144 लगाई ही नहीं गई। लोग होटलों में बैठे हुए थे। काशीराम नाम का व्यक्ति, जो राहगीर था, मजदूर नहीं था, को पीटा गया यह मैंने देखा है। औरतों को

Page No 59

[redacted]

59

(श्री शंकरलाल)

घरों में से बाहर खींचा गया और घसीटा गया। इस सारी घटना के जिम्मेदार कौन हैं ?

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि आप घण्टी बजाना चाहते हैं।

मैं सरकार को इसके लिये जिम्मेदार ठहराना चाहता हूं। गृह मंत्री यह कहेंगे कि तीन यूनियनों ने फैसला कर दिया। झगड़ा बोनस का था। तीन यूनियनों ने पैसा ले लिया तो उसके बाद हड़ताल पर क्यों रहे ? प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न यह है कि जब आप यह कहते हैं कि हड़ताल गैर कानूनी थी तो फिर आपने आज ट्रिब्यूनल को रेफर क्यों किया ? आपने जब लाठीचार्ज किया, अश्रु गैस और गोली चलाई और हड़ताल को गैर कानूनी कहते हैं तो फिर ट्रिब्यूनल में रेफर क्यों किया ? पहले ही क्यों नहीं रेफर कर दिया ? आप एक तरफ तो कहते हैं कि मजदूरों को जाने नहीं दिया, सीटू और सी. पी. एम. ने जाने नहीं दिया। जब स्वयं पांच सौ आदमी आए और उन्होंने कहा कलेक्टर और एस. पी. से कि हम अन्दर जाना चाहते हैं तो कलेक्टर और एस. पी. कहते हैं कि हम जाने नहीं देते, क्योंकि मजदूरों का सवाल है, इसलिये आप मत जाइये। उसी समय मिल की नाकेबन्दी करके उनको हड़ताल के लिए प्रोत्साहित किया। सी. पी. एम. के नेता मोहन पूनमिया ने चार्ज लगाया है कलेक्टर और एस. पी. पर किये जनसंघ के और आर. एस. एस. के हैं। जब लाठीचार्ज हुआ और जब यह घटना हुई तब मालूम हुआ कि ये कांग्रेस के नहीं हैं। इन लोगों को प्रशासन का किसी बात का अनुभव नहीं है। आपको इस बात का ताज्जुब होगा, अध्यक्ष महोदय, लोग कहते हैं, पत्रकार कहते हैं कि पाली में तो मुन्ना-पप्पू का राज है। जो स्कूल से निकले हुए लड़के हैं। चाहे कोई आई. ए. एस. हो या आई. पी. एस. हो, उनको कोई अनुभव नहीं है। उन्होंने पहले तो लोगों को जाने नहीं दिया मिल में, और बाद में कहते हैं कि सरकार का आर्डर आ गया कि इनको हटा दो। लोग भूख हड़ताल कर रहे थे उनको बन्द कर दिया। मेरी पुत्री रहती है 9 नम्बर में और मैं रहता हूं 8 नम्बर में। मैंने देखा है कि किस तरह से लोगों को बन्द करके फिर लाठीचार्ज किया। सरकार, इस घटना के लिये जिम्मेदार है। आपकी पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने यह स्थिति पैदा की है। क्यों नहीं आपने पहले ही कह दिया कि यह गैर कानूनी हड़ताल थी ? क्यों पहले उनकी नाकेबन्दी होने दी ? अगर हड़ताल गैर कानूनी थी तो आपने क्यों ट्रिब्यूनल को रेफर किया ? यह सब सरकारी आदमियों ने मिल कर किया है, उनकी साजिश है। उन लोगों ने अस्पताल वालों से मिल कर साजिश की। घायल आदमियों को अस्पताल में भर्ती नहीं करने दिया। कलेक्टर और एस. पी. ने मिल कर लोगों को अस्पताल में भर्ती नहीं रहने दिया। एक खोमचे वाले अकेले आदमी, जिसके पैर की हड्डी टूट गई थी, को पट्टी करके घर भेज दिया। उसने कहा कि मुझे अस्पताल में रहने दीजिए, लेकिन अस्पताल में संख्या नहीं बढ़ाने और अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या कम बताने के लिए उनको अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? क्या यह सरकार के कहने से किया गया या कलेक्टर एस. पी. ने मिल कर किया है ? हमने

(श्री शंकरलाल)

मांग की है कि इसकी न्यायिक जांच हो। यह भी मांग है कि जिन अधिकारियों की रेस्पांसिबिलिटी हो उनको निलम्बित किया जावे, और उनके खिलाफ एक्शन लिया जावे।

अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्य मंत्री कह रहे थे कि हम आरोप लगा रहे हैं। हम आरोप नहीं लगाते लेकिन आपको मालूम है कि जब यह घटना हुई और बाजार में जुलूस निकला, लूले-लंगड़े, हाथ पांव टूटे हुए लोगों का, मरीजों का जुलूस निकाला और बाद में पब्लिक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में भारतीय मजदूर संघ जिसका जनता पार्टी से ताल्लुक रहता है, चार्ज लगाया कि सरकार ने मिल मालिक से रुपया लेकर चिकमंगलूर भेजा है। उन्होंने चार्ज लगाया है कि आप भ्रष्ट हैं, आपकी सरकार भ्रष्ट है। कलेक्टर और एस.पी. की जांच करवायें। यह आपके कलेक्टर और एस. पी. हैं जिन्होंने जनता के साथ इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार किया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

ये सरकारी अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है। आप क्या त्यागपत्र देने की स्थिति में हैं? या तो माननीय गृह मंत्री त्याग-पत्र दें, श्रम मंत्री त्याग-पत्र दें या इन सारी बातों की जांच करायें।

(व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री **शंकरलाल** : अध्यक्ष महोदय, यह एसी घटना है जिसकी न्यायिक जांच करानी चाहिए ...

श्री **अध्यक्ष** : बहुत हो गया, माननीय सदस्य।

श्री **रघुनन्दन व्यास** (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव पर मेरे भी दस्तखत हैं। यह सेंटीमेंट का प्रश्न है कि किस प्रकार से मजदूरों को जान बूझ कर उन पैसे वालों ने पुलिस से मिल कर पिटवाया है ...

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : अंकित नहीं हो।

श्री **रघुनन्दन व्यास** : × × ×

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, अनुशासन भी कोई चीज है।

(व्यवधान)

श्री **रघुनन्दन व्यास** : × × ×

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्यों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं सरकार से यह निवेदन करता हूं कि 48 घन्टे में इस समस्या के बारे में उत्तर दें।

श्री **नूरा** : पाली की घटना का ही सवाल नहीं है ...

(व्यवधान)

श्री **बालकृष्ण थानवी** (फलौदी) : पुलिस ने जघन्य अपराध किया है।

××× अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्री खंगारसिंह (खारची) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से पाली में···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें ।

श्री खंगारसिंह : जिस प्रकार की घटना पाली में हुई है···

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो ।

श्री खंगारसिंह : × × ×

श्री कौशल किशोर जैन : पाली में 28 तारीख को जो कुछ हुआ है, बड़े दुख के साथ मैं यह कह रहा हूं कि सरकार पर यह एक कलंक है ।

एक माननीय सदस्य : यह आपके ऊपर भी एक कलंक है ।

श्री कौशल किशोर जैन : मेरे ऊपर भी है, यह मैं स्वीकार कर रहा हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय श्रम मंत्री महोदय को 9 सितम्बर से बोनस की मांग को लेकर महाराजा उम्मेद मिल पाली के 6 हजार मजदूर हड़ताल पर थे । मैं पूछना चाहूंगा उनका समझौता अगर वैध था तो उसमें 3 हजार मजदूर शामिल क्यों नहीं हुए ? सभी मजदूरों के साथ समझौता कराया जाय । 18 अक्टूबर को भारतीय मजदूर संघ ने हड़ताल का आह्वान किया । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसके बाद श्री ओंकार लाल शर्मा भूख हड़ताल पर बैठे । एक महीना हो गया, पाली के लोग मेरे पास आये थे । मैंने मुख्य मंत्रीजी को निवेदन किया, श्रम मंत्रीजी को भी निवेदन किया किन्तु कोई ध्यान नहीं दिया गया । 28 के पहले 27 तारीख को मैंने निवेदन किया । डागाजी ने निवेदन किया कि पाली की स्थिति ठीक नहीं है, अशान्त है, वहां का प्रशासन पाली के मजदूरों के साथ न्याय नहीं कर पा रहा है । मेरे निवेदन पर माननीय मुख्य मंत्रीजी, गृह मंत्रीजी और श्रम मंत्रीजी ने ध्यान दिया होता तो जो कुछ पांच बजे प्रातःकाल पाली में हुआ वह नहीं होता । अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगा सरकार से कि क्या लाठी गोली की सरकार चलती रहेगी ? पाली में यह घटना हुई, उसमें 100 लोगों के चोटें आईं । वे कोई तोड़-फोड़ नहीं कर रहे थे । अगर सरकार कहती है कि हमने जो 28 तारीख को बात की, बात अगर पहले कर लेते, मामला ट्रिब्यूनल को सौंप देते तो यह नौबत नहीं आती । एक महीने से ओंकार लाल शर्मा भूख हड़ताल पर थे, उनकी पत्नी 15 दिन से भूख हड़ताल पर थी । उनको मरते देख कर, अस्पताल ले जाने वाली बात से पुलिस का ढंग बोलता है । एक महीने से ओंकार लाल भूख हड़ताल पर थे, उनकी पत्नी भूख हड़ताल पर थी, 10-15 उनके समर्थन में भूख हड़ताल पर थे । उनके टेन्ट को 4 बजे प्रातःकाल फाड़ दिया गया । मजदूरों पर लाठी प्रहार किया गया । क्या मामला पहले ट्रिब्यूनल में नहीं ले जाया जा सकता था ? मेरा स्पष्ट आरोप है कि वहां के मैनेजर, मिल के मालिक हैं उन्होंने मिल में फूट डलवाने के लिये यह षड़यंत्र किया । 8 प्रतिशत या 10 प्रतिशत बोनस का सवाल नहीं है, समझौता सभी मजदूरों को मान्य होना चाहिये था ।

××× अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया ।

(श्री **कौशल किशोर जैन**)

28 तारीख की घटना के लिये वहां के कलेक्टर जिम्मेदार हैं। कलेक्टर कहते हैं डी. एस. पी. जिम्मेवार हैं, डी. एस. पी. कहते हैं एस. पी जिम्मेदार हैं और एस. पी. कहते हैं कलेक्टर जिम्मेदार हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि कलेक्टर को तुरन्त निलंबित किया जाय

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

100 से अधिक मजदूरों पर मुकदमें कायम किये गये हैं। उनके मुकदमें हटाये जायें जांच की जाय, और उन लोगों को राहत पहुंचाई जाय। उनके हाथ पांव तोड़ दिये गये हैं। पाली का अस्पताल इसका प्रमाण हैं। कागजात प्रमाण हैं। पहले भी सरकार भीलवाड़ा में इस प्रकार कर चुकी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा श्रम मंत्री महोदय, आपके 20 साल मजदूरों में बीते हैं। लाठी गोली के बल पर आप मजदूरों को दबा नहीं पायेंगे। आप जांच करा कर जनता पार्टी पर लगे इस धब्बे को धोयें। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

श्री रामकरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने अभी बताया, वहां के पूंजीपतियों ने कहा बताया कि उन्होंने पैसा दिया है इसलिये यह कार्यवाही करा रहे हैं। क्या कोई पूंजीपति आज मजदूरों को पीटने के लिये पैसा दे सकता है, किसानों को पीटने के लिये पैसा दे सकता है, मार्केट में गरीबों को पीटने के लिय पैसा दे सकता है? विधान सभा में ऐसी बात माननीय सदस्य ने कही है इस पर आप व्यवस्था दें, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मैंने 24 घंटे में उत्तर देने को कहा है। उत्तर के बाद में छूट दूंगा चर्चा करने की। यह एक गंभीर विषय है, मैं अनुभव कर रहा हूं।

श्री केदारनाथ (श्रम मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, शंकरलाल जी ने और कई सदस्यों ने पाली मिल में भूख हड़ताल के बारे में चर्चा की। मेरा निवेदन है कि बोनस फार्मूले के तहत जब यह डिस्प्यूट मेरे पास आया तो वहां के जो तीन पुराने संगठन हैं और जिनके साथ 99 प्रतिशत मजदूर हैं – इंटक, सीटू और भारतीय मजदूर संगठन, उन तीनों संगठनों ने मेरे को यह चिट्ठी-तार दिया। अध्यक्ष महोदय, बोनस के फार्मूले के तहत एक्सपर्ट्स से एग्जामिन कराया गया..

श्री रघुनन्दन व्यास : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने 3 संगठनों का नाम लिया। पिछले 20 वर्ष से भारतीय मजदूर संघ का वहां एक भी व्यक्ति नहीं। इस प्रकार के वक्तव्य को मैं आपत्तिजनक मानता हूं। इसलिये पॉइन्ट ऑफ इन्फार्मेशन के द्वारा कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय ने झगड़ा पैदा किया....

श्री कौशल किशोर जैन : 99 प्रतिशत मजदूर उनके साथ हैं, यह सरासर झूठ है।

श्री मूलचन्द डागा : वहां 5 हजार मजदूर एक थे यह भी मान लिया, लेकिन, Who was that expert who examined the report? I want to know that. Please put up that report on the table of the House. You are not an expert. Who was that expert? Please tell us and put up that report on the table of the House.

श्री अध्यक्ष : मेरा नम्र निवेदन है कि माननीय सदस्यों की उग्रता को देखते हुए, माननीय सदस्यों ने जो आपत्ति सदन के समक्ष रखी है उसे देख कर, विचार-विमर्श करके, सोच समझ कर अपना उत्तर दें।

श्री मूलचन्द डागा : Please tell me who was that expert ? You are challenging us. It is unwarranted and undesirable. You must support your arguments with documents. Where are the documents ? You should not tell such thing which are not correct.

श्री केदारनाथ शर्मा : यह क्या मतलब हुआ कि आप बोल देते हैं और हमें बोलने न दें।

श्री माधोसिंह कछवाह : आप पूरा उत्तर दे रहे हैं क्या ? वहां पर लोगों पर हमला हुआ है। 5 हजार मजदूरों ने 15-20 दिन तक हड़ताल रखी है। आप उत्तर दें तो पूरा उत्तर दें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : जनता पार्टी की फूट सामने आ गई।

श्री रघुनन्दन व्यास : क्या फूट सामने आ गई। कोई फूट नहीं है। अगर मंत्री महोदय के पास करेक्ट इन्फार्मेशन नहीं आती है तो हमें करेक्ट करने का हक है।

श्री केदारनाथ : अध्यक्षजी, मैं निवेदन कर रहा था कि फार्मूला जो बोनस का है 55 के ट्रिब्यूनल का, जो एवार्ड है, स्ट्रिक्टली लेटर आफ स्प्रिट्स को मानते हुए केवल लास्ट 8.33 का बोनस बनता था। जब तीनों यूनियन्स ने मेरे ऊपर फैसला छोड़ दिया तो वहां की पैदावार को देखते हुए, प्रोडक्टिविटी, प्राफिट और सारी बैलेन्स शीट को देखने के बाद लेबर डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स से राय करते हुए 6 लाख एडिशनल बोनस का रखा है।

अध्यक्ष जी, तीनों संगठनों के हस्ताक्षर किये हुए हैं आपने कहा कि भूख हड़ताल पर बैठे हुए भाइयों से बात करें तो मैंने जोइन्ट लेबर कमिश्नर को भेजा है। जब तीनों संगठनों के दस्तखत हो गये फिर उन्होंने कहा कि हम 15 पर्सेन्ट से कम बोनस नहीं लेते हैं। जब तीनों संगठनों ने दस्तखत कर दिये और सारे लोगों में बोनस बंट गया, तब किसी भी एक वर्कमैन ने यह नहीं कहा कि हम बोनस नहीं लेते हैं। 5 हजार वर्कमैनों ने बोनस लिया है और खुशियां मनाई हैं। लोगों में बोनस बंटा है। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय डागाजी मेरे पास आये...

श्री रघुनन्दन व्यास : Why wrong information, Sir. जब भूख हड़ताल चल रही थी तो माननीय मंत्री स्वयं मिल सकते थे। उनको आप जानते थे जो आपके साथ जेल में मौजूद थे।

श्री केदारनाथ : इससे पहले तीनों संगठनों ने बोनस के नाम पर हड़ताल का नारा दिया। दो दिन तक कम्प्लीट स्ट्राइक रही। जो भाई, संगठनों के, भूख हड़ताल पर बैठे थे उनको मैंने दो बार बुलाया था पर्सनली, लेबर कमिश्नर के चैम्बर में बुलाया और बातचीत की। अध्यक्षजी, मुझे बड़ा अफसोस है कि जो भाई हड़ताल पर बैठे हैं उन्होंने मुझ से कहा कि वह हड़ताल में शामिल नहीं हैं और वे काम पर जाना चाहते हैं। मैंने एस. पी. और लेबर कमिश्नर के मार्फत कहलवाया कि मिल के फाटक खोल दो और जो भाई स्ट्राइक को तोड़कर अन्दर जाना चाहते हैं तो उनको

(श्री केदारनाथ)

जाने पर पूरा प्रोटेक्शन दे दो। दो दिन तक स्ट्राइक तीनों संगठनों ने की। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्यों से कि कोई भी वर्कमैन अन्दर नहीं गया। इन संगठनों की स्ट्राइक बोनस के नाम पर हुई थी वह स्ट्राइक कम्प्लीट थी। जो यूनियनें स्ट्राइक बोनस के नाम पर कर रही थीं उन्हें बुलाकर, चैम्बर में बैठ कर उनसे बात की। उसके पश्चात् उन्होंने स्ट्राइक तोड़ दी। मैंने 6 लाख एडिशनल बोनस का फैसला किया है। उसकी मेरे ख्याल से जो टेबल पर काम करते हैं, सब ने प्रशंसा की। यह कहा कि जो आपने फैसला किया है उसमें किसी की मर्जी नहीं थी। उनका यह कहना था कि हमारे हस्ताक्षर करायें गये तो मैंने उनको चैम्बर में एक बार नहीं दो बार बुलाया था। उन्होंने कहा कि हम आपकी बात को मानते हैं लेकिन हमें दो दिन स्ट्राइक का पैसा दे दें। मैंने उनसे कहा कि मैंने जो एवार्ड दिया है उसमें चैन्ज नहीं कर सकता हूं। और कोई मांग हो तो मैं एडजस्ट कर सकता हूं। माननीय डागाजी इसका सबूत दे सकते हैं।

माननीय अध्यक्षजी, उनको प्रोहिबिट करने का कारण यह था कि मजदूर अन्दर जाना चाहते थे। तीनों संगठनों ने समझौता किया, एवार्ड को माना, बोनस ले लिया। बोनस नहीं लेते और मेजोरिटि बोनस को नहीं लेती, उस हालत में मैं मानने को तैयार था कि बोनस के खिलाफ लोगों का रिजेन्टमेंट है, लोगों की नाराजगी है और असहमति है। इस बात का कोई इन्डीकेशन नहीं, कोई नोशन नहीं तो इसके सिवाय मेरे पास कोई चारा नहीं था। फिर भी मैंने उनको यहां पर बुलाया था और लेबर कमिश्नर को प्रोहिबिट के लिए कहने से पहले अपने चैम्बर में बुलाया था। फिर माननीय डागाजी और लेबर कमिश्नर दोनों को कहा, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि आप वहां चले जाइयें। लेबर कमिश्नर दो दिन वहां रहे और खूब प्रयत्न किया। उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, श्रम मंत्री की भी बात नहीं मानी और न एवार्ड को माना और कहा कि 15 पर्सेन्ट बोनस दो। जब मैंने एवार्ड दे दिया और बोनस फार्मुले से 6 लाख ज्यादा दे दिया और उस पर तीनों संगठनों ने दस्तखत कर दियें, और सारी बातें हो गईं तो मेरे पास सिवाय इसके और कोई रास्ता नहीं था कि प्रोहिबिट करूं।

श्री रघुनन्दन व्यास : बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि 15-20 मजदूरों की टांगें टूट गईं। उनको लूला लंगड़ा बना दिया।

श्री केदारनाथ शर्मा : मजदूर कह रहे थे, कि हम अन्दर जाना चाहते हैं। अन्दर किसलिए जाना चाहते थे? तो सरकार के पास सिवाय इसके कोई रास्ता नहीं था कि उसको प्रोहिबिट करें। उसके बाद में जो घटनाएं हुई हैं वह माननीय गृह मंत्रीजी बतायेंगे। किसी संगठन के मेम्बर को बुलाया नहीं जाय, उनसे कन्सीलियेशन नहीं किया जाय, उनको दूर रखा जाय सरकार की मन्शा ऐसी नहीं है। माननीय व्यासजी ने यह कहा.

श्री रघुनन्दन व्यास : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ इन्फार्मेशन। मैं अभी भी कहता हूं कि चौथे संगठन को न बुलाकर माननीय केदारजी, जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, ने एक भूल की है। इससे मिल मालिक को हमारे ऊपर गलत आरोप लगाने का मौका मिला है। हमने देखा है कि आप नहीं मिले।

(श्री रघुनन्दन व्यास)

मिल मालिक हम पर हावी इसलिए हुए कि आप चौथे संगठन को नहीं बुलाना चाहते थे। भारतीय मजदूर संघ से चाहे आप बायस्ड थे उसको श्रम मंत्रीजी ने नहीं बुलाकर भूल की है। उसका परिणाम यह हुआ कि 100 मजदूर लूले-लंगड़े हो गये। उनको रोटी देने का काम इस राजस्थान का अब होना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : पाली जनता मजदूर संघ एक रजिस्टर्ड संस्था है।

श्री अध्यक्ष : सरकार ने उत्तर दे दिया है।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष, माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा है कि बोनस दे दिया तो वह बोनस कहां दिया है, वह तो उधार दिया है।

श्री केदारनाथ : माननीय डागाजी, कोई भी एक्सपर्ट ले आयें, हिन्दुस्तान के और बैलेंसशीट को दिखा लें। अगर 6 लाख ज्यादा न हो, 8.33 हो तो मैं अपनी गलती स्वीकार करूंगा और एवार्ड बदल दूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : Thank you.

श्री अध्यक्ष : आधा घन्टे की चर्चा।

श्री शंकरलाल : अभी श्रम मंत्रीजी ने कहा था कि उसके बारे में माननीय गृह मंत्रीजी कहेंगे। तो क्या माननीय गृह मंत्रीजी आज ही उसके बारे में कहेंगे ?

(व्यवधान)

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, पुलिस ने जो कुछ किया है उस पर एतराज था। पुलिस ने घरों के अन्दर जा जाकर लोगों को मारा है, उसके बारे में एतराज था। लेबर का जहां तक सवाल है उसके बारे श्रम मंत्रीजी ने बता दिया। उसके बारे में कुछ नहीं कहना है। पुलिस ने लोगों पर डंडे बरसाये तो पुलिस का सवाल है। लोगों को घरों से निकाल-निकाल कर पीटा है। साइकिल पर चलते हुए बेगुनाह लोगों को पीटा है जिनका कि हड़ताल से कुछ लेना देना नहीं है। सवाल यह है कि गृह मंत्रीजी से स्टेटमेंट दिलवाइये, रास्ता चलते हुए लोगों को साइकिल से उतार-उतार कर पुलिस ने मारा है। इसके बारे में माननीय गृह मंत्रीजी आज तैयार नहीं हों तो सारी जांच करके फिर कहें, या तैयारी हो तो अभी कह दें। आपके पास जो रिपोर्ट है उसकी स्वतन्त्र रूप से जानकारी दें।

श्री मूलचन्द डागा : आप अभी देना चाहें तो इसकी चर्चा होगी। श्रम मंत्रीजी ने जो वक्तव्य दिया उसमें वह सारी बातें सामने नहीं लाई गई तो कल इस पर विचार रख लें। हमें जो अधिकार दिया है उसका फायदा उठायेंगे।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (मंत्री, संसदीय मामलात) : वह तैयार हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आप बैठे-बैठे बोलते हैं। पालियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, खड़े होकर बोलिये।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आपको दिखाई नहीं दे रहा था, मैं खड़ा हुआ हूं।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि चर्चा के लिए अवसर देंगे, इसलिए हमने कोई सवाल नहीं किया। कल आप अवसर देंगे तब हम सवाल पूछ लेंगे।

Page No 66

(66)

श्री शंकरलाल : पुलिस ने, आर. ए. सी. ने और वहां के प्रशासन ने उन लोगों के साथ जो मारपीट की है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं ? आपके ऊपर जो चार्जेज लगाये गये हैं उनके बारे में क्या जवाब है ?

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात से सदन का प्रत्येक माननीय सदस्य सहमत होगा कि जहां कहीं भी मजदूरों की हड़ताल होती है वहां मजदूरों में और मैनेजमेंट में किसी प्रकार के पेमेन्ट या बोनस की कोई भी समस्या होती है, उस सारे मामले को देखने का उत्तरदायित्व लेबर डिपार्टमेंट का है। किसी भी जगह पर, मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा, हड़ताल जब तक होती रही. . . .

श्री शंकरलाल : श्रम विभाग के कहने से आपने. . . .

(व्यवधान)

श्री सम्पतराम : माननीय शंकरलालजी, हमारी बात तो सुन लीजिये।

श्री मूलचन्द डागा : आप अपनी बात सही नहीं कह रहे हैं।

श्री सम्पतराम : मैं सही बात कह रहा हूं। आप सुनने की क्षमता रखिये।

श्री शंकरलाल : गृह विभाग कहता है कि श्रम विभाग के कहने से किया . . . .

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था सदन को, जहां मजदूरों और मैनेजमेंट में किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है वहां कानून के मुताबिक लेबर डिपार्टमेंट तय करता है लेकिन जब लेबर डिपार्टमेंट फैसला दे देता है कि हड़ताल गैर कानूनी घोषित की जाती है उसके बाद गड़बड़ होती है, तोड़फोड़ होती है तो निश्चित बात है कानून और व्यवस्था बनाये रखने की पुलिस की जिम्मेदारी होती है। इससे पहले हड़ताल हुई, सभी माननीय सदस्य जानते हैं पुलिस की दखलन्दाजी नहीं हुई. . .

श्री शंकरलाल : गैर कानूनी कब हुई ?

श्री मूलचन्द डागा : कौनसी तारीख को हुई ?

श्री सम्पतराम : सुन तो लें. . .

श्री मूलचन्द डागा : Kindly tell the date. We want to know it.

श्री सम्पतराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, जो तथ्य हैं वह आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा—

"महाराजा श्री उम्मेद मिल्स पाली में करीबन 5 हजार मजदूर कार्यरत हैं। इस मिल में तीन मजदूर यूनियन मान्यता प्राप्त हैं जिनमें से एक सीटू, दूसरी इन्टक व तीसरी एटक से संबंधित हैं। इस वर्ष एक नई यूनियन पाली जनता मजदूर संघ, जो भारतीय मजदूर संघ से संबंधित है, की स्थापना की गई, जिसके श्री आर. के. भूतरा जनरल सेक्रेटरी बने। यह यूनियन अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं है।

पाली मिल के व्यवस्थापकों ने वर्ष 78 के लिये 8.33 प्रतिशत का बोनस घोषित किया। मजदूर 15 प्रतिशत बोनस की मांग कर रहे थे। सीटू, इन्टक व एटक यूनियनों ने बोनस की मांग को लेकर एक सम्मिलित घोषणा आम

(श्री सम्पत राम)

हड़ताल करने की दिनांक 16-9-78 से की जो दिनांक 16-9-78 से 20-9-78 तक जारी रही। माननीय श्रम मंत्री के हस्तक्षेप से मिल मालिक एवं मजदूरों में एक राजीनामा हो गया कि मिल मालिक 8.33 प्रतिशत बोनस व अतिरिक्त 6 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया के रूप में और देंगे। इस समझौते के बाद दिनांक 21-9-78 से मिल में यथावत कार्य चालू हो गया तथा मजदूरों को समझौते के अनुसार भुगतान कर दिया गया।

इस समझौते से पाली जनता मजदूर संघ सन्तुष्ट नहीं हुआ। उसकी मांग थी कि समझौते में उनके प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना चाहिए था। यूनियन के कार्यकर्त्ताओं ने उपरोक्त समझौते को अस्वीकार करते हुए 15 प्रतिशत बोनस की मांग जारी रखी और भूख हड़ताल, प्रदर्शन आदि कार्यक्रम जारी रखे। दिनांक 25-9-78 से पाली जनता मजदूर संघ के जनरल सेक्रेटरी श्री भूतरा आमरण अनशन पर बैठ गये तथा दिनांक 8-10-78 से उनकी पत्नी भी उनके साथ अनशन पर बैठ गई। दिनांक 18-10-78 को विरोधी यूनियन के समर्थकों में छुट-पुट पत्थर बाजी हुई जिसे मौके पर उपस्थित पुलिस ने तत्काल काबू में कर लिया। इस घटना के बाद पाली जनता मजदूर संघ ने आम हड़ताल की घोषणा की जो दिनांक 18-10-78 से 20-10-78 तक चली। हड़ताल के दौरान दिनांक 19-10-78 को विभिन्न यूनियनों के समर्थकों द्वारा कुछ हिंसात्मक घटनायें हुईं और परस्पर विरोधी अभियोग पुलिस में दर्ज करवाये गये।

दिनांक 22-10-78 को मजदूर संघ के नेताओं ने मिल के सामने धरणा प्रारम्भ किया और मिल के समस्त प्रवेशद्वारों को रोक दिया। दिनांक 28-10-78 तक यह धरणा चालू रहा। गेट के सामने विभिन्न नेताओं द्वारा मीटिंगों में उत्तेजनात्मक भाषण दिये जाते रहे। काम पर जाने वाले मजदूरों, स्टाफ मेम्बरों व गाड़ियों को मिल में प्रवेश करने से जबरन रोका गया। दिनांक 25-10-78 को श्रम आयुक्त पाली पहुंचे और उन्होंने हड़ताली नेताओं से बातचीत की। श्रम आयुक्त के साथ वार्ता असफल रही।

दिनांक 27-10-78 को राज्य सरकार ने इस विवाद को श्रम न्यायालय को सौंप दिया और हड़ताल पर रोक लगा दी। दिनांक 28-10-78 को इस संबंध में मिल के बाहर धरणे पर बैठे मजदूरों में हड़ताल पर लगाई पाबन्दी का एलान करवाया गया। मिल के दरवाजे 6 बजे खुलवा दिये गये। उस रोज प्रातःकालीन शिफ्ट में लगभग 1500 मजदूरों में से लगभग 1200 मजदूर काम पर आ गये। मिल चालू होने के थोड़ी देर बाद 200—250 मजदूरों की भीड़ एकत्रित हो गई और उत्तेजनात्मक कार्यवाही तथा पथराव करने लगी, जिस पर मौके पर उपस्थित अतिरिक्त जिलाधीश ने लाउड-स्पीकर द्वारा मजमे को मजमा खिलाफ कानून घोषित कर तितर-बितर हो जाने के आदेश दिये। भीड़ आसपास के छज्जों से पुलिस पर भयंकर पथराव करती रही जिससे पुलिस कर्मचारियों के चोटें आईं। इस पर मजिस्ट्रेट के आदेश से अश्रु गैस छोड़ी गई। भीड़ अश्रु गैस के कारण गलियों में इकट्ठी हो गई। पुलिस पर भयंकर पथराव जारी रहा जिस पर मौके पर उपस्थित मजिस्ट्रेट ने उन्हें तितर बितर किये जाने हेतु वार्निंग की। जब भीड़ हिंसा करने से नहीं रुकी तो मजिस्ट्रेट ने लाठीचार्ज के आदेश दिये।

(श्री सम्पतराम)

जिला प्रशासन ने हड़ताली नेता मजदूरों से बातचीत कर उन्हें हिंसा का रास्ता, अख्तियार न करने की सलाह दी। उनके आश्वासन पर जिला अधिकारियों ने डाक्टरों की टोलियों को मजदूर कालोनियों में घायल व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिए भेजा। इस घटना में कुल 74 व्यक्तियों ने अस्पताल के आउटडोर वार्ड में अपनी चोटों की मरहम पट्टी करवाई जिसमें से 14 व्यक्तियों को अधिक चोटें आ जाने के कारण अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। उनमें से 11 व्यक्तियों को दिनांक 29-10-78 को व 2 व्यक्तियों को 30-10-78 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इस घटना में एक मजिस्ट्रेट, पुलिस उप-अधीक्षक, थाना अधिकारी व 93 पुलिस कर्मचारियों के भी चोटें आई। मिल चालू है स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण है, शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु सभी उपाय जिला प्रशासन द्वारा किये गये हैं।"

(व्यवधान)

श्री **उगमराज मेहता** (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, मैं हलफिया बयान पेश करता हूं। पुलिस वालों ने घरों में घुसकर मजदूरों को पीटा है। उनके कन्धे टूट गये, हड्डियां टूट गई। हलफिया बयान.......

(व्यवधान)

श्री **कौशल किशोर जैन**: माननीय अध्यक्ष, क्या आप एक प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे ...

श्री **अध्यक्ष** : आपने सब बातों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है..

श्री **कौशल किशोर जैन** : मजदूरों पर मुकदमें बने हैं, क्या सरकार उनको उठायेगी? मेरे पास कापी है हलफिया बयान की। सरकार इस बयान के अन्दर झूंठ का सहारा ले रही है।

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री **शंकरलाल** : एक प्रश्न है। केवल एक मिनट।

श्री **अध्यक्ष** : आप प्रभारी मंत्री से उनके कक्ष में मिलें।

श्री **शंकरलाल** : जैसा गृह मंत्री ने वक्तव्य दिया कि 20-9-78 को समझौता हो गया, कार्य चालू हो गया, फिर 25-9-78 को भूख हड़ताल पर बैठ गए। आपने 27-10-78 को ट्रिब्यूनल को रेफर कर दिया, तो आपने इतना समय क्यों लिया, 21-9-78 से 27-10-78 तक? अगर समझौता हो गया और कह दिया कि काम चालू हो गया तो उसी समय कहना चाहिए की भूख हड़ताल गैर कानूनी है लेकिन एक महीने तक प्रशासन चुप रहा। 27-10-78 को 5 बजे लाठियों के प्रहार करके लोगों को पीटा गया। जो गृह मंत्री ने कहा वह बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं वहां मौजूद था, अस्पताल में था। बुरी तरह आम लोगों को पीटा गया है, वहां के उच्च अधिकारी मौजूद थे और स्वयं सरकार ने ऐसा आदेश दिया। तो मैं पुनः पूछता हूं कि जब 21-9-78 को फैसला हो गया तो 27-10-78 तक क्यों चुप बैठे रहे? क्यों नहीं भूख हड़ताल को गैर कानूनी करार दिया? उसके बाद मुख्य मंत्री से भी मजदूर मिले, प्रदर्शन हुए।

श्री **अध्यक्ष** : स्थान ग्रहण करें। मैं सरकार को उत्तर देने के लिए विवश नहीं कर सकता। अब चर्चा समाप्त हुई।

श्री **मूलचन्द डागा** : सरकार झूंठ बात कहे और हम कुछ न कहें ? मैं चैलेंज करता हूं, इनको जवाब देना पड़ेगा। 100 मजदूरों पर लाठी चार्ज हुआ, उनको घायल कर दिया, घरों में जाकर उनको पीटा। एक महीने तक डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल को रेफर नहीं किया, सारे मजदूर हड़ताल पर थे, कोई पार्टी का सवाल नहीं था। हमें मौका दें, हम अपनी बात कह दें।

श्री **एच. एन. शर्मा** : मजदूर आंदोलन को पुलिस द्वारा दबाया जाय, यह कभी बरदाश्त नहीं किया जाएगा।

श्री **बालकृष्ण थानवी** : मुझे भारतीय मजदूर संघ पाली के अध्यक्ष श्री ओ. एन. शर्मा का पत्र दिनांक 30-10-78 का मिला है जिसमें उसने लिखा है कि सरकार की शह पर 28-10-78 को प्रातः 4 बजे से 9 बजे तक पुलिस व आर. ए. सी. ने सोते हुए निहत्थे मजदूरों को घेर-घेर कर मारा, नंगा किया, नागरिक संपत्ति नष्ट की, महिलाओं व बच्चों को मारा यह शर्म की बात है, इसकी जांच कमीशन बिठाकर जांच होनी चाहिये और जिन्होंने यह अपराध किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। मजदूरों पर किया गया यह अत्याचार नाकाबिले बर्दाश्त है।

श्री **अचला राम (देसूरी)** : तीन मजदूर पागल हो चुके हैं। एक औरत, जो पति को लाठियों से बचाने के लिए बीच में आई, के पेट पर पैर रख दिया। वह बीमार हो गई। खबर मिली है कि वह मर चुकी है।

श्री **मथुरादास माथुर** : अध्यक्ष महोदय, यह ऐसा विषय बन गया है जिसमें सभी सदस्य इस बात को महसूस करते हैं कि पाली के अंदर मजदूरों पर पुलिस के एक्सेसेज हुए। यह पहला मौका है जहां यूनानीमसली चाहे इधर चाहे उधर बैठने वाले इस बात को महसूस करते हैं कि पुलिस एक्सेस हुई। मैं लेबर प्राबलम और उनकी डिमांड को अलग रखता हूं लेकिन जो एक्सेसेज हुए उनके लिए गृह मंत्री से पूछना चाहूंगा कि क्या राज्य सरकार इन एक्सेसेज की जुडिशियल इन्क्वायरी कराने के लिए तैयार है ? सभी सम्माननीय सदस्य एवीडेंस के साथ में, हलफनामों साथ में बोल रहे हैं। ऐसी हालत में राज्य सरकार को प्रेस्टिज इश्यू नहीं बनाना चाहिए। इसमें जिलाधीश, एस. पी. और बड़े-बड़े अधिकारी इन्वाल्वड हैं, इसलिये अगर जुडीशियल इन्क्वायरी बैठे तभी इन्साफ हो सकता है। इसलिए सदन की मंशा को देखते हुए मैं गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं कि वह जुडीशियल इन्क्वायरी के लिए तैयार हैं ?

दूसरे, मैं श्रम मंत्री से पूछना चाहूंगा कि आपने एक फैसला दिया, वह पुराना इतिहास बन गया। आखिर में वह फैसला नहीं माना गया। मजदूरों ने कहा हम 15 प्रतिशत बोनस लेंगे। पाली मिल की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, मैं यह तो नहीं कहना चाहता कि जो स्टेटमेंट उन्होंने दिए हैं क्रेडिट व डेबिट के, वह गलत हैं, पर मैं यह भी नहीं मानता कि पाली मिल की वित्तीय स्थिति ऐसी खराब हो गई जिसके कारण 8.33 प्रतिशत या 6 लाख रुपये आपने दिलवाए, वह बोनस नहीं दिलवाया वह तो एक्स ग्रेशिया दिलवाया है, वह उनका हक नहीं, वह आगे केलकुलेशन के काम नहीं आएगा। इसलिए मजदूर आपकी सिफारिश से आन्दोलित हैं। 15

(श्री मथुरादास माथुर)
प्रतिशत की उनकी मांग कायम है। आपने ट्रिब्यूनल को रेफर करने की बात कही है...

श्री केदारनाथ : भेज दिया।

श्री मथुरादास माथुर : वहां पर जो फैसला होगा मालिकों व मजदूरों को मान्य होगा। जूडिशियल इन्क्वायरी की बात मैं फिर दुहराता हूं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह महत्वपूर्ण सवाल है.....

श्री अध्यक्ष : चर्चा नहीं होगी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : क्या माइनोरिटी यूनियन को किसी नेगोसिएशन्स के बारे में अधिकार है? अगर मैजोरिटी यूनियन फैसला करती है तो माइनोरिटी यूनियन को इस बारे में क्या अधिकार है? जनसंघ की यूनियन है उसको अधिकार दिया जायगा और मैजोरिटी यूनियन की बात को ठुकरा दिया जाएगा?

श्री कौशल किशोर जैन : प्रश्न यह नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

× × ×

माननीय सदस्य अगर आप सुनना नहीं चाहते तो मैं सदन की कार्यवाही स्थगित करता हूं। माननीय सदस्य।

× × ×

माननीय सदस्य।

× × ×

सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही म. प. 2.32 बजे 15 मिनट के लिए स्थगित की गई।)

(विधान सभा की बैठक पुनः म. प. 2.48 बजे प्रारम्भ हुई।)

(श्री लक्ष्मण सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

आधा घण्टे की चर्चा

राज्य के बजट का शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से बंटवारा (प्रश्न संख्या 166)

श्री अध्यक्ष : आधे घंटे की चर्चा। श्री बहादुर सिंह। प्रश्न संख्या 166 पर।

श्री बहादुर सिंह (नौहर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा सा प्रश्न था कि राजस्थान की 80 प्रतिशत से ज्यादा जनसंख्या गांवों में रहती है और 20 प्रतिशत से कम जनसंख्या शहरों के अन्दर रहती है। बजट का बंटवारा बकौल सरकार द्वारा 40 प्रतिशत गांवों के लिये और 60 प्रतिशत शहरों के लिये किस आधार पर किया जाता है? सरकार का जवाब था कि गांवों और शहरों के लिये अलग अलग बजट नहीं रखा जाता है इसलिये पर्सेन्टेज बताना नामुमकिन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पार्टी के घोषणा-पत्र में, चुनाव घोषणा-पत्र में जनता सरकार ने यह बार-बार एलान किया था कि हमने 20

× × × अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री बहादुर सिंह)

पर्सेन्ट के बजाय गांव के लिये बजट 40 प्रतिशत कर दिया है और बाद में सरकार ने यह एलान किया कि हमने इस बजट को 40 पर्सेन्ट से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया है। बार बार घोषणा के बावजूद जब सरकार यह जवाब देती है कि यह स्पष्ट नहीं बताया जा सकता है कि गांवों के लिये कितना बजट रखा गया है तो क्या सारी की सारी चुनाव की घोषणायें, जनता सरकार की घोषणायें क्या गलत थीं और बे-बुनियाद थीं ? और क्या जनता को धोखा देने के लिये की गई थीं ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि यह आंकडों का खेल है। हकीकत में गांवों में 10 प्रतिशत विकास में पैसा खर्च किया जाता है। राजस्थान की 99½ प्रतिशत भूमि पर राजस्थान की 80 प्रतिशत जनता रहती है और ½ प्रतिशत भू-भाग पर राजस्थान की 20 फीसदी जनता रहती है। आज बजट का बंटवारा किया जाता है 40 फीसदी गांवों के लिये और 60 फीसदी शहरों के लिये, यह हकीकत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हकीकत यह है कि सारी की सारी पैदावार शहर में लाई जाती है। जब गांव की एकमात्र पैदावार जब शहर में लाई जाती है तो म्युनिसिपल टैक्स लगाया जाता है.........

श्री श्योपतसिंह मकासर: चुंगी टैक्स।

श्री बहादुर सिंह: उसके बाद भावों में 30 प्रतिशत फ्लक्चुएशन रहता है, उस फ्लक्चुएशन का मुनाफा सारा का सारा शहरों पर खर्च होता है। इसके बाद जो ग्रामीण योजनायें बनाई जाती हैं, उनके दफ्तर और केन्द्रीय कार्यालय भी शहरों में ही होते हैं और बजट का 20 फीसदी शहरों में प्रशासनिक खर्चे में हो जाता है। सारा खर्चा गांव के नाम पर होता है, योजना गांव के लिये बनाई जाती है, पैसा खर्च होता है शहरों में। आज पांच बत्ती पर खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का नाम लिखा हुआ है। सारे दफ्तर जयपुर में हैं इसलिये हकीकत यह है कि प्रदेश की 90 फीसदी दौलत 20 फीसदी आदमियों के लिये खर्च की जाती है और 10 फीसदी दौलत 90 फीसदी आदमियों के लिये खर्च होती है। आज पर-केपिटा इन्कम में इतना डिफरेन्स है वह केवल गांवों के कारण है, क्योंकि गांव वालों की इन्कम नहीं के बराबर है।

इसके बावजूद कि कृषि एक मुख्य धन्धा है और इस कृषि के आधार पर हजारों दूसरे उद्योग-धन्धे पनपते हैं किन्तु कृषि के धन्धे को वे सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं जो अन्य उद्योग धन्धों को दी जाती हैं। इसका बहुत बड़ा हिस्सा शहरों में रह जाता है, गांवों में नहीं जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि 30 साल तक कांग्रेस सरकार ने ग्रामों के विकास के नाम पर, गरीबी हटाओ के नाम पर, समाजवाद के नाम पर ग्रामीण जनता के साथ धोखा किया है। ठीक उसी प्रकार आज जनता सरकार भी उससे इधर-उधर नहीं हुई है। केवल नारों से ग्रामीण जनता को खुश किया जा रहा है इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस हकीकत को बदलें . . .

(2.55 म. प.)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष पदासीन)

आज पापुलेशन के आधार पर, आवश्यकताओं के आधार पर ग्रामीण विकास के लिये अपने बजट में प्रावधान रखें। यह आंकड़ों का खेल किस कदर ग्रामीण जनता के साथ

(श्री बहादुरसिंह)

धोखा कर रहा है। पिछले अधिवेशन में ग्रामीणों के लिये एक सवाल पूछा गया था कि कितने गांव राजस्थान में ऐसे हैं जिनमें प्राइमरी स्कूल नहीं है तो 12, 700 का फिगर सरकार ने दिया था। आज गांव प्राइमरी स्कूलों के लिये तरस रहे हैं, आज गांव पानी के लिये तरस रहे हैं, आज गांव पक्के रास्तों के लिये तरस रहे हैं और आज गांव बिजली के लिये तरस रहे हैं। कोई भी सरकार की ऐसी योजना नहीं है जो गांवों के उद्धार के लिये हो। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार स्पष्टतया बजट में प्रावधान आबादी के हिसाब से और क्षेत्रफल के हिसाब से रखे। अगर 99½ फीसदी जमीन है तो वह गांवों में है और उसमें 80 फीसदी पापुलेशन बैठती है, इस हिसाब से गांव का बजट 80 फीसदी रखना चाहिये।

दूसरे गांव और शहर के लिये बड़े भेद-भाव बरते जाते हैं। पब्लिक युटिलिटी सर्विसेज में नगर विकास न्यास शहरों में करोड़ों रुपया खर्च करता है लेकिन गांवों में इसका कोई प्रावधान नहीं है। दूसरे, जो भी उद्योग धन्धे लगाते हैं वे सारे के सारे शहरों में लगाये जाते हैं। शहरों में सारी पूंजी लगाई जाती है। शहरों के कारखानों को जो फेसिलिटी दी जाती है वह एक काश्तकार को अपनी काश्त के लिये नहीं दी जाती है। मैं ऐसा नहीं कहता कि हमारे उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन देने के लिये ऐसा नहीं करना चाहिये, उद्योगों के विकास के लिये जो भी किया जाये, कम है लेकिन उनको सहूलियतों के लिये गांवों का शोषण नहीं किया जाना चाहिये। जो सहूलियत एक पूंजीपति को मिलती है, वह एक काश्तकार को भी मिलनी चाहिये। इसलिये मेरा निवेदन है कि कांग्रेस सरकार की तरह न होकर जनता सरकार को चाहिये कि ग्रामीण जनता को धोखा न देकर ग्रामीण विकास की ओर कदम बढ़ावें।

श्री **खेतसिंह राठौड़** : आप कितना ही कहें, यहां कोई सुनने वाला नहीं है।

श्री **बहादुर सिंह** : आपने भी ऐसा ही किया था।

मैं हाउस का ज्यादा समय न लेकर, माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं और मैं आपके माध्यम से सरकार से भी निवेदन करूंगा कि सरकार ग्रामीण विकास की ओर ध्यान दे। आज जितना बजट क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर है उस हिसाब से जो सहूलियतें कारखानों को दी जाती हैं, उनको जो सुविधायें दी जाती हैं कम से कम वह सुविधायें कृषि को दी जायं।

एक निवेदन और करना चाहता हूं कृषि पैदावार की कीमत भी औद्योगिक पैदावार के आधार पर रखी जाय, यह भी गांव का शोषण है। आज एक कारखाना लगाया जाता है . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय चेयरमन साहब, एक मिनट और लूंगा।

कारखानों में जो पूंजी लगाई जाती है उसमें डेप्रिसियेशन होता है, मैनेजमेंट का खर्चा होता है, रिस्क का खर्चा होता है। ये सारे कवर करने के बाद प्रॉफिट तय किया जाता है लेकिन काश्तकार की पैदावार के साथ खिलवाड़ किया जाता है और भावों की वजह से वह लुटता है। आज इसी

(श्री बहादुरसिंह)
कारण ग्रामीण क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गया है। ग्रामीण जनता भी उन्नति देखना चाहती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि बजट में प्रावधान करना चाहिये और काश्तकार को भी समस्त सुविधायें दी जानी चाहियें जो कारखानों को फेसिलिटीज दी जाती हैं-सड़कों की, पानी की, बिजली की, वे सबकी सब फेसिलिटी काश्तकार को दी जानी चाहियें।

श्री **बालकृष्ण थानवी** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भाई बहादुर सिंह ने गांवों के बारे में जो कुछ कहा वह बिल्कुल ठीक है। वास्तव में राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों पर जो खर्चा करती है वह शहरों के मुकाबले बहुत कम खर्चा करती है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बढ़ा चढ़ा कर कागजी खर्चा बताती है। शहरों में जब कालेज खोले जाते हैं, स्कूल खोले जाते हैं, दवाखाने खोले जाते हैं तो उसके लिए बिल्डिंग निश्चित तौर से शहर वालों से न बनवा कर सरकारी कोष से बनाई जाती है। मगर ग्रामीण क्षेत्र में जब कभी कोई निर्माण का प्रश्न आता है तब गांव वालों से कहा जाता है कि गांव वाले भवन का निर्माण करवा के दें, उसके बाद कालेज खोले जाते हैं, उसके बाद स्कूल खोले जाते हैं या दवाखाने खोले जाते हैं। तो यह गांवों के साथ भारी अन्याय है। गांव वाले अपनी जिन्स पैदा करें और बाद में शहर में पहुंचायें तो उसके भाव का फैसला करने वाले भी शहरी लोग हैं। जिन्स पैदा करने वालों को भाव तय करने का अख्तियार नहीं है। इस तरह की स्थिति गांव वालों के साथ है, वह दूर की जानी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आखिर में एक बात और निवेदन करूंगा और वह यह है कि जो कुछ भी विद्युतीकरण की योजना है या जल प्रदाय की योजना है वह गांवों तक बिल्कुल नगण्य पहुंचाई गई है। फलौदी तहसील के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि पूरी तहसील के एक गांव खीचन में ही बिजली पहुंचाई गई है। ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में फलौदी तहसील का समावेश तक नहीं किया गया, फलौदी तहसील को न तो विद्युतीकरण में लिया गया और न ही जल प्रदाय योजना में ही। तेजी के साथ गांवों तक पहुंचाई जा रही है जब कि वहां अकाल के कारण लोग प्यासे मर रहे हैं। इसलिए सरकार से निवेदन है कि गांवों को ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया जाय और थोथी घोषणायें नहीं की जायं। यही मेरा निवेदन है।

श्री **शंकरलाल** : उपाध्यक्ष महोदय, आधे घन्टे की चर्चा पर मैं भी निवेदन करना चाहूंगा। जहां तक गांवों का और शहरों का प्रश्न है, यह बात सही है कि हमारी ज्यादा आबादी गांवों में रहती है, लेकिन गांव में रहने वाले चूंकि ज्यादा उग्र नहीं होते, शांतिप्रिय होते हैं, हड़तालें नहीं करते, संगठन नहीं बना सकते, धरणा देने वाले नहीं है, सरकार का विरोध करने वाले नहीं हैं इसलिए गांवों के लिये सरकार भी चुप रहती है, कुछ नहीं करती। शहरों के अन्दर अगर कोई प्राब्लम होती है तो लोग आ करके विधान सभा के बाहर, दूसरे मंत्रियों के घर के बाहर धरणा देते हैं। गांवों के लोग वहां पहुंच नहीं पाते। सरकार को यह नहीं समझना चाहिए कि गांवों की जनता मूक होती है। वास्तव में गांवों की आबादी के हिसाब से, विकास को देखें तो

(श्री शंकरलाल)
किसी भी राज्य के मुकाबले में राजस्थान में गांवों का विकास कम मिलेगा । शहरों में विकास पर बहुत ज्यादा खर्चा हुआ है ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्रिमण्डल के अन्दर जब तक गांवों के लोगों का, किसानों का, गरीबों का ज्यादा प्रतिनिधित्व नहीं होगा तब तक यह गैप बना रहेगा । मैं जनता पार्टी के माननीय सदस्य, जिन्होंने यह आधा घण्टे की चर्चा उठाई है, कहूंगा कि यह प्रश्न पार्टी में रखें और अपनी पार्टी के अन्दर इस तरह का नेतृत्व पैदा करें, ऐसे लोगों को मंत्रिमण्डल में ज्यादा लें जो गांवों की बातों को ज्यादा कह सकें । गांवों की बातों को जब तक वे लोग जानते ही नहीं है तो शहरों के बजट की ही बात करेंगे । इसलिए ये दो चीजें कर दें । मंत्रिमण्डल में गांवों का ज्यादा प्रतिनिधित्व हो । आप लोगों को अपनी पार्टी में इस बात को ज्यादा उठाना चाहिए वरना यहां चर्चा उठाने से कुछ मिलने वाला नहीं है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आप यहां पर चाहे कितनी ही चर्चा उठा लें कोई फायदा होने वाला नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय मंत्रीजी ।

श्री **नवरंग सिंह** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी शहर और ग्रामीण बजट के अनुपात पर चर्चा चल रही है । इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सचमुच में यह देहात के लोगों का दुर्भाग्य है कि जहां वह 80 फीसदी माल पैदा करके शहर को भेजते हैं वहां शहर के मुकाबले में वह 20 फीसदी सुविधायें प्राप्त नहीं करते । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संक्षेप में उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि नगरपालिकाओं और पंचायतों में ही राज्य सरकार असमानता रखती है । जहां नगरपालिकाओं को राज्य सरकार पांच रुपया प्रति व्यक्ति अनुदान देती है वहां गांव वालों को 2) 50 रु० दिया जाता है । इसी तरह से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि नगरपालिकाओं में जहां पानी की फ्लैट रेट 7) 50 रु0 है वहां देहातों में बीस और पच्चीस रुपये तक लिए जाते हैं । इसी तरह से मैं निवेदन करूंगा कि जहां सी. टी. एस. बसें चलती हैं, जयपुर की बात बताऊं कि वहां पर पचास पैसे में हम इस पूरे शहर में घूम सकते हैं, उतनी दूरी तक गांव में जाने के लिए दो रुपया पचास पैसे देने पड़ते हैं। यह बहुत बड़ा अन्तर है । यही नहीं मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह बिल्कुल सच्ची बात है....

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार अपनी तस्वीर सही रखना चाहती है तो कृषि को उद्योग की परिभाषा में ले और गांवों को वह सब सुविधायें दें जो एक कारखाने को दी जाती हैं ।

इसी तरह से बिजली के बारे में निवेदन करूंगा कि आज जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनको पांच पैसे प्रति यूनिट में बिजली मिलती है जब कि किसानों को जो कि रेगिस्तानी इलाकों में रहते हैं, जहां पर मंहगा पानी पड़ता है, वहां पर भी 23 पैसे

(श्री नवरंग सिंह)
प्रति यूनिट देना पड़ता है । आज तो यह हालत है कि शहर में बिजली मिल रही है लेकिन गांवों में निर्धारित कार्यक्रम होते हुए भी कुएं पर बिजली नहीं पहुंच रही है । नवम्बर का महीना जा रहा है लेकिन बिजली नहीं मिलती । इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि बिजली की असमानता समाप्त की जानी चाहिये । 80 फीसदी पापुलेशन गांवों में रहती है इसलिये राज्य का 80 फीसदी बजट गांवों में खर्च होना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : काफी समय हो चुका है, अब मैं आपको समय नहीं दूंगा ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं बहुत संक्षेप में निवेदन कर देता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : अब मंत्री महोदय उत्तर देंगे ।

(व्यवधान)

आधा घन्टे की चर्चा पर ज्यादा चर्चा नहीं उठाई जा सकती । अगर माननीय मन्त्री महोदय उत्तर नहीं दे सके तो चर्चा का कोई लाभ नहीं होगा ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ दो मिनट ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्योपतसिहजी, मैं आपको अब समय नहीं दे सकूंगा ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ।

श्री उपाध्यक्ष : केवल पांच-सात मिनट का समय है, अब मंत्री महोदय उत्तर देंगे ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : पांच मिनट में मंत्री महोदय उत्तर दे दें, दो मिनट मैं बोल लूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय उत्तर नहीं दे सकेंगे तो चर्चा का कोई उपयोग नहीं रहेगा ।

श्री मदनसिंह दांता : मैं एक सिद्धान्त की बात कह रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये, माननीय सदस्य मैं आपसे बहुत नम्रता-पूर्वक निवेदन कर रहा हूं ।

श्री मदनसिंह दांता : यह बजट पास करते क्यों हो......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मदनसिंहजी, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन कर रहा हूं कि आप बिराजिये । माननीय वित्त मंत्री महोदय ।

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री बहादुर सिंह ने जो प्रश्न पूछा था, मैं मानता हूं कि उस प्रश्न के उत्तर से उन्हें संतोष नहीं हुआ । उस प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया कि बजट ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दो भागों में विभाजित नहीं है, यह बजट एक है पूरे राजस्थान के लिए । लेकिन उनका यह कहना कि गांवों में अस्सी फीसदी लोग रहते हैं और उन पर केवल चालीस फीसदी खर्चा

(श्री आदित्येन्द्र)

होता है और शहरों में केवल बीस फीसदी आदमी रहते हैं और उन पर साठ फीसदी खर्चा होता है, यह ठीक नहीं है। यह ठीक है कि हिन्दुस्तान की आजादी के बाद से जितना ध्यान गांवों की ओर दिया जाना चाहिए था उतना ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद जनता पार्टी ने यह घोषणा की थी कि हम गांवों की ओर विशेष ध्यान देंगे और इसीलिए जो एक संशोधित बजट, परिवर्तित बजट सितम्बर, 77 में प्रस्तुत किया गया था उसमें और बाद में 1978-79 के लिए जो बजट रखा गया था उसमें दिखाये गये आंकड़ों से साफ जाहिर है कि गांवों की ओर पहले से अधिक ध्यान दिया जा रहा है। 77-78 में जो पिछली सरकार ने बजट रखा था मार्च के महीने में उसमें कुल विकास व्यय 415 करोड़ का था और 415 करोड़ में से ग्रामीण क्षेत्रों में 248 करोड़ रखे गये थे। यह लगभग पूरे विकास व्यय का 59.89 या 60 प्रतिशत के करीब ग्रामीण क्षेत्रों के लिये रखा गया था। बाद में सितम्बर में जो परिवर्तित बजट रखा गया उसमें 415 करोड़ के विकास व्यय की जगह पर 450 करोड़ कर दिया गया और उसमें ग्रामीण विकास के लिये 280 करोड़ रखे गये जो 62.14 प्रतिशत है। इसका अर्थ यह है कि दो या सवा दो प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर दो या सवा दो प्रतिशत और अधिक व्यय किया गया है। इसके बाद जो इस वर्ष का बजट रखा गया उसमें 450 करोड़ के स्थान पर कुल विकास व्यय 507 करोड़ रखा गया जिसमें ग्रामीण विकास पर 327 करोड़ यानी 64.4 प्रतिशत आता है, इसलिये जो बजट स्पीच में भी कहा गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में 64.4 प्रतिशत खर्च कर रहे हैं वह गलत नहीं था। यह जरूर है कि जो कुछ भी खर्च होता है वह एक तो विकास व्यय है और दूसरा विकास भिन्न व्यय। विकास व्यय का तो हिसाब है लेकिन विकास भिन्न व्यय का हिसाब ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र का अलग अलग करना बड़ा कठिन है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास व्यय है उसमें एक तो ऋणों का भुगतान है, ऋणों का ब्याज है और प्रशासनिक व्यय आते हैं इसलिये इसका कोई अलग से हिसाब नहीं है। लेकिन विकास व्यय में मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हम पहले से आगे बढ़े हैं। यद्यपि जितना बढ़ना चाहिये था उतना नहीं बढ़ सके, लेकिन जैसे जैसे हमारे सामने उपलब्धियां आती जाएंगी, हम आगे बढ़ते जाएंगे। आज जो अन्त्योदय की योजना रखी गई है वह वास्तव में ऐसी योजना है जिसको सफल बनाने में हमें पूरी मेहनत करनी होगी। इसमें खाली रूपये खर्च करने से काम नहीं चलेगा।

श्री **शंकरलाल** : उसमें तो केवल ऋण होते हैं वे बैंक देते हैं। उसमें है भी क्या?

श्री **जगतारसिंह** : यह तो आई. ए. एस. आफिसर्स की योजना है। जो योजना बनाते हैं उनको गांवों का अनुभव नहीं है। ये काम कभी नहीं कर सकेंगे। इन्हें अनुभव नहीं है इसलिये योजना बनाते हैं वह फेल होती है और गांव में जितना पैसा लगाना चाहिये वह भी नहीं लग रहा है।

(श्री जगतारसिंह)

(व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह सब गांव की 80 प्रतिशत जनता को भुलावे में डालने के लिये किया जा रहा है ।

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, विराजिए। मंत्री महोदय को समझाने दीजिये ।

श्री **आदित्येन्द्र** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अन्त्योदय का नाम लिया । अन्त्योदय का संबंध इस प्रश्न से नहीं है । मैंने तो खाली यह बताया कि अन्त्योदय योजना भी ग्रामीण विकास के लिये रखी गई है । इसकी कितनी उपलब्धियां हैं ।

श्री **मदनसिंह दांता** : तो क्या शहरों में किसी प्रकार का ऋण अन्त्योदय के अन्तर्गत नहीं दिया जा रहा है ।

श्री **आदित्येन्द्र** : लेकिन इसके साथ-साथ दूसरी समग्र विकास की योजनाएं हैं उनकी क्रियान्विति जब तक नहीं हो, साथ ही साथ मैं यह कह रहा हूं, इसके लिये जरूरी यह भी है कि खाली ऊपर से योजना पूर्ण सफल करना चाहते हैं परन्तु सफलता उस समय तक नहीं हो सकती जब तक नीचे तक सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं करते या पंचायतें सक्षम नहीं हो जातीं, या इसके लिये और कमेटियां बनाई जाती हैं वे भी जब तक भली प्रकार काम नहीं करती हैं तब तक सफलता जितनी प्राप्त करनी है वह नहीं मिलेगी । तो मेरा निवेदन है कि इस संबंध में जो भी आंकड़े रखे गये हैं उनसे यह स्पष्ट है कि धीरे-धीरे हम ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं ।

श्री **उपाध्यक्ष** : चर्चा समाप्त हुई । कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आधे घंटे की चर्चा समाप्त हुई ।

श्री **बहादुर सिंह** : मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

घोषणा

कटौती प्रस्तावों पर चर्चा की प्रक्रिया

श्री **उपाध्यक्ष** : कोई प्रश्न नहीं, चर्चा समाप्त हुई । कटौतियों के जो प्रस्ताव प्रस्तुत हुए हैं उनके बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो व्यवस्था दी है उसकी माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहूंगा ।

जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है आज केवल एक ही अतिरेक की मांग पर वाद-विवाद होगा । शेष मांगें सीधे मतदान हेतु प्रस्तुत की जाएंगी । इसके अतिरिक्त विनियोग विधेयक एवं दो अन्य विधेयकों पर भी विचार किया जाएगा । ऐसी स्थिति में समयाभाव के कारण यह संभव नहीं होगा कि कटौती प्रस्तावों की सूचना देने वाले सभी माननीय सदस्यों को विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जा सके ।

पिछले वर्षों में अपनाई गई परिपाटी के अनुसार सभी कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हुए मान लिये जाएं और जिन माननीय सदस्यों के नाम पुकारे जायं वे अपने सभी कटौती प्रस्तावों पर बोलने की कृपा करें ।

समयाभाव को देखते हुए कटौती प्रस्ताव, चर्चा प्रारम्भ होने के 45 मिनट के बाद मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान की व्यवस्था की जाएगी ।

Page No 78

(78)

(श्री उपाध्यक्ष)

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई है ।

श्री मूलचन्द डागा : 3 तो बज चुके हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं श्री गोपालजी को आमंत्रित करूंगा ।

व्यवस्था का प्रश्न

अनुदान का विवरण

श्री मूलचन्द डागा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे स्पष्टीकरण पत्र मिले इनको पढ़ने के बाद मालूम हुआ कि मैं इनसे कुछ भी नहीं समझ पाया हूं, क्यों ये एक्सेस मांग रखी गई । इनमें पूरा विवरण नहीं है । मैं बता रहा हूं मुझे यह अधिकार है प्रेजेन्टेशन ऑफ दी सप्लीमेन्टरी और एक्सेस डिमाण्ड में जो...

श्री उपाध्यक्ष : आप नियम बता दीजिये ।

श्री मूलचन्द डागा : After the presentation of the supplementary or excess demands for grants, as the case may be, copies of the books of demands for supplementary or excess grants supplied by the Ministry concerned are circulated to members. These books give the details of the expenditure, the overall cost of a project in which money is being asked for, and its break-up in broad details for the information of the House and even though Parliament's approval is sought only for a portion of the expenditure to be incurred either on the project or a phase of it.

अगर आप सप्लीमेंट्री डिमाण्ड पास कराना चाहते हैं तो डिमाण्ड करते सारा ब्रेक-अप दे दें और डिटेल्स आफ एक्सपेन्डीचर दिये जायें और जब तक यह नहीं देंगें . .

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय डागाजी से निवेदन करूंगा कि वे जो पाइंट ग्राफ आर्डर रेज कर रहे हैं तो किस रूल के तहत कर रहे हैं ? आप रूल पाइंट आउट कर दें ।

श्री मूलचन्द डागा : वह रूल मैंने बता दिया है, सप्लीमेंट्री डिमाण्ड के प्रजेन्टेशन करने का जो तरीका है उसमें उसका स्पष्टीकरण दिया जाय । उसी आधार पर मैं आपकी सेवा में निवेदन कर रहा हूं । मैं रूल भी आपकी सेवा में कोट कर रहा हूं।

(विराम)

इसमें रीजन्स नहीं दिये हैं । जो डिमाण्ड रखी है कि इतनी ग्रान्ट और दी जाय, इसके उसमें डिटेल्स नहीं हैं । यह मैंने आपकी सेवा में पेश किया है । यह मेरा आब्जेक्शन है । आप इस आब्जेक्शन को मीट करायें ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागाजी, जो सम्बन्धित नियम हैं वह 140 है ।

श्री मूलचन्द डागा : 140 के अन्दर मेरा यह कहना था जो आपने

(श्री मूलचन्द डागा)
स्पष्टीकरण दिया है और जो मांग संख्या का विवरण लिखा है उस विवरण के अन्दर ब्रेक अप होना जरूरी है। जब तक आप ब्रेक अप नहीं देंगे कि किस-किस चीज के लिए खर्च किया और किस-किस आब्जेक्ट के लिए किया, क्या-क्या काम था, अगर यह डिटेल्स नहीं देंगे तो, श्रीमन्, तो हम क्या आर्ग्यूमेंट करेंगे और क्या बहस करेंगे। भैरोंसिंहजी चले गये। उनको यह डिमाण्ड रखनी थी। वित्त मंत्रीजी ने रखी है तो वित्त मंत्रीजी बयान शुरू करें। यह बतायें कि जितनी डिमाण्ड रखी है, यह डिमाण्ड किस-किस विषय के लिए है और ज्यादा पैसा लेने की क्यों जरूरत हुई ? अगर मशीनरी लेने के लिए खर्च हुआ तो उसके डिटेल्स नहीं दिये हैं, उसका ब्रेक अप दिया नहीं, रीजन्स दिये नहीं, और कारण दिये नहीं। आपने हमें एक वेग चीज दे दी है।

श्री महबूब अली : डागाजी यह 72-73 की है।

श्री मूलचन्द डागा : 72-73 का सवाल नहीं है। जानकारी पूरी नहीं आई है। आपने पूरे डिटेल्स नहीं रखे हैं। एक्जीक्यूटिव आप पर हावी हो रही है। यह आपकी एक्जीक्यूटिव हमारे पर हावी नहीं हो सकती है। लेजिस्लेचर सुप्रीम है। मुझे अधिकार है सारी चीजों के मांगने का। आप यह सारी चीजें दें, फिर मैं बहस करूंगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : एक्सेस खर्च हुआ है तो राज्य सरकार सदन के समक्ष उसके रीजन्स रखे। रीजन्स देने चाहिएं। विधान सभा में एक्सेस डिमाण्ड लाने का कारण क्या है ?

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह 72-73 के वर्ष से सम्बन्धित है अतिरेक मांगें। इस संबंध में यह नियम है कि असल में सबसे पहले यह कम्प्ट्रोलर एन्ड ऑडिटर जनरल के पास जाता है।

श्री मूलचन्द डागा : आप प्रासीजर मत बताइये।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया कहने दें।

श्री आदित्येन्द्र : जब वहां से ऑडिट हो जाता है उसके बाद यह उनके पास से सरकार को भेजा जाता है। राजस्थान सरकार के पास वहां से आडिट होकर सन् 1974 के आखिर में आया। उसके बाद में जनलेखा समिति थी 1975 की उसने अलग अलग विभागों को लिखा और विभागों से जो कुछ भी हिसाब था वह मांगा गया, वह सन् 1974 के आखिर तक और बाद में 75 तक नहीं आया। उसके बाद में जनलेखा समिति 1977-78 की आई उसके पास तमाम हिसाब अलग-अलग विभागों से आये उस पर उसने रिपोर्ट तैयार की। उसका जो प्रतिवेदन है वह 20 अप्रेल को आया। 20 अप्रेल को विधान सभा की ओर से वह सरकार को भेजा गया। सरकार को उसकी प्राप्ति 22 अप्रेल को हुई। इस सम्बन्ध में यह नियम है कि जब प्रतिवेदन प्राप्त कर लिया जाय तो प्रतिवेदन की प्राप्ति के बाद जो अधिवेशन हो उस अधिवेशन में डिमाण्ड रखी जानी चाहिए। इससे पहले का अधिवेशन 7 तारीख को खत्म हो गया था। 7 तारीख के बाद यह प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, उसके बाद यह पहला अधिवेशन हो रहा है। इसलिए इसको इतनी देर के बाद रखा।

श्री मूलचन्द डागा : आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिये। जो सप्लीमेंट्री डिमान्ड्स रखी हैं इन एक-एक डिमाण्ड का ब्रेक अप आप दें। आपने इनको क्यों रखा है? इसका पूरा विवरण दें, पूरे डिटेल्स दें, उसके बाद हम आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं। आपने केवल यह अजेण्डा दे दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागाजी, मैं आपसे निवेदन करूंगा आपकी जानकारी के लिए। अगर मैं गलत होऊं तो मुझे करेक्ट कर दें। गत सत्र में एक्सेस डिमाण्ड्स के लिए प्रपोजल्स आये थे उनके साथ ही माननीय प्रभारी मंत्री महोदय ने स्पष्टीकरण के पत्र दिये थे जो कि सब को सर्क्यूलेट किये गये थे। उसमें उसकी आवश्यकता बताई गई थी और उसके साथ पूरे डिटेल्स भी दिये गये थे। हर एक्सेस डिमाण्ड के बारे में उसमें आइटम दिया है और अमाउण्ट भी दिया हुआ है।

श्री मूलचन्द डागा : एक डिमाण्ड का तो बता दें कि क्या दिये हुए हैं?

श्री मथुरादास माथुर : पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है वह ठीक है। आपने जो यह स्पष्टीकरण दिया है, उसको हमने पढ़ा भी है, पढ़ने के बाद भी वह हमारी समझ में नहीं आया। इसमें आपने बताया कि 15 लाख जन-स्वास्थ्य में पूंजी की लागत। 15,20,000 में से 4,00,000 का आपने लिखा है उसको आप स्वयं पढ़कर देख लें कि क्या वह क्लियर हैं और कैसे हम बहस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब यह मेरे पास आया तो मैंने उसी वक्त फाइनेन्स कमिश्नर साहब को फोन किया कि आपने यह स्पष्टीकरण भेज दिया है इसमें फेमिली प्लानिंग का तो हैड है और नीचे लिखा है कि पोस्टमार्टम के लिए कोई बिल्डिंग बनाई गई। आप एक-एक आइटम को देख लें। 15 लाख, 20 हजार एक्सेस खर्च हुआ है, यह किस चीज की सप्लाई में खर्च हुआ है? कुछ तो उसके डिटेल्स हों। बजट के टाइम पर जो बजट डाक्यूमेंट्स आते हैं उनको रेफर करने पर क्लियर हो जाता है और हमारी समझ में आ जाता है। एक्सेस डिमाण्ड के साथ कोई स्टेटमेंन्ट नहीं है। पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसा कहा है, राज्य सरकार की यह ड्यूटी है कि वह इस हाउस को कान्फीडेन्स में लें। आपने बताया है कि 15,20,000 एक्सेस खर्च हुए, वह पूंजी की लागत में हुए थे तो हमें यह तो बतायें कि किस चीज में खर्च हुए हैं, कहां से हुए हैं ताकि हम बहस में पार्टीसिपेट कर सकें। नाम तो लिख दिया स्पष्टीकरण, लेकिन वह कन्फ्यूजनकरण है। चार लाइनें लिखी हुई हैं। केवल चार-चार लाइनें लिखने से क्या होता है? यह बताना चाहिए कि क्या आडिट आब्जेक्शन्स हुए, क्या पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने कहा और यह क्यों हुआ? एक तो यह मेरा निवेदन है।

दूसरी बात यह है कि जब मैंने फाइनेन्स कमिश्नर साहब को टेलिफोन किया कि आप बतायें तो वे खुद नहीं बता सके। उन्होंने यह कहा कि कन्सर्न्ड डिपार्टमेंन्ट से बातचीत करके, पूरा स्पष्टीकरण सर्क्यूलेट करवा देंगे। उन्होंने कहा था इसलिये उसका इन्तजार अब तक मैं करता रहा। वित्त विभाग को मालूम नहीं है, तो कन्सर्न्ड डिपार्टमेंट से पूछकर बतायेंगे। मैंने समझा वह स्पष्टीकरण आ जायेगा लेकिन वह आज तक नहीं आया। जिसके बारे में आप

(श्री मथुरादास माथुर)
हमसे मंजूरी चाहते हैं उसकी डिटेल्स क्या हैं, यह उस वक्त भी नहीं बताया . . .

श्री मूलचन्द डागा : लड़की देखी नहीं तो सगाई कैसे करें ? क्या शक्ल सूरत है, यह देखने से पहले हम कैसे शादी कर दें ?

श्री उपाध्यक्ष : मेरे ख्याल से जब ये प्रस्तुत की जा रही थीं उस समय यह एतराज होता तो उचित था। कट मोशन उसी आधार पर लिये गये हैं, यह आपका आब्जेक्शन काफी लेट है।

श्री मथुरादास माथुर : मिनिस्टर साहब स्टेटमेंट देकर, हमको समझा दें कि 15 लाख रुपया किसके लिए चाहते हैं ? पम्प के लिए चाहते हैं, या कोई कुए खुदवाने के लिये चाहते हैं ? या और कोई स्कीम हाथ में ले ली, उसके लिये चाहते हैं ? हमको यह समझा दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : माननीय सदस्यों ने कट मोशन किस लिये दिये हैं ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : सदन को पूरी जानकारी होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : इस में लिखा है कि पब्लिक अकाउण्ट्स कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह रिपोर्ट भी माननीय सदस्यों को सर्क्यूलेट हो गई . . .

श्री मूलचन्द डागा : जी नहीं, हमको कोई रिपोर्ट नहीं मिली।

(व्यवधान)

श्री महबूब अली (राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव पेश किये हैं, यदि उनको जानकारी नहीं थी तो किस प्रकार से पेश किये ?

श्री मथुरादास माथुर : कटौती प्रस्ताव तीन तरह के होते हैं। वन रूपी कट, हण्ड्रेड रूपी कट और इकानामी कट। हम यह भी डिस्कस करेंगे कि सरकार की लेटेस्ट नीति क्या है ? यह मत कहियेगा कि आपने गलती कर दी, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। पालिसी के बारे में भी कट मोशन रख सकते हैं।

श्री महबूब अली : उनमें से कई कटौती प्रस्ताव ऐसे हैं जो आज की मांग से ताल्लुक रखते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : पूरी डिटेल्स दें....

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप हमको पढ़ा रहे हैं.....

श्री महबूब अली : मैं कभी ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकता कि आपको पढ़ाऊं। मैंने तो अपना दृष्टिकोण आपके सामने रखा है।

श्री मथुरादास माथुर : हम लेटेस्ट पालिसी भी डिस्कस कर सकते हैं, ऐसी रूलिंग हो चुकी है।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था आपकी होनी चाहिए। माननीय राज्य मन्त्री महोदय ने बेसिक सवाल उठा दिया कि हम राज की

Page No 82

(82)

(श्री **रामनारायण चौधरी**)
नीति को कटौती प्रस्ताव के द्वारा डिस्कस नहीं कर सकते। जो काम आपको करना चाहिए, वह उन्होंने कर दिया।

(व्यवधान)

श्री **उपाध्यक्ष** : जो चर्चा माननीय डागाजी ने उठायी है, मैं यह चाहूंगा कि मन्त्री महोदय संक्षेप में अतिरेक मांगों के बारे में बता दें। यह आवश्यक नहीं है कि डिटेल्स में कहें।

श्री **मूलचन्द डागा** : यह ठीक है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। कल की डिमाण्ड पर, लिट्रेचर आज ही दे दें।

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय डागाजी, आपने पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया, इससे जो अच्छी स्थिति हो सकती है वह होगी।

श्री **महबूब अली** (राज्य मंत्री, जन-स्वास्थ्य) : उपाध्यक्ष महोदय, उक्त बजट शीर्षक के अन्तर्गत वर्ष 1972-73 में नगरीय योजनाओं के निर्माण कार्यों के लिये 1,35,69,000 रु० का प्रावधान आवंटित था जिसके सम्मुख 1,51,48,301 रु० का व्यय हुआ और इस तरह 15,79,301 रु. का अतिरेक हुआ। यह अतिरेक मुख्यतः निर्माण कार्यों के लिये विक्रेताओं द्वारा आशा के विपरीत कम समय में ही आदेशों के अन्तर्गत माल सामग्री भेज देने तथा बजट शीर्षक 30 जन-स्वास्थ्य स्थापना पर अनुपातिक व्यय के अन्तर्गत विभिन्न जलपूर्ति योजनाओं पर वास्तविक व्यय के अनुसार समायोजन के कारण हुआ है। यह समायोजन महालेखाकार द्वारा पूंजीगत व्यय के अनुपात में निर्माण कार्यों में लगे हुए स्टाफ के प्रति हुए वास्तविक व्यय के आधार पर किया गया है।

श्री **मूलचन्द डागा** : ये पढ़ रहे हैं। मालूम नहीं होता कि क्या कहना चाहते हैं—

Kindly give us the details of your reading.

श्री **मथुरादास माथुर** : आपने यह कहा है कि 15 लाख रुपये अधिक खर्च हुए हैं सप्लाई जल्दी आने की और योजना पर वास्तविक व्यय के अनुसार समायोजन होने की वजह से। कौनसी योजना पर हुआ, इसका ब्रेक-अप दीजिये या यह कह दीजिये कि एक योजना पर हो गया। आपने यह कहा कि माल की सप्लाई आशा से जल्दी आ गई। कौनसा माल था? सीमेन्ट की सप्लाई थी, पाइप था या और कोई मशीनरी थी या इन्जिन था, पम्प था? कहां की योजना थी? टेण्डर मांगे गये या नहीं? यह डिटेल्स बता दीजिये। हम यह चाहते हैं...

श्री **महबूब अली** : जो डिटेल्स हैं, वह आपके सामने पेश करता हूं। मूल योजना पर व्यय आयोजना व्यय 59.80 लाख की व्यवस्था थी, वास्तव में व्यय हुआ 70,76,247। 10,96,247 एक्सेस हुआ।

श्री **मथुरादास माथुर** : किसमें एक्सेस हुआ?

श्री **महबूब अली** : आयोजना व्यय में।

श्री **मथुरादास माथुर** : सदन में हमारा फर्ज है कि हम समझें। आपने बताया कि प्लान एक्सपेंडीचर में 59.80 लाख सैंक्शण्ड था और खर्च हुआ 70 लाख। प्लान

(श्री मथुरादास माथुर)
एक्सपेंडीचर बहुत बड़ी चीज है। कौन से मद में यह खर्चा हुआ ?

श्री महबूब अली : इतनी डिटेल्स मेरे पास नहीं है, मोटा ब्रेक-अप मेरे पास है।

श्री मूलचन्द डागा : तो कल आयें, परसों आयें ।

श्री मथुरादास माथुर : डिमाण्ड तो पास होगी लेकिन माननीय सदस्यों को चर्चा करने का समय मिलना चाहिए। आज आपके पास नहीं तो अपने अधिकारियों से कहिये ।

श्री मदनसिंह दांता : यह तो कामनसेन्स है ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मंत्रीजी खेद प्रकट करें ।

श्री महबूब अली : किस बात का खेद ? आपकी गलतियों पर हम खेद प्रकट करें ?

श्री मूलचन्द डागा : हम रबड़ स्टम्प नहीं बनना चाहते । आप नौकरशाही को बुलाकर पढ़ें, और समझ लें ।

श्री महबूब अली : मैंने पढ लिया और समझ लिया ।

श्री मूलचन्द डागा : We want detailed statement.

श्री मदनसिंह दांता : अगर ये बहस नहीं करते हैं तो You may pass.

श्री उपाध्यक्ष : डागाजी, विराजिए । मैं कुछ जानकारी देना चाहूंगा ।

ये जो अतिरेक मांगें हैं इनके बारे में पी. ए. सी. ने डिस्कस करके, इन मांगों को स्वीकार करने की सिफारिश की है। उनको सदन में पेश होने के बाद सक्यूलेट किया गया है, मैंने वेरीफाई कर लिया है। ऐसी हालत में चर्चा उठाना आवश्यक नहीं है। मेरी जानकारी में आया है कि इन मांगों को फार्मली मूव नहीं किया गया है। मंत्री महोदय, फार्मली मूव करें ।

अतिरेक मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 94 जन स्वास्थ्य पर पूंजी की लागत की प्रस्तुति

श्री महबूब अली : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वर्ष 1972-73 के लिए अतिरेक मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 94-जन स्वास्थ्य पर पूंजी की लागत के संबंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त हुए वर्ष में किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को 15,79,301 रु. की राशि और प्रदान की जाय ।

श्री मूलचन्द डागा : इसी पर मेरी आपत्ति थी कि आपने ब्रेक-अप नहीं दिया। उपाध्यक्ष महोदय का आदेश हुआ कि आप इन्ट्रोडक्ट्री स्पीच देकर.....।

श्री महबूब अली : That I have given.

श्री मूलचन्द डागा : Before moving you have given. आप बताइए 15 लाख रुपये आपने किस-किस बात के लिए खर्च कर दिए ? क्या टेन्डर्स मंगवाए थे ? कितना सामान आया था ? कहां कहां की योजना थी ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सदन को कमेटी सारे प्रश्न को एग्जामिन कर लेती है और सिफारिश करती है कि सदन में पुट-अप की जाए, उसके बाद यहां हर एक सदस्य कहे कि दुबारा डिस्कस की जाए, तो यह ठीक नहीं ।

व्यवस्था का प्रश्न

अनुदान का विवरण

श्री मूलचन्द डागा: मेरे पास रिपोर्ट नहीं आई । कौनसी तारीख को वह सक्यूंलेट हुई ? रिपोर्ट सक्यूंलेट नहीं हुई ।

श्री मथुरादास माथुर : कल सप्लीमेंट्री डिमांड आ रही है, उनके सम्बन्ध में, यहां पर कन्फ्यूजन है । इतना तो स्टेटमेंट दें कि ऑडिटर जनरल का यह ऑडिट पैरा है एक्सेस खर्चे के बारे में, उसके लिए पी. ए. सी. का यह स्टेटमेंट है । यह ब्रेक-अप है । राज्य सरकार के पास इतने साधन हैं, फिर इनको क्या परेशानी होती है ? बजट के समय इतने बड़े बड़े आंकड़े देते है । इसके लिए भी 4 लाइन्स दे दें तो सदस्यों को संतोष हो जायगा ।

श्री मूलचन्द डागा : मंत्री महोदय के पास जवाब नहीं है । मुख्य मंत्री को मोशन मूव करना चाहिये था । वह चले गए बाहर । उनको सदन में बुलाया जाय और उनसे पूछा जाय । ये तो उनके कहने से बोल रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय ने अपना इन्ट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दिया है ।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने उस पर प्रश्न पूछा है, वह बता दें । हम सहयोग करेंगे, but you must not take the House for granted हम सलाह देते हैं, पुरानी डिमांड है, खर्चा हो गया, हर्ज नहीं, लेकिन डिटेल्स तो दें ।

श्री महबूब अली : जितनी डिटेल्स थी, मैंने प्रस्तुत कर दी ।

श्री मूलचन्द डागा : ब्रेक-अप बता दें ।

श्री मथुरादास माथुर : आपके पास इस समय नहीं है । यह विभाग का फर्ज था कि पूरा ब्रेक-अप सर्क्यूलेट करता ।

श्री महबूब अली : सदन की कमेटी ने डिटेल में एग्जामिन किया है ।

श्री मथुरादास माथुर : उसकी रिपोर्ट हमारे सामने आनी चाहिए थी, You should not take the House for granted.

श्री मूलचन्द डागा : बताइए नहीं तो आपके खिलाफ ब्रीच आफ प्रिविलेज मोशन आ जाएगा, आप गलत बयान देते हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : मंत्री महोदय को भी डिटेल्स मालूम नहीं हैं । इनको भी मालूम नहीं है, परेशानी तो यही है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस बात से सहमत हूं कि अगर पी.ए.सी. ने एग्जामिन करके सिफारिश की है तो उसके आधार पर कम से कम रिपोर्ट सर्क्यूलेट होनी चाहिए । मुझे सचिवालय ने बताया है कि रिपोर्ट सक्यूंलेट हो चुकी । मैं वेरीफाई कर लूंगा लेकिन फिलहाल इस पर चर्चा न करें ।

श्री मूलचन्द डागा : आपका सचिवालय तो यहां बैठा है, सचिव बैठे हैं, बतायें कि कौन सी तारीख को रिपोर्ट गई ?

श्री उपाध्यक्ष : अब आगे चर्चा होने दी जाए । भविष्य के लिए पी.ए.सी. की

(श्री उपाध्यक्ष)
रिपोर्ट जरूर सर्क्यूलेट होनी चाहिए, जब अतिरेक मांग आयें।

अब श्री गोपाल पचेरवाल अपने कटौती प्रस्ताव पर बोलें।

(अनुपस्थित)

श्री हरीश शर्मा।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी) : सन् 1972-73 में कांग्रेस पार्टी का तथाकथित राज था।

श्री **मूलचन्द डागा** : तथाकथित राज कैसे था ?

श्री हरीश शर्मा : उस समय फाइनेन्स की व्यवस्था के बारे में कोई नीति निर्धारित नहीं थी, उसका परिणाम यह हुआ कि...

व्यवस्था का प्रश्न
कार्यसूची के क्रमानुसार विषयों पर विचार

श्री मथुरादास माथुर : आन ए पाइंट आफ आर्डर। आज के अजेण्डा में विधायी कार्य भी एक आइटम था। वह नहीं लिया गया उसके पहले फाइनेन्सियल मैटर्स पर आ गए। आज 6 नवम्बर में है, आधे घंटे की चर्चा, फिर विधायी कार्य। विधायी कार्य नम्बर 2 पर था तो क्या विधेयक सुराणा जी मूव नहीं कर रहे हैं ?

श्री माणकचन्द सुराणा : स्पीकर महोदय ने बोला नहीं आइटम।

श्री **उपाध्यक्ष** : सप्लीमेंट्री अजेन्डा दिया है उसमें संशोधन करके दिया है।

श्री **मथुरादास माथुर** : यह देख लें, इसमें नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : हो सकता है आपको प्राप्त नहीं हुआ हो।

श्री **मथुरादास माथुर** : इसमें और संशोधन हुआ, वह हमको नहीं मिला।

श्री **उपाध्यक्ष** : इसमें और संशोधन किया गया है और वह भी सर्क्यूलेट कर दिया गया है।

श्री **माणकचन्द सुराणा** : मैं इसको मूव करूंगा, इस आइटम के बाद।

श्री **मथुरादास माथुर** : रूल्स आफ बिजनेस कहता है कि अजेन्डा के हिसाब से बिजनैस हाउस में चलना चाहिये।

श्री **उपाध्यक्ष** : इसमें संशोधन कर दिया गया है।

श्री **मथुरादास माथुर** : लेकिन वह मिला नहीं।

श्री माणकचन्द सुराणा : मैं इससे एग्री करता हूं। इस आइटम को समाप्त कर लें फिर इसको मूव कर दूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : लेकिन आप कौन से पद के मंत्री हैं यह मालूम नहीं हुआ। आप वित्त मंत्री बने हैं या क्या बने हैं ?

मांग संख्या 38 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय

Page No 86

(86)

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन),
श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी),
श्री ओम प्रकाश शर्मा (बूंदी),
श्री निमल कुमार (झालरापाटन):

1. जल पूर्ति योजनाओं पर हुए अनुपातिक और वास्तविक व्यय के कारणों के समायोजन व्यय के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री मूलचन्द डागा (पाली):

2. विभिन्न जल पूर्ति योजनाओं के वित्तीय नियंत्रण में ढिलाई व लापरवाही के फलस्वरूप अतिरेक पर चर्चा के लिये।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल, जयपुर),
श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण)
श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज):

3. निर्माण कार्यों हेतु खरीदी गई माल सामग्री के कारण हुए अतिरेक व्यय पर चर्चा के लिये।

श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा):

4. प्रशासनिक ढील के कारण जल पूर्ति योजनाओं पर हुये अतिरेक व्यय पर चर्चा के लिये।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़),
मेजर श्री फतेह सिंह (भीम),
श्री हरचन्द सिंह (पीलीबंगा),
श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं),
श्री दाऊ दयाल जोशी (दीगोद),
श्री गोपाल सिंह (खण्डेला),
श्री करतार सिंह (किशनगढ़),
श्री काशीनाथ गुप्त (कुम्हेर),
सैयद मंजूर अली (सवाई माधोपुर),
श्री हरी कृष्ण (नदबई):

5. निर्माण कार्यों के लिये क्रय किये गये सामान में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री **रघुनाथ विश्नोई** (सांचौर):

6. पंचायत समिति सांचौर क्षेत्र की जल प्रदाय योजनाओं में खराब पाइप काम में लेने के कारण पाइप लाइन में लीकेज के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री **रतनाराम चौधरी** (रानीवाड़ा):

7. जल पूर्ति योजनाओं पर वास्तविक व्यय से अधिक व्यय होने के कारणों पर चर्चा के लिये।

श्री **वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर):

8. जल पूर्ति योजनाओं पर वास्तविक व्यय से अधिक व्यय होने के कारणों पर चर्चा के लिये।

श्री **हरी कृष्ण** (नदबई):

9. विभिन्न जल पूर्ति योजनाओं पर किये गये अधिक व्यय के कारणों पर चर्चा के लिये।

श्री **रामकृष्ण दास गुप्ता** (कोलायत):

10. निर्धारित समय के अन्दर माल सामग्री उपलब्ध हो जाने पर भी अतिरिक्त धन मांगने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री **हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं):

11. ग्राम कोयल, खोखरी, बैंड़त, लाडनूं जिला नागौर को पानी के पाइप क्रय में हुए घोटाले पर चर्चा के लिये।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

12. ग्राम दयालपुरा, ललासरी, तहसील डीडवाना, जिला नागौर में पाइप लाइनों में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

13. ग्राम मीटड़ी, तहसील लाडनूं, जिला नागौर में पाइप लाइन डालन में हुए घोटालों के संबंध में चर्चा के लिये।

14. ग्राम वल्दू, तहसील लाडनूं, जिला नागौर में पानी की पाईप लाईन पर अधिक व्यय के संबंध में चर्चा के लिये।

15. अधिक व्यय करने के बावजूद भी ग्राम सीघाना, तहसील डीडवाना, जिला नागौर के सवराह जल योजना में शामिल न करने पर चर्चा लिये।

16. ग्राम कलवानी, तहसील डीडवाना, जिला नागौर की पाइप लाईन होते हुए भी पानी नहीं पहुंचने पर चर्चा के लिये।

17. ग्राम अम्बापा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर में विषैला पानी होने के कारण जल योजना से ग्राम थानू से न जोड़ने पर चर्चा के लिये।

18. ग्राम गीली ढानी, तहसील लाडनूं, जिला नागौर को जल योजना धावा से जोड़ने पर हुई अनियमितता के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) :

19. जलदाय कार्यक्रम पर हुये अधिक व्यय के बावजूद भी पेय जल उपलब्ध कराने में असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) :

20. जल पूर्ति योजना पर योजना के समय बनाये गये अनुमानों से अधिक खर्चे के कारणों पर चर्चा के लिये।

21. ज्यादा सामान एक साथ खरीद कर पूंजी को अनावश्यक रोकने के कारणों व हानि पर चर्चा के लिये।

श्री राम प्रसाद लड्ढा (माण्डल), **श्री रामजी लाल महामना** (वैर) :

22. पेयजल योजनाओं पर अनुमान से अधिक व्यय के कारणों पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (नोहर) :

23. इस मद में अतिरेक व्यय के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री ओंकार लाल चौहान (अटरू) :

24. अटरू, जिला कोटा में जलप्रदाय योजना में अतिरेक व्यय करने पर भी पानी की सप्लाई पूरी तरह से कस्बे में न करने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

25. अतिरेक व्यय करने पर भी जन स्वास्थ्य की योजनाओं की पूर्णरूपेण क्रियान्विति न करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

26. अधिक व्यय करने पर भी बनास नदी पर बिसलपुर योजना द्वारा जयपुर, अजमेर, ब्यावर, टोंक को पेयजल उपलब्ध न कराने पर चर्चा के लिये।

27. अतिरेक व्यय के बावजूद भी जन स्वास्थ्य की योजनाओं की पूर्णरूपेण क्रियान्विति न करने पर चर्चा के लिये।

Page No 88

श्री **मूलचन्द डागा** (पाली) :

28. पाली तहसील के रोहट, पंचायत समिति के गांव पासपदरिया, खुटानी, लांबडा, डूंगरपुर, खोडी, चेडा, सोनाईलाखा पेयजल सामग्री में हुये भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा (माण्डल) :

29. अधिक व्यय के बाद भी जन स्वास्थ्य की योजनाओं को पूर्णरूपेण क्रियान्वित न करने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री **वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) :

30. राज्य में विभाग द्वारा पाइप लाइनों के खरीद के घोटालों के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

31. बाड़मेर जिले में ग्रामीण क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनाओं पर धन व्यय करने पर भी लाभ न मिलने पर चर्चा के लिये ।

श्री **रामसिंह विश्नोई** (लूणी) :

32. जोधपुर जिले में ग्रामीण जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत जो योजनाएं चल रही हैं उसमें ढिलाई बर्ती जा रही है उस पर चर्चा के लिये ।

मांग संख्या 38 पर विचार

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री हरीश शर्मा ।

श्री **हरीश शर्मा** : उपाध्यक्ष महोदय, शहरों की बढ़ती हुई आबादी के अनुसार जल आपूर्ति की क्षमता में वृद्धि नहीं की गयी । आज शहरों की स्थिति यह हो चुकी है कि वहां का पानी नागरिकों के लिए पर्याप्त नहीं हो पाता है । मैं इसका उदाहरण दे सकता हूं । कोटा नगर, रामगंज मण्डी की बढ़ती हुई आबादी के कारण, आज वाटर सप्लाई की व्यवस्था डगमगा रही है और लोग घबरा रहे हैं । यहां पर बैठकर शहरों की आबादी का अन्दाजा यह लोग नहीं लगा सके और बजट अपने ऊपर खर्च करते रहे ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसका परिणाम यह हुआ है कि आज गांवों में पानी के अभाव की वजह से और खराब पानी की वजह से लोग बीमार हो गए । उनको नारु और दूसरी तरह की बीमारियां हो गयी हैं । उनकी ओर इनका ध्यान नहीं गया । रेस्ट हाउस में बजट समाप्त होता रहा और बोतलों में लगाते रहे । इसकी जिम्मेदारी 1972-73 वाली सरकार है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री **मदनसिंह दांता** : उनकी खराबियों को अभी तक बोलते रहोगे ।

श्री **हरीश शर्मा** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए नीति में संशोधन करके ग्रामोत्थान के लिए, निगम बनाने की जो सरकार की नीति चल रही है, एक नयी बात करने की कार्यवाही की जा रही है उसके लिए मैं सरकार को बधाई दूंगा, लेकिन सरकार को आगाह करूंगा कि कोटा में जल की व्यवस्था होनी चाहिए, रामगंजमण्डी में होनी चाहिए ताकि जल आपूर्ति की व्यवस्था सुव्यवस्थित रूप से चले । यही मेरा निवेदन है ।

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री गिरधारीलाल भार्गव ।

(अनुपस्थित)

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री ईश्वर चन्द्र!

श्री ईश्वरचन्द्र : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जल आपूर्ति योजनाओं के बारे में मैं हमारे माननीय मंत्री महोदय को आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अभी भी काफी जलाभाव है। इसका एक उदाहरण जो सन् 72 से चल रहा है वह बताना चाहूंगा।

मेरे विधान सभाई क्षेत्र में एक गांव है रायपुर, वहां ग्राम पंचायत है और ग्रामीण क्षेत्र है। वहां पर पानी की फ्लेट रेट 10 रुपया है जब कि झालावाड़ और झालरापाटन में या दूसरे शहरों में फ्लेट रेट 7.50 रुपया है। इस तरह की असमानता ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में है। इसको तुरन्त दूर किया जाये। मैंने इसके बारे मे आफिसर्स से पता लगाया, तो उन्होंने कहा कि कहीं डीज़ल से चलाने की वजह से रेट में फर्क हो सकता है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि रायपुर में जो पानी दिया जा रहा है नलों के द्वारा, वह बिजली के द्वारा दिया जा रहा है और झालावाड़ और झालरापाटन में भी पानी बिजली के द्वारा दिया जा रहा है। इसके बावजूद भी रेट में 3 रुपये का फर्क होना बिलकुल गैरवाजिब है, गलत है। यह जो असमानता है जिसका कोई औचित्य और कारण नहीं है, यह कम से कम तुरंत दूर करना चाहिए।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पानी के मामले में प्राथमिकता विधान सभा क्षेत्र में, पानी की क्या स्थिति है उसको देखकर तय की जानी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जो स्कीम बनी है, मैं नीति के ऊपर बोल रहा हूं, अभी जो स्कीम बनी है उसमें झालरापाटन पंचायत समिति के 27 गांव हैं। उनमें हैंड पम्प की व्यवस्था की गयी है, जब कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में केवल 5 गांवों को ही लिया गया है। झालरापाटन में पानी की कमी नहीं है, कुए उपलब्ध हैं उसके बावजूद भी वहां 27 गांव सलेक्ट किये गये हैं, और मेरे विधान सभा क्षेत्र मे 5 गांव ही लिये हैं और उनमें भी अभी तक कोई योजना चालू नहीं की गयी है। मैं निवेदन करता हूं कि 1972-73 में पंचपहाड़ में हैंड पम्प लगाये गये हैं, वह दो दिन भी नहीं चले उन हैंड पम्प का आज तक पता नहीं कि उनको कौन खोदकर ले गया। वह काम नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से ग्राम भीलवाड़ो में भी हैण्ड पम्प लगाये और वह भी आज तक चल नहीं रहे हैं, हैंड पम्प खराब पड़े हैं उनकी मरम्मत करने वाला कोई नहीं है।....

श्री मूलचन्द डागा : आन ए पॉइन्ट आफ आर्डर, सर। रूल 152 है वह यह कहता है: The debate on the supplementary grants shall be confined to the items constituting the same and no discussion may be raised on the original grants nor policy underlying them save in so far as it may be necessary to explain or illustrate the particular items under discussion.

श्री ईश्वरचन्द्र : मैं तो सन् 72 का बोल रहा हूं।

श्री मदन सिंह दांता : When the Minister said this you objected it.

श्री मूलचन्द डागा : No, No. I have raised point of order.

श्री ईश्वर चन्द्र : सन् 72-73 में मेरे विधान सभा क्षेत्र मीलडी में जो हैंड पम्प लगाये, वह खराब पड़े है, उनकी मरम्मत नहीं हुई है ।

श्री मूलचन्द डागा : आप उस समय लड़के थे, छोटे से थे ।

श्री मदनसिंह दांता : इस पर बोल सकते हैं ।

श्री ईश्वर चन्द्र : इनका जो जलदाय विभाग है उसमें जो हैंड पम्प लगाने वाला विभाग है उससे इसका कोई तालमेल नहीं है । जो हैंड पम्प लगाये और वह खराब हो गए । इनका जो मशीन ठीक करने वाला विभाग है वह जोधपुर में है । उनकी बातें इन तक नहीं पहुंचती और इनकी बात उन तक नहीं पहुंचती ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जलदाय विभाग की एक्सेस ग्रान्ट तो मन्जूर करायें लेकिन कोआर्डिनेशन बैठाये । कोआर्डिनेशन के अभाव में मशीनें वहां पहुंचती नहीं हैं और हैंड पम्प काम नहीं कर रहे हैं ।

इसी तरह से पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में पानी की व्यापक समस्या है, उसको दूर करने की व्यवस्था करायें । मैं मंत्री महोदय, से खास तौर से निवेदन करूंगा कि वह पानी की व्यवस्था करायें और पानी सुलभ करायें ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मथुरादास माथुर ।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत खुशी होती, यदि इस वक्त मुख्य मंत्री यहां विराजमान होते । मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान दो तीन बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

यह हमने अखबारों में पढ़ा है । सदन में मुख्य मंत्रीजी ने चर्चा करते हुए, इस बात की चर्चा की थी कि वे यहां पर एक बोर्ड बनाना चाहते हैं, वाटर बोर्ड । इस पर इस सदन में चर्चा होने के बाद, राज्य सरकार विचार कर रही है । मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या राज्य सरकार ने इस बात का विचार कर लिया है कि यहां पर जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसी तरह कानून लाकर जल वितरण के लिये ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई बोर्ड या कार्पोरेशन कायम किया जाये । मैं इस बात को महसूस करता हूं; राज्य सरकार को मैंने उस वक्त भी निवेदन किया था और अब भी कर रहा हूं कि इस प्रकार के बोर्ड बनाने का एक फायदा तो यह नजर आता है कि आर्गेनाईजेशन से रुपया कर्ज मिल जाय । मगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाने के बाद में यह तजुर्बा हुआ है कि ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई कामर्शियल बैसिस पर नहीं कर सकते । मेरा यह निवेदन है, कि गांवों के अन्दर जितनी योजनायें बनती हैं वह वहां बनती हैं जहां पर पानी उपलब्ध नहीं है, जहां दूर से पानी लाया जाता है । कामर्शियल स्कीम पर कोई भी संस्था आपको रुपया देगी, वह ब्याज वसूल करेगी । आपकी कामर्शियल स्कीम को एक्जामिन करेगी, उसके बाद में रुपया देगी । ऐसी सूरत में आप देखेंगे कि वाटर रेट इतनी ऊंची हो जायगी कि जिसकी वजह से आपकी जो कामर्शियल नुक्ते निगाह है, वह नहीं रह पायगी, फिर आपको बड़ी परेशानी होगी । आज भी, उपाध्यक्ष

(श्री मथुरादास माथुर)

महोदय, एल०आई०सी० हमारे गांवों के अन्दर रुपया नहीं दे रहा है। शहरों के लिये देता है। गांवों के लिये नहीं दे रहा है इसकी वजह यह है कि इकानामिकली साउण्ड स्कीम नहीं बना सकते। इस कारण गांव वाले इससे महरूम हो जायेंगे। राज्य सरकार इस पर पुनः विचार करें। एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज बढ़ेंगी, वाटर रेट बढ़ेंगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। कम से कम इस बात का ध्यान रखा जाय कि वाटर सप्लाई को कामर्शियल बना दिया गया तो जो फण्डामेंटल चीज है उसके खिलाफ यह हो जायगा। जनता को तकलीफ हो जायेगी। इसलिये राज्य सरकार से कहूंगा कि यदि इस बारे में आपके कदम आगे बढ़ रहे हैं तो आगे नहीं बढ़ायें।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सदस्य ने भी सुझाव दिया था, जैसलमेर में पानी की दरें कुछ और हैं, कोटा में कुछ और, जोधपुर में कुछ और हैं। गांव गांव में, शहर-शहर में अलग-अलग रेट है। कहीं 1.50 रुपया थाउजेंड गैलन है कहीं 3.50 रुपया थाउजेण्ड गैलन है। सब स्कीमों के ऊपर जो रुपया खर्च होता है, सब राज्य सरकार का होता है, जनता का होता है, इसलिए वाटर रेट को रेशनेलाइज कर दिया जाय। एक ही रेट रखी जाय। जितना खर्च हो, जितनी आमदनी हो, उसके हिसाब से एक रेट रख दी जाय, ताकि सभी लोगों को बराबर खर्चा देना पड़े। जहां पानी नहीं है, वहां पानी दूर से लाने में वाटर रेट अधिक हो जायेगी।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके पास में योजना है . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट।

जोधपुर वाटर सप्लाई के लिये जवाई का पानी जो आ रहा है उसके ऊपर नहर के साथ आप पाइप लाइन की योजना बना रहे हैं। यह पाइप लाइन की योजना बन जायेगी इस पर खर्चा करोड़ों रुपयों का हो जायेगा। नहर से पानी भेजा जा सकता है, पाइप लाइन का खर्चा बढ़ जायेगा। मेरा निवेदन है कि छठी योजना में राजस्थान नहर से जो राजस्थान को पानी देने का फैसला हो चुका है, वह पोकरण तक आयेगा। पोकरण से जोधपुर ढाल से पानी चला आयगा, जिससे आने वाले 50 वर्षों में ड्रिंकिंग वाटर की डिफिकल्टी नहीं रहेगी। इसलिये पाइप लाइन की जो बात सोचते हैं, इसको ड्राप करिये। मेरा आपसे निवेदन है यह खर्चा न करें। इस बात पर ध्यान दें।

चौथी बात, भारत के प्रधान मंत्री ने, राजस्थान के मुख्य मंत्री ने अपने भाषणों में कई बार घोषणा की है कि पांच वर्षों में, कई बार 10 वर्ष बोल जाते हैं हर गांव में पीने के पानी की योजना पूरी कर लेंगे। श्रीमान्, राजस्थान में 33,305 गांव हैं। 24,037 गांव ऐसे हैं, जहां पर पानी की समस्या है। 4,000 गांवों में पानी की समस्या हल हो चुकी है। 8,000 गांव ऐसे हैं जहां पानी का सोर्स नहीं है। पानी कहां से लाया जाये? 9,000 गांव ऐसे हैं जहां पानी खारा है, पीने के लायक नहीं है। बाकी 3,000 गांव ऐसे हैं जहां डिसोल्व्ड वाटर है, कोलेरा वगैरह इस पानी से हो जाता है। इस तरह 24,000 गांवों के अन्दर पानी देने के लिये 400 करोड़ रुपये की आवश्यकता है . . . .

श्री महबूब अली (राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य): मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सदस्य बहुत ही एक्सपीरियन्सड हैं। अपने कटौती प्रस्ताव तक ही सीमित रहें। आपके सुझाव बहुत कन्सट्रक्टिव हो सकते है, इस बात से इन्कार नहीं कर सकता, लेकिन समय के अनुसार कटौती-प्रस्ताव तक सीमित रहें। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप इसके ऊपर, कोई चर्चा रख दें, तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन कटौती-प्रस्ताव तक ही सीमित रहे तो ठीक है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं राइट बोल रहा हूं। डागा साहब ने रोंग रूल कोट किया था।

मैं इसलिये कह रहा हूं कि आप अपना अगला बजट बनाने जा रहे हैं। छठी पांच साला योजना बनाने जा रहे हैं। आपने इसका प्रारूप डिस्कस नहीं किया है। जब आप प्रारूप बना कर भेज देंगे फिर आप क्या चैन्ज करेंगे? हम यह महसूस करते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर के प्रश्न पर सदन में बहस की जाय। अभी कोई मौका नहीं है। इस मौके का फायदा उठाकर आपके सामने सुझाव रख रहा हूं। यह जो आपका रूल है 151-"Supplementary, additional, excess and exceptional grants and votes of credit. Supplementary, additional, excess and exceptional grants and votes of credit shall be regulated by the same procedure as is applicable......"

बजट के लिये जो प्रोसीजर होता है, वही इसके लिये होता है।

श्री दिग्विजय सिंह (कृषि मंत्री) : रूल 152 पढ़िये।

श्री उपाध्यक्ष : माथुर साहब, आप काफी कह चुके हैं।

श्री मथुरा दास माथुर: डिमाण्ड तो पास होगी। हम चाहते हैं अपनी बात तो रखें।

मेरा यह निवेदन है कि 400 करोड़ रुपया चाहिये। प्राब्लम आपके सामने यह है कि छठी पांच साला योजना में आपने 150 करोड़ रुपया रखा है। इसमें आपकी स्टेट गवर्नमेंट का कन्ट्रीब्यूशन भी शामिल है। वह भी 35 करोड़ होता है, आप रख पायेंगे या नहीं रख पायेंगे, मुझे शंका है। छठी पांच साला योजना मे 150 करोड़ रुपये रखने से समस्या कैसे हल होगी। तीन पांच साला योजनाये और बनें, और 150 करोड़ रुपया हर पांच साला योजना में रख सकें और वर्ल्ड बैंक से पैसा ले सकें तब जाकर यह समस्या हल होगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिये आप तसल्ली दे रहे हैं कि पांच या दस साल में गांवों मे सब जगह पीने का पानी हो जायेगा, यह पालिटिकल प्रोपेगन्डा है, यह वर्केबिल नहीं है। मैंने यह पाइन्ट इसलिये उठाया है क्योंकि और मौका नहीं मिलेगा। इसलिये राजस्थान कैनाल, लिफ्ट इरिगेशन, जोधपुर वाटर सप्लाई स्कीम, वाटर रेट्स की बात मैंने कही है। जो बोर्ड बनाने की स्कीम है, उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागाजी, आप अपने कटौती प्रस्ताव पर बोलना चाहेंगे?

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, 72-73 की जो रिपोर्ट पढ़ी, उसको पढ़ने के

(श्री मूलचन्द डागा)

बाद मालूम हुआ, जो पी०ए० सी० है उस पी०ए०सी० ने कहा हैं यह सारी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका पर हावी हो गई है। उसमें नोट लिखा है—कार्यपालिका परवाह नहीं करती है। मैंने कहा मंत्रीगण नये नय हैं इसलियें यह लिखा होगा। मंत्री नयें नये आयें हैं इनके लियें, उपाध्यक्ष महोदय, उसने रिमार्क पेश कर दिया। आप 72-73 के लिये, 15 लाख के लिये रबड़ स्टाम्प लगाना चाहते हैं, उसके लिये, महाधिलेखाकार ने लिखा है- आखिरी वक्त सदन में प्रस्तुत करने आये तब, तक जवाब कार्यपालिका का नहीं आया। क्या शर्म आयी जब रिपोर्ट पेश कर दी, और उसमें यह लिख दिया। पी. ए. सी. के चेयरमैन बड़ें वयोवृद्ध नेता हैं, जनता पार्टी के नेता हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बीमार हो गये, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट पेश की। चौधरी साहब बड़े ईमानदार नेता हैं। उन्होंने यह नहीं सोचा कि रिपोर्ट क्या पेश करें, मुझे तो कार्यपालिका जवाब ही नहीं देती है। खेद है, उन्होंने अपने विभागों के कान नहीं खींचे नौकरशाही के, वे व्यवस्थापिका के नीचे हैं। आज यह नौकरशाही हावी हो रही है, उसी का परिणाम है कि एक्सेस डिमाण्ड 72-73 की, 8 साल बाद पास कराई जा रही है। कल जब अपना अखबार पढ़ेंगे तो बड़ा आश्चर्य होगा कि 8 साल बाद डिमाण्ड पास हो रही है क्या? 8 साल बाद 9 करोड़ की मंजूरी दे रहे हैं। कार्यपालिका से जवाब मांगा, कार्यपालिका जवाब नहीं दे सकी, और कार्यपालिका जिसे एक्जीक्यूटिव कहते है ने हमारी विधान सभा की पी. ए. सी. है, जो हाउस की छोटी बाडी हैं को जवाब न देकर सदन का अपमान किया है। उन सारे अधिकारियों को कठघरे में खड़ा करना चाहिये।

यह 1972-73 में डिमाण्ड थी और आज 9 साल बाद एक्सेस डिमाण्ड मांगी है। नई पार्टी है, इसमें काम करने की शक्ति थी। हमारे चौधरी साहब बड़े कर्मठ कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कान खींचे, लेकिन अब उन्हे मालूम हो गया कि इस जनता पार्टी का राज आने के बाद, यह कार्यपालिका, यह एक्जीक्यूटिव हावी हो गई है। अयोग्य मंत्री हैं, यह मैं नहीं कहता, यह आप जाने, लेकिन एक्जीक्यूटिव ने हावी होने के कारण जवाब नहीं दिया। यह आडिट आब्जेक्शन है? इसका अब उत्तर क्या दिया है, हमारे माननीय महबूब अली साहब ने, जो बड़े अच्छे मंत्री, बड़े अच्छे वकील रहे हैं, मुझे दुःख है कि इनको फुल-फ्लेज्ड मंत्री नहीं बनाया। जो मंत्री काबिल हैं, जो काम ठीक करते हैं, उनको फुल-फ्लेज्ड बनाया जाना चाहियें, इन्होंने, श्रीमन्, यह उत्तर नहीं दिया 15 लाख कहां पर खर्च किये? उपाध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी, काम चलना चाहिये। मैं आपकी आज्ञा को मानते हुए चुप रह गया, लेकिन मैंने कहा ब्रेक-अप दीजिये तो ब्रेक-अप नहीं दिया। हुआ क्या, सामान ज्यादा खरीद लिया। आपने सामान ज्यादा खरीद कर, केपिटल डेड कर दी। अब इसके लिये कौन एक्जीक्यूटिव रेस्पान्सिबल है कि 10 लाख का ज्यादा सामान खरीद लिया, और ज्यादा सामान खरीदने पर घाटा बढ़ गया। अब आप रीजन्स देते हैं कि जो सामान खरीदा उसके लिये उन्होंने कहा कि हमें आशा नहीं थी कि वह सामान एकदम आ जायेगा। सामान एकदम आ गया। कार्यपालिका के लोगों की सांठ-गांठ होती है पूंजीपतियों से। ये हमारे समाजवाद को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। ये दोनों पूंजीपति और कार्यपालिका हावी हैं। कार्यपालिका उन बड़े-बड़े पूंजीपतियों से मिली रहती है।

(श्री मूलचन्द डागा)

आप एक्सेस डिमाण्ड लेकर आये हैं और चाहते हैं कि 9 करोड़ पर दस्तखत कर दें। आपको अन्दाज नहीं, अनुमान नहीं और आप डिमान्ड लेकर आ गये। मुझे दुःख हुआ, जब हम सिल्वर जुवली मना रहे थे, उस समय हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री, हमारे सदन के नेता कह रहे थे, मेरा देश भूखा-नंगा है। मुझे बड़ा दुःख हुआ, सिल्वर जुवली के दिन यह सुन कर। जब इस प्रकार का मौका नहीं था तब ये नेता महोदय बोल गये। मुझे दुःख हुआ क्योंकि वह ऐसा ओकेजन नहीं था। हमारे लोकसभा के अध्यक्ष श्रीमान् हेगड़े साहब ने उत्तर दिया कि जिस प्रकार सब प्रान्तों के साथ व्यवहार किया जाता है वैसा ही व्यवहार किया जायेगा। तो न तो आपने कोई ठीक योजना बनाई, न पीने का पानी दिया, पानी को खराब और कर दिया, पोल्यूशन कर दिया। इन पूंजीपतियों ने सारा पानी खराब कर दिया। माननीय संगार सिंहजी बैठे हैं, वे जानते है मेरे गांव में मीठा पानी था उसको जहरीला बना दिया। यह योजना गलत है।

(व्यवधान)

श्री महबूब अली (राज्य मंत्री, जन-स्वास्थ्य) : यह कोई ज्यादा अच्छी परम्परा नहीं है, डागा साहब।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द जैन (वाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के बारे में जो एक्सेस डिमाण्ड प्रस्तुत की गई है, उस संबंध में, अपने विचार सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं। जैसा अभी डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात को विशेष जोर देकर कहा है कि निगम की स्थापना करते समय, यह सोचना आवश्यक है कि ऐसा न हो कि रेगिस्तानी क्षेत्र में जो जलप्रदाय योजना है जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में पानी बिलकुल फ्री पहुंचाया जाना चाहिये, मैं यह इन्फार्मेशन के रूप में कहता हूं जो फ्री पानी पहुंचाया जाता है ऐसा न हो कि उस पर कहीं अधिक चार्जेज लग जायं और लोग पानी ले नहीं सकें और पानी का उपयोग नहीं कर सकें। पानी होते हुए योजना का इम्पलीमेन्टेशन इस प्रकार हो कि पानी महंगा रहे और लोग ले नहीं सकें, ऐसी स्थिति पैदा न हो। इसलिए इस निगम की स्थापना के बारे में सोचना आवश्यक है।

दूसरी बात मैं विशेष तौर से कहना चाहता हूं और वह यह है कि जो योजनाएं बनती हैं, ग्रामीण जलप्रदाय योजनायें बनती हैं, वे नक्शों के आधार पर बना देते हैं। ऑन दी स्पॉट जाकर ग्रामीण जलप्रदाय योजना नहीं बनती है। इस प्रकार की योजनाएं बनती हैं और बनाने के बाद उनको रिवाइज करना पड़ता है। ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं को रिवाईज करने के बाद एस्टीमेट्स बनाते हैं तो खर्चा ज्यादा लग जाता है। इसलिए इन ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं के बारे में, मैं कहना चाहता हूं कि यह कोशिश करनी चाहिए, गवर्नमेन्ट की तरफ से ऐसा आदेश हो जाना चाहिए कि योजनाएं ऑन दी स्पोट जाकर बनायें। ऑन दी स्पोट नहीं जाने से, रियल स्थिति का पता नहीं लगता है। नक्शों के आधार पर रियल स्थिति मालूम नहीं होती है। बार बार स्कीमों में चेंज करना पड़ता है। इसलिए स्कीम्स को बनाते समय इसका ध्यान रखना चाहिए। स्कीम्स बनाते समय पब्लिक के रिप्रेजेन्टेटिव्स को कोन्फीडेंस में नहीं लेते हैं। हमारे यहां इस प्रकार की

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

ग्रामीण जलप्रदाय योजनाएं बनी हैं जिनमें एक ग्राम से दूसरे ग्राम के बीच में बारह किलो मीटर की दूरी पड़ती है। कहीं कहीं पर 15 किलो मीटर की दूरी पड़ती है। इस तरह से योजना बनाते समय पांच-छः किलो मीटर की दूरी पर जब तक कोई पाइन्ट नहीं देते हैं तो उसके बारे में पब्लिक में ग्रामीण क्षेत्र की पब्लिक में नाराजगी रहती है। वह उन पाइपों को बीच में से तोड़ देते हैं और वह पानी बीच में ही बह जाता है। इसलिए यह भी आवश्यक है कि ग्रामीण जल प्रदाय योजना जो डेजर्ट एरिया में बनाई जावे उसमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि दो मील से अधिक किसी को भी पानी लेने के लिए जाना नहीं पड़े। इस प्रकार की योजना बनायेंगे तभी यह सक्सेसफुल हो सकेगी। आयन्दा से जो भी योजना बनायें उसमें इस बात का ध्यान रखें कि किसी ग्रामीण को, किसान को दो मील से ज्यादा नहीं जाना पड़े। एक गांव से दूसरे गांव में पहुंचने में 12 किलोमीटर तक, 15 किलो मीटर तक जाना पड़ता है। इसलिए योजना बनाते समय यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि दो किलोमीटर से अधिक दूर न जाना पड़े। यह भी ध्यान रखना चाहिये, ग्रामीण जल प्रदाय योजना बनाते समय...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट में समाप्त करता हूं।

जो योजना बनती है उसमें जो लास्ट पाइन्ट के आखिरी गांव हैं वहां पानी नहीं पहुंचता है। मेरे क्षेत्र में ऊंडू पनावड़ा और ऊंडू खुपलिया की ग्रामीण जलप्रदाय योजनायें हैं उनके अन्दर जो आखिरी दो-तीन गांव हैं वहां पानी नहीं पहुंचता है। वहां पानी नहीं पहुंचता है वह किस की रेस्पान्सिबिलिटी है?? उसके लिये स्कीम बनाने वाले रेस्पोंसिबल हैं। इसलिए स्कीम इस प्रकार की बनानी चाहिए कि लास्ट पाइन्ट पर पानी पहुंच जाय। स्कीम बना देते हैं, नक्शे के अन्दर तो ग्रामीण क्षेत्रों में पानी पहुंच गया, गांव में पानी पहुंच गया, लेकिन रियली वहां पर पानी नहीं पहुंचता है। तो स्कीम बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही जिन गांवों के लिये पहले जो स्कीमें बनी हैं उनमें पानी नहीं पहुंचा है, तो पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामकृष्ण जी, समय बहुत कम है, अब मंत्री महोदय को उत्तर देना चाहिए।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मंत्री महोदय तो उत्तर दे देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप संक्षेप में कह दीजिए, दो मिनट में।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (बीकानेर): श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार ने 72-73 में स्वीकृत राशि से अधिक राशि खर्च की और हमारी यह जनता सरकार भी उसी के पद चिन्हों पर चल रही है। मैं मंत्री महोदय से आपके जरिये यह निवेदन करना चाहता हूं, वे इस बात को जानते हैं फिर भी उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि उन्होंने एक बड़ी भारी भूल की है। बीकानेर की जल प्रदाय योजना 3 लाख और 80 रुपये की स्वीकृत की गई है, उपाध्यक्षजी, उस योजना के तहत राजस्थान केनाल का पानी फिल्टर करके, बीकानेर शहर में सीमेंट के पाइपों के जरिये लाना है। परन्तु जो राशि

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

उस स्थायी योजना के लिये है, वार्षिक बजट में उसके लिये जो राशि स्वीकृत की गई है वह उस मद पर खर्च नहीं करके, जो एक अस्थायी योजना बनाई गई है। राजस्थान कैनाल से जंग खाए हुए, सड़े गले, टूटे फूटे पाइप लाए गए हैं। 32 लाख की योजना है। उस सारी योजना का रुपया अस्थायी योजना पर खर्च किया जा रहा है जो कभी योजना का हिस्सा नहीं थी। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह इस बात का खण्डन करें कि बीकानर के अन्दर राजस्थान केनाल के रद्दी, जंग लगे हुए पाइप खरीद कर बीकानेर को फिल्टर्ड पानी देने की योजना नहीं थी उसको रातों-रात बदल दिया गया है। राजस्थान कैनाल बोर्ड के चेयरमैन एक आई० ए० एस० अफसर हैं और उसी क्षेत्र को बिलोंग करते हैं, वे मंत्री महोदय की बुद्धि निखारते हैं। चीफ इंजीनियर पर करोड़ों रुपयों का आरोप लगा हुआ है। इसी हाउस के प्रथम सैशन में उन पर करोड़ों रुपयों का आरोप लगा था और मुख्य मंत्री महोदय ने कहा था कि जांच करवा रहा हूं। किन्तु आज तक जांच रिपोर्ट सदन में पेश नहीं की गई। करोड़ों रुपयों की खरीद फरोख्त 1972–73 में जिस तरह चीफ इंजीनियर ने की, उसी तरह से पिछले छः माह के घोटाले किये हैं। उपाध्यक्षजी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो हमारी कांग्रेस सरकार ने परम्परायें निभाई, जनता सरकार भी पुनः उन्हीं परम्पराओं को दोहरा रही है। आज मंत्री महोदय खुश हो रहे हैं....

(व्यवधान)

यह अलग बात है कि हमारे मंत्री महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय के अधिक मुंह लगे हुए हैं। अभी उनको ड्राप नहीं किया है। हां इसकी आशा थी, किन्तु बीकानेर शहर को जो व्यक्ति अनफिल्टर्ड पानी पिला रहा है और लाखों लोगों की जिन्दगी के साथ खेलने के लिए उतारू है, जिसके कारण भयंकर बीमारियां होने की

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आशंका है, ऐसे मंत्री को ड्राप नहीं करके मुख्य मंत्री ने बीकानेर शहर की जनता के साथ में अन्याय किया है। 32 लाख रुपया जो उन्होंने पानी में बहाया है उसका कोई उपयोग नहीं है। माननीय उपाध्यक्षजी, इस सदन की समिति स्थापित कर दें और जांच करायें। अगर वह यह रिपोर्ट नहीं दें कि 32 लाख की होली की गई है तो मैं इस सदन से त्याग-पत्र देने को तैयार हूं। एक एक पैसे का दुरुपयोग हुआ है। जहां घाटे का बजट है, जहां हजारों गांवों...

(व्यवधान)

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय गुप्ताजी, कृपया समाप्त करें।

श्री **रामकृष्ण दास गुप्ता** : मंत्री महोदय, इस तरह से 32 लाख रुपयों की होली जलायें, ऐसी व्यवस्था पर खर्च करें, जिसका कोई उपयोग नहीं है। मुख्य मंत्री महोदय को चाहिए, अभी वे इस हाउस में नहीं हैं, लेकिन वे इस सारे घोटाले की जांच करें कि लाखों रुपया किस प्रकार इन पाइपों पर खर्च किया गया है, जिन्हें कभी काम में नहीं ला सकते ? पाइपों में पानी नहीं आता है, जनता पानी पीने को तैयार नहीं है। मंत्री महोदय, चेयरमैन, राजस्थान कैनाल बोर्ड और चीफ इंजीनियर, इन 3 व्यक्तियों ने मिल कर,

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

32 लाख रुपयों की होली की है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं चाहूंगा कि हमारे मंत्री महोदय जो सदन में बैठ हुए हैं केबिनेट मीटिंग में इस विषय को जरूर उठायें, अपने स्तर पर इस मुद्दे को उठायें कि किस प्रकार से लाखों लोगों की जिन्दगी से खेलने वाले मंत्री, चीफ इंजीनियर और चेयरमैन कार्यवाही कर रहे हैं। इसकी जांच की जाय। कहीं ऐसा न हो कि...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय प्रभारी मंत्री, इसका उत्तर दें।

श्री **महबूब अली** (राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य) : उपाध्यक्ष महोदय, 1972-73 की अतिरेक मांगों पर यह कटौती प्रस्ताव थे। माननीय सदस्यों ने बहुत ही अच्छी तरह से कटौती प्रस्तावों पर बोले। डागाजी, गुप्ताजी और माथुर साहब ने बहुत ही वेल्यूएबल सुझाव दिये। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं कि ज्यादा पैसा क्यों लगता है ? आमतौर पर जितना मेरा अनुभव है....

श्री **मूलचन्द डागा** : आपका अनुभव एक साल का ही है।

श्री **महबूब अली** : जिस तरह से स्कीम बनती है उसके लिये पानी के सोर्स की आवश्यकता होती है। कई दफे पानी नहीं मिलता है, और कई दफे सोर्स बताई मात्रा में नहीं मिलता, उसके कारण ज्यादा पैसा खर्च होता है।

दूसरी बात प्राइज की है। मजदूरी की प्राइज हमेशा बढ़ती रहती है। इसी प्रकार से माल की जो प्राइज है वह भी बढ़ती रहती है। जिस वक्त स्कीम बनाई जाती है, वह दो-तीन साल में बन कर पूरी होती है और पूरी होने के बाद में उसका एस्टीमेट ज़्यादा हो जाता है इसलिये रिवाइज स्कीम बनानी पड़ती है लेकिन टेक्निकल बहुत सी चीजें हैं, जिस जगह से पानी निकालना प्रस्तावित है, अण्डरग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट होती है कि यहां 10 हजार गैलन पानी होगा, लेकिन देखा जाय तो एक्चुअली 10 हजार की जगह 4 हजार गैलन ही पानी होता है, तो नतीजा यह होता है कि दूसरा ट्यूब वैल और खोदा जाता है, इसलिये राशि के अन्तर में फर्क पड़ जाता है। तो इसमें अनेक ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से, जिस प्राइज में, जिस समय की स्कीम बनाई जाती है, और बाद में उसका एस्टीमेट तैयार किया जाता है, वह स्कीम जब समाप्त होती है और उसके अन्तर में जितनी भी प्राइज होती है उसका फर्क पड़ता है। आम तौर से देखा गया है कि रिवाइज स्कीम बन जाती है और जिस समय समाप्त होती है तो पाइप की कोस्ट और हो जाती है, इसलिये यह प्राइज एक्सेस आदि के कारण है। मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा......।

श्री **रघुनाथ विश्नोई** : माननीय मंत्रीजी ने ट्यूब वैल के जो खर्चे बताये हैं उस डिमाण्ड पर आपने कट-मोशन्स पढ़े नहीं हैं।

श्री **महबूब अली** : आम तौर पर इसके कारण आंकड़ों पर फर्क पड़ता है। इसकी वजह से यह जो ज्यादा खर्च हुआ है उसको हाउस मंजूर करे।

श्री **उपाध्यक्ष** : इन मांगों पर कट-मोशन्स को विथड्रा करना चाहेंगे ?

(श्री उपाध्यक्ष)

मैं अब जो मांगें प्रस्तुत हुई हैं, उनको पढ़ता हूं ।

मांग संख्या 38 का पारण

प्रश्न यह है कि वर्ष 1972-73 के लिये अतिरेक मांग सं. 38, मुख्य शीर्षक-94 जन स्वास्थ्य पर पूंजी की लागत के संबंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 15,79,301 रुपये की राशि और प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मुख बन्द
शेष अतिरेक मांगों का पारण

मांग सं. 4

प्रश्न यह है कि वर्ष 1972-73 के लिये अतिरेक मांग सं. 4, मुख्य शीर्षक 12-बिक्री कर के संबंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,554 रु. तक की राशि और प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग सं. 5

प्रश्न यह है कि वर्ष 1972-73 के लिये अतिरेक मांग सं. 5, मुख्य शीर्षक 13-अन्य कर और महसूल के संबंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त हुए वर्ष के लिये किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 98,095 रु. तक की राशि और प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग सं. 6

प्रश्न यह है कि वर्ष 1972-73 के लिये अतिरेक मांग सं. 6, मुख्य शीर्षक 14-स्टाम्प्स के संबंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 11,504 रु. तक की राशि और प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग सं. 7

प्रश्न यह है कि वर्ष 1972-73 के लिये अतिरेक मांग संख्या 7, मुख्य शीर्षक 15-पंजीयन शुल्क के संबंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8,605 रु. तक की राशि और प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग सं. 8

प्रश्न यह है कि वर्ष 1972-73 के लिये अतिरेक मांग सं. 18, मुख्य शीर्षक 30ए-परिवार नियोजन के संबंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को

(श्री उपाध्यक्ष)
12,54,458 रु. तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग सं. 22

प्रश्न यह है कि वर्ष 1972-73 के लिये अतिरेक मांग सं. 22, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के संबंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,76,347 रु. तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग सं. 26

प्रश्न यह है कि वर्ष 1972-73 के लिये अतिरेक मांग सं. 26 मुख्य, शीर्षक 42–वहु प्रयोजन नदी योजनाओं के संबंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 48,89,180 रु. तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग सं. 30

प्रश्न यह है कि वर्ष 1972-73 के लिये अतिरेक मांग सं. 30, मुख्य शीर्षक 65–निवृत्ति वेतन और अन्य निवृत्ति लाभ, 72–निवृत्ति वेतन व संराशिकरण के संबंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,49,375 रु. तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग सं. 31

प्रश्न यह है कि वर्ष 1972-73 के लिये अतिरेक मांग सं. 31, मुख्य शीर्षक 66–प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति वेतन के संबंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 40,738 रु. तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग सं. 33

प्रश्न यह है कि वर्ष 1972-73 के लिये अतिरेक मांग सं. 33 मुख्य शीर्षक 68–लेखन सामग्री तथा मुद्रण के संबंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,80,561 रु. तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग सं. 41

प्रश्न यह है कि वर्ष 1972-73 के लिए अतिरेक मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक —

98–वहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत।

(श्री उपाध्यक्ष)

99-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल-निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक)।

100-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल-निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक)।

के संबंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,18,29,034 रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग सं. 46

प्रश्न यह है कि वर्ष 1972-73 के लिए अतिरेक मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक या-संघीय क्षेत्र, सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के संबंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,51,62,212 रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अब विधायी कार्य लिया जायेगा।

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1978 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

श्री माणकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक प्रस्ताव और है जो इसके पहले लिया जाना है।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1978 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को 8 नवम्बर, 1978 तक बढ़ा दिया जाय।

श्री मूलचन्द डागा : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर। आपने समय बढ़ाने के लिए जो प्रस्ताव रखा है इसके साथ बढ़ाने के लिए कोई रीजन्स नहीं दिये हैं और न सर्क्युलेट हुए। आपको रीजन्स लिखकर देने चाहिए थे और वह रीजन्स सर्क्युलेट होने चाहिए थे। इसलिए इस मांग को नामन्जूर करना चाहिए।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : कौन से नियम के अन्तर्गत बोल रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष: मैं मानता हूं कि प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि के सम्बन्ध में आप जो प्रस्ताव ला रहे हैं, वह विधायी कार्य के बाद में लिया जाना चाहिए।

श्री माणकचन्द सुराणा : जो अनुपूरक जारी हुआ है मैं उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें बताया गया है आइटम नं. 1 पर जो आधा घन्टे की चर्चा है वह मूल कार्य-सूची के आइटम नं. 1 के पश्चात् लिया जायेगा। उसके बाद में विधायी कार्य का क्रम है उसके बारे में नीचे नोट दिया गया है। उसमें बताया गया है कि यह आइटम मूल कार्य-सूची के आइटम संख्या 3 (क) के पश्चात् लिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : जो मूल कार्य-सूची है उसको कृपया पढ़ लें। मैं पहले विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कह रहा हूं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री **माणकचन्द सुराणा** : उपाध्यक्ष महोदय, सदन की बैठक के समय के लिए मेरा प्रस्ताव है कि सदन की बैठक का समय आज की कार्य-सूची में रखे गये कार्य की समाप्ति तक बढ़ाया जाय ।

श्री **मूलचन्द डागा** : जी नहीं । मैं इसका विरोध करता हूं । हम लोग 9 बजे सुबह आये हैं । 5 बजे के बाद हमसे ज्यादा काम नहीं लिया जा सकता है । हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं । सदन के माननीय सदस्यों से बात नहीं की और समय बढ़ाना चाहते हैं । अगर सदन की कार्यवाही 2-4 दिन से ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहते हों तो हम ज्यादा देर तक बैठकर काम कर सकते हैं और उसके लिये प्रयत्न करेंगे । हम हमारे अधिकारों का संरक्षण करना चाहते हैं । हम चाहते हैं कि हम अपोजिशन की पूर्ण भूमिका निभा सकें । हम ज्यादा समय दे सकें, यह हमारे लिए पासिबल नहीं है ।

श्री **बालकृष्ण थानवी** : सदन का समय ज्यादा बढ़ने के बजाय मैं चाहूंगा कि सदन की बैठकें ज्यादा दिनांक तक चलाई जायें ।

श्री **माणकचन्द सुराणा** : मैंने प्रस्ताव सदन के समक्ष रख दिया है । उसके बाद किसी ने विरोध नहीं किया है, तो आप चाहें तो वोट पर रख दें ।

एक माननीय सदस्य : समय नहीं बढ़ाया जाय ।

श्री **मूलचन्द डागा** : यह क्यों कि पहले दिन ही समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री **रघुनाथ विश्नोई** : हाउस की सिटिंग के दिन बढ़ा दिये जायं ।

श्री **शंकरलाल** : यह समय नहीं बढ़ाया जाय । समय के बारे में आप किसी से पूछते नहीं हैं और कहते हैं कि वोट करा लें, इसका क्या मतलब हुआ । आप विरोधी पक्ष को कान्फीडेन्स में नहीं लेना चाहते हैं । How do you justify the extension? आप जस्टीफिकेशन दें ।

श्री **मूलचन्द डागा** : मैं रूल कोट करता हूं । Rule 12. *Sitting of the House.*—(1) The House shall sit on such days as the Speaker, having regard to the State of business of the House, may from time to time direct.

(2) Sittings of the House shall, subject to the direction of the Speaker, ordinarily commence at 11.00 A.M. and conclude at 5.00 p.m.

श्री **सूर्यनारायण चौधरी** : उपाध्यक्ष महोदय, पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर ।

श्री **मूलचन्द डागा** : This is highly objectionable. मैं बोल रहा हूं, आप कौन-सा पॉइन्ट ऑफ आर्डर उठा रहे हैं ।

श्री **सूर्यनारायण चौधरी** : उसी पर मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा रहा हूं ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर तो डिस्पोज ऑफ हुआ ही नहीं। आप दूसरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर कैसे उठा सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में निर्णय नहीं लिया है और समय बढ़ाना चाहते हैं पहले दिन ही। हम अपने-अपने गांवों से दूर-दूर से आये हैं और पूरे थके हुए हैं। कल आप बढ़ाना चाहेंगे तो कल बढ़ा सकते हैं। आज 7 बजे हमारे माननीय गिरधारीलालजी ने निमंत्रण दिया है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यह जो प्रस्ताव है इसके संबंध में मेरा निवदन है, उपाध्यक्ष महोदय, यदि अतिआवश्यक कार्य हो तो सदन का समय अनिश्चितकाल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, परन्तु ऐसे कोई भी मुद्दे आज की कार्य-सूची में नहीं हैं कि आज अगर पारित नहीं हुए तो काम रुक जायगा। अगर सदन का कार्य पूरा नहीं हो सके इस समय में तो सदन का समय दो दिन और बढ़ा दिया जाय। हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय की राय है कि राजस्थान विधान सभा भी पार्लियामेंट की तरह 7-8 महीने तक चले। इस विचारधारा के माननीय सदस्य मंत्री बनते ही यह चाहते हैं कि सदन अधिक समय तक चले। अगर सदन का समय बढ़ाना ही चाहते हैं तो कुछ समय के लिए बढ़ा दें। अनिश्चितकाल के लिए समय बढ़ाना अनुचित है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आप यह बता दें कि अपन जो मिल रहे हैं वह कितने रोज के लिए मिल रहे हैं? अगर दो दिन का ही सैशन हो तो ठीक है समय बढ़ा दिया जाय।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : यह कल सुबह बता दिया जायगा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में।

श्री मूलचन्द डागा : तो कल ही समय बढ़ा दें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का मेम्बर हूं तो बिना मुझे बुलाये ही यह सारा कैसे पारित हो गया।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : इस प्रस्ताव में मेरा एक संशोधन है कि समय एक घंटे के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कल तय हुआ कि 6 तारीख को क्या कार्य किया जायेगा? इसमें चार विधायी कार्य लिये हैं लेकिन अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। यह सवाल नहीं है कि हर प्रश्न पर सदन में मतदान किया जाय। आम सहमति से यह प्रश्न हल हो जायेगा आज जो कार्य हो सके वह ठीक है उसके लिए थोड़ा सा समय बढ़ा दिया जाय।

श्री मूलचन्द डागा : कल बढ़ा दीजिये। आज थके हुए हैं। बहुत दूर से आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य माणकचन्दजी से निवेदन करूंगा कि वह थोड़े से समय के लिए या पूरे विधायी कार्य के लिए प्रस्ताव रखना चाहते हैं?

श्री माणकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामकृष्णदासजी गुप्ता ने कहा है कि सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ा दिया जाय। मैंने जो प्रस्ताव किया था उसको मान लें तो अनुपूरक कार्य-सूची हमारे सदन के समक्ष है उसमें विधान सभा के सदस्यों के

(श्री माणकचन्द सुराणा)
परिलाभ के संबंध में विधेयक है, उसमें जो भी संशोधन करना है उस पर विचार कर लें।

श्री मूलचन्द डागा : उसके पहले एक और भी विधेयक है। आप गलत कह रहे हैं। पहले विनियोग विधेयक है उस पर दो घन्टे का समय लगेगा।

श्री माणकचन्द सुराणा : जो टाइम लगेगा वह लगेगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट इस सदन ने स्वीकार की है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट स्वीकार हुई है इसलिये सदन के सामने जो अजेण्डा है उसके समाप्त होने तक सदन का समय बढ़ाने का प्रस्ताव मैंने रखा है।

श्री शंकरलाल : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में पांच बजे तक का रखा है जो भी प्रोग्राम बनता है वह पांच बजे तक का बनता है यह थोड़े ही लिखते हैं कि रात भर बैठे रहना है।

श्री माणकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर कोई बहस की आवश्यकता नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : कैसे नहीं है, विरोधी दल को भूमिका निभानी है, काम हमको करना है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यह व्यवस्था है कि अगर मंत्री महोदय का जवाब बाकी हो तो एक घन्टे का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री माणकचन्द सुराणा : उसके बाद ये ... कायम हो चुके हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह जो परिलाभ की बात आप कह रहे हैं इसके सम्बन्ध में यह परम्परा रही है कि इसको हाउस में डिस्कस नहीं किया जाय, इसको बातचीत करके किया जाय। इसमें .....

(व्यवधान)

आप हमको कान्फीडेन्स में लेना नहीं चाहते हैं और धींगा मस्ती में करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। नहीं तो मेरा निवेदन है कि इसको पोस्टपोन कर दिया जाय, यह बिना बहस के पास हो जायेगा।

श्री मनोहर सिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करूंगा। यह बिना बहस के पास नहीं किया जायगा। यह कांग्रेस का राज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस बारे में आम सहमति लेना चाहूंगा।

क्या सदन की सहमति है कि विधायी कार्य लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधायी कार्य लिया गया।

शासन पक्ष की ओर से जो प्रस्ताव पेश किया कि विधायी कार्य समाप्त नहीं हो जाय तब तक के लिये समय बढ़ाया जाय। मैं चाहता था कि इस पर आम सहमति हो जाय, लेकिन इन परिस्थितियों में यह सम्भव नहीं है, इसलिए जो प्रस्ताव माननीय माणकचन्दजी सुराणा ने प्रस्तुत किया है उस पर मतदान कराना चाहूंगा। कोई संशोधन रखना चाहें तो रख सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : एक ... लिए समय बढ़ा दिया जाय ...

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, सभी सदस्य बहुत दूर-दूर से आये हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि आज तो एक घंटे का समय बढ़ा दिया ....

(व्यवधान)

मेरा निवेदन एक और है कि ये सदस्य बैठे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं

श्री श्योपतसिंह मकासर : ये कौन ? माननीय सदस्य कहें। 'ये' क्या होता है ?

श्री रतनलाल वर्मा : सदन के आधे सदस्य विराजमान हैं और आधे नहीं हैं। उन पर भी यह प्रतिबन्ध होना चाहिए कि वे उपस्थित रहें। यह नहीं हो कि कुछ सदस्य तो अपनी जिम्मेदारी समझ कर बैठे रहे और कुछ जिम्मेदारी को नहीं समझें।

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर : मुख्य मंत्रीजी गैरहाजिर हैं, क्या राय है ?

श्री दिग्विजय सिंह : यहीं हैं, in the premises.

मेजर श्री फतह सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, दल की ओर से यह प्रस्ताव आया कि सदन की बैठक का समय आज की कार्यसूची में रखे गए कार्य की समाप्ति तक बढ़ाया जाय। मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक इसमें एक संशोधन रखता हूं और वह संशोधन यही है जो माननीय गुप्ताजी ने और वर्माजी ने रखा है कि समय बढ़ाया जाय लेकिन केवल एक घंटे के लिए बढ़ाया जाय। माननीय सदस्य बहुत दूर दूर से आये हैं और थके हुए भी हैं। यह भी एक मुख्य कारण है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा पार्लियामेन्ट्री अफेयर्स मिनिस्टर से कि समय केवल एक घंटे के लिए बढ़ाया जाय।

श्री माणकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता हूं लेकिन अगर आवश्यकता पड़ेगी तो 6 बजे बाद पांच-दस मिनट का समय और बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए मेरा प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुराणाजी आप कन्डीशन नहीं लगा सकते। यह संशोधन आपको स्वीकृत है या नहीं ?

श्री माणकचन्द सुराणा : मैंने अपने राइट को रिजर्व रखते हुए यह स्वीकृत किया है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय 6.00 बजे तक के लिए बढ़ाया गया।

विनियोग विधेयक पुरः स्थापित करने के लिए माननीय वित्त मंत्रीजी प्रस्ताव करेंगे।

व्यवस्था का प्रश्न
विनियोग विधेयक पर विचार प्रक्रिया

श्री मूलचन्द डागा : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर। मैं यह निवदन करना चाहता हूं कि विधेयक इसलिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि एप्रोप्रिएशन बिल रूल 154 के अन्दर पेश हुआ है। मेरा कहना यह है कि—

Subject to the provisions of the Constitution, the procedure in regard to an Appropriation Bill shall be the same as for Bill generally with such modifications as the Speaker may consider necessary.

(श्री मूलचन्द डागा)
बिल का जो प्रोसीजर है, वह सैक्शन 66 में लिखा है। सैक्शन 66 में है उसके अनुसार मेहरबानी करके जो एप्रोप्रिएशन बिल है उसकी कॉपी दो-तीन दिन पहले दीजिये। मुझे वह आज सुबह मिली है। मैं आपका ध्यान 66 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं—

"Provided that no such motion shall be made until after copies of the Bill have been made available for the use of members and that any member may object to any such motion being made unless copies of the Bill have been so made available for two days before the day on which the motion is made."

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा जी, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अभी तो इसको पुरः स्थापित करने के लिए प्रस्ताव करेंगे। विचारार्थ प्रस्ताव करें तब आप कह दीजिए।

श्री मूलचन्द डागा : अच्छा साहब करिये, उस समय कर दूंगा।

विधेयक का पुरः स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1978

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1978 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर-स्थापित करने के लिये आज्ञा प्रदान की गई।

श्री आदित्येन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करता हूं।

व्यवस्था का प्रश्न

विधेयक की प्रतिलिपि की सदस्यों को उपलब्धि

श्री मूलचन्द डागा : आन ए पॉइन्ट ऑफ आर्डर। जो प्राविजो 66 के नीचे है उसकी ओर ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करता हूं कि इसको नहीं लिया जाय, क्योंकि इसकी कॉपी मुझको दो दिन पहले नहीं दी गई है। इस तरह के बिल काफी दिन पहले नहीं देते हैं। नए मंत्री आ गए हैं, न कोई काम करते हैं, न कुछ जानते हैं और कहते हैं कि हमसे काम करवाओ। हमें दो दिन दीजिए फिर आर्ग्यूमेंट्स करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : साधारणतः जिस दिन एप्रोप्रिएशन बिल प्रस्तुत होता है, उस दिन विचारार्थ नहीं लिया जाता है, लेकिन यह बिल अतिरेक मांगों के बारे में है। इसकी कॉपी शायद कल भेज दी गई थी।

श्री मूलचन्द डागा : आज मिली है। मैं स्पीकर्स-कान्फरेंस में मौजूद था, मैं लोक-सभा अध्यक्ष का स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं :

"Keeping in view the provisions of Lok Sabha, Rule 218, I held that such Bills might be taken up for consideration and passing on a day subsequent to the day of introduction of the Bill. I also allowed Members, who had given

(श्री मूलचन्द डागा)

advance notice of some points which had not been covered earlier during the debate on the relevant demands for grants, to participate in the debate."

कान्फ्रेन्स की रिपोर्ट के पज 11 पर यह स्टेटमेंट है। आप नियमों को जानने वाले हैं। दो दिन पहले आप कॉपी देते। इसलिए आज बिल को कन्सीडरेशन में न लिया जाए।

श्री मथुरादास माथुर : या रिग्रेट एक्सप्रेस कर दो।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (मंत्री, संसदीय मामलात): Regret should be expressed by you.

श्री मथुरादास माथुर : We have given you 102 lacs in this demand. What you talk ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी: This relates to year, 1972-73.

श्री रतन लाल वर्मा : हिन्दी में बोलें। अंग्रजी का उपयोग न करें।

श्री मूलचन्द डागा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह नहीं था। आज आप कानून और इन्साफ की गरज से नियमों का उल्लंघन न करते हुए इसको नहीं लेने दें, कन्सीडरेशन के लिए कल रखें। यदि इस पर चर्चा होगी तो हमारे अधिकारों का हनन होगा। गलती करना इन्सान का काम है, समर्थन देना शैतान का काम है।

श्री उपाध्यक्ष : यह जो विधेयक प्रस्तुत हो रहा है, एप्रोप्रिएशन बिल है। एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में कौनसा पर्टीक्यूलर रूल है, जिसके लिए आप कहेंगे कि डिस्कशन पोस्टपोन किया जाए

श्री मूलचन्द डागा : नियम 154 की ओर मैंने आपका ध्यान दिलाया है :–

"154. *Appropriation Bill*.–(1) Subject to the provisions of the Constitution, the procedure in regard to an Appropriation Bill shall be the same as for Bill generally with such modifications as the Speaker may consider necessary.

Rule 66: Provided that no such motion shall be made until after copies of the Bill have been made available for the use of members, and that any member may object to any such motion being made unless copies of the Bill have been so made available for two days before the day on which the motion is made."

My objection shall prevail.

मेरा विश्वास है कि अगर दूसरा कोई व्यक्ति आसन पर होता, तो दूसरी बात थी लेकिन आप कानून जानते हैं। वित्त मंत्री बड़े ही कानून को मानने वाले हैं, कानून में

(श्री मूलचन्द डागा)
विश्वास रखते हैं। हम जितनी भी उनकी सराहना करें, थोड़ी है।

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मंत्री इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि यह बिल पहले क्यों नहीं सर्क्यूलेट किया जा सका ?

श्री मथुरादास माथुर : यह प्रश्न कई बार सदन में उठाया गया...

श्री मूलचन्द डागा : ये वित्त मंत्री को क्या बता रहे हैं ? I object to it. इस तरह सैक्रेटरी जाकर मंत्रियों से बात करते हैं। यह क्या कानाफूसी है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : एक-एक मंत्री को, एक-एक सैक्रटरी दे दो।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : डागा साहब को अधिकार है, वह कानून के अन्दर पारंगत होने के कारण हर विषय पर इस प्रकार एतराज करें और सदन का अधिक से अधिक समय का उपयोग करें, इसमें दो राय नहीं, लेकिन यह कोई हार्ड एण्ड फास्ट रूल नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : Every rule is hard and fast unless the Speaker allows it. Why don't you request the Speaker ?

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : रूल 66 का जो प्राविजो है उसमें है :—

"Provided that no such motion shall be made until after copies of the Bill have been made available for the use of members and that any member may object to any such motion being made unless copies of the Bill have been so made available for two days, before the day on which the motion is made, and such objection shall prevail unless the Speaker allows the motion to be made."

मैं आपसे निवेदन करूं कि आप परिस्थितियों को देखिए। डागा साहब अपने उत्तरदायित्व को समझते नहीं, जो कुछ, 5 साल इतना खर्च करने के बाद...

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : एक सदस्य के खिलाफ मंत्री महोदय एस्पर्शन पास कर रहे हैं। कल अखबार में निकलेगा कि डागा के खिलाफ एस्पर्शन पास हुआ।

श्री अब्दुल अजीज : आप अपनी गलती को तसलीम करते नहीं है और...

श्री सूर्यनारायण चौधरी : तसलीम करने की जरूरत नहीं है। 5 साल आप कहां थे ? आपने बिना सदन की स्वीकृति के इतना पैसा खर्च कर दिया.....

श्री अब्दुल अजीज : This is not the point.

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : 1972-73 में आपने खर्च किया, उसको रेगुलेराइज कर रहे हैं, आप अपनी गलती मानते नहीं...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, आप विशेष परिस्थितियों को देखते हुए अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स एक्सर्साइज करें।

श्री मथुरादास माथुर : आप अपना डिस्क्रिशन एक्सर्साइज कर, लेकिन इसके पीछे

(श्री मथुरादास माथुर)

एक बेसिक फिलोसफी है। क्यों दो दिन का समय रखा गया? लेजिस्लेचर ने कानून बनाया है तो सोच-समझ कर बनाया है। हर समय सरकार की पर्पजफुल नेग्लीजेंस होती है। आप 1972-73 की एक्सेस डिमाण्ड ले रहे हैं, हम नहीं ले रहे हैं। Face the consequences. चोरी और सीना जोरी। सावधानी बरते नहीं, और हमको हर बात में ज्ञान दें। आप अध्यक्ष को कह दें कि रूल रिलेक्स कर दें। वह डिस्क्रिशन एक्सर्साइज करें, वह जुडिशियस डिस्क्रिशन होनी चाहिए। आपका डिस्क्रिशन हमेशा सदन के सदस्यों के फेवर में जाएगा। ग्लोटिन लगने के बाद बाकी मांगों पर डिबेट नहीं हुई। हम फिसकल पॉलिसी की चर्चा करना चाहते हैं। इसलिए मुझे तकलीफ इस बात की है कि इस हाउस में 'टेकन फोर ग्रान्टेड' वह सवाल हुआ तो कह दिया और यह सवाल हुआ तो कह दिया। इस हाउस को यह बात सीरियसली लेनी चाहिए। इनके पास कमिश्नर हैं, सैक्रेटरी हैं पहले भी बहस हो चुकी है इसी सदन में। मेरा निवेदन है कि स्पीकर साहब ने भी और हेगड़े साहब ने भी अपनी स्पीच में कहा है, लोकसभा में कहा है कि मैं अलाउ नहीं करूंगा।

श्री **परसराम मदेरणा** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दें, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है और मिनिस्टर फोर पार्लियामेन्ट्री अफेयर्स, जो कि विधि मंत्री हैं, मानने को तैयार नहीं हैं कि रूल 66 की अनुपालना नहीं हुई है, उस संबंध में कोई बात कही। मुझे बड़ा अफसोस हुआ यह सुनकर कि रूल 66 के अन्दर यह बात नहीं आती है। और कह रहे हैं कि कल सर्क्युलेट हुआ है। कल भी मिल जाता तो भी रूल 66 की अनुपालना नहीं होती। हर बात के ऊपर यह कहते रहते हैं, तत्कालीन सरकार ने क्या किया। मैं पूछना चाहता हूं कि आप जुलाई, 77 में आये, आपने क्या किया? जब बजट आया उस समय क्या आपको सांप सूंघ गया था? बजट सेशन हुआ उस समय आप डिमान्ड लेकर क्यों नहीं आये? आप बिल्कुल निग्लीजेन्ट हैं। अगर वह सरकार नेग्लीजेन्ट थी तो आप क्रिमिनल नेग्लीजेन्ट हैं। रूल 66 की अनुपालना नहीं हुई है, इसलिए हम इस पर विचार नहीं कर सकते। माननीय सदस्य अपने विचार रखने से समय पर इसकी कापी नहीं मिलने के कारण महरूम रह गये हैं। दो दिन नहीं मिले हैं, इसलिए हम दूसरी डिमाण्ड्स के ऊपर चर्चा नहीं कर सकते। जब आप व्यवस्था दें तो आप अपना डिस्क्रिशन इस्तेमाल नहीं करें, और तथ्यों पर व्यवस्था दें।

श्री **उपाध्यक्ष** : मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि एप्रोप्रियेशन बिल, जो एक्सेस डिमाण्ड ग्रान्ट हो जाती है उसके ऊपर जो डिस्कशन होता है वह कान्फीडेन्शिल होता है। कान्फीडेन्शिल बिल होता है। और अमूमन उस पर चर्चा करने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। क्योंकि कान्फिडेन्शिल होने का फिर महत्व ही खतम हो जाता है। फिर भी मैं यह जरूर चाहता हूं कि नियमों की जहां तक हो, अनुपालना की जानी चाहिए। विशेष परिस्थिति इसमें यह रही है कि 5 अक्टूबर को ही शायद अतिरिक्त मांगें हाउस के सामने रख दी गयी थीं। उसके बाद यह बिल

(श्री उपाध्यक्ष)
कल शायद भिजवा दिया गया था । माननीय सदस्य कुछ देरी से अपने निवास स्थानों पर पहुंचे होंगे इसलिए उनको आज ही मिल सका है । इन विशेष परिस्थितियों में, मैं चाहूंगा कि इसका कन्सीडरेशन नहीं रोका जाये । सब परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जो डागा जी ने व्यवस्था का प्रश्न प्रस्तुत किया है मैं उसको अपनी ओर से वेव करना चाहूंगा ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कम से कम आगे के लिए तो वार्न करो । हमेशा के लिए यह प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए ।

श्री मथुरादास माथुर : कल सप्लीमेन्ट्री डिमाण्ड फिर आयेंगी और हम डिस्कस नहीं कर सकेंगे । आज तो अलाउ कर दो ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए ।

श्री मथुरादास माथुर : Tear out of the rules. Why keep them ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं इसके बारे में आवश्यक निर्देश दे दूंगा । मैं इसके बारे में पहले के कन्वेन्शन भी देखना चाहूंगा । मैं चाहूंगा कि इस कन्वेन्शन को रोका जाना चाहिए ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ऐसे मामलों में ताड़ना मिली है और उन्होंने क्षमा याचना की है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1978 पर विचार

श्री प्रद्युम्नसिंह (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1978 को विचारार्थ लिया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री डागा !

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपको लिखकर दे दिया है कि मैं इस-इस पाइन्ट पर बोलना चाहूंगा । रूल 154 का सब-रूल (5) यह है :

(5) The Speaker may, in order to avoid repetition of debate require members desiring to take part in discussion on an Appropriation Bill to give advance intimation of the specific points they intend to raise, and he may withhold permission for raising such of the points as in his opinion appear to be repetitions of the matters discussed on demand for grant or as may not be of sufficient public importance.

मैंने, श्रीमान्, 154 नियम के सब-रूल (5) के नीचे आपकी सेवा में 6 दिन पहले पेश कर दिया कि मैं इन-इन पाइन्ट्स के ऊपर बोलूंगा । इसलिए आप मुझे कृपया इजाजत दें ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया कहिये ।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमन्, आपकी सेवा में पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने जो निर्णय दिया मैं उसकी दो बातों को सुनाना

(श्री मूलचन्द डागा)

चाहता हूं। पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी जिसके चेयरमैन हमारे बुजुर्ग, बड़े अनुभवी ज्ञानी, श्रीमान् नरेन्द्रपालसिंह जी चौधरी हैं, ने लिखा है:—

"लेकिन अधिक विभागों से अपेक्षित सूचना निश्चित अवधि में प्राप्त नहीं हुई। इतना ही नहीं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से तो यह सूचना सदन में प्रस्तुत करने के लिए तैयार हो जाने की तिथि तक भी प्राप्त नहीं हुई।"

यह कब प्राप्त हुई यह इनकी रिपोर्ट में इन्होंने लिखा। मैं आपकी आज्ञा का पालन करना चाहता था और यह चाहता था कि वित्त मंत्री महोदय जितनी डिमाण्ड्स हैं उनके ऊपर अपनी टिप्पणी देते लेकिन उन्होंने नहीं दी। हिन्दुस्तान के अन्दर हमारे राजस्थान की जो आर्थिक स्थिति है, उसके बारे में हमारे सदन के नेता बड़े जोरों से भाषण देते हैं हर जगह चाहे वह सिलवर जुबली का दिन हो या अढाई शताब्दी वाला दिन हो कि हमारा राजस्थान भूखा नंगा है। आप पेन्शन किन को देना चाहते हैं? एक सरकारी आदमी है जिसने बीस साल सेवा की है उसको पेन्शन देना चाहते हैं। जिसके चार बच्चे हैं एक डॉक्टर है, दूसरा इन्जीनियर है और तीसरा सर्जन है। उसका बगीचा है, जमीन है उसको आप पेन्शन क्यों देना चाहते हैं? आखिर में यह समाजवाद लाने का क्या तरीका होगा? यह समग्र क्रांति चीज क्या है? यह मैं नहीं समझ सका। पार्लियामेन्ट में भी कई लोगों ने यह सवाल उठाया है कि पेन्शन किसको मिलनी चाहिए। पेन्शन उसको मिलनी चाहिए जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। लाखों रुपयों की पेन्शन देने का जो प्रावधान है सरकारी कर्मचारियों के लिये उसके पीछे क्या औचित्य है? जिनको सस्ती जमीन मिलती है, कार के लिए कर्जा मिलता है, मकान बनाने के लिए कर्जा मिलता है, जिनके बच्चे जिन्दगीभर निःशुल्क पढ़ते हैं उनके लिए आप प्रावधान रखते हैं। यह समग्र क्रांति के मानने वाले और सम्पूर्ण क्रांति के लाने वाले, विषमताओं को खतम करने वाले, गरीबी को मिटाने वाले लोग लाखों रुपयों की पेन्शन इनको देते हैं जिनके पास पहले से ही साधन हैं। जिन गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स की आर्थिक स्थिति ठीक न हो, जिनकी हालत खराब हो, उनको पेन्शन दी जाय। एक भारी तमाशा है देश में, जिनके पास पूंजी है, उनको पेन्शन। वह बूढ़ा पेन्शन पाने के बाद जीता है 30 साल और तीस साल तक पेन्शन लेता है। यह पेन्शन का क्या तरीका है? जिसका लड़का पढ़ गया, तिलक नगर में मकान बन गया, कार घर में हो गई, फिर भी पेन्शन लेगा? पेन्शन भी लेता है और साथ-साथ दूसरी जगह काम भी करता है। यह जो पेन्शन का तरीका है, समाजवाद लाने का, वह बिल्कुल गलत है।

दूसरा, श्रीमान्, यह पंजीयण, रजिस्ट्रेशन। भैरोंसिंहजी शेखावत ने 24 तारीख को शपथ ली और माणक चौक चौपड़ पर भाषण दिया कि भ्रष्टाचार राजस्थान से चला गया। वह तो केसरगढ़ में गया। मैं कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं रजिस्ट्री में कोई दस रुपये लेता है, कोई पांच रुपये लेता है, कुछ अफसर लेता है। एक रजिस्ट्री के लिये 20 रुपये देने पड़ते हैं। गरीब आदमी अपना मकान बेचता है तो वकील पैसा लेता है, क्लर्क पैसा लेता है। हमने

(श्री मूलचन्द डागा)

पूछा, तहसीलदार साहब फर्माते हैं डाक बंगले में जो मिनिस्टर आते हैं, कलेक्टर हुक्म देता है कि चाय का इन्तजाम करो। रजिस्ट्री का जो पैसा लेते हैं वह डाक बंगले में जो मिनिस्टर आते हैं उनके लिये काम आता है. . . .

श्री टीकमचन्द कांत : यह रीति पुरानी हो गई।

श्री मूलचन्द डागा : अब तीसरी बात सेल्स-टैक्स के बारे में बड़े भाषण दिये। सेल्स-टैक्स के अन्दर, आपने यह नहीं बताया, आपने क्या सुधार कर दिया। सेल्स-टैक्स के अन्दर कोई सुधार नहीं है। घोषणा-पत्र में आपने निकाला था कि हम सेल्स-टैक्स को खतम कर देंगे। लोगों के साथ आपने विश्वासघात किया। उसमें सुधार नहीं हुआ। आज सेल्स-टैक्स के लिये और नौकर रखे गये। लाखों रुपया बांध दिया।

अब इसके अलावा मैं कहना चाहता था कोर्ट फीस के बारे में। श्रीमान्, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि विधि विभाग की तरफ से सोलीसिटर होता है, गवर्नमेंट का वकील होता है फिर भी लाखों रुपयों की डिक्री गवर्नमेंट के अगेन्स्ट होती है,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

क्या हमारे वकील कोई कम्प्रोमाइज कर दावा खारिज नहीं करा सकते? सैक्शन 80 के अन्दर नोटिस जाता है। यह जो खर्चा है कोर्ट फीस का, डिक्रीज का, यह सारी बातें पालिसी मैटर्स हैं, यह गलत हुई हैं। यह नई नीति ला नही रहे हैं, न इनकी कोई योजना है। इस प्रकार का जो यह विधेयक पेश किया है वह विचारार्थ लिया जाय लेकिन इन बातों को उसमें शामिल किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्री जी। कृपया उत्तर दें।

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य डागा साहब ने कुछ वही बातें कही हैं जो हमेशा कहते हैं. . . .

श्री मूलचन्द डागा : कोई असर नहीं आप पर?

श्री आदित्येन्द्र : जनता पार्टी की घोषित नीति सैल्स-टैक्स को खतम करने की है। मैं आपको एक और निवेदन करना चाहता हूं कि सैल्स-टैक्स को खतम करने के बारे में आज से कुछ दिन पहले यूनियन फाइनेन्स मिनिस्टर श्री पटेल के विचार आपने अखबारों में पढ़े होंगे। उनके विचार अभी भी हैं और वे इस पर विचार कर रहे हैं कि सैल्स-टैक्स समाप्त किया जाय। वैसे यह चीज कठिन जरूर है और पिछले 15–20 सालों से. . . .

श्री मूलचन्द डागा : राजस्थान सरकार के क्या विचार थे? वहां पर एच. एम. पटेल के सामने आपने क्या विचार रखे?

श्री आदित्येन्द्र : मैं ऐसा मानता हूं कि वैसे तो हर एक सरकार यह चाहती है कि जो कुछ पार्टी ने कहा है उसकी पूर्ति होनी चाहिये लेकिन इसमें कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हैं और वे व्यवहारिक कठिनाइयां ये हैं कि पिछले 25, 30 सालों में इस टैक्स से आमदनी धीरे-धीरे बढ़ती गई है। वह आमदनी इस सीमा तक बढ़ गई है कि कई राज्यों में 5, 6 अरब की हो गई। यहां पर

112

(श्री आदित्येन्द्र)

एक अरब से ज्यादा है। जब तक इसका कोई विकल्प नहीं सोच लिया जाय, या जल्दी से काम किया जाय तो उसमे ज्यादा लाभ नहीं होगा। लेकिन आप इरादे की तरफ ध्यान दीजिये। इरादा हमारा है। सैल्स-टैक्स की जगह पर कोई विकल्प हो सकता है तो वह होना चाहिए। जब तक यह चीज नहीं होती है उस समय तक जैसा आपको मालूम है कि इस संबंध में एक कमेटी बनाई गई है और कमेटी इसके बारे में विचार करेगी। उसकी मीटिंग इस महीने के अन्त में हो रही है जो विभिन्न पहलुओं पर विचार करेगी। जहां तक....

श्री मूलचन्द डागा: मैंने जो प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष: आवश्यक नहीं है उसका उत्तर।

श्री आदित्येन्द्र: इसका संबंध 72-73 वित्तीय वर्ष से है और यह खर्चा हो चुका। इस संबंध में ऑडिट हो चुका। ऑडिट होने के बाद जन लेखा समिति ने विचार कर लिया और अपना प्रतिवेदन भी दे दिया। तो मैं समझता हूं यह बिल तो बिल्कुल इनोसेंट बिल है। जो कुछ भी खर्चा हो गया है पूरी तरह जांच करने के बाद निश्चय किया गया है इसमें कोई नई बात नहीं रखी गई है। इसलिये मैं समझता हूं इसमें और ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि माननीय वित्त मंत्रीजी ने विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का जो प्रस्ताव रखा है उसे स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिये जाने प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

नये माननीय वित्त मंत्री महोदय।

विधेयक का पारण

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कि राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1978 को पारित किया जाये।

श्री मूलचन्द डागा: ऑन ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर, सर। यह आपने निर्णय लिया है कि जिस दिन वित्त विधेयक पेश हो, उस दिन पास नहीं होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय डागा साहब कोई इस तरह का निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री रामनारायण चौधरी: मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, उसका मैं विरोध करता हूं और सदन से निवेदन करता हूं कि इसे रिजेक्ट किया जाय। इस विनियोजन के अन्दर उद्योग, परिवार नियोजन, चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य सम्बन्धी मुद्दों पर राजस्थान सरकार ने जो पहले खर्चा किया है, उसकी स्वीकृति चाही है। इस बिल के द्वारा उसका रेगुलेराइजेशन कर रहे हैं। मान्यवर, मेरा राजस्थान सरकार पर एक चार्ज है कि इस सरकार को एक पैसा देने की आवश्यकता यों नहीं है कि जब 1977 में इनको राज्य सौंपा गया था तो राजस्थान में और देश में औद्योगिक उत्पादन 10.5 था। इन्होंने एक वर्ष में मार्च, 1978 में देश का उत्पादन

(श्री काशीनाथ गुप्त)

गिरा कर 3.5 कर दिया। आज देश और प्रदेश में भयंकर रूप से बेरोजगारी है। बेरोजगारी दूर करने की यह सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही है। इण्डस्ट्रीज के अन्दर अशान्ति फैली हुई है, अनरेस्ट फैला हुआ है। लेबर में ही नहीं, आज एम्पलायर में भी असन्तोष है। मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय वित्त मंत्री महोदय को कि किस आधार पर ये उद्योग में पैसा मांग रहे हैं? क्या अधिकार है इनको जब कि मार्च, 77 में देश का उत्पादन 10 5 था, और आज आपने गिराकर 3.5 कर दिया?

मान्यवर, मेरा दूसरा चार्ज यह है कि मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में और सदन के बाहर कई बार यह घोषणा की कि राज्य सरकार गांवों में पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था करने को कटिबद्ध है। कांग्रेस सरकार ने जिस रफ्तार से, और जिस तादाद में, ड्रिन्किंग वाटर की प्राब्लम को हल करने के लिये बजट में प्रोविजन्स किये थे, उसमे ज्यादा इस सरकार ने कुछ नहीं किया है। मैं मेरे जिले की बात कहता हूं, आज तक मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दो योजनायें स्वीकार कर रखी हैं, और काम चालू नहीं किया है। अब तीसरा बजट प्रस्तुत करने जा रहे हैं। क्या मुख्य मंत्री महोदय, यह सोचते हैं कि आप 30 साल शासन करेंगे? आप केवल पांच साल ही रहने वाले हैं। पांच साल में से दो साल की उम्र तो आपकी निकल गई, एक साल चुनाव का निकल जायेगा, अब केवल एक साल बचता है। कौनसा बजट प्रावधान, आपकी सरकार ने ड्रिन्किंग वाटर के लिये किया है? मेरा चार्ज है ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में पीने के पानी में कोई इम्प्रुवमेंट नहीं किया है। ये राज्य मंत्री जी बैठे हैं, ये कहते थे जयपुर में 24 घंटे पानी देंगे, यहां घोषणा करने के 24 घंटे बाद ही पानी बन्द कर दिया। आपका स्टेटमेंट 24 घंटे में बदल जाता है, क्या शर्म महसूस नहीं होती है? इसका भी आप स्पष्टीकरण करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

चिकित्सा में जो मांग है, मान्यवर, आज सारे देश में बीमारी के कारण हाहाकार मचा हुआ है। भयंकर रूप से मुल्क में बीमारी फैली हुई है। यू.पी. के 27 जिलों में यह बीमारी फैली हुई है, बिहार, मध्य प्रदेश में भी यह बीमारी फैली हुई है। जब 1919 के अन्दर युद्ध खतम हुआ था तब यह बीमारी फैली थी। अब यह बीमारी राजस्थान में फैल रही हैं। मैं यह कह रहा हूं, आगरे में यह फैल गई हैं, आप 4 नवम्बर का अखबार पढ़ लें, भरतपुर में भी फैल चुकी है।

श्री रतन लाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है....

(व्यवधान)

विरोधी दल के माननीय नेता महोदय का इससे क्या ताल्लुक है? क्या संबंध रखता है यह इस बिल से जो पेश किया गया है? विषय पर बोलें तो ज्यादा अच्छा है, आगे नहीं बोलें, यही निवेदन है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप उसी सब्जेक्ट मेटर को इन्वोल्व करिये।

श्री **रामनारायण चौधरी** : मुझे आपका हुकुम स्वीकार है. लेकिन एडजोर्नमेंट मोशन नहीं दिया है, तो यहां भी नहीं बोलूं, यह तो कोई व्यवस्था नहीं है ।

आज राजस्थान भी आपका उस बीमारी से घिर रहा है । आज के वैज्ञानिक और डॉक्टर उस बीमारी का नाम नहीं ले सके हैं । अंग्रेजी में अजीब नाम निकाल रखा है । यह आगरे में फैल चुकी है, अलीगढ़ में फैल चुकी है, मध्य प्रदेश में फैली हुई है, और यदि राजस्थान सरकार ने कोई निरोधक कदम नहीं उठाये, तो यहां भी भयंकर रूप से फैलने वाली है, यह मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा । इस बीमारी का नाम दिया है डाक्टरों ने, वह निवेदन करना चाहता हूं इनसेफिलन, जिसका नाम भयंकर है, वह बीमारी भी भयंकर ही है । मैं निवेदन करना चाहता हूं महामारी के रूप में यह बीमारी फैल रही है और राजस्थान को इससे खतरा है...

(व्यवधान)

आपका भरतपुर ही फैलाने वाला है । जो वैज्ञानिकों और डाक्टरों ने इसके फैलने के कारण बताये हैं, वे सबके सब भरतपुर में मौजूद हैं ।

मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि वित्त मंत्री महोदय ने जो विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया है, उसे पास नहीं किया जाय ।

श्री **वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं परिवार नियोजन के बारे में अपने विचार रखूंगा । जनता सरकार परिवार नियोजन की ओर, मैं सोचता हूं, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है । आज अपने देश के प्रधान मंत्री मोरारजी भाई ने इसकी महत्ता पर जोर दिया है । आप समझते हैं कि 10 वर्ष में अन-एम्पलायमेंट की समस्या का हल कर देंगे ? मैं कहता हूं कि 10 वर्ष में अन-एम्पलायमेंट की समस्या और बढ़ जायेगी, यदि परिवार नियोजन के कार्यक्रम को नहीं अपनाया गया तो । परिवार नियोजन को राजनैतिक प्रश्न नहीं बनाना चाहिये, और इसकी महत्ता पर गहराई से विचार करना चाहिये । परिवार नियोजन के परिणाम से अगर डर गये, और परिवार नियोजन कार्यक्रम को नहीं अपनाया गया, तो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है । आप समझते हैं कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनायेंगे तो जनता सरकार खतम हो जायेगी । मैं कहता हूं बिना परिवार नियोजन के अपनाये, कोई देश का विकास नहीं होगा, कोई अन-एम्पलायमेंट की समस्या हल नहीं होगी । इसलिये मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न को बहुत गहराई से, बहुत गम्भीरता से और बहुत अच्छी तरह अध्ययन करके सरकार को हाथ में लेना चाहिये । प्रश्न यह आता है कि इस प्रश्न को इमर्जेन्सी के समय में लिया गया । इन्होंने जिस प्रकार का परिवार नियोजन का कार्यक्रम चलाना चाहिये था वह नहीं चलने दिया । उसका विरोध जनता पार्टी ने किया । जनता में एक प्रकार का भ्रम फैलाया कि परिवार नियोजन से आदमी नपुंसक हो जाते हैं । बड़े बड़े नेताओं ने इस बात को कहा । बाड़मेर नगर में जब जनता पार्टी की सभा हुई, उसमें जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने भाषण दिया कि इस कार्यक्रम को अपनाने से आदमी नपुंसक हो जाता है । इस दृष्टिकोण का जनता पार्टी ने खूब प्रचार किया, यह एक प्रकार का कु-प्रचार था । मेरा निवेदन है कि उसके लिये क्षमा मांगें । क्षमा मांगनी चाहिये और उसके बदले यह

(श्री वृद्धिचन्द जैन)
कहना चाहिये कि यह प्रोग्राम परिवार नियोजन का अच्छा कार्यक्रम है। राजस्थान के जनता सरकार ने भी एक पखवाड़ा रखा था, उसमें मैं जानना चाहता हूं क्या प्रगति की? जनता पार्टी के एम.एल.एज. ने क्या योगदान दिया, क्या सक्रिय कार्य किया? अगर जनता पार्टी कार्यक्रम रखे, पखवाड़ा मनाये और उसमें जनता पार्टी के एम.एल.एज सहयोग न दें, उदासीनता की नीति अपनायें तो मेरा दावा है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम कभी सफल नहीं होगा, और यह सफल नहीं होगा तो देश का विकास नहीं हो सकता है, देश की अन-एम्पलायमेंट की प्राब्लम सोल्व नहीं हो सकती है।

श्री **रामकृष्णदास गुप्ता** : माननीय उपाध्यक्षजी, दो मिनट में...

श्री **उपाध्यक्ष** : आप जल्दी दो मिनट में समाप्त कर दें।

श्री **रामकृष्णदास गुप्ता** : ... अभी समाप्त करता हूं।

(व्यवधान)

श्री **उपाध्यक्ष** : पहले गुप्ता जी को कहने दीजिए।

श्री **रामकृष्णदास गुप्ता** : माननीय उपाध्यक्षजी, फोरेस्ट के लिए जो मांग रखी है, मैं उस पर बोलना चाहता हूं। चूंकि मेरा समय कम है इसलिये अधिक नहीं कह कर, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट पर करोड़ों रुपया हमारा हर साल खर्च किया जा रहा है। भारत सरकार भी करोड़ों रुपया डी. पी. ए. पी. प्रोग्राम के तहत है देती न्तु किसी भी सरकार ने इस बात का इवेलुएशन नहीं किया कि हम जिन हैड्स पर रुपया खर्च कर रहे हैं, फोरेस्ट पर खर्च कर रहे हैं, उसका उत्पादन क्या हो रहा है और उसका कितना रिटर्न मिल रहा है? जंगलों के अन्दर किस प्रकार से रुपया खर्च किया जा रहा है। आप राजस्थान में उदयपुर से लेकर के दूसरे किसी छोर तक घूम लीजिए, बाड़मेर से लेकर भरतपुर तक घूम लीजिए, जंगलों की तारबन्दी की हुई मिलेगी और एक बोर्ड लिखा हुआ मिलेगा "वन विस्तार कार्यक्रम"। उसके अन्दर आपको जंगली घास मिलेगी जो अपने आप पैदा होती है। और कुछ नहीं मिलेगा। न पेड़ हैं, न कोई घास है और न कोई अन्य कार्मशियल यूज के पेड़ हैं। फिर भी इस प्रकार से करोड़ों रुपया वनों के नाम पर खर्च करते रहे हैं। मैं समझता हूं कि हम छोटी छोटी बातों पर तो ध्यान देते हैं परन्तु मुक्त हस्त से इस जंगली विभाग पर खर्च करते आ रहे हैं। आज तक मंत्रिमण्डल ने नहीं पूछा कि इसका क्या उपयोग हो रहा है। वन विभाग पर किसी मंत्री का ध्यान नहीं है, न कोई इंट्रेस्ट है, न इसके लिए प्रयास करना चाहते हैं। मुझे मालूम है कि बीकानेर के अन्दर एक फोरेस्ट नर्सरी है जिस पर चालीस हजार रुपया हर साल खर्च किया जाता है, और दो हजार का बीज पैदा किया जाता है। एनुअल खर्चा चालीस हजार का और ईयरली प्रोडक्शन दो हजार के बीज का है। राजस्थान नहर के किनारे जो पेड़ लगाने का अभियान है उसमें अगर आप शीशम के पेड़ लगाव या यूकिलिपस्टिक के पेड़ लगाएं तो उस पर बेस्ट इंडस्ट्री लगाई जा सकती है। अभी आपात्काल में एक करोड़ पेड़ लगाये गए थे, एक करोड़ के पेड़। हमारी सरकार

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

ने कोई इस बात का कमीशन नहीं बिठाया कि एक करोड़ में से कितने पेड़ कायम हैं, कितने मर गए और कितनों के गड्ढे ही नहीं खोदे गए। बीज लगाना, पौधे लगाना तो दूर रहा। मैंने आरोप लगाया है कि करोड़ों रुपया वन विभाग के भ्रष्टाचार की नाली में बह रहा है। मंत्रीजी, आप इसकी नीति बनाइये। अपने वन विभाग को खतम करके जो किसान है उसको आप आर्थिक सब्सिडी दीजिए और कहिये, वह अपने खेत में कम से कम पांच पेड़ लगायेगा तो उसको सरकार से 1 साल में दो सौ रुपया मिलेगा। जब तक आप किसानों को वन विभाग की नीति से नहीं जोड़ेंगे, जंगलों में . . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

रुपयों की होली जलती रहेगी। हर सरकार का बजट पास होता रहेगा, सप्लीमेन्ट्री डिमाण्ड आती रहेगी, भेड़ और गायों के नाम पर कहा जाता रहेगा कि वह वन खा गए। मंत्रीजी इसकी ओर ध्यान दें, और कम से कम पिछले सात साल में, दस साल में वन विभाग पर किए गए खर्चे का कितना रिटर्न मिल सका, इसका इवेलुएशन करायें। इस दृष्टिकोण से काम करें तो उचित रहेगा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहूंगा, काफी माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग ले लिया है. . . . .

श्री श्योपतसिंह मकासर : महत्वपूर्ण सुझाव देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : महत्वपूर्ण सुझाव तो और भी हैं। एप्रोप्रियेशन बिल पर जो जनरल डिस्कशन होता है उसका लिमिटेड स्कोप रहता है . . .

श्री श्योपतसिंह मकासर : लिमिटेड ही बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : एकाध मिनट बोल लें। माननीय श्री खेतसिंह।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को मैं मानता हूं, जैसा कि वित्त मंत्री महोदय ने कहा कि यह बिल इनोसेन्ट है एक्सेस ग्रान्ट पास करानी है, यह ठीक है लेकिन यही मौका हुआ करता है जब कि हम डिमाण्ड्स पर कुछ न कुछ अपने खयालातों को जाहिर कर सकते हैं, आपके सामने अपने सुझाव दे सकते हैं, आपके विभागों की खामियों को बताने का प्रयत्न कर सकते हैं। माननीय मथुरादासजी माथुर ने बहुत अच्छे सुझाव दिए थे लेकिन उनमें से एक का भी जवाब राज्य के मंत्री महोदय ने नहीं दिया। हमें अफसोस है कि पहले जब कभी डिमान्ड आई हैं तो आपके विभाग के मंत्री मौजूद रहते हैं, आपके सारे अधिकारी यहां पर मौजूद रहते हैं जिनको मालूम है कि कौन सी स्कीमें ली जा रही हैं, कौन सी नहीं ली जा रही हैं। अगर वे समझते हैं कि हम डिमाण्ड पर नहीं बोल सकते हैं तो फिर हमारे बोलने का क्या उपयोग है, हमारा बोलना व्यर्थ है, हमें ख्वाहमख्वाह बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आम तौर पर यह हाउस की परम्परा रही है कि जब कभी भी डिमाण्ड आती है हाउस के सामने तो दूसरे मंत्री यहां बैठते हैं, पूरा डिपार्टमेंट बैठा रहता है। आज एप्रोप्रियेशन बिल पेश हुआ लेकिन आपके डिपार्टमेन्ट के सारे अफसर चले गये। हम जो बातें कहेंगे, आप

(खेतसिंह राठौड़)

जवाब देने के लिये कोई बात पूछना चाहेंगे तो आपको जवाब देने वाला नहीं है। डिपार्टमेंट आपके काबू में नहीं है। आम तौर पर जब तक डिमाण्ड पूरी पास नहीं हो जाय, बिल पास न हो जाये, कोई अफसर जा नहीं सकता था। किसी भी वक्त में जरूरत पड़ सकती है। खैर, इन बातों को छोड़िये, मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, यह आपके देखने की बात है।

मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि आपका वाटर वर्क्स है, वाटर वर्क्स के बारे में ही खास तौर पर मैं निवेदन करूंगा कि मेहरबानी करके पहले आप ट्यूब वैल खुदवाय, बाद में स्कीम लीजिये। आम तौर पर जितनी स्कीमें आती हैं उनमें पहले स्कीम बनती है फिर ट्यूब वैल खुदवाते हैं। जैसा कि आपने खुद ने माना है कि भू-जल वालों ने कह दिया कि दस हजार गैलन का डिस्चार्ज होगा, और हकीकत में तीन हजार गैलन का डिस्चार्ज ही रहता है तो फिर स्कीम को तीन हजार गैलन का ही करना पड़ता है। पहले जो पाइप आपने दस हजार गैलन डिस्चार्ज के लिये लगा दिया वह वेस्ट चला जाता है। फिर दूसरा ट्यूबवैल, तीसरा ट्यूबवैल खुदवाते हैं, कई जगह पानी आता है, कई जगह नहीं आता है। इससे अच्छा है कि जो हमने निर्णय किया था, हमारे निर्णय अच्छे हों, तो उनको आपको मानना चाहिये। आप अच्छे निर्णयों को नहीं मानेंगे तो आपका और बंटाधार होगा। इसलिये मैं खास तौर से कह रहा हूं कि कृपा करके पहले ट्यूबवैल खुदवा लीजिये और खुद जावे, उसका डिस्चार्ज मालूम हो जावे, उसके बाद गांवों की योजना बनाइये। यह मालूम हो जावे कि हमारे पास पन्द्रह हजार गैलन पानी है, इतने गांवों को पानी दे सकते हैं, दस-बीस गांवों को पानी दे सकते हैं, तभी जाकर यह सक्सेसफुल होगी और आपको इसमे लाभ मिलेगा। नहीं तो पाइप लाइन बिछ जाती है, पानी होता नहीं और गड़बड़

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

होती है। इसलिये मेरा खास तौर से यह निवेदन है ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरा निवेदन है कि शुरू ही नहीं किया और घंटी बजने लगे तो बोलने में कोई मजा नहीं है।

मैं कहता हूं कि कुल मिला कर, उपाध्यक्ष महोदय, इस गवर्नमेंट का हाल वही है जो तंबूरेवाला बाबा का था। तम्बूरे वाला बाबा की कथा है कि राजा ने हुक्म दिया कि अब मैं सन्यास लूंगा। सूरजपोल से जो भी सुबह पहले निकलेगा उसी को मैं राज दे दूंगा। तम्बूरे वाला बाबा सूरज पोल से निकला और हवा में राज मिल गया। राजा ने कहा कि बाबाजी यह राज लो। कृपा करके तुम राज चलाओ। बाबा को राज चलाने से कोई मतलब नहीं था, न उनको कोई ज्ञान था और न पता था। सारा पैसा खतम। उसी तरह से आज सोना खतम, परिवार नियोजन पर ध्यान नहीं, आगे का कोई प्लान नहीं सोच रहे हैं। अपना तम्बूरा बजा रहे हैं और किसी तरह से राज चला रहे हैं। जब तक बजेगा बजायेंगे, नहीं तो बाबाजी की तरह छोड़ कर चले जायेंगे। पहले भी अपोजिशन में बैठते थे वापस वहीं चले जायेंगे। मैं इसलिये कह रहा हूं कि मेहरबानी करके कुछ प्लानिंग सोचिये, कुछ काम करिये। अभी वृद्धिचन्द जी ने जो सुझाव दिये वे इतने माकूल थे लेकिन उनका कोई उत्तर नहीं। परिवार नियोजन हमने किया उसका लाभ आपको मिल गया, लेकिन आप निश्चित रूप से मान कर चलिये कि अगर

(खेतसिंह राठौड़)

इसी तरह से आबादी बढ़ती रही, यदि यही हालत रही तो बेरोजगारी बढ़ती रहे गी। स्टूडेन्टस की इसी तरह की हालत रही, इस तरह के उपद्रव होते रहे, इसी तरह से बेरोजगारी बढ़ती रही तो आगे चल कर न मालूम आपका और हम सबका क्या हाल होगा। आप इसको बहुत सीरियसली लीजिये वरना मैं अपनी जगह पर बैठूं या नहीं, आपको जनता यहां नहीं बैठने देगी यह निश्चित मानियें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिय मैं पुन: निवेदन करूंगा कि कृपापूर्वक इन सारी समस्याओं पर विचार कीजियें जिससे आप आगे जाकर ठीक तरह से काम कर सकें।

समय कम है इसलिये मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री श्योपतसिंह, आप दो मिनट में समाप्त करें।

श्री **श्योपतसिंह मकासर** : दो ही मिनट में समाप्त कर दूंगा ।

अभी तम्बूरे वाले बाबा की बात कही है, वही कह रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री महोदय से कहूंगा कि कोई विशेष लम्बा चौड़ा लोभ भी उनको नहीं है सत्ता से और उम्र भी काफी हो गई है। मैं मुद्दे की बात कहूं, अभी माननीय खेतसिहजी ने कहा कि नसबन्दी पर पैसा लगाऒं। ये खुद अपने जैसा हाल आपका करना चाहते हैं, नसबन्दी से आप नशाबन्दी का पीछा छोड़ दें तो सुखी रहेंगे। गरीबी का ता लुक नसबन्दी से नहीं है। आदमी की गरीबी का ताल्लुक व्यवस्था से है। माननीय वित्त मंत्रीजी, आप वित्त मंत्री कब तक रहेंगे? आपको चुन कर के इन्नोसेन्ट लोगों ने भेजा है। गांवों में अनपढ़ ग्रामीण हैं, इसलिये आपको भेजा है। कभी वार्ड के चुनाव मे जीते नहीं, और मंत्री बन गये। आप कंजूसी कर रहे हैं गांवों में पैसा देने में। आप पीने के पानी की व्यवस्था कर नहीं सके। दवाई की व्यवस्था कर नहीं सके, पढाई की व्यवस्था कर नहीं सके। आप उल्टा रास्ता लें तभी कुछ बचाव होगा, वरना...

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिये।

श्री **शिवचरणसिंह** (बयाना): महोदय, मैंने कितनी बार कहा, आपने मना कर दिया और श्योपतसिंह जी को बोलने का समय दे दिया।

सदन को कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के समय में वृद्धि

श्री **माणकचन्द सुराणा** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की बैठक का समय, तब तक के लिये बढा दिया जाय जब तक बिल पारित नहीं हो जाय।

श्री **उपाध्यक्ष** : क्या सदन की सहमति है कि सदन की बैठक का समय तब तक के लिये बढ़ाया जाय जब तक विधेयक पारित नहीं हो जाय?

(स्वीकृत)

समय विधेयक पारित होने तक बढ़ाया गया।

विधेयक का पारण

श्री **शिवचरण सिंह** : जो कुछ इन्होंने मांग की है उसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन जैसा कि माननीय श्योपतसिंह जी

(श्री शिवचरण सिंह)
ने कहा, कागजात की हेराफेरी से आप चैन्ज नहीं ला सकेंगे । आज राजस्थान के पश्चिमी इलाके में भरतपुर से लेकर कोटा-बून्दी तक चले जाइये-12 जिले हैं, उन में आपका खुद का ही क्षेत्र होगा, उस पूरे इलाके में पीने के पानी के बारे में कोई योजना नहीं बनी है । मंत्री जी सुन लें कान खोल कर, वहां पीने के पानी की कोई योजना नहीं है । पुरानी रियासतों के जमाने के टूटे-फूटे बान्ध थे । आपकी योजनाओं में उनको शामिल नहीं किया गया है । इसके साथ ही जगन्नाथ जी ने अपना मुद्दा रखा । मैं सारे मुद्दों में नहीं जाना चाहता । इसलिये यह जो हेराफेरी की पॉलिसी है इसको बदलिये और प्रशासनिक मामलों में सुपरविजन स्पोट पर जाकर कीजिये । तीन करोड़ रुपये आपने भरतपुर में बाढ़ पर खर्च किये । क्या कोई माननीय सदस्य कह सकते हैं कि भरतपुर में बाढ़ नहीं आई ? आपके तीन करोड़ में से 3 पैसे का भी उपयोग नहीं हुआ । भरतपुर में आज भी नगर के चारों ओर पानी भरा पड़ा है । इस पानी को निकालने की व्यवस्था इतने पैसे से भी नहीं हुई ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप गांवों में जावें तो आपको पता लगे, किस तरह वोट लेने का आपका तरीका था । अब आप रुपये कितने भी लें, जितना चाहें टैक्स लगावें, लेकिन जनता के लिये कुछ करें तो सही । माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी ने बात कही, राजनारायण जी चले गये एक सनकी स्कीम, बना कर ××× की स्कीम बना कर ।

श्री सुरेश कुमार: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजनारायण जी के लिये ××× ×××शब्द का उपयोग किया है मैं कहता हूं इसको कार्यवाही से निकाला जावे ।

श्री शिवचरण सिंह : मैंने स्कीम के लिये कहा है कि वह एक सनकी स्कीम थी ।

एक माननीय सदस्य : गरीबों के पास जो चिकित्सा सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं व क्या हैं ?

श्री शिवचरण सिंह: जो प्रोफेशनल लोग हैं, पेशेवर लोग हैं —

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आज गांवों में चिकित्सा के नाम पर हजारों लोगों को मार दिया । हजारों लोगों को इन्फेक्शन होता है । दवाई जानते नहीं, खाली डिस्टिल्ड वाटर का इंजेक्शन दे देते हैं । जिन लोगों को सलेक्ट किया गया है उनको केवल राजनैतिक आधार पर सलेक्ट किया गया है । कोई ट्रेन्ड नहीं है, प्रशिक्षित नहीं है । एडल्ट एजूकेशन के नाम पर अनाप-शनाप खर्च कर रहे हैं । आप देखें तो मैं आपको मिसाल दूंगा कि वे सब राज-नैतिक कारणों से नियुक्त किये गये हैं। आप नसबन्दी करा नहीं सकते । करवाने की कोई योजना हो तो मैं स्वागत करूंगा। अच्छाई के लिये आपकी स्कीम बहुत अच्छी है, अगर इंप्लीमेंटेशन सही हो तो बात ठीक है । आप कहते हैं कि हमारी 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है उसके लिये स्कीम होनी चाहिये । उनकी सुख-सुविधा की योजना होनी चाहिये । उनकी गरीबी दूर करने की योजना होनी चाहिये । मैं कहता हूं क्या किया है आपने गांवों के लिये । आपका मंत्रिमण्डल भानुमती का पिटारा है । आप धोखा न दें लोगों को, आपका मंत्रिमण्डल चाहे किसी किस्म का हो..

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

××× शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री शिवचरण सिंह)
आप प्रदेश में पिछड़ेपन का धोखा देते हैं, क्या आपने कभी उनके हितों को देखा है ? आपने गरीबों के लिये क्या किया है ? आपके माध्यम से मैं यह बात समझाना चाहता हूं वरना आप खुद भुगतेंगे ।

श्री **सुरेशकुमार शर्मा** : उपाध्यक्ष महोदय, पागलपन शब्द के लिये आपका क्या आदेश है ?

श्री **उपाध्यक्ष** : मै इसको देख लूंगा कि क्या लिखा गया है ?

श्री **दूलाराम** (रायसिहनगर) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके माध्यम से सिचाई मंत्री, शायद वह नहीं है, वित्त मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि गंगानगर जिले में जो सिंचाई के काम चल रहे हैं वह इस वक्त सब बन्द पड़े हैं। सब विभागों की स्कीमें जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनाई थीं वह चालू हैं, उनके अधिकारी चालू हैं मगर जो कार्य करना चाहते थे वह एक फुट भी अभी तक नहीं हुआ है । वह काम कांग्रेस सरकार के बाद आगे सरका ही नहीं है और न सरकने की हम उम्मीद कर सकते हैं । राजस्थान कैनाल 1976 के बाद एक फुट भी आगे नहीं खिसकी है । वित्त मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि फलौदी, नाचना के लोग आशा लगाये हुये थे कि सिंचाई से फायदा होगा तो वह फायदा तो होने वाला है नहीं । विभागीय खर्चा उतना ही चल रहा है और काम एक कौड़ी का भी नहीं हुआ है ।

जिस प्रकार से पक्के खाड़े बन रहे हैं उनके लिये 2,39,000 रु. एक गांव से आप वसूल कर रहे हैं । उसमें से 1,16,000 तो सुपरविजन चार्ज का वसूल करते है और 1,13,000 रुपये मैटीरियल का ले रहे हैं । बड़े खेद की बात है, बड़े दुःख की बात है कि इस तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे हैं । सुपरविजन का 1,16,000 रुपये वसूल करके 1,13,000 मैटीरियल पर खर्च कर रहे हैं । ऐसा अनर्थ हम किसानों के साथ सिंचाई के नाम पर न करें । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि खर्चा अनाप-शनाप आप ले रहे हैं, इसमें आप कटौती कराइये ।

वन विभाग की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । गंगानगर, रायसिंह नगर के एरिया में जो वन विभाग काम कर रहा है, वहां पर जो आफिसर लगे हुए हैं वह वन बेच कर खा रहे हैं । इस प्रकार की कम्प्लेन्ट आपके यहां हुई है। हो सकता है कि वन मंत्री महोदय को इसका पता नहीं हो । मैं निवेदन करूंगा कि गंगानगर जिले का एक वन अधिकारी आपके राज्य में से 5 हजार रुपया महीना कमा रहा है और हो सकता है कि आपकी भेंट पूजा....

श्री **श्योपतसिंह मकासर** : वह आपकी आदत थी ।

श्री **दूलाराम** : माननीय सदस्य हरिराम जी को दिया है । हमनें सब को दिया है । हमारी आदत की बात मत कहिये, कांग्रेस के शासन में ऐसा वन अधिकारी नहीं आया कि जिसके खिलाफ इतने चार्ज लगे हों । यह आपके जमाने में हो रहा है । तो वन विभाग सबसे ज्यादा धपलेबाजी कर रहा है और आपके राजनैतिक संरक्षण में कर रहा है, और वोट के नाम से कर रहा है । प्रोटेक्शन देने वाले माननीय सदस्य भी हो सकते हैं और हमारे माननीय एम. पी. साहब भी हो सकते हैं ।

श्री श्योपत सिंह मकासर : यह इनकी कमजोरी है कि आप यहां पर बोल रहे हैं। नहीं तो जेल में होते सारे।

श्री दुलाराम : हमनें रखा है।

मैं निवेदन करूंगा कि परिवार नियोजन के वास्ते जो अधिकारी 77 मार्च के पहले थे, वह उतनें के ही उतनें हैं, उतना ही खर्चा हो रहा है। लेकिन आपरेशन के नाम पर एक भी आपरेशन नहीं किया है। आज ही मैंनें अखबार मे पढ़ा था कि एक ही आपरेशन हुआ और वह आदमी भी मर गया। यह मैंने आज ही पढ़ा है। दुःख हो रहा है कि एक तो आपरेशन किया और वह भी मर गया। हमनें कितने ही आपरेशन कर दिये उसके बाद भी आप जिन्दा रहे। आपने एक आपरेशन किया और वह आदमी भी मर गया।

एक माननीय सदस्य : यह आपरेशन कौन से औजार से करते हैं आप जानते हैं क्या ? आप डाक्टर हैं क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इन्टरफियर न करें।

श्री जगतारसिंह किंग : डाक्टर क्या होता है इनके आगे ?

एक माननीय सदस्य : डाक्टर के बाप हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि आप अपनें विचार संक्षेप में प्रकट करें।

श्री दुलाराम : मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि एक आदमी का आपरेशन हो, वह भी डाक्टर के हाथ से मर जाय। और सरकार चुपचाप घोषणा कर दे कि उसकी विधवा को 6 हजार रुपये देगी तो उस आदमी की कीमत क्या 6 हजार रुपये ही थी ? एक आपरेशन करनें के बाद में मृत्यु हो गई उसके लियें सरकार ने न आयोग बैठाया और न जांच कराई। मैं मंत्री महोदय से शिकायत करता हूं कि इस मामले में उस डाक्टर के खिलाफ एक्शन लें। जनता का विश्वास होगा कि सेन्ट-पर्सेन्ट व्यक्तियों को मरनें नहीं देगी तभी जनता आपरेशन करवायेगी। लाखों लोगों के आपरेशन हुए और किसी की भी मृत्यु नहीं हुई आपके राज्य में एक आपरेशन किया और उसी आदमी की मृत्यु हो गई।

मैं निवेदन करूंगा कि यह सरकार जो कार्य कर रही है वह गलत कर रही है। दोषी अधिकारियों को दण्ड दिलाया जाय। बिना वजह जो किसानों पर कर भार बढ़ाया गया है उसको कम किया जाय।

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1978 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

श्री उपाध्यक्ष : इससे पहले कि माननीय मंत्री महोदय उत्तर दें मैं निवेदन करूंगा माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए कि माणकचन्द जी सुराणा जो सलेक्ट कमेटी आन सी. आर. पी. सी. (अमेंडमेंट) बिल के चेयरमैन हैं वह शायद अपनी रिपोर्ट उपस्थापित नहीं कर सके हैं। वह मियाद बढ़ाने के लिए प्रस्ताव करेंगे। वह जरूरी है। पहले उसको ले लिया जाय।

श्री रामनारायण चौधरी : वह करवा लिया जाय।

श्री माणक चन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं। कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक,

(श्री माणक चन्द सुराणा)
1978 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को 8 नवम्बर, 1978 तक बढ़ा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की यह सहमति है कि समय 8 नवम्बर तक बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन के उपस्थापन का समय 8 नवम्बर तक बढ़ाया गया ।

मैं अब प्रभारी मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह उत्तर दें ।

श्री सुरेश कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या आपने वह प्रोसीडिंग देख ली है ?

श्री उपाध्यक्ष : मैंने प्रोसीडिंग देख ली है । ××× शब्द अनडिग्नीफाइड मैं मानता हूं और एक्सपन्ज करने का आदेश देत हूं ।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय माणकचन्दजी ने जो प्रस्ताव रखा है वह 8 तारीख तक का रखा है ।

श्री मूलचन्द डागा : He is no more Chairman now वह मिनिस्टर हो गये हैं। चेयरमैन मिनिस्टर नहीं हो सकता है । वह मिनिस्टर हो गये हैं । He has no right to move the motion. या आप यह कह दें कि आप मिनिस्टर नहीं बने ।

श्री उपाध्यक्ष : डागाजी ।

××× शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री मथुरादास माथुर : मेरा एक निवेदन था कि आपने बहुत जल्दी ओथ ले ली । आपने 8 तारीख की लास्ट डेट दी है । यह नामुमकिन है कि 8 तारीख को रिपोर्ट पूरी हो सके । इसकी अभी तक तो कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई है । कौन बुलायेगा ? आप मंत्री हो गये । आपने ओथ ले ली . .

श्री उपाध्यक्ष : क्या मंत्री बनने के बाद वह चेयरमैन नहीं हो सकते हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : जी हां, नहीं हो सकते हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : मंत्री उसी विभाग का हो तो हो सकता है ।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि मैं उस कमेटी का मैम्बर हूं । उसकी अभी तक बैठक नहीं हुई । आज 6 तारीख है, कल ही बैठक बुलाकर उसकी रिपोर्ट लिखा दी जाय फिर भी रिपोर्ट आयेगी, छपेगी और सर्क्यूलेट होगी इसलिए 8 तारीख तक तो नामुमकिन है । इसलिये दस तारीख कर दी जाय तो ठीक रहेगा ।

श्री माणकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, यदि आपका सुझाव है कि इसकी मियाद 10 तारीख तक कर दी जाय तो मुझे कोई एतराज नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुराणाजी मैं इस विवाद को अनावश्यक मानता हूं 8 तारीख को जो भी स्थिति हो उसके बाद आप फिर कह सकते हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : कैसे कह सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : तारीख तो बढ़ाई जा सकती है।

श्री मथुरादास माथुर : ठीक है।

विधेयक का पारण

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये हैं, वह बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। अभी विरोधी दल के नेता ने एक भयंकर बीमारी, जो कई राज्यों में फल रही है, के बारे में चेतावनी दी है कि उत्तर प्रदेश से लगे हुए भरतपुर जिले में भी आशंका है कि कहीं फैल नहीं जाये। उसके लिए मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार सतर्क है। आपने जो विचार रखे हैं इस सम्बन्ध में उससे और भी ज्यादा सतर्कता बरतेंगे।

जो माननीय सदस्यों ने विचार रखें हैं। उन विचारों के बारे में मैं अगर कुछ भी कहूं तो समय भी ज्यादा लगेगा और मैं ऐसा समझता हूं कि इस समय उनका जवाब देना आवश्यक भी नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा कि परिवार नियोजन है, सरकार मानती है कि परिवार नियोजन बहुत जरूरी है। हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि नसबन्दी और नशाबन्दी दोनों ही कोई सम्बन्ध नहीं रखती गरीबी या गरीबी निवारण से। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं। दोनों का सम्बन्ध निर्धनता निवारण से है। हमारे जैसे देश में परिवार नियोजन बहुत आवश्यक है और साथ में नशाबन्दी भी बहुत आवश्यक है। शाबन्दी अवश्य होनी चाहिए और न होने ने जल्दी होनी चाहिए, यह एक वित्तीय प्रश्न भी है केवल नैतिक प्रश्न ही नहीं है। दूसरे और भी कई मुद्दे आये। मैं समझता हूं कि अगर सम्बन्धित मंत्री महोदय उनका उत्तर देते तो ज्यादा अच्छी तरह से दे सकते थे। जैसे पेयजल की समस्या है, मैं यह मानता हूं कि इस सम्बन्ध में पिछले 25-30 सालों में भी बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है और अभी-अभी हमने यद्यपि इस बजट में पहले से कुछ ज्यादा प्रावधान किया है तो भी हम इससे सन्तुष्ट नहीं हैं। हमें इस ओर अधिक से अधिक काम करना है।

मैं यह मानता हूं कि विरोधी पक्ष का एक बहुत बड़ा महत्व है लोकतन्त्र में विरोधी पक्ष अगर कोई बात कहता है या अपने विचार रखता है और उन विचारों में हार्दिकता है, हृदय से विचार रखे हैं और विरोधी पक्ष चाहता है तो ......

श्री श्योपत सिंह मकासर : हृदय से नहीं कहते, मैं ही कहता हूं हृदय से तो।

श्री आदित्येन्द्र : इनकी क्रियान्विति होनी चाहिए तो मैं समझता हूं सरकार को भी या जो पार्टी पावर में है उसका ध्यान रखना चाहिए। मैं यह दावा नहीं करता कि हमारी व्यवस्था पूर्ण है। यह भी दावा नहीं करता कि हमारी नीति और कार्यक्रमों में त्रुटि नहीं है। यह भी सुझाव दिये गये हैं। इन तमाम को क्रियान्विति के लिये नीति और कार्यक्रमों में व्यवस्था हो और संशोधन अच्छे के लिये होना चाहिए। इसके अलावा जो भी काम किये जायें उसकी व्यवस्था भी साउण्ड और एफिशिएन्ट होनी चाहिए जिससे कि उसका ठीक तरह से अमल हो। यह ठीक है कि किसी मद में कोई धनराशि कम नहीं हो, लेकिन देखना

(श्री आदित्येन्द्र)

यह भी है कि कितनी उपलब्धि होती है यही एक तरह से हमारा मापदण्ड हो और होना चाहिए। मैं अब आपसे यही कहूंगा कि 1972-73 वर्ष के संबंध में जो अतिरेक मांगें थीं और जो खर्चा अधिक हो गया है वह हो चुका है उसके बाद आडिट भी हो चुका है, जन-लेखा समिति ने भी उसको अच्छी तरह से एग्जामिन कर लिया है और अपना प्रतिवेदन भी भेज दिया है, इसलिए इस संबंध में और अधिक न कहते हुए हाउस से यही निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

श्री **मूलचन्द डागा** : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर सर, मैंने पहले सवाल उठाया था कि विनियोग विधेयक उसी दिन कन्सीडर हो और उसी दिन पास हो, यह नहीं हो सकता, यह कानून की मंशा के प्रतिकूल है। मैंने कोटेशन दिया है, उसको फिर पढ़ देता हूं, आपने कहा था कि इस पर निर्णय दूंगा—

"It had almost become a practice in recent years for the Appropriation Bills to be introduced, considered and passed on the same day, immediately after the relevant demands for grants were voted by the House, on receipt of a request from the Minister concerned for allowing for all these stages to be gone through on the same day. Objection was taken to such a procedure by some Members during the last Budget Session. Keeping in view the provisions of Lok Sabha Rule 218, I held that such Bills might be taken up for consideration and passing on a day subsequent to the day of introduction of the Bill. I also allowed Members who had given advance notice of some points which had not been covered earlier during the debate on the relevant demands for grants to participate in the debate."

इसलिए मैं यह प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को आज पारित नहीं किया जाय। इसको पारित करने का मतलब है कि कानून की अवहेलना होगी।

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय डागाजी, मुझे खेद है कि मैं इससे सहमति व्यक्त नहीं कर सकूंगा। मैंने विशेष परिस्थितियां बताते हुए विशेष रूप से इस पर विचार करने की व्यवस्था दी है।

प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 7 नवम्बर, 1978 को प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मंगलवार सायं 6.18 बजे मंगलवार, दिनांक 7 नवम्बर, 1978 के म०पू० 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई।

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 198 का विवरण)

(1) समस्त विभागों में हिन्दी प्रयोग की प्रगति का जायजा लेने के लिए एक त्रैमासिक विवरण मंगवाना प्रारम्भ किया गया। यह विवरण प्राप्त कर वहां भी हिन्दी प्रयोग में कोई कमी देखी गयी उसका तुरन्त कारण बताने तथा उसमें सुधार लाने के लिये लिखा गया।

(2) राजकीय विभागों में जो भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलायें जायें उनमें हिन्दी माध्यम के प्रयोग के साथ-साथ हिन्दी में राजकाज करने का भी प्रशिक्षण दिया जाय, ऐसे निदेश दिये गये। इसके फलस्वरूप सचिवालय तथा जिलों में लिपिकीय प्रशिक्षणों में हिन्दी में राजकार्य करने का पाठ्यक्रम चलाया गया।

(3) राजकाज में अधिकारियों और कर्मचारियों को सहायता व सुविधा देने के लिये, हिन्दी प्रयोग मार्गदर्शिका, तथा वित्तीय प्रतिमान प्रारूप दो उपयोगी प्रकाशन गत वर्ष छपवाकर वितरित किये गये।

(4) विभिन्न विभागों की अंग्रेजी प्रशासनिक सामग्री का हिन्दी अनुवाद करके भिजवाया गया।

(5) अंग्रेजी की रबड़ की मोहरों को अनियमित घोषित किया गया।

(6) कैश-बुक, स्टाक रजिस्टर व अन्य रजिस्टरों में हाथ से की जाने वाली समस्त प्रविष्टियां हिन्दी में किया जाना अनिवार्य घोषित किया गया।

(7) 2 अक्टूबर से सारी वित्तीय स्वीकृतियां, सरकारी बैठकों और आयोजनों के कार्यक्रम तथा प्रशासनिक एवं वार्षिक रिपोर्ट, समस्त आदेश, परिपत्र आदि की जो भी राजकीय प्रशासनिक सामग्री मुद्रित या साइक्लोस्टाइल हो, उनमें हिन्दी प्रयोग अनिवार्य किया गया।

परिशिष्ट 2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जासके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

फलासिया क्षेत्र में परिवहन की व्यवस्था

203. **श्री लालूदास** (फलासिया) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्र में प्रमुखत: फलासिया क्षेत्र में निजी वाहन सेवा जारी है जो कि विना टिकट वितरण करके टैक्स की चोरी करते हैं ? अगर हां, तो राज्य सरकार क्यों नहीं वहां पर राज्य परिवहन सेवा चालू करती है जिससे कि सरकारी आय के साथ-साथ वहां की गरीब जनता को राहत मिले ?

उत्तर

जी हां। इस मार्ग पर चलने वाली बसों की समय-समय पर जांच की गई है। जिन बसों में यात्री बिना टिकट पाये गये हैं, उनके खिलाफ चालान बनाया जाकर कानूनी कार्यवाही की गई है। फलासिया क्षेत्र अभी राष्ट्रीयकृत मार्ग पर नहीं है एवं वर्तमान में इस मार्ग के राष्ट्रीयकरण की योजना नहीं है।

वर्क चार्ज पर कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ताओं का स्थायीकरण

204. **श्री माणकलाल ठाकोर** (नैनवा) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य विद्युत मण्डल के अधीन 4 वर्ष या इससे अधिक मण्डल की सेवा में सेवारत कितने कर्मचारी हैं जिनसे कनिष्ठ अभियंता का कार्य लिया जा रहा है किन्तु उन्हें इस पद पर स्थायी नहीं किया जा रहा है और वे वर्क-चार्ज पर कार्य कर रहे हैं ? राज्य सरकार अथवा विद्युत मण्डल उन्हें स्थाई करने से संबंधित क्या कार्यवाही कर रहा है ?

उत्तर

विद्युत मण्डल में सेवारत ऐसे कोई कर्मचारी नहीं हैं जो वर्क-चार्ज में कार्य कर रहे हों और जिनसे कनिष्ठ अभियंता का कार्य लिया जा रहा हो। अत: कनिष्ठ अभियंता के पद पर उन्हें स्थायी करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

बड़े शहरों में राजस्थान के जनसम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति का औचित्य

205. **श्री ईश्वर चन्द्र** (पिड़ावा): क्या जनसम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) जनसम्पर्क विभाग के दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता कार्यालयों के रखने का क्या औचित्य है ?

(2) क्या यह सही है कि इन कार्यालयों में कोई विजिटर्स-बुक कभी नहीं रखी गई और न ही प्रवासी राजस्थानियों की कोई पूछताछ का रिकार्ड इनमें रखा गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि भूतपूर्व जनसम्पर्क निदेशक, श्री भट्ट ने सुखाड़िया सरकार के मंत्रियों की सेवा के लिये इन कार्यालयों का निर्माण करवाया था ?

(4) क्या यह सही है कि राजस्थान लघु उद्योग निगम ने इन्हीं स्थानों पर अपने

(श्री ईश्वर चन्द्र)

एम्पोरियम खोल रखे हैं तब राज्य सरकार एम्पोरियम के द्वारा ही अपने प्रकाशन क्यों नहीं वितरित करती ?

(5) क्या यह सही है कि अधिकारियों की एक बड़ी फौज के रखने में जनसम्पर्क विभाग का अधिकांश व्यय होता है। यदि हां, तो विभाग के कुल व्यय का कितना प्रतिशत कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वेतन, यात्रा भत्ता, वाहनों के रख-रखाव और टेलीफोन पर खर्च होता है ?

उत्तर

(1) इन तीनों महानगरों में सूचना केन्द्रों के माध्यम से राज्य सरकार की गतिविधियों और कल्याणकारी प्रवृत्तियों की जानकारी दी जाती है।

(2) जी नहीं।

(3) विभाग के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(4) यह संभव नहीं है।

(5) विभाग के कुल व्यय का 48.3 प्रतिशत व्यय वेतन, 2 प्रतिशत यात्रा भत्ता, 3.6 प्रतिशत वाहनों पर, 4.5 प्रतिशत डाक-तार, टेलीफोन आदि पर होता है।

पोस्ट-ग्रेजुएशन के लिए डाक्टर का चयन

206. श्री **माधवसिंह दीवान** (सोजत) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पिछले कुछ वर्षों से पोस्ट-ग्रेजुएशन के लिए एम.बी.बी.एस. डाक्टर जो राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत हैं, का सलेक्शन किया जाता रहा है ? यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों से इनकी मैरिट लिस्ट बनाने का अलग-अलग वर्ष में क्या क्राइटेरिया रहा है तथा किन-किन का सलेक्शन हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस वर्ष की सूची को अन्तिम रूप दिये जाने में काफी लम्बा समय लगा ? यदि हां, तो सूची कब प्रकाशित हुई तथा क्या इस डिले से यह नहीं लगता है कि रूल्स में चैंजेज किये गये ताकि सिफारशी केन्डीडेट्स का सलेक्शन हो सके तथा एलीजिबल आदमियों को पीछे छोड़ दिया जायें ?

उत्तर

(1) जी हां। पोस्ट-ग्रेजुएशन शिक्षा के चयन के लिए निम्न योग्यताओं का होना 1974 में अनिवार्य था:--

1) प्रार्थी राज्य सेवा में स्थायी होना चाहिये।

2) प्रार्थी चिकित्सा स्नातक होना चाहिये।

3) प्रार्थी 45 वर्ष से बड़ा नहीं होना चाहिये।

4) प्रार्थी 5 वर्ष से इस विभाग में कार्यरत होना चाहिये।

5) प्रार्थी की तीन वर्ष की ग्रामीण सेवा होनी चाहिये।

Page No 128

(128)

(चिकित्सा मंत्री)

6) प्रार्थी एक ही विषय में प्रार्थना-पत्र दे सकता है। वर्ष 74-75, 75-76 उपरोक्त में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। 1977 से डाक्टरों से एक विषय के बदले दो विषयों में आप्शन मांगा जाने लगा। वर्ष 1978 से दो बार से अधिक प्रयत्नों में एम. बी.बी.एस. पास करने वाले डाक्टरों को पोस्ट-ग्रेजुएशन का प्रार्थना-पत्र देने से वंचित कर दिया गया है।

इन्हीं वर्षों में ग्रामीण सेवा की परिभाषा में समय-समय पर किये गये परिवर्तन निम्न प्रकार से हैं: —

सन् 1974 से 76 तक निम्न प्रोग्राम में कार्य करने वाले डाक्टरों को निम्न प्रकार ग्रामीण सेवाकाल माना जाता था :—

1) परिवार कल्याण :—एक साल की सेवा बराबर 1½ साल की।

2) क्षय एवं वक्ष:—एक साल की सेवा बराबर 1 साल की।

3) ई. एस. आई.:— यथा

4) भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई:— यथा

5) आर्मी सेवा:-- यथा

सन् 1977 में ग्रामीण सेवाकाल निम्न प्रकार मानी गयी थी:--

1) परिवार कल्याण:--एक साल की सेवा बराबर 1½ साल के।

2) क्षय एवं वक्ष:--एक साल की सेवा बराबर 1½ वर्ष।

3) ई०एस०आई०:–एक साल की सेवा बराबर 1 साल।

4) भ्रमणशील शल्य :– चिकित्सा इकाई एक साल की सेवा बराबर 1 साल।

5) आर्मी सेवा:-- यथा

6) एनेस्थीसिया, रेडियोलोजी:-- यथा

सन् 1978 में ग्रामीण सेवाकाल निम्न प्रकार मानी गई थी :—

1) परिवार कल्याण
2) क्षय एवं वक्ष
3) एनेस्थीसिया
4) रेडियोलोजी
5) मलेरिया
6) जन-स्वास्थ्य
7) भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई

} दो साल की सेवा बराबर 1 साल की ग्रामीण सेवा-काल।

उपरोक्त आधार पर प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की उम्र एम०बी०,बी०एस० पास करने की बारी उसमें प्राप्तांक कुल सेवाकाल तथा ग्रामीण सेवाकाल के लिये अलग-अलग अंक प्रदान किये जाते हैं तथा उनमें सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले सी० ए० एस० को पी० जी० के लिये सरकार द्वारा चयनित किया जाता है जिन अनुसूचित जाति/जन-जाति के डाक्टरों ने कम से कम 5 साल की राज्य सेवा कर ली है उनको क्रमश: 8 प्रतिशत एवं 6 प्रतिशत के आरक्षण के आधार पर चयनित किया जाता है।

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(चिकित्सा मंत्री)

(2) जी नहीं। चयनित डाक्टरों की सूची का प्रकाशन दिनांक 24-8-78 को कर दिया गया था जब कि भर्ती की अन्तिम तिथि दिनांक 30-9-78 थी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई है)

जयपुर में बच्चों के लिए अस्पताल की व्यवस्था

207. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में बच्चों के इलाज के लिए मेडिकल और सर्जीकल वार्डों में कितने-कितने बैड्स कब-कब से स्वीकृत हैं?

(2) क्या यह सही है कि बच्चों के इलाज हेतु अस्पताल आने वालों की संख्या अधिक होने के कारण एक ही बैड पर एक से अधिक बच्चों को रखा जाता है और बच्चों की संख्या को देखते हुए बैड्स अपर्याप्त हैं? यदि हां, तो राज्य सरकार बैड्स कब तक कितनी मात्रा में बढ़ाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या राज्य सरकार बच्चों के इलाज हेतु जयपुर नगर की आबादी और आवश्यकता को देखते हुए बच्चों के लिये एक बच्चा अस्पताल खोलने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में 40 बैड्स बच्चा सर्जीकल लगभग 1960 से तथा 50 बैड्स बच्चा मेडिकल के जब से कालेज खुले हैं तब से एम. सी. आई. के न्यूनतम मापदंड के आधार पर स्वीकृत हैं। राज्य सरकार द्वारा पूरे अस्पताल के लिये बैड्स स्वीकृत किये जाते हैं। सम्बन्धित कालेजों के प्रधानाचार्य आवश्यकतानुसार बैड्स का विभिन्न यूनिटों में आवंटन करते हैं।

(2) जी हां।

कभी-कभी बीमारी की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए बीमार बच्चों को भर्ती करना पड़ता है उस स्थिति में बैड की कमी से एक पलंग पर दो बीमार बच्चों को भी रखने पड़ जाते हैं। अस्पताल की पूर्ण क्षमता के आधार पर ही सरकार बच्चे के बैड्स बढ़ाने पर विचार कर सकती है।

(3) अभी इस बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है।

अजमेर जेल में पेयजल की व्यवस्था

209. **श्री नूरा (मसूदा)**: क्या कारागृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अजमेर जैसी बड़ी जेल में कैदियों के लिये पेयजल प्रदान करने की क्या व्यवस्था है?

(2) क्या यह सही है कि अजमेर जेल में पानी की सप्लाई के लिए टंकी भी नहीं बनी हुई है जब कि खम्भे खड़े कर दिये गये हैं? यदि हां, तो टंकी नहीं बनाने के क्या कारण हैं?

(3) जेल के कैदियों को पेयजल की सुविधा देने हेतु टंकी के कब तक बनाने की राज्य सरकार की   है?

(कारागृह मंत्री)

उत्तर

(1) केन्द्रीय कारागृह, अजमेर के वन्दियों को पानी की व्यवस्था हेतु कारागृह परिसर में 3 कुएं हैं तथा लगभग 3,000 गैलन पानी मीरशाह अली स्थित कुएं से अतिरिक्त प्राप्त किया जाता है ।

(2) जी हां । यह कार्य ठेकेदार द्वारा बीच में ही छोड़ दिये जाने के कारण अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है ।

(3) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इस अपूर्ण कार्य को इस ही चालू वर्ष में पूर्ण कर दिया जायेगा ।

पंचायत समिति, खानपुर में पीने के पानी की व्यवस्था

210. श्री भैरव लाल काला बादल (खानपुर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि पंचायत समिति, खानपुर में ग्राम करनवास, बलदेवपुर, अम्बाला, विसवाई, सूरतबोरडी, बुखारी, हीचर, बोरदा, बिलासरा, मोहरा, जोलपा, बरड़ावदा, बोर खेड़ी, केंयरी आदि ग्रामों में पीने के पानी का घोर संकट है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इन ग्रामों के मवेशी तथा मनुष्यों के पीने के पानी की कठिनाई को दूर करने के लिये क्या विचार रखती है ?

उत्तर

प्रस्तावित ग्रामों में ग्राम बलदेवपुर जन संख्या विहीन है । विभागीय मास्टर प्लान के अनुसार ग्राम करनवास, बिसलाई, सूरत बोरडी, मोहरा एवं केथरी में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है । शेष सभी ग्रामों में पानी नारू रोग ग्रस्त है । ग्राम करनवास, अम्बाला, हीचर, बोरदा, बिलासरा, बरड़ावदा में हैण्ड पम्प योजना स्वीकृत की जा चुकी है । ग्राम बलदेवपुरा, सूरत बोरडी, जोलिया एवं बिसलाई में हैण्ड पम्प लगाने के प्रस्ताव जिला आयोजना समिति, वर्ष 78–79 द्वारा भेजे गये हैं । इन प्रस्तावों की तकनीकी जांच की जा रही है । तत्पश्चात् तकनीकी उपयुक्तता, धन-राशि की उपलब्धि एवं प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं को स्वीकृत करने की कार्यवाही की जावेगी ।

अन्त्योदय परिवारों को ऋण की सुविधा

211. श्री वृद्धिचन्द जैन (बड़ी सादड़ी) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या ऐसे अन्त्योदयी परिवार, जिन पर पहले से किसी समिति का कर्जा बकाया हो, उसे भी ऋण दिलवाया जा सकता है ? यदि नहीं, तो ऐसे परिवारों को किस प्रकार राज्य सरकार ऋण दिलवाने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि अन्त्योदयी परिवार को योजना के अन्तर्गत प्राप्त की जाने वाली सहायता के लिये कई प्रशासनिक अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करना पड़ता है ? यदि हां, तो इस क्लिस्ट प्रक्रिया को समाप्त कर, राज्य सरकार कोई सरल और आसान प्रणाली निर्धारित करेगी जिससे कि अन्त्योदयी परिवार को शीघ्र सहायता मिल सके ?

(मुख्य मंत्री)

उत्तर

(1) जी नहीं ।

ऐसे परिवारों को ऋण उपलब्ध करवाने हेतु पूर्व में लिए गये ऋण की अदायगी में ढील देने/माफ करने का मसला विचाराधीन है ।

(2) जी हां । ऋण प्राप्त करने हेतु तथा सम्बन्धी प्रक्रिया से सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क करना पड़ता है । इस प्रक्रिया को सरल करने हेतु ऋण-पत्र विशेष शिविर आयोजित कर तैयार करवाये जाते हैं, जहां सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहते हैं ।

समाज कल्याण विभाग का भवन

212. श्री **राम रघुनाथ चौधरी** (डेगाना): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग का मुख्य कार्यालय जयपुर में जिस भवन में चल रहा है वह भवन केसरगढ़ के नाम से विख्यात है ?

(2) क्या यह सही है कि इस भवन के मालिक व राज्य सरकार के बीच मकान मालिक द्वारा मकान खाली कराने के लिये न्यायालय में विवाद चला था तथा मकान मालिक मकान खाली कराना चाहता था ? अगर हां, तो न्यायालय से क्या फैसला हुआ एवं क्या अब राज्य सरकार इस भवन को खाली करना चाहती है ?

(3) इस भवन का राज्य सरकार (विभाग) मासिक किराया कितना देती है ?

(4) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार इस मकान को छोड़कर किसी और भवन को किराये पर लेकर विभाग वहां ले जाना चाहती है, जिसमें किसी को व्यक्तिगत लाभ होगा ? राज्य सरकार को अधिक किराया होने से आर्थिक हानि होगी ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी नहीं । प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) इस भवन का राज्य सरकार द्वारा 1,094 रु. प्रतिमाह किराया दिया जाता है ।

(4) अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है ।

राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर में एम० ए० हिन्दी की कक्षाएं

213. श्री **उगमराज मेहता** (ब्यावर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर राजकीय महाविद्यालय में सन् 1958 से एम. ए. हिन्दी की कक्षाएं बन्द हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि ब्यावर राजकीय महाविद्यालय के छात्रों द्वारा निरन्तर मांग की जा रही है कि हिन्दी की एम. ए. कक्षाएं पुनः खोली जायें ? यदि हां, तो बंद की गई कक्षाओं को अभी तक पुनः क्यों नहीं खोला गया ? अब राज्य सरकार एम. ए. हिन्दी की कक्षाएं कब तक खोल देगी ?

(शिक्षा मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां । एम. ए. हिन्दी की कक्षाएं सन् 1957 से बन्द हैं ।

(2) छात्रों की प्रर्याप्त संख्या नहीं होने के कारण एम. ए. हिन्दी की कक्षाएं प्रारंभ करना संभव नहीं है ।

बाड़ी (धोलपुर) में फल-व-सब्जियों पर कर

214. श्री जगदीश सिंह (धौलपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि बाड़ी (धौलपुर) में सब्जी व फल पर 5/- रुपये की चुंगी की दर मुकर्रर है ? क्या अन्य किसी शहर या कस्बे में इतनी भारी मात्रा में चुंगी लगी है ? क्या इस तरह बाड़ी की गरीब जनता के साथ अन्याय नहीं हो रहा है ? राज्य सरकार क्या इसको कम या समाप्त करने के लिये विचार करेगी जब कि जयपुर में भी कोई सब्जी पर चुंगी नहीं है ?

उत्तर

जी, नहीं । केवल फलों पर ही 5/- रुपये हैं भरतपुर जिले के ही कुछ शहरों में सब्जी पर चुंगी की दरें बाड़ी के ही समान हैं । चुंगी की दरों को कम करने के सम्बन्ध में पालिका की टिप्पणी मांगी गई है ।

रोडवेज की बसों के किराये में असमानता

215. श्री भूरालाल (गोगुन्दा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि उदयपुर से गोगुन्दा की दूरी 35 किलोमीटर है ? क्या यह भी सही है कि गोगुन्दा से सायरा की दूरी भी 35 किलोमीटर है ? क्या यह भी सही है कि उदयपुर से गोगुन्दा तक राज्य पथ परिवहन निगम की बस का यात्रा किराया 2.40 रुपये है जबकि उक्त परिवहन की बस से गोगुन्दा से सायरा का किराया 2.90 रुपये है ? यदि हां, तो अन्तर का क्या कारण है एवम् वास्तविक किराया क्या होना चाहिये ? अधिक टिकट की राशि यात्रियों से वसूल करने पर अब तक राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? राज्य पथ परिवहन द्वारा अब तक जितनी राशि अधिक वसूल की गई है क्या वह राशि सम्बन्धित पंचायत को लौटाई जा सकती है ?

उत्तर

जी नहीं । उदयपुर बस स्टैन्ड से गोगुन्दा बस स्टैन्ड की दूरी 37 किलोमीटर है तथा गोगुन्दा से सायरा 33 किलोमीटर है । अतः उदयपुर से गोगुन्दा का किराया 2.40 रु. व गोगुन्दा से सायरा का किराया 2.10 रु. है । दोनों स्थानों के किराये में अन्तर का कारण दोनों स्थानों की दूरी में अन्तर होना है । किराया वास्तविक दूरी के आधार पर वसूल किया जा रहा है अतः अधिक किराये की राशि लौटाने का कोई प्रश्न नहीं है ।

फलौदी तहसील में पीने के पानी की व्यवस्था

216. श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वर्षाभाव के

(श्री बालकृष्ण थानवी)

कारण इस साल जोधपुर जिलान्तर्गत फलौदी तहसील के अधिकांश गांवों के ताल तलैया सूखे हैं, और वहां के ग्रामीण प्यासे मर गये हैं एवं उन्हें पानी की तलाश में दूरस्थ स्थानों पर जहां कि पानी के परम्परागत कुएं या नलकूप हैं, जाना पड़ता है फिर भी उन्हें आसानी से पीने का पानी नसीब नहीं होता ?

(2) अगर यह सही है तो ऐसे गांवों की कुल संख्या कितनी है, और उन्हें पीने का पानी तत्काल मुहैया कराने के लिये राज्य सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है ? पानी से त्रस्त ऐसे सारे गांवों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। क्या यह सही है कि निम्न राजकीय नलकूपों से जुड़े हुए फलौदी तहसील के निम्न गांवों को पिछले कई वर्षों से पीने का पानी नहीं मिल रहा है या यदा-कदा ही मिल पाता है जिसकी वजह से वहां ग्रामीण प्यासे मर रहे हैं:—

(i) नलकूप योजना सीहड़ा के गांव—टेंकरा, देदासरी, दुर्जनी, खेतसूर, घोलिया, वारू आदि।

(ii) नलकूप योजना शैतानसिंह नगर के गांव—ननेऊ एवं जाम्या।

(iii) इसी साल प्रारम्भ हुई नलकूप योजना बीठड़ी के गांव—मोखेरी एवं हापारड़ी।

(iv) इसी साल नलकूप योजना चोतीणा (चाड़ी) से जोड़े गये गांव—रोहिणा, लूगड़ी, मानासर, मानेवड़ा एवं चम्पासर।

अगर यह सही है, तो उपरोक्त नलकूपों से संबंधित उपरोक्त सारे गांवों को पीने का पानी नियमित रूप से पहुंचाने की राज्य सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

(3) क्या यह सही है कि एक नलकूप से अधिक गांवों को पीने का पानी नहीं पहुंच पाता, फिर भी एक-एक नलकूप के साथ ऊपर में दस-दस तक गांवों को जोड़ा गया है परिणामस्वरूप नलकूप के मुख्यालय के पास वाले एक दो गांवों के अलावा अन्य गांवों को पानी नहीं पहुंचता ?

(4) अगर यह सही है, तो क्या राज्य सरकार एक नलकूप से तीन से अधिक गांवों को पानी पहुंचाने की असफल नीति में परिवर्तन करके, जिन गांवों में मीठे पानी के परम्परागत कुएं हैं उन्हें मशीन उपकरणों से गहरा करवा के, उन पर पंपिंग सैट लगाते हुए, आस-पास के एक दो गांवों को उन्हीं से पाइप लाइन के जरिये जुड़वाने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) इस वर्ष वर्षा के अभाव रहने के कारण फलौदी तहसील के ताल तलैया में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं हुआ है, जिससे पेयजल संकट उत्पन्न होने की सम्भावना है।

(2) जिलाधीश, जोधपुर द्वारा जिन 37 ग्रामों की सूची जहां पेयजल परिवहन हेतु टेंकर्स की व्यवस्था की मांग की गई है। जो सहायता विभाग को भेजी है, यह सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

योजनावार विवरण नीचे दिया गया है:—

(i) नलकूप योजना सीहड़ा में ग्राम वोरू के पाइप लाइन जोड़ने का कार्य शेष

(भू-जल मन्त्री)

है ग्राम थोलिया साद एवं टेकरा के ग्रामवासियों द्वारा पाइप लाइन को बार-बार, जगह-जगह तोड़ दिये जाने पर आगे के ग्रामों में पानी पहुंचने में कठिनाई होती है। प्रशासनिक अधिकारियों से मदद प्राप्त कर जल सप्लाई नियमित करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ii) क्षेत्रीय योजना शैतानसिंह नगर के ग्राम ग्रमेट एवं जाम्या में नियमित रूप से जल वितरण किया जा रहा है।

(iii) क्षेत्रीय योजना बीठड़ी मोखेरी के ग्राम मोखेरी एवं हापरड़ी में जल उपलब्ध करवाया जा रहा है योजना के शेष कार्य पूर्ण होते ही पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध किया जा सकेगा।

(iv) क्षेत्रीय योजना नोखरा चम्पासर के अन्तर्गत ग्राम रोहिणा, मानासर, मानेवडा एवं चम्पासर ग्रामों में पानी उपलब्ध हो रहा है, ग्राम लूबड़ी के पाइप लाइन टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है, योजना आंशिक रूप से संधारण में है, योजना के सभी कार्य पूरे होने पर नियमित रूप से पूरे दबाव के साथ इन ग्रामों में जल उपलब्ध न हो सकेगा।

(3) एक नलकूप से कितने ग्राम जोड़े जायें यह नलकूप की क्षमता एवं ग्रामों की आवादी इत्यादि पर निर्भर है।

(4) क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनाओं में 3 से अधिक ग्रामों को लेने की नीति असफल रही है, सत्य नहीं है। जहां पर परम्परागत कुएं में पानी की क्षमता एवं क्वालिटी ठीक होती है, स्वीकृत योजना में कार्य में लिये जाते हैं।

तहसीलदार, जैतारण के विरुद्ध रेकार्ड की चोरी का मामला

217. **श्री हनवन्त सिंह राणावत** (वाली): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पुलिस थाना, जैतारण में तहसीलदार, जैतारण द्वारा तहसील कार्यालय से रेकार्ड की चोरी सम्बन्धित रिपोर्ट दर्ज करवाई गई जिसका केस नं. 37/75 पुलिस थाना, जैतारण में दर्ज हुआ व रेकार्ड बरामद किया गया और हस्ताक्षर विशेषज्ञ की रिपोर्ट भी प्राप्त की गई? यदि हां, तो उक्त मुकदमे का चालान पेश क्यों नहीं किया गया?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कारनामे में किसी प्रशासनिक अधिकारी का हाथ होना पाया गया? यदि हां, तो राज्य सरकार उसके खिलाफ कोई कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। मुकदमे में अभी अनुसंधान जारी है।

(2) उत्तर आइटम नं. 1 में आ चुका है।

राज्य में खोले गये नये स्कूल

218. **श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर** (कपासन): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार ने नये स्कूल खोलने का निर्णय सितम्बर माह में लेकर विद्यालयों में अव्यवस्था की स्थिति पैदा नहीं की है?

(श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर)

(2) क्या नये स्कूल खोलने में केवल क्राइटेरिया को ही मान्यता दी गई है विधायक की राय तथा निवेदन पर कतई विचार नहीं किया गया ?

(3) ऐसे कितने विधायक हैं जिनकी बार-बार मांग करने पर भी उनके क्षेत्र में एक भी सैकण्डरी स्कूल नहीं खोला गया ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने इस वर्ष मानदण्ड के आधार पर 2 जून को ही स्कूल खोल दिये थे । कुछ स्थानों पर स्थानीय आवश्यकताओं, कठिनाइयों जन-प्रतिनिधियों की मांगों तथा मंत्री महोदयों द्वारा पूर्व में दिये गये आश्वासनों के कारण बाद में भी स्कूल खोलने पड़े ।

(2) जी नहीं । नयें स्कूल खोलने का मुख्य आधार निर्धारित मानदण्ड ही रखा गया । साथ ही विधायकों की राय का भी यथोचित ध्यान रखा गया है ।

(3) मानदण्ड के आधार पर स्कूल खोलने पर कुछ विधान सभा क्षेत्र ऐसे शेष रह गये जहां स्कूल नहीं खोले जा सके । इस पर यह विचार किया गया कि ऐसे क्षेत्र में कम से कम 5 प्राइमरी तथा 2 अपर प्राइमरी स्कूल खोल दिये जायें । अतः वहां सैकण्डरी स्कूल नहीं खोले जा सके, वहां 5 प्राइमरी तथा 2 अपर प्राइमरी स्कूल मांग के आधार पर खोलने का प्रावधान कर दिया गया ।

तहसील बेगूं के गांवों का विद्युतीकरण

219. श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य सरकार द्वारा राज्य के उन गांवों को बिजली उपलब्ध कराने के बारे में क्या योजना बनाई गई है जो कि मौजूदा हालत में 11 के. वी. की लाइन से 1 कि. मी. अथवा कम दूरी पर स्थित है ?

(2) तहसील बेगूं के अन्तर्गत पंचायत समिति, बेगूं एवं पंचायत समिति, भैंसरोडगढ़ में ऐसे कितने गांव हैं जो कि 11 के. वी. की लाइन से 1 कि. मी. अथवा उससे कम दूरी पर स्थित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) क्या राज्य सरकार इस वर्ष इन गांवों में बिजली उपलब्ध कराने को कटिबद्ध है ?

उत्तर

(1) 11 के. वी. की लाइन से एक किलोमीटर अथवा कम दूरी पर स्थित ग्रामों का विद्युतीकरण की योजना बनाने की दृष्टि से, सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

(2) तहसील बेगूं के अन्तर्गत पंचायत समिति बेगूं एवं भैंसरोडगढ में लगभग 43 ग्राम ऐसे हैं जो कि 11 के. वी. की लाइन से एक किलोमीटर अथवा उससे कम दूरी पर स्थित हैं उनकी सूची "अ" सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) योजना बन जाने पर साध्यता की जांच करने के बाद ही इस विषय में उपलब्ध धनराशि के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा ।

अविद्युतीकृत ग्राम जो एक किलोमीटर की दूरी या इससे कम 11 के.वी. लाइन या विद्युतीकृत ग्राम से दूर हैं :—

क्र.सं.	अविद्युतीकृत ग्राम का नाम	क्र.सं.	अविद्युतीकृत ग्राम का नाम
	पंचायत समिति, भैंसरोडगढ़ :		पंचायत समिति, बेगूं :
1.	बारोली	1.	जयसिंहपुरा
2.	उदयपुरिया	2.	श्रीनगर
3.	कमलपुरा	3.	मण्डावरी
4.	गोपालपुरा	4.	भगवानपुरा
5.	विजयपुर	5.	तारसीपली
6.	ऊंकारपुरा	6.	अमरपुरा
7.	सोगंड	7.	तनुतिया
8.	धारडी	8.	रामनगर
9.	खाजूपुरा	9.	चावंडिया
10.	छोटी धावद	10.	नरसिंहपुरा
11.	अलखेडा	11.	चांदपुरा
12.	रेमालिया	12.	बृजपुरा
		13.	मक्खनगंज
		14.	किशनगढ़
		15.	वाडा
		16.	अनोपपुरा
		17.	हरपुरा
		18.	मन्डोवर
		19.	गोपालपुरा
		20.	उमरका खाल
		21.	सूरपुर
		22.	पोहपुर
		23.	रामनगर (काटुन्दा)
		24.	हरिपुरा
		25.	गोपालपुरा (राजगढ़)
		26.	सादुलपुरा
		27.	राजगढ़
		28.	मेघनिवास
		29.	वालेच्छा
		30.	लक्ष्मीगंज
		31.	माधोपुर

संस्कृत शालाओं की क्रमोन्नति

220. **श्री आर. डी. यादव** (चौमू) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या संस्कृत शिक्षा पर शिक्षा बजट के मद से इस वर्ष नई स्कूलें खोली गई हैं व क्रमोन्नत की गयी हैं ? अगर हां, तो कितनी कहां कहां की गयी हैं ? अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

(2) क्या यह सही है कि गत छः वर्ष से संस्कृत शिक्षा पर कोई व्यय नहीं किया जा रहा है ? अगर हां, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार के पास महारावल संग्राम सिंह संस्कृत विद्यालय, विलोंची (जयपुर) को अधिग्रहण करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? अगर हां, तो यह कब तक अधिग्रहण किया जा रहा है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी नहीं । संस्कृत विद्यालयों में छात्रों की न्यून संख्या तथा आर्थिक संकोच के कारण ऐसा हुआ है ।

(2) जी नहीं । संस्कृत शिक्षा विभाग में गत छः वर्षों से योजना व गैर योजना मद में निम्न प्रकार व्यय हुआ :–

(लाखों रुपयों में)

वर्ष	योजना मद	गैर योजना मद	कुल व्यय
1972-73	2.94	39.41	42.35
1973-74	5.63	39.24	44.87
1974-75	1.61	61.19	62.80
1975-76	3.47	65.43	68.90
1976-77	4.57	72.01	76.58
1977-78	5.59	82.65	88.24

(3) जी हां । बजट में प्रावधान न होने के कारण अधिग्रहण किया जाना अभी संभव नहीं है ।

तहसील तिजारा के गांवों का विद्युतीकरण

221. श्री **अयूब खां** (तिजारा) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) तहसील तिजारा के कितने गांवों का विद्युतीकरण कब-कब किन-किन योजनाओं के तहत हो चुका है ? कितने गांव अभी शेष हैं ?

(2) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस तहसील के कितने गांवों का विद्युतीकरण कब तक सम्भव हो सकेगा ?

उत्तर

(1) तहसील तिजारा, जिला अलवर के अब तक कुल 71 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है । विद्युतीकरण का वर्ष व योजना जिसके अधीन इन ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है की सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है । इस तहसील के 137 ग्राम अभी तक अविद्युतीकृत हैं ।

(2) अभी कोई योजना नहीं बनाई गई है अतः इस तहसील के कितने गांवों का विद्युतीकरण छठी पंचवर्षीय योजना में हो जावेगा, यह कहना सम्भव नहीं है ।

सूची "अ"

तहसील तिजारा के विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विद्युतीकृत ग्रामों की वर्षवार सूची ।

वर्ष	संख्या	स्वीकृत योजनायें	
		सामान्य ग्रामीण विद्युती-करण	ग्रामीण विद्युती-करण निगम
1962-63	3	—	—
1965-66	1	3	—
1970-71	5	1	—
1971-72	10	5	—
1972-73	15	15	—
1973-74	22	8	14
1974-75	15	—	15
	71	42	29

राजस्थान नहर परियोजना के सीमेन्ट गोदामों पर छापे

222. श्री **गुरुशरण छाबड़ा** (सूरतगढ) : क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर परियोजना के सीमेन्ट गोदामों पर छापे मारे गये है ? यदि हां, तो कितने सीमेंट के थेले कम पाये गयें हैं ? इस सम्बन्ध में कितने अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ?

(2) क्या सीमेंट गोदामों तथा निर्माण क्षेत्र में पुलिस व जांच दल को सीमेंट के ठोस बने थैले भी मिले है ? यदि हां तो कितने ?

(3) इन थैलों के इस रूप में बरामद होने के बाद भी क्या राज्य सरकार यह विश्वास करती है कि राजस्थान नहर का निर्माण सही हो रहा है ?

उत्तर

(1) राजस्थान नहर परियोजना के सीमेंट गोदामों की माह जून, 1978 में चैंकिग कराई गई थी । विस्तृत जांच जारी है ।

(2) जी हां । जांच दलों द्वारा भौतिक सत्यापन की अन्तरिम रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में 30429 सीमेंट के बने ठोस थैले पाये गये हैं ।

(3) जो ठोस सीमेन्ट के थैले पाये गये हैं उनका निर्माण कार्य पर क्या प्रभाव है इसकी भी जांच पड़ताल की जा ही है ।

पत्रकारों, मुद्रकों एवं प्रकाशकों के विरुद्ध मुकदमें

223. श्री **बजरंग लाल शर्मा** (बनीपार्क, जयपुर): क्या जन-सम्पर्क मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे :—

22 जून, 1977 से अब तक कितने पत्रकारों, मुद्रकों एवं प्रकाशकों के विरुद्ध राज्य सरकार की ओर से मुकदमे किए गए, और क्यों ? ऐसी सूची विवरण सहित सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

22 जून, 1977 से अब तक राज्य सरकार की ओर से श्री आंनद शर्मा, सम्पादक

(जन-सम्पर्क मन्त्री)
जयपुर क्रोनिकल के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है ।

आयुर्वेद विभाग के सेवा नियम एवं पदोन्नतियां

224. श्री **रामदेव सिंह** (घोद) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि आयुर्वेद विभाग राजस्थान में 1973 से पूर्व कोई सेवा नियम नहीं थे ? यदि हां, तो विभाग किन नियमों के तहत पदोन्नति वरिष्ठता आदि के मामलों का निपटारा करता था ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान आयुर्वेद सेवा अधिनियम, 1973 में लागू किया गया परन्तु विभाग के तृतीय, द्वितीय, प्रथम श्रेणी के वैद्यों की पदोन्नति में वरिष्ठता व योग्यता का ध्यान न रखा जाकर इच्छानुसार कृपापात्र वैद्यों के प्रमोशन किए गये ? यदि नहीं, तो अब तक आयुर्वेद विभाग ने तृतीय, द्वितीय, प्रथम श्रेणी के वैद्यों की वरिष्ठता सूचियां कब-कब निकाली हैं ? सभी श्रेणी की सूचियों की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी नहीं। 1973 से पूर्व "राजस्थान आयुर्वेद सेवा नियम, 1959" तथा "राजस्थान आयुर्वेद अधीनस्थ सेवा नियम, 1966" विद्यमान थे।

(2) जी नहीं । अब तक जारी की गई वरिष्ठता सूचियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रख दी गई है ।)

अधिशासी अभियन्ता उदयपुर का स्थानान्तरण

226. श्री **मावजी** (सलूम्बर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

श्री अम्बालाल माथुर, अधिशासी अभियंता,सिंचाई विभाग कार्यालय, उदयपुर को कई विधायकों की मांग व स्थानीय जनता के समर्थन के बावजूद भी वहां से स्थानान्तरित क्यों किया गया ?

उत्तर

यह स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से ही किया गया था।

सेन्ट्रल वर्कशाप का स्थानान्तरण

227. श्री **चिरंजीलाल गर्ग** (पुष्कर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर स्थित राजस्थान रोडवज का सेन्ट्रल वर्कशाप का आधा हिस्सा जयपुर स्थानान्तरित किया जा रहा है ?

(2) क्या स्थानान्तरण की औचित्यता के संबंध में विभागीय जांच हुई है ?

(3) क्या विभागीय जांच रिपोर्ट में इस स्थानांतरण को आर्थिक दृष्टि से हानिप्रद तथा व्यवस्था की दृष्टि से अनुपयुक्त व अनावश्यक बताया गया है ? यदि हां, तो ऐसे क्या कारण हैं कि अनार्थिक होते हुए भी राज्य सरकार वर्कशाप का स्थानांतरण करना चाहती है ?

(4) क्या अजमेर का केन्द्रीय वर्कशॉप क्षमता की दृष्टि से अपर्याप्त है ? यदि हां,

Page No 140

(140)

(श्री चिरंजीलाल गर्ग)
तो उसका विस्तार क्यों नहीं किया जा रहा है ? विस्तार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) प्रश्न नहीं उठता ।

(3) प्रश्न नहीं उठता ।

(4) अजमेर स्थित केन्द्रीय कार्यशाला की वर्तमान क्षमता निगम की आवश्यकता के संदर्भ में काफी नहीं हैं, अतः क्षमता में वृद्धि की कार्यवाही जारी है ।

कानसिंह आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट

228. श्री **मानकचन्द सुराणा** (लूणकरण सर) ;

श्री **शिवनारायण** (थानागाजी) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या कानसिंह आयोग ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की है ? यदि हां, तो कितने मुद्दों पर कितनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त हो गई है और ये रिपोर्ट किन-किन तारीखों में प्राप्त हुई है ।

(2) क्या राज्य सरकार ने उन रिपोर्ट के ऊपर कुछ कार्यवाही की है ? यदि हां, तो किस-किस रिपोर्ट पर क्या-क्या कार्यवाही की है ?

(3) क्या राज्य सरकार आयोग की रिपोर्टों को सदन की मेज पर रखने को तैयार है ? यदि हां, तो रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) जी हां । विवरण संलग्न है ।

(2) व (3) राज्य सरकार इन प्रतिवेदनों पर की जाने वाली कार्यवाही के बारे में विचार कर रही है । इस कार्यवाही के बारे में अंतिम निर्णय होने पर ही सरकार इन प्रतिवेदनों को सदन की मेज पर रखने के बारे निर्णय करेगी ।

विवरण

आपातकाल के दौरान मीसा के अन्तर्गत नजरबंद व्यक्तियों के मामलों में कानसिंह समिति द्वारा दिनांक 31-10-77 को अंतरिम प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया था ।

उक्त प्रतिवेदन के अलावा आपातकालीन ज्यादतियों के संबंध में कानसिंह समिति द्वारा राज्य सरकार को दिये गये प्रतिवेदनों का विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	विषय	जांच किये गये मामलों की संख्या	जिस माह में प्रतिवेदन प्राप्त हुय है
1	2	3	4
1	परिवार नियोजन	324	मार्च, 1978 (4) × मई, 1978 (30) जून, 1978 (24)

1	2	3	4	
			जुलाई, 1978	(57)
			अगस्त, 1978	(63)
			सितम्बर, 1978	(127)
			अक्टूबर, 1978	(19)
2.	तोड़-फोड़	266	जनवरी, 1978	(22)
			फरवरी, 1978	(26)
			अप्रेल, 1978	(53)
			मई, 1978	(84)
			जून, 1978	(11)
			अगस्त, 1978	(12)
			सितम्बर, 1978	(58)
3.	पद एवं शक्ति के दुरुपयोग	44	मई, 1978	(32)
			अगस्त, 1978	(4)
			सितम्बर, 1978	(5)
			अगस्त, 1978	(2) } *3
			सितम्बर, 1978	(1) }
4.	मीसा व डी. आई. एस. आई. आर./दुर्व्यवहार एवं अत्याचार।	46	जुलाई, 1978	(13)
			अगस्त, 1978	(12)
			सितम्बर, 1978	(21)
5.	मीसा के अन्तर्गत नजरबंद किये गये व्यक्तियों के विषय में पूरक रिपोर्ट।	1	जनवरी, 1978	(1)
	योग ..	681		

× हासिये में उन मामलों की संख्या दी गई है जिनके संबंध में प्रतिवेदन संबंधित माह में प्राप्त हुये हैं।

*3 उपरोक्त प्रतिवेदनों में आम सुनवाई द्वारा जांच करके दिये गये निम्नलिखित प्रतिवेदन सम्मिलित हैं :—

(1) स्वर्गीय महाराज कुमार प्रतापसिंह की मृत्यु के संबंध में।

(2) आदर्श विद्या मंदिर, जयपुर को जबरन अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।

(3) श्री संजय गांधी के जयपुर आगमन के समय पद व अधिकारों के दुरुपयोग के संबंध में।

जैसलमेर में पर्यटन विकास की योजना

229. **श्री किशनसिंह भाटी** (जैसलमेर): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) संसार प्रसिद्ध नगर जैसलमेर के विकास की पर्यटन की दृष्टि से राज्य सरकार ने क्या योजना बनाई है ?

(2) दर्शनीय एवं ऐतिहासिक स्थलों एवं पर्यटक आकर्षण स्थलों के रक्षार्थ जैसलमेर हेतु सरकार ने क्या योजना बनाई है ?

(3) क्या उक्त नगर में पर्यटकों की सुविधार्थ 'थ्री स्टार' या जनता होटल की राज्य सरकार के पास योजना है ?

उत्तर

(1) जैसलमेर के विकास एवं उनसे संबंधित विकास कार्यों की सिफारिशों के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार ने जैसलमेर समिति का गठन किया है । यह समिति विभिन्न विकास कार्यों की योजनाएं तैयार करती है । पर्यटन विभाग ने अपनी छठी पंचवर्षीय योजना में पर्यटन आवास गृह में अतिरिक्त शैयाएं उपलब्ध कराये जाने की योजना बनायी है । जैसलमेर के विकास हेतु भी राशि का प्रावधान किया गया है ।

(2) जैसलमेर में स्थित प्रसिद्ध हवेलियों के परिरक्षण हेतु जैसलमेर विकास समिति ने सिफारिश की है एवं नगर की चारदिवारी के संरक्षण की कार्यवाही की सिफारिश भी की है, हवेलियों को क्रय किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है ।

(3) विभाग निजी उद्यमियों को थ्री स्टार होटल बनाने के लिये प्रेरित कर रहा है । आशा है, निकट भविष्य में कम से कम दो ऐसे होटलों का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जायगा ।

आर. ए. सी. के. कम्पनी कमांडरों का स्थायीकरण

230. **श्री गोविन्द सिंह शक्तावत** (कुम्भलगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय बटालियन आर. ए. सी. में कितने ऐसे कम्पनी कमाण्डर हैं जिनकी नियुक्ति हुए दो वर्ष से ऊपर हो चुके हैं तथा उन्होंने प्रमोशन केडर कोर्स पास कर लिया है ? नाम वाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ।

(2) उपरोक्त में से कितने कम्पनी कमाण्डरों को उनके पदों पर स्थायी किया जा चुका है ? कितने ऐसे हैं जिनका अभी तक भी स्थायीकरण नहीं किया गया है ? इनके स्थायीकरण नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या अब इन कम्पनी कमाण्डरों का स्थायीकरण करने का राज्य सरकार का इरादा है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय बटालियन आर. ए. सी. में 18 अधिकारी हैं जिनको कम्पनी कमाण्डर के पद पर पदोन्नति किये दो वर्ष हो चुके हैं । इनमें से 16 अधिकारियों ने प्रमोशन केडर कोर्स पास कर लिया हैं । अधिकारियों की सूची संलग्न है ।

(2) उपरोक्त में से 8 कम्पनी कमाण्डरों को उनके पदों पर स्थाई किया जा चुका

(गृह मन्त्री)

है। 10 कम्पनी कमाण्डरों का अभी स्थाईकरण नहीं किया गया है। स्थाईकरण किये जाने के लिए निर्धारित नियम हैं, और उसी आधार पर संबंधित व्यक्तियों को स्थायी करने योग्य होने व स्थायी पद होने पर स्थायी किया जाता है।

(3) आर.ए.सी. में 14 पद कम्पनी कमाण्डरों के अस्थाई हैं। स्थायी पद उपलब्ध होने पर पदानुसार स्थाईकरण की कार्यवाही की जावेगी।

प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय बटालियन आर. ए. सी. में निम्नांकित कम्पनी कमाण्डर ऐसे हैं जिनकी कम्पनी कमाण्डर के पद पर नियुक्ति हुए दो वर्ष से ऊपर हो चुके हैं और जिन्होंने प्रमोशन केडर कोर्स पास कर लिया है।

क्रमांक बटालियन, आर. ए. सी.

प्रथम बटालियन आर. ए. सी.

1. श्री श्याम सिंह
2. श्री भागीरथ राम
3. श्री हेत राम
4. श्री नन्द सिंह

द्वितीय बटालियन आर. ए. सी.

1. श्री जबरदी खां
2. श्री देवी सिंह
3. श्री रणजीत खां
4. श्री आशाराम
5. श्री माल सिंह
6. श्री सांवत राम

तृतीय बटालियन, आर. ए. सी.

1. श्री कामेश्वर प्रताप सिंह
2. श्री नारायण सिंह
3. श्री वीरेन्द्रपाल सिंह
4. श्री किशन लाल
5. श्री राम सिंह
6. श्री भैरोंसिंह

सब-इन्सपैक्टर पद के लिए आरक्षण

231. श्री **बत्तीलाल मीणा** (टोडाभीम) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

पुलिस में कितने सब-इन्सपैक्टर पिछली परीक्षा में लिए गए और उनमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के लिए आरक्षित कितने पद थे और उन पर कितने लिए गये ? यदि अनुपात के हिसाब से नहीं लिए गय तो क्यों ? जो स्थान रिक्त रह गये हैं उनके लिए राज्य सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गयी ?

उत्तर

गत वर्ष राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सब-इन्सपैक्टर्स के 120 रिक्त पदों के लिये आयोजित परीक्षा में 389 अभ्यार्थियों को चयन सूची में लिया गया था। 120 रिक्त पदों में से 26 अनुसूचित जाति व 21 अनुसूचित जन-जाति के लिए स्थान सुरक्षित थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 27 अनुसूचित जाति व 19 अनुसूचित जन-जाति के अभ्यार्थियों को चयन सूची में लिया।

रिक्त रह गये स्थानों को भविष्य में किये जाने वाले चयन में भरने हेतु लोक सेवा आयोग को निवेदन कर दिया गया है।

Page No 144

(144)

गंगधार (झालावाड़) की जलप्रदाय योजना

232. श्री **बालचन्द आर्य** (डग) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) झालावाड़ जिले के गंगधार कस्बे की जलप्रदाय योजना कब मंजूर हुई ?

(2) उसका कार्य कब और कितने समय में पूरा हो जावेगा ?

(3) क्या कारण है कि यह योजना अभी तक अधूरी पड़ी हुई है ?

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले गंगधार ग्राम की जलप्रदाय योजना दिनांक 23-9-78 को स्वीकृत की गई है।

(2) इस योजना पर निर्धारित कार्य-क्रम के अनुसार कार्य चालू कर दिया गया है। सामान्यत: पम्प एवं टैंक योजना को पूरा करने में 2-3 वर्ष का समय लग जाता है।

(3) योजना ही 23-9-78 को स्वीकृत हुई है अत: अधूरी पड़ी रहने का प्रश्न ही नहीं है।

———

परिशिष्ट—3

(अतारांकित प्रश्न संख्या 162 की सूची)

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की पुरानी एवं संशोधित दरों के सन्दर्भ में उत्तर मैट्रिक जमा अतिरिक्त एवं मैरिट-कम-नीड छात्रवृत्तियों की दरों का अन्तर दर्शक प्रपत्र

क. सं.	अध्ययन कोर्स का नाम	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की छात्रावास के छात्र के लिए दर					अन्तर कॉलम 5 व 7 का	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की दैनिक शिक्षार्थी (डेस्कालर) के लिए दर			विशेष विवरण
		पुरानी वर्ष 73-74 तक प्रचलित दर के अनुसार	अतिरिक्त एवं मैरिट-कम-नीड छात्रवृत्ति की दर	योग कॉलम 3 व 4 का	उत्तर मैट्रिक की संशोधित, दर वर्ष 74-75 के अनुसार			केन्द्र सरकार की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की पुरानी वर्ष 73-74 तक प्रचलित दर के अनुसार	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की संशोधित दर वर्ष 74-75 के अनुसार	अन्तर कॉलम 9 व 10	
					कक्षा वर्ष अध्ययन का	दर छात्रवृत्ति			दर छात्रवृत्ति		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	उच्च तकनीकी एवं व्यवसायिक अध्ययन :— जैसे, स्नातक एवं स्नातकोत्तर की तरह के :—										
	(1) इंजीनियरिंग-बी. ई. और एम. ई. मैडिसियन-एम.बी., बी एस., एम.डी. आदि	75	50	125	प्रथम वर्ष एवं अग्रेत्तर	125	..	67	75	+15	दिनांक 1-1-78 से 85 रु. लड़कियों के लिए

Page No 146

(146)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							(185 रु. दिनांक 1-1-78 से	+ 60	पुरुषों के लिए)		
							(195 रु. 1-1-78 से	+ 70	लड़कियों के लिए)		
	(2) कृषि	60	50	110			125 ..	45	75	+ 30	
							(185 दिनांक 1-1-78 से	+ 70	स्त्रियों के लिए)		
							(200 दिनांक 1-1-78 से	+ 60	पुरुषों के लिए)		
2.	स्नातक एवं डिप्लोमा स्तर के कोर्सेज:										
	(1) बी. ए. एण्ड एम एस. नर्सिंग एवं फार्मेसी	75	50	125	प्रथम वर्ष	90	—35	60		60	..
		..	..	..	द्वितीय वर्ष एवं अग्रेतर	95	—30			65	+5
	(2) आयुर्वेदिक	40	40	80	प्रथम वर्ष एवं	90	+ 10	27		60	+33
		..	..	..	द्वितीय वर्ष एवं अग्रेतर	95	+ 15	..		65	+38
3.	विज्ञान के स्नातकोत्तर कोर्सेज :										
	(1) एम. एससी	50	40	90	प्रथम वर्ष	90	..	35		60	+25
		..	..	..	द्वितीय वर्ष एवं अग्रेतर	95	+ 5	..		65	+30
4.	डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्सेज :										
	(1) सेनेटरी इन्सपेक्टर	40	40	80	प्रथम वर्ष	80	..	27		50	+23
		..	..	..	द्वितीय वर्ष एवं अग्रेतर	85	+ 05	..		55	+28

(2) ग्रामीण विज्ञान के लिए कोर्सेज–	50	30	80	प्रथम वर्ष	80	..	35	50	+15
	..	..	..	द्वितीय वर्ष एवं अग्रेत्तर	85	+5	..	35	+20
5. स्नातक एवं स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा कोर्सेज :									
(1) टीचर्स ट्रेनिंग एम. एड.	50	40	90	प्रथम वर्ष	80	—10	35	50	+15
	..	..	..	द्वितीय वर्ष एवं अग्रेत्तर	85	—5	..	55	+20
(2) टीचर्स ट्रेनिंग बी. एड.	40	40	80	प्रथम वर्ष	80	..	27	50	+23
	..	..	..	द्वितीय वर्ष एवं अग्रेत्तर	85	+5	..	55	+28
(3) फिजीकल ऐजुकेशन	50	30	80	प्रथम वर्ष	80	..	35	50	+15
	..	..	..	द्वितीय वर्ष एवं अग्रेत्तर	85	+5	..	55	+20
(4) सामुदायिक विकास	60	30	90	प्रथम वर्ष	80	—10	45	50	+5
	..	..	..	द्वितीय वर्ष एवं अग्रेत्तर	85	—5	..	55	+10
6. कला, वाणिज्य एवं विधि के स्नातकोत्तर कोर्सेज	50	40	90	प्रथम वर्ष	80	—10	35	50	+15
	..	..	..	द्वितीय वर्ष एवं अग्रेत्तर	85	—5	..	55	+20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	स्नातक स्तर तक के सामान्य कोर्सेज :										
(1)	बैचलर ऑफ नर्सिंग एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी	65	40	105	प्रथम वर्ष	70	−35	50		40	−10
		..	..	..	द्वितीय वर्ष एवं अग्रेत्तर	75	−30	..		45	−5
(2)	बी. एससी. (कृषि), बी. वी. एससी.	50	40	90	प्रथम वर्ष	70	−20	35		40	+ 5
		..	..	..	द्वितीय वर्ष एवं अग्रेत्तर	75	−15	..		45	+ 10
(3)	प्रीपेरेटरी पी.यू.सी., टी डी.सी. (बी.ए.), बी. एस सी. बी.- कॉम	40	40	80	प्रथम वर्ष	70	−10	27		40	+ 13
		..	..	..	द्वितीय वर्ष एवं अग्रेत्तर	75	−5	..		45	+ 18
(4)	टीचर्स ट्रेनिंग एवं फिजीकल ऐजुकेशन अण्डर ग्रेजूएट कोर्स	40	40	80	प्रथम वर्ष	70	−10	27		40	+ 13
		..	..	..	द्वितीय वर्ष एवं अग्रेत्तर	75	−5	..		45	+ 18

परिशिष्ट 4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 163 की सूची)

एक वर्ष की उपलब्धि पर जो साहित्य प्रकाशित किया गया है, वह निम्न प्रकार है :—

1. संकल्प और उपलब्धियां—(हिन्दी)	8,210.00
2. प्लेज एण्ड परफोर्मेन्स पुस्तिका—(अंग्रेजी)	3,160.00
3. तरक्की का एक साल—फोल्डर (उर्दू)	1,009.55
4. जन-जाति क्षेत्रीय विकास—फोल्डर (हिन्दी)	487.37
5. नव जागरण का एक वर्ष—फोल्डर (मुख्यालय से प्रकाशित)	4,975.80
6. नव जागरण का एक वर्ष—फोल्डर (जिला कार्यालयों द्वारा प्रकाशित)	6,195.78
	24,038.50

इसमें से क्रम संख्या 1 व 2 के प्रकाशन पर जो खर्चा अंकित किया गया है वह अनुमानित है क्यों कि इसके बिल्स अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

राज्य के स्वीकृत समाचार-पत्रों द्वारा एक साल की उपलब्धियों से सम्बन्धित प्रकाशित परिशिष्टों में दिये गये सजावटी विज्ञापनों की सूची

क्रम संख्या	दैनिक समाचार-पत्रों के नाम	स्थल	राशि
1	2	3	4
1.	नवज्योति, अजमेर (सम्मिलित संस्करण)	25×4 का.सें.मी.	4,020.00
2.	राजस्थान पत्रिका, जयपुर	"	345.00
3.	लोक जीवन, भीलवाड़ा	"	260.00
4.	जलते दीप, जोधपुर	"	420.00
5.	भारत भूमि (सिन्धी), अजमेर	"	300.00
6.	जननायक, कोटा	"	420.00
7.	अधिकार, जयपुर, कोटा	"	678.00
8.	राष्ट्रदूत, जयपुर, कोटा	"	848.00
9.	युग पक्ष, बीकानेर	"	360.00
10.	गंगानगर पत्रिका, श्रीगंगानगर	"	300.00
			5,551.00

(150)

1	2	3	4
	(दैनिक)		
1.	हिन्दू (सिंधी), अजमेर	25 X 4 का. सें. मी.	364.00
2.	न्याय, अजमेर	,,	364.00
3.	अमर राजस्थान, जयपुर	,,	364.00
4.	तरुण राजस्थान, जयपुर	,,	364.00
5.	जय राजस्थान, उदयपुर	,,	364.00
6.	जनगण, जोधपुर	,,	364.00
7.	देश की धरती, कोटा	,,	364.00
8.	कूक, जयपुर	,,	364.00
			2,912.00
	(दैनिक)		
1.	राजस्थान टाइम्स, अलवर	25 X 4 का. सें. मी.	260.00
2.	सोशलिस्ट समाचार, कोटा	,,	260.00
3.	उदयपुर एक्सप्रेस, उदयपुर	,,	260.00
4.	तेज, श्रीगंगानगर	,,	260.00
5.	सीमा सन्देश, श्रीगंगानगर	,,	260.00
6.	धरती करे पुकार, कोटा	,,	260.00
7.	प्रशान्त ज्योति, श्रीगंगानगर	,,	260.00
8.	अणिमा, जयपुर	,,	260.00
9.	प्रतिनिधि, जोधपुर	,,	260.00
10.	उद्‌भान्, धौलपुर	,,	260.00
			2,600 00
	(दैनिक)		
1.	उदय राजस्थान, जोधपुर	25 X 4 का. सें. मी.	156.00
2.	अन्तरात्मा संदेश, जयपुर	,,	156.00
3.	सीमावर्ती, श्रीगंगानगर	,,	156.00
4.	जयपुर रिपोर्टर, जयपुर	,,	156.00
5.	अरानाद, अलवर	,,	156.00
6.	राजस्थान संवाद, बीकानेर	,,	156.00
7.	विश्व विजय, अलवर	,,	156.00
			1,992.00

1	2	3	4
	साप्ताहिक (डी.ए.वी.पी. की दर से)		
1.	अभयदूत, जोधपुर	16½×4 का. सें. मी.	243.76
2.	इतवारी पत्रिका, जयपुर	,,	412.75
3.	शहजादा, श्रीगंगानगर	,,	269.75
4.	निराला राजस्थान, हिण्डौन	,,	162.50
5.	पाशुपत, जयपुर	,,	162.50
6.	चहक, जयपुर	,,	101.40
7.	राजस्थान लीडर, जयपुर	,,	50.70
8.	प्रजाजन, गंगापुर	,,	162.50
9.	जनपद, जयपुर	,,	50.70
10.	राजस्थान क्रोनिकल, जयपुर (अंग्रेजी)	,,	162.50
11.	राजस्थान केहरी, जयपुर	,,	377.97
12.	यादगार, जयपुर	,,	50.70
13.	गणराज्य, बीकानेर	,,	195.00
14.	बीकाणा सन्देश, बीकानेर	,,	50.70
15.	गंगानगर ज्योति, श्रीगंगानगर	,,	269.76
16.	जनता की ललकार, जयपुर	,,	243.76
17.	सप्ताहन्त, बीकानेर	,,	195.00
18.	आदिवासी जागृति, अजमेर	,,	97.50
19.	हलधर की ललकार, जयपुर	,,	526.50
20.	हिन्दु भूमि (सिंधी), अजमेर	,,	162.50
21.	किरदार, जयपुर	,,	227.50
22.	हिन्द वासी (सिंधी), अजमेर	,,	162.50
23.	मठाधीश, बीकानेर	,,	162.50
24.	सैनानी, बीकानेर	,,	305.50
25.	समाजदूत, रामगढ़ (शेखावाटी)	,,	162.50
26.	युगदर्पण, कोटा	,,	109.86
27.	जनगण, जोधपुर	,,	195.00
28.	राजस्थान साप्ताहिक, जयपुर	,,	162.50
			5,427.31
	साप्ताहिक		
1.	अमर ज्योति, जयपुर	16½×4 का. सें. मी.	169.00
2.	ज्वाला, जयपुर	,,	169.00
3.	ललकार, जोधपुर	,,	169.00
4.	लोक जीवन, जोधपुर	,,	169.00
5.	लोकमत, बीकानेर	,,	169.00
6.	सीमा सन्देश, श्रीगंगानगर	,,	169.00
7.	जनमंगल, जयपुर	,,	169.00

Page No 152

152

1	2	3	4
8.	नवजीवन, उदयपुर	16 ½ × 4 का.सें.मी.	169.00
9.	धनुर्धर, बांसवाड़ा	"	169.00
10.	लोक जीवन, भीलवाड़ा	"	169.00
11.	संजय, झालरापाटन	"	169.00
12.	जागरण पथ, जयपुर	"	169.00
13.	चिट्ठी, नवलगढ़	"	169.00
14.	अभ्युदय, जयपुर	"	169.00
15.	किसान संदेश, कोटा	"	169.00
16.	आजाद निशान, जयपुर	"	169.00
17.	टाइम्स ऑफ राजस्थान, बीकानेर	"	169.00
18.	सहकार दर्शक, जयपुर	"	169.00
19.	पुकार, उदयपुर	"	169.00
20.	आजाद, अजमेर	"	169.00
21.	हमारा वतन, जयपुर	"	169.00
22.	पूर्वोदय, उदयपुर	"	169.00
23.	बीकानेर एक्सप्रेस, बीकानेर	"	169.00
24.	कोलाहल, उदयपुर	"	169.00
25.	वर्तमान, बीकानेर	"	169.00
26.	युगदूत, जयपुर	"	169.00
27.	जयपुर क्रोनिकल, जयपुर	"	169.00
28.	युगदृष्टा, उदयपुर	"	501.80
29.	प्रजा सेवक, जोधपुर	"	169.00
30.	बेधड़क आवाज, जयपुर	"	169.00
31.	कन्ट्रोलर, जोधपुर	"	169.00
32.	आवाज, भरतपुर	"	169.00
33.	पहला राजस्थान, जयपुर	"	169.00
34.	आजाद सन्देश, जयपुर	"	169.00
35.	दकाल, बूंदी	"	169.00
36.	युवक, चूरू	"	169.00
37.	ग्राम राज्य, जयपुर	"	169.00
38.	ललकार, चित्तौड़गढ़	"	169.00
39.	घुम्मकड़, जयपुर	"	169.00
40.	जागृति, कोटा	"	169.00
41.	श्रम शक्ति, जयपुर	"	169.00
42.	क्रोन्च, जयपुर	"	169.00
43.	यंग लीडर, जयपुर	"	169.00
44.	मरुदीप, बीकानेर	"	169.00
45.	जयपुर एक्सप्रेस, कोटा	"	169.00
46.	उद्बोधन, जयपुर	"	169.00
			6,078.80

1	2	3	4
	साप्ताहिक		
1.	प्रगति, उदयपुर	16½×4 का० से० मी०	101.40
2.	वागड़दूत, डूंगरपुर	,,	101.40
3.	जयहिन्द (सिंधी), अजमेर	,,	101.40
4.	महाज्ञान, बीकानेर	,,	101.40
5.	राजस्थान स्वायत्त शासन, जयपुर	,,	101.40
6.	श्रेयान्स, रैनवाल (किशनगढ़)	,,	101.40
7.	भ्रष्टाचार के स्तम्भ (जयपुर)	,,	101.40
8.	नवयुग संदेश, भरतपुर	,,	101.40
9.	उदयपुर साप्ताहिक, उदयपुर	,,	101.40
10.	एकात्म, कोटा	,,	101.40
11.	गंगानगर टाइम्स, श्रीगंगानगर	,,	101.40
12.	गोडवाड़ टाइम्स, रानी (पाली)	,,	101.40
13.	बाड़मेर टाइम्स, बाड़मेर	,,	101.40
14.	लाल निशान, भरतपुर	,,	101.40
15.	खबर नवीस, जयपुर	,,	101.40
16.	प्रजायुग, जयपुर	,,	101.40
17.	क्रान्तिगढ, भरतपुर	,,	101.40
18.	जनपथ, फलोदी	,,	101.40
19.	धौलपुर गजट, धौलपुर	,,	101.40
20.	जयमेवाड़, चित्तौड़गढ़	,,	101.40
21.	ग्रामवाणी, हि०डौन	,,	101.40
22.	चौरासी खम्मा, कामां (भरतपुर)	,,	101.40
23.	वीर सैनिक, भरतपुर	,,	101.40
24.	दो अक्टूबर, भीलवाड़ा	,,	101.40
25.	सरदार शहर टाइम्स, सरदार शहर	,,	101.40
26.	मजदूर ललकार, मूंडवा (नागौर)	,,	101.40
27.	रेल्वेमैन, अजमेर	,,	101.40
28.	मरु मंथन, बाड़मेर	,,	101.40
29.	जन सम्मत, श्रीगंगानगर	,,	101.40
30.	उत्थान चक्र, बीकानेर	,,	101.40
			3,042.00

	साप्ताहिक		
1.	वीर विजय (सिन्धी), अजमेर	16½×4 का०से०मी०	50.70
2.	निर्माण मजदूर, जयपुर	,,	50.70
3.	तलहटी के अंचल से, सवाईमाधोपुर	,,	50.70
4.	मरुधरा, सीकर	,,	50.70
5.	युवाप्रेरणा, जयपुर	,,	50.70

Page No 154

(154)

1	2	3	4
6.	सच्ची कलम, जयपुर	16½×4 का.से.मी.	50.70
7.	चम्बल, कोटा	,,	50.70
8.	भारतजन, सूरतगढ़	,,	50.70
9.	डिक्टेटर, ब्यावर	,,	50.70
10.	विश्वमान, जयपुर	,,	50.70
11.	धुरी, सीकर	,,	50.70
12.	सीमा सपूत, फलौदी	,,	50.70
13.	अरावली, उदयपुर	,,	50.70
14.	तीखातीर, जयपुर	,,	50.70
15.	झंझावत, भीलवाड़ा	,,	50.70
16.	सीधा रास्ता, जयपुर	,,	50.70
17.	गांधी के सपने, जयपुर	,,	50.70
18.	अनुशासित समाज, श्रीगंगानगर	,,	50.70
19.	अन्तस चेतना, जयपुर	,,	50.70
20.	प्रजा संदेश, जयपुर	,,	50.70
21.	झुन्झुनूं समाचार, झुंझुनूं	,,	50.70
22.	वीर जनता, भरतपुर	,,	50.70
23.	सहमत, जालोर	,,	50 70
24.	शान्ति दूत, जयपुर	,,	50·70
25.	चित्तौड़ सन्देश, चित्तौड़गढ़	,,	50·70
26.	युवा तूफान, आमेट	,,	50.70
27.	धरती करे पुकार, कोटा	,,	50.70
28.	हमारी मातृभूमि, उदयपुर	,,	50.70
29.	सरल सन्देश, श्रीगंगानगर	,,	50.70
30.	हिन्दू सैनानी कर्मचारी, जयपुर	,,	50.70
31.	चूरू केसरी, चूरू	,,	50.70
32.	मानव विकास, अलवर	,,	50.70
33.	राजमार्ग, बूंदी	,,	50.70
34.	सूरत शब्द योग, सीकर	,,	50.70
35.	सीमान्त टाइम्स, बालोतरा	,,	50.70
36.	स्कोरपीयम, श्रीगंगानगर	,,	50.70
37.	पसीना, झालावाड़	,,	50.70
38.	जनता गजट, अलवर	,,	50.70
39.	क्रान्ति बिगुल, बीकानेर	,,	50.70
40.	हिन्द ज्योति, सूरतगढ़	,,	50.70
41.	शाश्वत सत्य, श्रीगंगानगर	,,	50.70
42.	सलूम्बर सन्देश, सलूम्बर	,,	50.70
43.	उलाहना, गीजगढ़	,,	50.70
44.	क्रान्तिशील, जयपुर	,,	50.70
45.	प्रियदर्शिका, श्रीगंगानगर	,,	50.70
46.	हल्दीघाटी, ब्यावर	,,	50.70
47.	अनुशासित वाणी, बीकानेर	,,	50.70

1	2	3	4
48.	तकनीकी समाचार, कोटा	$18\frac{1}{4} \times 4$ का.से.मी.	50.70
49.	घूमता आईना, जयपुर	,,	50.70
50.	वीर प्रभू, चूरू	,,	50.70
51.	बलिदान, जोधपुर	,,	50.70
52.	प्रभावित, भीलवाड़ा	,,	50.70
53.	बारह खम्बा, रूपवास (भरतपुर)	,,	50.70
54.	मनदर्शी, फालना	,,	50.70
55.	भोर, श्रीगंगानगर	,,	50.70
56.	रत्न कला, जयपुर	,,	50.70
57.	अन्तोदय योजना, मादरा	,,	50.70
			2,839.20

पाक्षिक-पत्र (डी. ए. वी. दर से)

1.	हलकारा, सादड़ी (पाली)	$16\frac{1}{4} \times 4$ का.से.मी.	195.00
2.	नवयत्न, जयपुर	,,	162.50
3.	राजस्थान स्टेन्डर्ड, बीकानेर	,,	162.50
4.	राजस्थान रोजगार संदेश, जयपुर	,,	3,200.00
			3,720.00

पाक्षिक

1.	जागृत जनमत, बीकानेर	$16\frac{1}{4} \times 4$ का.से.मी.	169.00
			169.00

पाक्षिक

1.	लोक शिक्षक, जयपुर	$16\frac{1}{4} \times 4$ का.से.मी.	101.40
2.	कामधेनु, बीकानेर	,,	101.40
3.	महाप्राण, चिड़ावा	,,	101.40
4.	कर्म ज्योति, जयपुर	,,	101.40
			405.60

पाक्षिक

1.	अमर इन्डिया, सवाईमाधोपुर	$16\frac{1}{4} \times 4$ का.से.मी	50.70
2.	दृष्टिकोण, उदयपुर	,,	50.70

(158)

1	2	3	4
3.	जंगजू, चितौड़गढ़	16¼ × 4 कॉ से.मी.	50.70
4.	बूंदी संदेश, सवाईमाधोपुर	,,	50.70
5.	स्पष्टमत, जोधपुर	,,	50.70
6.	कोहिनूर, बीकानेर	,,	50.70
7.	मुक्ति संदर्भ, रैनवाल (किशनगढ़)	,,	50.70
8.	युग की आवाज, जयपुर	,,	50.70
9.	हल्ला-गुल्ला, अलवर	,,	50.70
10.	न्यायतंत्र, रतनगढ़	,,	50.70
11.	ग्रामीण, कोटा	,,	50.70
12.	विगतवार, पाली	,,	50.70
13.	रेलदूत, जोधपुर	,,	50.70
14.	अन्तर्मन, जयपुर	,,	50.70
15.	मभक, अजमेर	,,	50.70
16.	ग्रामीण दूत, मंडावरी (जयपुर)	,,	50.70
17.	गुप्त दूत, जयपुर	,,	50.70
18.	खुला राज, जयपुर	,,	50.70
19.	ग्रेटेस्ट इन्डिया, बीकानेर	,,	50.70
20.	शोषित समाज, श्रीगंगानगर	,,	50.70
21.	विशाल मरुधर, चूरू	,,	50.70
22.	संसार समाचार दर्पण, जयपुर	,,	50.70
23.	आगाजे शहर, जयपुर।	,,	50.70
24.	ग्रामीण फुलवारी, कोटपूतली	,,	50.70
25.	श्रमिक विकास, जयपुर	,,	50.70
26.	संसार चक्र, भीलवाड़ा	,,	50.70
27.	भीलवाड़ा संदेश, भीलवाड़ा	,,	50.70
28.	लोकतंत्र समाचार, चूरू	,,	50.70
29.	शिक्षा जगत की आवाज, अलवर	,,	50.70
			1,470.30

मासिक पत्र (डी.ए.वी.पी. दर से)

1.	स्थिति, सिकरायमाता (सीकर)	1/2 पृष्ठ	60.00
			60.00

मासिक पत्र

1.	भारती, जयपुर	1/2 पृष्ठ	126.35
2.	लेखाविज्ञ, जयपुर	,,	139.00
3.	राजस्थान विकास, जयपुर	,,	173.75
4.	कृषि लोक, जोधपुर	,,	173.75

1	2	3	4
5.	होम्यो सेवक, जयपुर	1/2 पृष्ठ	126.35
6.	विवेक विकास, जयपुर	,,	139.00
7.	अग्रदूत, जयपुर	,,	139.00
8.	मधुमति, उदयपुर	,,	122.00
9.	कृषि विकास, जयपुर	,,	173.75
10.	लोक विज्ञान, उदयपुर	,,	121.00
11.	ज्योतिष मार्तण्ड, जयपुर	,,	139.00
12.	वैज्ञानिक बालक, जयपुर	,,	139.00
13.	अर्थसत्ता, जयपुर	,,	139.00
			1,840.95
	मासिक पत्र		
1.	लहर, अजमेर	1/2 पृष्ठ	99.32
			99.32
	मासिक पत्र		
1.	स्वास्थ्य त्रिवेणी, जयपुर	1/2 पृष्ठ	50.54
2.	चरित्र और व्यायाम, अजमेर	,,	50.54
3.	राजस्थान कृषि समाचार, जयपुर	,,	78.98
4.	जीवनदान, जयपुर	,,	46.80
5.	सम्यक दृष्टि, अजमेर	,,	99.32
6.	क्रीडांचल, बीकानेर	,,	65.40
7.	लघु रश्मि, अजमेर	,,	78.98
8.	ज्योतिष ज्ञानदर्पण, बीकानेर	,,	65.40
9.	बन्धन तोड़ो, जयपुर	,,	65.40
			601.36
	द्विमासिक पत्र		
1.	जर्नल ऑफ जैन इंडस्ट्री, जयपुर	1/2 पृष्ठ	121.10
2.	डायमंड वर्ल्ड, जयपुर	,,	121.10
			242.20

(158)

1	2	3	4
	त्रैमासिक पत्र		
1.	भू-दर्शन, उदयपुर	½ पृष्ठ	121.10
2.	पशु विज्ञान, जयपुर	,,	99.32
3.	सम्यक मनोविज्ञान, ब्यावर	,,	55.40
			275.82

राज्य के बाहर के स्वीकृत समाचार-पत्रों द्वारा एक साल की उपलब्धियों से सम्बन्धित प्रकाशित परिशिष्टों में दिये गये सजावटी विज्ञापनों की सूची

क्र.सं.	समाचार-पत्र का नाम	स्थल	राशि
1.	दैनिक अंग्रेजी हिन्दू, मद्रास	2 पृष्ठ	26,568.00
2.	दैनिक अंग्रेजी हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली	,,	19,639.50
3.	दैनिक अंग्रेजी स्टेट्समैन, दिल्ली, कलकत्ता	,,	29,030.40
4.	दैनिक अंग्रेजी इन्डियन एक्सप्रेस, दिल्ली	,,	13,992.00
5.	दैनिक अंग्रेजी टाइम्स ऑफ इन्डिया, दिल्ली	,,	11,040.00
6.	दैनिक हिन्दी नवभारत टाइम्स, दिल्ली, बम्बई	,,	26,082.90
7.	दैनिक हिन्दी अमर उजाला, आगरा	1 पृष्ठ	5,443.20
8.	दैनिक हिन्दी नई दुनिया, इन्दौर	,,	5,184.00
9.	दैनिक गुजराती जन सत्ता, अहमदाबाद	,,	4,006.80
10.	दैनिक हिन्दी विश्वमित्र, कलकत्ता	,,	3,960.32
11.	दैनिक हिन्दी जनयुग, दिल्ली	1/2 पृष्ठ	742.56
12.	सा. हिन्दी पांञ्चजन्य, दिल्ली	1 पृष्ठ	1,203.20
13.	सा. हिन्दी शेखावाटी प्रवासी, कलकत्ता	,,	259.67
14.	सा. अंग्रेजी आरगेनाईजर, दिल्ली	,,	1,219.32
15.	सा. हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, ब्लिट्ज, बम्बई	4 पृष्ठ	41,040.00
		योग ..	1,89,411.87
		कुल योग ..	2,28,741.73

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 166 का ब्यौरा)

एच. टी. उपभोक्ताओं की बकाया राशि का विवरण माह जून, 1977 से माह सितम्बर, 1978 तक

क्र. सं.	उपभोक्ता का नाम	बिलिंग माह जून, 77 के अन्त तक की बकाया राशि		बिलिंग माह सितम्बर, 78 के अन्त तक की बकाया राशि		विवरण
		मण्डल की राशि	विद्युत् शुल्क की राशि	मण्डल की राशि	विद्युत् शुल्क की राशि	
1	2	3	4	5	6	7
	जयपुर नगर वृत्त :					
1.	म. मान इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन	3,30,035.19	..	5,46,193.67	1,400.18	कोर्ट केस
2.	मै. मान इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन	17,95,492.01	11,158.47	26,09,458.47	453.63	कोर्ट केस
3.	मै. जयपुर मैटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स	1,07,552.96	2,272.38	..	..	यह राशि वसूल हो गई है।
4.	मै. पोदार स्पीनिंग मिल्स	2,17,266.72	23,324.80	2,09,756.38	23,324.80	यह मामला मण्डल में विचाराधीन है।
5.	मै. कमानी इंजीनियरिंग का.	6,78,635.65(–)	325.40	9,53,512.87	..	कोर्ट केस
6.	मै. अशोक फाउन्ड्री एण्ड मेटल वर्क्स	2,85,339.34	..	3,44,971.19	..	कोर्ट केस
7.	मै. रामनगर केन एण्ड सुगर कं.	82,850.32	5,201.62	90,311.39	4,617.21	कोर्ट केस
8.	मै. हेमराज उद्योग	31,726.41	..	31,726.41	..	कोर्ट केस
9.	मै. ईश्वरलाल चुन्नीलाल	19,429.86	659.83	9,634.63	73.57	यह राशि सितम्बर, 78 की बकाया है।

159

Page No 160

(160)

1	2	3	4	5	6	7
10.	मै. लक्ष्मी इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन	25,809.54	..	30,534.87	1,483.22	कोर्ट केस
11.	मै. राजस्थान कास्टिंग प्रा. लि.	1,00,000.00	..	..	..	यह राशि वसूल कर ली गई है।
12.	मै. अग्रवाल आइस फैक्ट्री	44,859.82	..	56,892.87	..	कोर्ट केस
13.	मै. नेशनल इंजीनियरिंग कारपोरेशन	3,25,177.28	1,39,328.12	4,12,278.38	1,39,302.67	यह मामला मण्डल कार्यालय में विचाराधीन है।
14.	मै. नेशनल इंजीनियरिंग कारपोरेशन	4,88,112.20	12,521.60	6,18,856.55	12,521.60	
15.	मै. इनकोप इण्डिया लि.	9,493.74	23.96	63,620.19	26.17	उपभोक्ता का कनेक्शन काट दिया गया है।
16.	मै. आर. एस. मेटल इण्डस्ट्रीज	1,72,856.73	..	2,89,013.88	..	कोर्ट केस
17.	मै. खेतान आइस फैक्ट्री	59,532.17	781.39	74,095.48	760.51	कोर्ट केस
	योग ..	47,74,174.94	1,94,946.77	63,40,857.23	1,83,963.56	
जयपुर जिला वृत्त :						
18.	मै. राजस्थान रोप वर्क्स, नारायना	34,639.67	..	40,936.02	..	कोर्ट केस
19.	मै. जयपुर मिनरल डवलपमेंट, दौसा	6,284.56	319.20	..	..	
20.	मै. जी. एस. रोलिंग मिल्स, जयपुर	2,52,090.59	215.55	3,53,721.05	..	दिनांक 28-11-75 से कनेक्शन कटा हुआ है। ई. डी. आर. के तहत वसूली की कार्यवाही चालू कर दी गई है।
21.	मै. नारायण कोल्ड स्टोरेज, जयपुर	79,118.51	17,655.52	95,462.01	30,290.23	कोर्ट केस
22.	मै. मुरली रोलिंग मिल्स, जयपुर	24,796.15	305.79	33,103.81	305.79	कोर्ट केस
23.	मै. आर. जी. स्पात लि., जयपुर	69,887.39	..	..	..	
24.	मै. शक्ति माल प्रा. लि., जयपुर	10,742.68	511.25	..	..	

25. मै. भगवती री-रोलिंग मिल्स	3,68,558.28	..	2,61,267.52	..	बकाया राशि की वसूली किश्तों में की जा रही है।
योग ..	8,45,117.83	19,007.31	7,84,485.41	30,596.02	
अजमेर वृत्त :					
26. डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिक इन्जीनियरिंग वर्कशोप, वेस्टर्न रेल्व, अजमेर।	40,851.48	..	33,151.71		..
27. डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिक इन्जीनियरिंग वर्कशोप, वेस्टर्न रेल्वे, अजमेर।	2,30,497.75	..	2,68,936.87	..	..
28. डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिक इन्जीनियरिंग वर्कशोप. वेस्टर्न रेल्वे, अजमेर।	814.25	..	814.55	..	..
29. मैसर्स श्रीपती आईरन एण्ड स्टील री-रोलिंग मिल्स, अजमेर।	2,662.07	..	3,376.57	..	कोर्ट केस टेरिफ के सम्बन्ध में।
30. मैसर्स बंशीवाला आइरन एण्ड री-रोलिंग मिल्स, अजमेर।	1,87,484.45	..	2,52,993.28		कोर्ट केस टेरिफ के सम्बन्ध में।
31. दी वर्क्स मैनेजर, राजस्थान राजकीय रोडवेज कोरपोरेशन, सेन्ट्रल वर्कशोप, माकुपुरा।	7,375.76	..	31,405.63	368.57	एडजस्टमेंट के सम्बन्ध में विवाद।
32. मैसर्स महालक्ष्मी मिल्स, ब्यावर।	84,682.10	..	1,08,204.95	..	पुरानी कम्पनी का विवाद, वसूली की कार्यवाही चालू।

1	2	3	4	5	6	7
33.	मैसर्स कमला इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, विजयनगर ।	20,513.30	77.51	69,554.51	1,308.80	सीजनल का विवाद ।
34.	दी जनरल मैनेजर, सोडियम सल्फेट फैक्ट्री, डीडवाना ।	1,94,694.37	834.54	2,54,076.45	833.34	..
	योग ..	7,69,755.53	912.05	10,22,514.52	2510.71	
भीलवाड़ा वृत्त :						
35.	मैसर्स राजस्थान खण्डसारी शुगर मिल्स जी एस. एम. मण्डल ।	10,129.75	54.28	19,944.33	73.54	सीजनल के सम्बन्ध में विवाद ।
36.	मैसर्स बिड़ला सीमेन्ट वर्क्स, चित्तौड़गढ़	1,40,378.20	48,077.87	1,77,979.45	48,077.87	विवाद विचाराधीन है।
37.	मैसर्स जे. के. सीमेन्ट वर्क्स, निम्बाहेड़ा।	1,07,676.94	..	1,35,024.49	..	विवाद विचाराधीन है।
	योग ..	2,58,184.89	48,132.15	3,32,948.27	48,151.41	
सीकर वृत्त :						
38.	मैसर्स मोदी मिनरल्स एण्ड ग्राइन्डिग मिल्स, नीम का थाना ।	3,22,781.09	8,942.04	3,58,608.10	9,087.52	मण्डल के निर्णय के अनुसार समायोजन करना है ।

बीकानेर वृत्त :

39.	इलेक्ट्रिक फोरमैन (पावर) रेल्वे कर्मशाला, उत्तरी रेल्वे बीकानेर।	10,17,370.02	..	13,17,845.03	..	..
40.	महाप्रबंधक, उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उपभोक्ता संघ, बीकानेर।	16,645.96	449.44	..	..	..
41.	मैसर्स चौधरी कॉटन जीनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्ट्री, हनुमानगढ़ जंक्शन।	26864.04	1405.72	95,265.80	7,789.51	कोर्ट केस सीजनल के सम्बन्ध में।
42.	मैसर्स राजस्थान राइस एण्ड आयल मिल, हनुमानगढ़ जंक्शन।	24,096.47	..	43,859.93	1,890.36	..
43.	मैसर्स शक्ति स्टील री-रोलिंग मिल्स, हनुमानगढ़ जंक्शन।	49,297.66	650.41	1,46,761.18	651.69	सम्बन्ध विच्छेद।
44.	मैसर्स उतमादेवी कॉटन जीनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्ट्री, हनुमानगढ़ जंक्शन।	21,706.76	309.46	67,018.96	447.61	कोर्ट केस सीजनल के सम्बन्ध में।
45.	मैसर्स सोमानी कॉटन जीनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्ट्री, पीलीबंगा।	7,270.56	..	34,894.89	20.83	सीजनल के संबंध में विवाद।
46.	मैसर्स महाप्रबन्धक, सेन्ट्रल स्टेट फार्म, सूरतगढ़।	2,03,862.65	888.56	2,50,807.74	769.96	..
47.	मैसर्स चाचान ब्रॉदर्स, कॉटन जीनिंग प्रेसिंग राइस एण्ड आयल मिल्स, हनुमानगढ़ टाउन।	58,092.61	..	92,133.86	740.80	कोर्ट केस सीजनल के संबंध में।
48.	मैसर्स बिड़ला मिल्स जीनिंग एण्ड प्रसिंग फैक्ट्री (हनुमानगढ़ टाउन), सांगरिया।	81,130.05	40.23	1,41,793.50	40.23	”
49.	मैसर्स संतोष इंडस्ट्रीज, सांगरिया	46,150.01	..	59,724.09	..	”

1	2	3	4	5	6	7
50.	मैसर्स कोआपरेटिव काटन जीनिंग फैक्ट्री, श्रीगंगानगर।	5,473.40	15.50(—)	1,158.10	..	..
51.	मैसर्स गंगानगर इण्डस्ट्रीज, श्रीगंगानगर	10,883.40	..	10,860.40(×) 223.26	13.44	(×) कोर्ट केस
52.	मैसर्स गुप्ता रोलर फ्लोर मिल्स, श्रीगंगानगर।	8,682.86	32.48	84,463.40	57.02	कनेक्शन की समाप्ति की तारीख के निश्चय के बारे में विवाद।
53.	मैसर्स हीरानन्द उत्तमचन्द मार्फत, गंगानगर कॉटन एण्ड जीनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्ट्री, श्रीगंगानगर।	5,227.72	..	37,838.18	91.30	कोर्ट केस सीजनल के संबंध में।
54.	मैसर्स महालक्ष्मी कॉटन फैक्ट्री, श्रीगंगानगर।	203.00	..	..	..	..
55.	मैसर्स राजस्थान कॉटन जीनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्ट्री, श्रीगंगानगर।	16,762.36	661.14	..	..	..
56.	मैसर्स पदमपुर कोआपरेटिव कॉटन जीनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्ट्री, पदमपुर।	29,272.00	29.97	1,28,253.12	1,725.81	सीजनल के संबंध में विवाद।
57.	मैसर्स शंकर जनरल मिल्स, पदमपुर	24,017.68	..	1,28,317.04	..	सीजनल केस के संबंध में विवाद।
58.	मैसर्स गौरीशंकर कॉटन जीनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्ट्री, पदमपुर।	11,053.02	0.15	47,416.49	..	सीजनल केस के संबंध में विवाद।
59.	मैसर्स मोहता कॉटन जीनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्ट्री, सादुलशहर।	8,010.09	0.13	34,466.13	7.66	कोर्ट केस
	कुल योग ..	16,72,072.32	4,483.19	27,20,784.90	1,426.06	

कोटा वृत्त :

60.	श्री राम विनाल केमिकल इण्डस्ट्रीज, कोटा।	2,18,45,400.60 1,31,33,080.20	..	9,24,28,208.93	..	कोर्ट केस टेरिफ
61.	जे० के० सिंथेटिक्स लि०, कोटा।	4,47,658.29	..	5,52,578.19	..	कोर्ट केस
62.	ओरियंटल पावर केबल, कोटा।	25,32,743.73	..	32,32,628.30	..	कोर्ट केस व आरबीट्रेशन केस।
63.	श्री गोपाल इण्डस्ट्रीज, कोटा	91,217.28	..	..	..	..
64.	कोटा कोल्ड स्टोरेज एण्ड आइस फैक्ट्री, कोटा।	..	75,704.11	..	1,04,552.56	कोर्ट केस विद्युत शुल्क।
65.	महालक्ष्मी एसोसियेशन एण्ड आइस फैक्ट्री, कोटा।	..	1,51,491.04	..	1,81,279.89	कोर्ट केस विद्युत शुल्क
66.	बैंडला फ्लोर मिल, कोटा।	1,60,037.04	339.86	2,60,759.09	339.86	..
67.	कोटा स्टील री-रोलिंग मिल्स, कोटा।	3,02,066.05	..	4,53,799.12	..	कोर्ट केस टेरिफ
68.	बी० पी० टेकनीकल एण्ड आयल इन्डस्ट्रीज, कोटा।	26,053.04	..	31,981.40	..	..
69.	दी डिविजनल सुपरिन्टेंडेन्ट, वेस्टर्न रेलवे, कोटा।	2,46,632.81	..	2,88,842.96	..	पुराना टेरिफ का विवाद।
70.	राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स, भवानीमंडी।	8,001.62	..	38,134.99	2,029.46	..
71.	जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर, 4200 के० वी० ए०।	64,24,228.21	1,26,858.69	63,14,015.90	1,17,604.64	..

1	2	3	4	5	6	7
72.	जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर, 2500 के० वी० ए० ।	1,14,129.51	..	..	..	..
73.	जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर (फलोदी क्वेण्टी)।	76,526.02	9,254.05	97,087.14	9,254.05	..
	योग ..	4,54,07,774.40	3,63,647.75	10,36,97,036.02	4,15,060.46	
अलवर वृत्त :						
74.	मैसर्स बंसल पाइप्स, अलवर	43,455.81	65.42	22,800.53	53.77	..
75.	मैसर्स लक्ष्मी स्टील री-रोलिंग मिल्स, अलवर ।	23,089.03	..	..	..	..
76.	मैसर्स नेशनल एयर प्रोडक्ट्स, अलवर	16,96,859.29	39.24	38,98,833.89	..	कोर्ट केस दिनांक 7-12-76 से कहा हुआ है।
77.	मैसर्स कृष्णा एण्ड कम्पनी रोलर फ्लोर मिल, अलवर।	12,510.10	123.01	28,432.87	150.34	..
78.	मैसर्स पालीवाल मिनि स्टील लि०, अलवर ।	59,217.31	1,672.64	2,09,352.96	..	..
79.	मैसर्स स्वास्तिक वूलन इन्डस्ट्रीज, अलवर ।	3,638.64	90.82	..	..	..
80.	मैसर्स हिन्दुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट, अलवर ।	3,43,951.80	33,625.85	3,79,276.14	8,029.15	पुराना टेरिफ का विवाद ।

81.	मैसर्स जयभारत ऑयल मिल्स, खैरथल	1,49,490.15	726.87	280,070.72	726.87	दिनांक 3-11-76 से कहा हुआ है। ई०डी० आर० के तहत वसूली की कार्यवाही चालू करदी है।
82.	मैसर्स सिमको वैगन फैक्ट्री, भरतपुर	2,02,526.11	..	2,02,526.11	..	राज्य सरकार से वसूली करनी है।
83.	मैसर्स हरि इन्डस्ट्रीज, भरतपुर	18,415.38	..	21,825.33	..	कोर्ट केस
84.	मैसर्स जनरल इन्जीनियरिंग वर्क्स, भरतपुर।	10,401.96	..	..	..	..
85.	मैसर्स सुप्रीम स्ट्रा प्रोडक्ट्स, भरतपुर	3,727.47	73.93	..	..	..
86.	मैसर्स शहादरी स्टील्स प्रा० लि०, भरतपुर।	4,48,870.09	5,301.41	10,58,741.39	5,301.41	दिनांक 8-6-76 से कहा हुआ है। ई०डी०आर० के तहत कार्यवाही चालू है।
87.	मैसर्स जनरल इन्जीनिरिंग वर्क्स, भरतपुर।	64,283.37	..	..	..	..
88.	मैसर्स गुरु नानक स्टील री-रोलिंग मिल्स, भरतपुर।	78,362.66	98.80	81,788.22	100.29	माह 8-78 से कहा हुआ है।
89.	श्रीमती शैल कुमारी मार्फत सुन्दर इन्डस्ट्रीज, धौलपुर।	6,860.23	112.47	..	..	..
	योग ..	31,26,559.40	41,930.46	61,83,648.16	14,361.81	

Page No 168

(168)

1	2	3	4	5	6	7
	उदयपुर वृत्त :					
90.	मैटल उद्योग प्राइवेट लि., उदयपुर	36,666.92	..	36,678.68	..	..
91.	श्रीनाथ शुगर मिल, नाथद्वारा	4,471.08	..	11,846.29	395.12	सीजनल इण्डस्ट्रीज का विवाद।
92.	चारमुजा शुगर वर्क्स, चारमुजा	5,210.98	..	..	..	..
93.	उदयपुर सीमेन्ट वर्क्स, नाहर मगरा	20,479.07	..	11,468.69	..	..
94.	उदयपुर सीमेन्ट वर्क्स, दारोली	1,033.96	..	654.89	..	..
95.	मधुवन केमिकल एण्ड फर्टीलाइजर्स प्रा० लि०, दबोक।	27,196.56	..	..	..	..
	योग ..	95,058.57	..	60,648.55	395.12	
	जोधपुर वृत्त :					
96.	क्षेत्रीय विद्युत अभियंता, क्षेत्रीय अधीक्षक कार्यालय, उत्तरी रेलवे, जोधपुर।	2,05,228.78	..	1,40,904.61	..	पुराना टेरिफ विवाद।
97.	क्षेत्रीय विद्युत अभियंता, क्षेत्रीय अधीक्षक कार्यालय, उत्तरी रेलवे, जोधपुर।	11,512.94	..	2,58,250.07	..	पुराना टेरिफ विवाद।
98.	मै० राठी केमिकल लिमिटेड	1,28,844.53	287.36	2,69,255.46	287.36	फैक्ट्री का विद्युत संबंध विच्छेद है।
99.	जोधपुर आइरन एण्ड स्टील वर्क्स	89,636.10	186.00	1,70,716.54	186.00	उपरोक्त
100.	मै० राजेन्द्र स्टील एण्ड री-रोलिंग वर्क्स	1,37,285.20	1,771.41	2,39,228.77	1,771.41	कोर्ट केस टेरिफ के संबंध में।
101.	मै० लोटस पेस्टीसाइड, सादड़ी, जिला पाली	28,829.01 (9/77)	681.93	6,785.46	..	भुगतान किश्तों में कर रहा है।

102. मै० कैन्डेंड स्टील प्राईवेट लि०, फालना	32,490.48 (9/77)	182.90			
103. मै० दिग्विजय यार्न मिल्स, बिलाड़ा	1,44,193.25 (9/77)	187.10	1,89,222.20	187.10	फैक्ट्री बंद है।
104. मै० इन्डियन डायरी इन्टरप्रीन्यूर एग्रीकल्चैर कम्पनी, रानीवाड़ा	12,529.75	2045.45	2,955.45		लेट पेमेन्ट सरचार्ज का विवाद पेंडिंग है।
योग ..	7,60,549.99	5,342.15	12,77,518.56	2,431.87	

Page No 170

(170)

परिशिष्ट

(अतारांकित प्रश्न

जिला जोधपुर व पाली में

क्र. सं.	बांध का नाम	स्थान	वर्षवार सिचाई आंकड़े			
	जिला जोधपुर		1973 व 1974	1974 व 1975	1975 व 1976	1976 व 1977
1	2	3	4	5	6	7
1.	जसवन्त सागर	बिलाड़ा	10213	शून्य	12530	13443
2.	सुरपुरा	जोधपुर	280	शून्य	शून्य	715
3.	बिराई	ओसियां	202	शून्य	332	440
4.	गोलजोड	फलोदी	120	शून्य	शून्य	शून्य
5.	मांडलिया बांध	मांडलिया	..	..	120	400
6.	पीपाड़ सिटी बांध	पीपाड़ सिटी	..	..	..	..
7.	सांडपाली बांध	सांडपाली	..	..	401	..
8.	बोरून्दा बांध	बोरून्दा	..	..	156	800
9.	बैनन गांव बांध	बैनन	..	..	51	..
10.	कूपड़ावास बांध	कूपड़ावास	..	..	..	..
11.	कास्ती बांध	कास्ती गांव	..	..	80	120
12.	नेवरा बांध	नेवरा	..	..	..	..
13.	पोपावास बांध	पोपावास	..	..	31	100
14.	ताम्बड़िया बांध	तांबड़िया	..	..	24	122
15.	हीरादेसर बांध	हीरादेसर	..	..	..	..
16.	कैरू बांध	कैरू	..	..	40	300
17.	डारवरा बांध	डारवरा	..	..	..	..
18.	बिसलपुर बांध	बिसलपुर	..	..	380	1200
19.	बासनी बांध	बासनी	..	..	80	100
20.	नाडिया कलां	नाडिया कलां	..	..	111	..
21.	ढाढणिया बांध	ढाढणिया	..	..	..	..
	जिला पाली					
1.	जवाई बांध	जवाई बांध	46613	6402	36112	39553
2.	सरदार समन्द	सरदार समन्द	20957	1603	21423	18635
3.	हेमावास बांध	हेमावास	11563	शून्य	14688	11298
4.	खारड़ा बांध	खारडा	4125	शून्य	4278	5021
5	रघुनाथपुरा	रघुनाथपुरा	शून्य	शून्य	शून्य	602
6.	खिवान्दी बांकली	खिवान्दी बांकली	2294	शून्य	,,	709

Page No 171

(171)

6

संख्या 168 की सूची)

बांध नहरों सम्बन्धी विवरण

(एकड़ों में)	नहरों की लम्बाई (किलोमीटर में)			व्यय लाखों में				
1977-78	पक्की	कच्ची	योग	73–74	74–75	75–76	76–77	77–78
8	9	10	11	12	13	14	15	16
14280	9.16	46.00	55.16	0.45	0.21	1.28	0.65	1.50
223	1.30	3.70	5.00	0.16	0.17	0.09	0.38	0.60
358	8.00	4.83	12.83	0.20	0.25	0.16	0.43	0.50
..	..	1.60	1.60	0.04	0.03	0.03	0.03	0.15
30	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..
548	0.66	..	0.66	..	..	..	..	..
170	..	3.73	3.73	..	..	..	..	..
50	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..
128	..	0.17	0.17	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..
120	..	..	..	..	..	..	..	..
146	..	..	..	..	..	..	..	..
95	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	0.17	3.83	4.00	..	..	..	..	..
52	..	0.33	0.33	..	..	..	..	..
174	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..
23124	50.00	180.00	230.00	3.50	3.70	4.16	6.10	7.00
18846	2.30	74.70	84.00	0.30	0.40	0.55	0.60	0.80
11512	15.12	30.72	45.84	0.46	0.65	0.92	0.86	0.88
4745	17.60	4.20	21.80	0.13	0.20	0.25	0.45	0.48
..	..	2.00	2.00	0.03	0.07	0.07	0.05	0.11
..	..	5.76	5.76	0.16	0.13	0.12	0.31	0.33

1	2	3	4	5	6	7
7.	चोपडा बांध	चोपडा नयागांव	2429	42	2563	2254
8.	सादड़ी बांध	सादड़ी	1690	593	1653	1013
9.	जोगडावास	जोगडावास	216	शून्य	342	583
10.	काना बांध	काना	435	39	693	624
11.	मुथाना बांध	मुथाना	91	249	662	370
12.	ऊंगटो	ऊंगटो	99	शून्य	शून्य	शून्य
13.	राजपुरा बांध	राजपुरा	723	146	170	246
14.	शिवनाथ सागर	शिवनाथ	594	शून्य	569	486
15.	सारण	सारण	336	161	345	293
16	बोरीनाडा	बोरीनाडा	440	शून्य	438	434
17.	बर	बर	610	,,	221	189
18.	मनोहारी	मनोहारी	254	,,	1101	211
19.	दांतोवाड़ा	दांतोवाड़ा	251	शून्य	91	407
20.	लोरिया	पाली	522	417	641	404
21.	घाकडी	घाकडी	188	शून्य	शून्य	34
22.	मगरतालाब	मगरतालाब	147	शून्य	146	115
23.	डिंगोर	खारची	132	88	167	169
24.	बैलार	बाली	शून्य	80	136	95
25.	गुलाब सागर	रायपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
26.	कोलर	कोलर	,,	50	57	74
27.	बगोलर	देसूरी	,,	58	51	25
28.	गुडागोपीनाथ	देसूरी	8	29	26	29
29.	भूम्बलिया	जैतारण	शून्य	शून्य	शून्य	70
30.	नीम्बली	नीम्बली	शून्य	,,	17	100
31.	कानावास	पाली	..	,,	353	56
32.	गिरोनन्दा	रायपुर	925	580	921	415
33.	मोड़ो	बाली	3119	794	3494	1659
34.	रायपुर लूनी	रायपुर	2150	3632	2728	2299
35.	बांनियावास	खारची	743	312	1232	1251
36.	सेलोको नाल	देसूरी	390	123	304	424
37.	वम्बोराई	पाली	174	45	85	100
38.	सांनीया	पाली	196	शून्य	64	50
39.	मीरा कुर्की	जैतारण	शून्य	,,	शून्य	163
40.	एन्दला	पाली	312	,,	1050	471
41.	फुटेलाव	बाली	शून्य	शून्य	शून्य	23
42.	खिरादियां खुर्द	रायपुर	,,	,,	,,	68
43.	केसूली बांध	केसूली	..	370	529	584
44.	घोडावडा बांध	एनवा	..	544	553	672
45.	मांडीगढ़	मांडीगढ़	..	..	10	72
46.	रानी टेंक	रानी	..	..	..	..
47.	कोलात	कोलात	..	..	..	..
48.	पोलाद	डालगांव	8	988	1022	1230
49.	बडेरकावास	दोरवांगांव	..	..	..	..

Page No 173

(173)

8	9	10	11	12	13	14	15	16
..	3.35	12.65	16.00	0.15	0.08	0.39	0.37	1.04
..	4.00	14.00	18.00	0.20	0.56	0.29	0.98	0.25
385	0.86	1.70	2.56	0.03	0.09	0.11	0.04	0.40
49	10.80	..	10.80	0.69	0.15	0.11	0.30	0.10
..	5.16	0.80	5.96	0.11	0.09	0.35	0.06	0.30
..	..	1.50	1.50	0.04	0.03	0.09	0.02	0.07
..	4.16	..	4.16	0.28	0.09	0.13	0.14	0.06
..	..	2.00	2.00	0.03	0.04	0.25	0.19	0.07
208	3.84	..	3.84	0.03	0.13	0.06	0.08	0.02
437	2.60	3.80	6.40	0.03	0.05	0.17	0.02	0.02
456	0.40	4.40	4.80	0.02	0.01	0.04	0.04	0.10
..	..	3.80	3.80	0.03	0.02	0.06	0.15	0.14
..	10.00	..	10.00	0.27	0.07	0.19	0.02	0.23
162	..	4.80	4.80	0.02	0.01	0.04	0.12	0.03
..	1.00	2.10	3.10	0.08	0.04	0.03	0.05	0.03
..	0.80	0.80	1.60	0.10	0.02	0.15	0.02	0.07
140	1.76	..	1.76	0.02	0.05	0.08	0.07	0.04
..	..	1.60	1.60	0.02	0.05	0.05	0.06	0.11
..	..	3.70	3.70	0.01	0.02	0.03	0.01	0.17
..	0.60	1.00	1.60	0.13	0.03	0.07	0.05	0.06
..	.	1.60	1.60	0.05	0.03	0.07	0.05	0.07
..	0.60	1.00	1.60	0.04	0.03	0.06	0.01	0.04
..	..	0.80	0.80	0.02	0.01	0.02	0.02	0.03
170	..	2.40	2.40	0.01	0.03	0.11	0.06	0.02
49	2.78	1.12	3.90	0.03	0.01	0.02	0.18	0.09
454	4.50	14.85	18.85	0.10	0.06	0.11	0.35	0.33
2026	8.00	5.00	13.00	0.47	0.16	0.35	0.97	1.41
3365	11.30	4.40	15.70	0.33	0.34	0.68	0.85	0.90
1128	5.44	5.44	10.88	0.08	0.14	0.40	0.47	0.30
..	..	3.00	3.00	0.06	0.15	0.13	0.60	0.13
120	..	0.50	0.50	0.01	0.02	0.02	0.01	..
18	..	0.50	0.50	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
..	2.78	1.12	3.90	0.03	0.01	0.04	0.07	0.37
1258	1.00	1.00	2.00	0.11	0.02	0.01	0.20	0.01
..	..	0.50	0.50	0.03	0.02	0.03	0.03	0.01
61	3.35	0.38	3.83	..	..	0.01	0.46	0.53
263	2.66	..	2.66	..	..	..	0.03	0.01
636	2.93	..	2.93	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	0.02	0.01
.	..	..	..	..	..	..	..	..
..	0.566	..	0.566	..	..	..	..	..
938	1.20	2.63	3.83	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..

(174)

1	2	3	4	5	6	7
50.	रेनिया	जोगडावास	..	62	60	180
51.	गिरोलिया	गिरोलिया	..	..	..	..
52.	पोटलिया	पोटलिया	..	..	..	..
53.	सिन्ध एवं जादडी	जादडी	..	..	..	..
54.	तखतगढ़	तखतगढ़	..	692	200	284
55.	बोकी का वाला	भारोगांव	..	153	116	150
56.	सोनगिरी का वाला	मेलाप	..	62	120	197
57.	भैरुका नाका	रातिया	..	..	..	..
58.	चन्डावत	चन्डावत	..	..	..	..

8	9	10	11	12	13	14	15	18
125	..	2.47	2.47	..	..	0.02	0.06	..
1575	..	14.49	14.49	..	..	..	0.04	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	.	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..
216	..	2.13	2.13	..	..	..	..	0.01
..	..	2.10	2.10	..	..	..	..	..
.	.	.	..	..	..	..	..	.
			..	..	..	..	..	

(178)

जिला पाली एवं जिला जोधपुर में स्थित विभिन्न बान्धों पर

क्र. सं.	बान्धों का नाम	टेन्डर मांगने की तिथि	वर्ष	कार्य का विवरण	खर्च की गई राशि (रुपये)
1	2	3	4	5	6
जिला पाली					
1.	लाटाडा बांध	16-2-78	77-78	लाइनिंग कार्य, लाटाडा नहर	35,000
2.	जवाई बांध	12-8-77	77-78	मरम्मत एवं सफाई कार्य नहरें, साण्डेराव, सुमेरपुर, तखतगढ़ व बिठीया	40,000
		3-1-78	77-78	तखतगढ़, डिस्ट्रीब्यूटरी का मरम्मत कार्य	94,992
		16-2-78	77-78	जाखोडा माईनर का मरम्मत कार्य	20,000
		16-2-78	77-78	रोजडा माईनर का मरम्मत कार्य	10,000
3.	मीठड़ी बांध	12-8-77	77-78	नहरों की सफाई एवं मरम्मत कार्य	10,000
		16-1-78	77-78	लाइनिंग कार्य बायीं मुख्य नहर	40,000
		16-2-78	77-78	लाइनिंग कार्य बायीं मुख्य नहर	40,760

Page No 177

(177)

ठेकेदारों द्वारा कराये गये कार्य का विवरण

ठेकेदार का नाम व पता	ठेके की राशि (रुपये)	कार्यकाल	कार्य आरम्भ करने की तिथि	कार्य फाईनल करने की निर्धारित तिथि	अधिकारी का नाम जिसने कार्य सम्पन्न सर्टीफाई किया
7	8	9	10	11	12
मैसर्स इंजीनियर्स श्रमिक ठेका सह. समि. लि., जोधपुर	35,000	2 माह	13-3-78	13-5-78	श्री एन. आर. राय, सहायक अभियन्ता, सुमेरपुर।
मैसर्स नेशनल श्रमिक ठेका सह. स. लि., जोधपुर	40,000	1½ माह	3-9-77	18-10-77	,,
मैसर्स दुर्गा कन्स्ट्रक्शन, जोधपुर	94,992	2 माह	4-2-78	4-4-78	,,
मैसर्स तरुण श्रमिक ठेका सह. स. लि., जोधपुर	20,000	1 माह	14-3-78	13-4-78	,,
मैसर्स तरुण श्रमिक ठेका सह. स. लि., जोधपुर	10,000	1 माह	14-3-78	13-4-78	,,
मैसर्स महामंदिर न्यू यंग फ्रेन्ड्स सह. स. लि., जोधपुर	10,000	1 माह	3-9-77	3-10-77	,,
मैसर्स इंजीनियर्स श्रमिक ठेका सह. स. लि., जोधपुर	40,000	2 माह	4-2-78	3-4-78	,,
मैसर्स इंजीनियर्स श्रमिक ठेका सह. स. लि., जोधपुर	40,760	2 माह	18-3-78	17-5-78	,,

1	2	3	4	5	6
4.	दांतीवाड़ा बांध	12-8-77	77-78	नहरों की सफाई एवं मरम्मत कार्य	10,000
		16-2-78	77-78	दांतीवाडा बांध एवं नहर का मरम्मत कार्य	40,000
5.	हेमावास बांध	12-8-77	77-88	मरम्मत एवं सफाई कार्य नहरें हेमावास बांध	30,000
		23-9-77	77-78	बाढ़ग्रस्त मरम्मत कार्य हेमावास बांध व नहर	15,000
6.	रायपुर-लूनी बांध	12-8-77	77-78	मरम्मत एवं सफाई कार्य नहरें रायपुर लूनी बांध	21,067
		7-11-77	77-78	"	99,342
7.	गिरीनन्दा बांध	12-8-77	77-78	नहरों की सफाई एवं मरम्मत कार्य	19,954
		7-11-77	77-78	गिरीनन्दा बांध एवं नहरों का मरम्मत कार्य	84,116
8.	चोपड़ा बांध	23-9-77	77-78	बाढ़ग्रस्त मरम्मत कार्य चोपड़ा फीडर व नहर	39,126
9.	सादड़ी बांध	12-8-77	77-78	नहरों की सफाई एवं मरम्मत कार्य	10,000
		23-9-77	77-78	बाढ़ग्रस्त मरम्मत कार्य सादड़ी बांध एवं नहरें	40,000
		16-1-78	77-78	बचाव कार्य नहर बान्डकी	45,000

7	8	9	10	11	12
श्री माणक सिंह गेहलोत, जोधपुर	10,000	1 माह	3-9-77	3-10-77	श्री एन. आर. राय, सहायक अभियन्ता, सुमेरपुर।
मैसर्स ऐरिनपुरा रोड श्रमिक ठेका सह. स. लि., जवाई बांध	40,000	2 माह	13-3-77	13-5-78	,,
श्री चंचलदास, बिराटिया कलां	30,000	1½ माह	9-9-77	24-10-77	श्री टी. के. पायली, स.अ., पाली ।
श्री जोगाराम, गांव झूठा, तहसील रायपुर, जिला पाली	15,000	1½ माह	23-11-77	6-1-78	,,
मैसर्स गजानन्द श्रमिक ठेका सह. स. लि., जोधपुर	21,067	1½ माह	9-9-77	23-10-77	,,
श्री राधेश्याम, रायपुर, जिला पाली	99,342	3 माह	22-3-78	23-6-78	
श्री बन्शीलाल, गांव झूठा	19,954	1½ माह	9-9-77	23-10-77	श्री दाऊलाल जैसलमेरिया, स.अ., जोधपुर।
श्री चंचलदास, ग्राम बिराटियां कलां	84,116	3 माह	16-1-78	15-4-78	
मैसर्स नारायण श्रमिक ठेका स. सह. लि., जोधपुर	39,126	1½ माह	23-11-77	6-1-78	श्री श्यामसुन्दर, स.अ., पाली।
मै. बाबू भवन निर्माण सह. स. लि., जोधपुर	10,000	1 माह	9-9-77	9-10-77	श्री टी. के. पायली, सहा. अभियंता, पाली।
श्री खूमाराम, पाली	40,005	1½ माह	23-11-77	6-1-78	,,
मै. कुनेसिंह भंवरलाल, जोधपुर	45,000	2 माह	4-2-78	4-4-78	,,

1	2	3	4	5	6
10.	सरदार समन्द बांध	12-8-78	77-78	नहरों की मरम्मत एवं सफाई कार्य-मुख्य नहर आर. डी. 0 से 8000	16,480
		12-8-77	77-78	नहरों की सफाई एवं मरम्मत कार्य ढाबर	15,315
		12-8-77	77-78	नहरों की सफाई एवं मरम्मत कार्य नीमबली	12,450
		12-8-77	77-78	नहरों की मरम्मत एवं सफाई कार्य-दायीं मुख्य नहर	17,974
11.	काना बांध	12-8-77	77-78	नहरों की मरम्मत एवं सफाई कार्य	10,000
		23-9-77	77-78	बाढ़ग्रस्त मरम्मत कार्य-बांध व नहर	10,000
12.	मुथाना बांध	7-11-77	77-78	बैंडबार पिचिंग और नहरों पर कार्य	50,000
13.	जोगडावास बांध	12-8-77	77-78	नहरों की मरम्मत एवं सफाई कार्य	10,000
14.	मालपुरिया-कानावास	12-8-77	77-78	नहरों की सफाई एवं मरम्मत कार्य	10,000
		23-9-77	77-78	बाढ़ग्रस्त मरम्मत कार्य-बांध व नहर	20,000
		,,	77-78	लाइनिंग कार्य-नहर चैन 40 से 88	40,000
15.	गुडा एनदला बांध	12-8-77	77-78	नहरों की मरम्मत एवं सफाई कार्य	10,000
16.	बानियावास बांध	12-8-77	77-78	नहरों की मरम्मत एवं सफाई कार्य	15,000
		23-9-77	77-78	बाढ़ग्रस्त मरम्मत कार्य-बांध व नहर	20,000

Page No 181

(181)

7	8	9	10	11	12
श्री बाबूलाल गेहलोत, जोधपुर	16,480	1½ माह	9-9-77	23-10-77	श्री दाऊलाल जैसलमेरिया, स.प्र., जोधपुर।
"	15,315	"	9-9-77	23-10-77	"
"	12,450	1 माह	9-9-77	8-10-77	"
"	17,974	1½ माह	9-9-77	23-10-77	"
श्री हजारी लाल मंडोर, जोधपुर	10,000	1 माह	9-9-77	9-10-77	श्री टी. के. पायली, स. प्र., पाली।
मै. तरुण श्रमिक ठेका सह. स. लि., जोधपुर	10,000	1 माह	24-11-77	23-12-77	"
श्री धानापुरी, गांव रायपुर	50,000	2 माह	16-1-78	15-3-78	"
श्री जोगाराम, ग्राम झूंठा	10,000	1 माह	9-9-77	9-10-77	"
श्री लिखमा राम, जोधपुर	10,000	1 माह	9-9-77	9-10-77	"
श्री हेमाराम, गांव झूंठा	20,000	1½ माह	23-11-77	6-1-78	"
"	40,000	2 माह	14-3-78	13-5-78	"
श्री हेमाराम, गांव झूंठा	10,000	1 माह	9-9-77	9-10-77	"
श्री चंचलदास, गांव बिसटियाकलां	15,000	1½ माह	30-9-77	14-11-77	"
श्री बंशीलाल, गांव झूंठा	20,000	"	24-11-77	7-1-78	"

1	2	3	4	5	6
17.	गोर्देलाव बांध	12-8-77	77-78	नहरों की मरम्मत एवं सफाई कार्य	15,000
		23-9-77	77-78	बाढ़ग्रस्त मरम्मत कार्य-बांध व नहर	15,000
18.	खारडा बांध	23-9-77	77-78	बाढ़ग्रस्त मरम्मत कार्य-बांध एवं केनाल	15,000
19.	मामावास बांध	23-9-77	77-78	बाढ़ग्रस्त मरम्मत कार्य-मामावास बांध व नहर	30,000
20.	घुरवाना बांध	1-2-78	77-78	मरम्मत एवं लाईनिंग कार्य	15,000
21.	केसूली बांध	15-9-77	77-78	नहर की मरम्मत का कार्य	5,246
22.	घोडादडा बांध	4-11-77	77-78	नहर की मरम्मत का कार्य	2,700
जिला जोधपुर :					
1.	सूरपुरा बांध	23-9-77	77-78	बाढ़ग्रस्त मरम्मत कार्य-नहरें सूरपुरा बांध	50,020
		1-2-78	77-78	सूरपुरा कैनाल का लाइनिंग कार्य चेन 40 तक	46,838
2.	जसवन्त सागर	12-8-77	77-78	नहरों की सफाई एवं मरम्मत कार्य	30,570
		7-11-77	77-78	बाढ़ग्रस्त मरम्मत कार्य-नहरें जसवन्त सागर	99,451
3.	बिराई बांध	12-8-77	77-78	नहरों की मरम्मत एवं सफाई कार्य	18,800

Page No 183

(183)

7	8	9	10	11	12
श्री जोगाराम, गांव झूंठा	15,000	1½ माह	30-9-77	14-11-77	श्री टी.के. पायली, स.अ., पाली ।
मै. नारायण श्रमिक ठेका सह. स. लि., जोधपुर	15,000	1½ माह	23-11-77	6-1-78	श्री टी. के. पायली, स अ., पाली ।
मै. पृथ्वीपुरा लेबर कॉन्ट्रैक्ट सह. स. लि., जोधपुर	15,000	"	23-11-77	6-1-78	"
श्री हेमाराम, गांव झूंठा	30,000	1½ माह	24-11-77	7-1-78	श्री टी. के. पायली, स. अ., पाली ।
श्री बंशीलाल, गांव झूंठा	15,000	1 माह	14-3-78	14-4-78	श्री एन. राय, स. अ., सुमेरपुर ।
मै. विनय श्रमिक सह. स. लि., जोधपुर	20,300	2 माह	12-10-77	11-12-77	श्री रतनलाल सिंघल, स. अ., बाली ।
श्री घेवरराम, ग्राम झूंठा	20,000	2 माह	4-11-77	9-1-78	"
मै. इंजीनयर्स श्रमिक ठेका सह. स. लि., जोधपुर	50,020	2 माह	23-11-77	22-1-78	श्री श्यामसुन्दर, स. अ., जोधपुर ।
श्री जयसिंह देवड़ा, सूरपुरा	46,838	2 माह	14-3-78	13-5-78	"
मै. गजानन्द श्रमिक ठेका सह. स. लि., जोधपुर	30,570	1½ माह	9-9-77	23-10-77	श्री दाऊलाल जैसलमेरिया, स. अ., जोधपुर ।
श्री बाबूलाल गेहलोत, जोधपुर	99,451	3 माह	16-1-78	15-4-78	श्री श्याम-सुन्दर, स. अ. जोधपुर ।
मै. बी. एस. कन्स्ट्रक्शन कं., जोधपुर	18,800	1½ माह	9-9-77	23-10-77	श्री दाऊलाल जैसलमेरिया, स. अ., जोधपुर ।

1	2	3	4	5	6
		1-2-78	77-78	विराई नहर चैन, 180, 195, 210, 225 पर फाल निर्माण कार्य	10,070
		1-2-78	77-78	बिराई नहर का लाइनिंग कार्य चैन 180 से 240	53,053
4.	फास्ती बांध	11-6-75	75-76	नहर को पक्का करने का कार्य	4,424
5.	बिसलपुर बांध	वर्क आर्डर	77-78	नहर को पक्का करने का कार्य	9,549

7	8	9	10	11	12
श्री माणकसिंह गेहलोत, जोधपुर।	10,070	1 माह	14-3-78	13-4-78	श्री श्याम-सुन्दर, स. क., जोधपुर।
श्री कानाराम, जोधपुर।	53,053	2 माह	14-3-78	13-5-78	"
मैं. माडर्न श्रमिक ठेका सह. स., जोधपुर।	8,010	1 माह	20-7-75	17-8-75	श्री नेमर मेहता, स. अ.
श्री शिवनाथसिंह, जोधपुर।	9,658	20 दिन	7-3-78	26-3-78	श्री गौतमराज भंसाली स. अ.

जिला जोधपुर, पाली में विभिन्न बांधों के नहरों को खोलने की तिथियों का विवरण

क्रम संख्या	बांध का नाम	गत पांच वर्षों में नहर खोलने की तिथि				
		1973–74	1974–75	1975–76	1976–77	1977–78
	जिला जोधपुर					
1.	जसवन्त सागर	27-10-73	..	1-12-75	7-11-76	18-10-77
2.	सूरपुरा	26-10-73	..	..	27-10-76	30-10-77
3.	बिराई	27-10-73	..	30-11-75	2-1-76	6-11-77
4.	गोळजोड	..	..	..	..	7-10-77
5.	मांडलिया बांध	..	..	..	..	..
6.	पीपाड़ सिटी बांध	..	..	..	..	..
7.	सांडपाली बांध	..	..	1-11-75	..	..
8.	बोरून्दा बांध	..	..	1-11-75	1-11-76	..
9.	बैनन गांव बांध	..	..	..	..	..
10.	कुपड़ावास बांध	..	..	..	..	..
11.	कास्ती बांध	..	..	..	..	..
12.	नेवरा बांध	..	..	..	..	..
13.	पोपावास बांध	..	..	..	..	..
14.	ताम्बड़िया बांध	..	..	..	..	..
15.	हीरादेसर बांध	..	..	..	..	..
16.	कैरू बांध	..	..	..	..	..
17.	डाखरा बांध	..	..	..	..	..
18.	बिसलपुर बांध	..	1-11-75	..	..	..
19.	वासनी बांध	..	1-11-75	1-11-76	..	..

Page No 187

20.	नांडिया कलां	..	..	..	..	..
21.	ढांढणिया बांध	..	..	..	..	..
	जिला पाली					
1.	जवाई बांध	8-11-73	12-12-74	15-11-75	12-10-75	5-10-77
2.	सरदार समन्द	4-11-73	18-11-74	2-12-75	31-10-76	26-10-77
3.	हेमावास बांध	2-11-73	..	17-11-75	20-10-76	21-10-77
4.	सारडा बांध	25-10-73	..	1-11-75	26-10-76	29-10-77
5.	रघुनाथ पुरा	11-11-73	..	..	28-10-76	2-9-77
6.	खिवान्दी वांकली	11-11-73	..	23-11-75	21-10-76	..
7.	चोपड़ा बांध	28-10-73	4-11-74	20-11-75	1-11-76	26-10-77
8.	सादड़ी बांध	2-11-73	..	26-11-75	12-11-76	24-10-77
9.	जोगडावास बांध	..	..	22-11-75	25-10-76	23-10-77
10.	काना बांध	5-11-73	..	26-11-75	11-11-76	24-10-77
11.	मुथाना बांध	8-11-73	7-11-74	16-11-75	10-11-76	19-10-77
12.	ऊंगटी	..	..	7-11-75	..	..
13.	राजपुरा बांध	9-11-73	..	14-11-75	12-11-76	30-11-77
14.	शिवनाथ सागर	7-11-73	..	14-11-75	29-10-76	19-10-77
15.	सारण	..	11-11-74	15-10-75	15-11-76	12-11-77
16.	बोरी नाडा	28-10-73	..	21-12-75	1-11-76	13-10-77
17.	वर	11-11-73	..	28-1-76	1-1-76	15-11-77
18.	मनीहारी	..	..	6-11-75	5-10-76	..
19.	दांती वाड़ा	12-11-73	..	12-11-75	31-10-76	28-10-77
20.	लोरिया	..	..	20-11-75	..	..
21.	धाकड़ी	..	..	8-10-75	..	..
22.	मगर तालाब	4-11-73	..	24-11-75	2-11-76	1-10-77

क्रम संख्या	बांध का नाम	गत पांच वर्षों में नहर खोलने की तिथि					
		1973–74	1974–75	1975–76	1976–77	1977–78	
23.	डिगोर			20-11-75	14-11-76	11-11-77	
24.	बैलार	11-11-73			7-11-76		
25.	गुलाब सागर	12-11-73		8-12-75		26-10-77	
26.	कोलर	7-11-73		15-11-75	2-11-76	21-10-77	
27.	बागोल	5-11-73		13-11-75	2-11-76	29-10-77	
28.	गुडा गोपीनाथ	11-11-73		21-10-75	19-11-76	29-10-77	
29.	मूम्बलिया			11-12-75	17-11-76	12-10-77	
30.	नीम्बली			4-11-75			पेटा काश्त होती है।
31.	कांनावास					11-11-77	
32.	गिरी नन्दा	10-11-73	7-12-74	20-11-75	2-11-76	6-10-77	
33.	मीठड़ी	15-11-73	4-11-74	20-11-75	6-11-76	20-11-77	
34.	रायपुर लूनी	30-11-73	20-11-74	17-12-75	6-11-76	20-10-77	
35.	बानियावास		शून्य	5-11-75	27-10-76	27-10-77	
36.	सेली की नाल	5-11-73		16-11-75	7-11-76	20-11-77	
37.	बम्बोलाई						पेटा काश्त होती है।
38.	सोतोया						
39.	मीरां कुकी	1-10-73	17-9-74	28-11-75	27-11-76	14-11-77	
40.	एन्दला					15-11-77	
41.	फुटेलाव	14-11-73		19-11-75			
42.	बिराटिया खुर्द					2-10-77	
43.	केसूली बांध			1-11-75	1-11-76	1-11-77	
44.	चौडावडी बांध			1-11-75	1-11-76	1-11-77	

45.	मांडी गढ	1-11-75	1-11-76	1-11-77	
46.	रानी टँक				
47.	कोलात				
48.	फौलाद	1-11-75	1-11-76	1-11-77	
49.	बेडर का वास				
50.	रेनिया			1-11-77	
51.	गिरोलिया	1-11-75		1-11-77	
52.	पोर्टलिया				पेटा काश्त होती है।
53.	सिन्व एवं जादडी				
54.	तखत गढ				
55.	बोकी का वाला	1-11-75	1-11-76	1-11-77	
56.	सोनगिरी का वाला	1-11-75	1-11-76		
57.	मैरू का नाका				
58.	चन्डावत				

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 169 की तालिका)

क्र०सं०	सिस्टम	आंशिक मापदण्ड (पक्की) नहरों पर 77–78 में सिंचाई संघनता
1.	राजस्थान फीडर, राजस्थान मुख्य नहर पर सीधे मोगे और लखूमाली तक की नहरें	88
2.	रावतसर शाखा सिस्टम	89
3.	नौरंगदेसर शाखा सिस्टम	113
4.	उत्तर घग्घर सिस्टम	149
5.	सूरतगढ़ शाखा सिस्टम	77
6.	सीधी वितरिका और मोगे लखूमाली से विरधवान तक ..	95
7.	अनूपगढ़ शाखा सिस्टम	58
	कुल संघनता ..	76

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 171 की सूची)

परिशिष्ट 'क'

राज्य के नियोजन कार्यालयों की जीवित पंजिका पर दिनांक 31-8-1978 को
रोजगार प्राप्त करने के लिये पंजिकृत आशार्थियों की जिलेवार सूची

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	उपलब्ध आशार्थी
1.	अजमेर	19,686
2.	अलवर	17,560
3.	बांसवाड़ा	4,500
4.	बाड़मेर	3,862
5.	भरतपुर	17,134
6.	भीलवाड़ा	8,655
7.	बीकानेर	10,395
8.	बून्दी	3.080
9.	चित्तौड़गढ़	5,960
10.	चूरू	5,538
11.	डूंगरपुर	4,046
12.	जयपुर	47,794
13.	जैसलमेर	2,205
14.	जालौर	2,398
15.	झालावाड़	4,308
16.	झुंझुनूं	16,685
17.	जोधपुर	17,979
18.	कोटा	22,160
19.	नागौर	6,596
20.	पाली	7,853
21.	सवाईमाधोपुर	9,086
22.	सीकर	8,730
23.	सिरोही	3,099
24.	श्रीगंगानगर	12,750
25.	टौंक	8,872
26.	उदयपुर	34,233
27.	पी. एण्ड ई. यूनिट	10,043
28.	विशेष नियोजन कार्यालय (विकलांग), जयपुर	513
	योग	3,11,220

Page No 192

(192)

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 172 की सूची)

अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की सूची जिनका 10-7-78 के पश्चात् सवाईमाधोपुर खण्ड में चयन किया गया :-

1. श्री मोती लाल बैरवा पुत्र श्री बिरदीचन्द
2. श्री डालूराम कोली पुत्र श्री केलाराम कोली
3. श्री नारायण प्रकाश बैरवा पुत्र श्री ओंकारलाल
4. श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा पुत्र श्री हजारीमल
5. श्री बजरंग लाल रेगर पुत्र श्री नारायण रेगर
6. श्री गिर्राज प्रसाद धोबी पुत्र श्री के. दुरगा लाल
7. श्री राम प्रसाद कोली पुत्र श्री बिसन्या कोली
8. श्री राम किशन जाट पुत्र श्री पातरियाराम

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 177 के नियमों की प्रति)

Introduction

1. (a) The object of these rules is to regulate purchases of stores in the Medical and Public Health Department of Rajasthan.

(b) The term 'Stores' used in these rules applies to all articles and materials purchased or otherwise acquired for the use of hospitals, dispensaries and for health activities including the following:—

(i) All drugs and medicines.

(ii) Bedding, clothing and linen requirements.

(iii) Medical and Surgical equipment, hospital accessories and sundries.

(iv) Hospital furniture including bedsteads, lockers and also asceptic furniture etc.

N. B:—(i) Separate instructions are issued for the purchase of diet articles in various hospitals and dispensaries.

(ii) Wherever necessary, cloth may be purchased for preparing clothings etc. in lieu of the ready-made clothings at item II above.

(c) These rules will be called 'Stores Purchase Rules' and will come into force with effect from the financial year commencing from 1-4-1954.

2. These rules have been framed under Article 254 of the Rajasthan General Financial and Account Rules and supplement the relevant provisions of these rules relating to "STORE" and "CONTRACTS".

Extent of Application

3. These rules are meant for departmental use only and do not apply to Ayurvedic Department and Water Works though they come under the same budget heads.

Purchase Committee

4. All purchases for the department will be arranged by a Committee who will invite tenders annually. The officers concerned of the department are not authorised to purchase any stores other than from an approved supplier except:—

(i) In case of emergency provided the value of stores in each case does not exceed Rs. 25/-.

(ii) In case when there is no approved supplier for a particular store, purchases can be effected by inviting quotations and orders will be placed after obtaining competent sanction.

5. (a) The following officers will constitute the Purchase Committee:—

1. The Director of Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur.	President.
2. Deputy Secretary to Government (M. & P. H. D.).	Member.
3. One Surgeon.	Member.
4. One Physician.	Member.
5. One Officer possessing health qualifications.	Member.
6. Accounts Officer in the Directorate of Medical & Health Services.	Member.

N. B:—1. The Assistant Secretary to Government in Finance Department (Expenditure) may be co-opted as a Member of the Committee, if his presence is considered necessary by the Committee in any of its meetings.

2. The Secretary, Stores Purchase Section in the Directorate of Medical & Health Services will work as the Secretary of the Committee.

(b) The Members of the Committee will be appointed by the Government on the recommendation of the Director of Medical and Health Services, Rajasthan.

6. The Secretary of the Committee or any Gazetted Officer deputed by Director of Medical and Health Services will be responsible for all the working of the Committee, preparation of comparative statements and maintenance of accounts, etc .

7. The Secretary will have no powers to discuss, to vote and to take part in deciding the names of the approved firms.

8. The decision of the Committee will be arrived at by majority of votes and in case of the President will have the right of a casting vote.

9. In case of emergent requirements arising during the year for those articles for which no approved suppliers have been chosen the Director of Medical and Health Services may not refer the case to the Purchase Committee and may make purchases after inviting tenders or quotations, subject to the limit of his financial powers.

10. The Stores Purchase Committee is dissolved after the rate contractors have been selected and the tender work is complete. After the approval of the suppliers, any approved rate contractor is found to have committed a breach in any of the terms and conditions of the contract, or has failed to supply the approved item within the specific time, or has not supplied the articles according to approved specification, description, make or sample, the Purchasing Officers are empowered to reject the inferior supplies and to report to Director of Medical & Health Services, for suspension, cancellation or rescission of the contract as the case may be.

General Principles for Purchase

11. The underlying policy of the department is to make their purchases for the use of the hospitals and dispensaries from the manufacturers of our country as far as possible provided they fulfil the condition of economy and efficiency and their products are of the required standard.

(196)

12. No direct orders will be placed by any officers of the department in Foreign countries without previous permission of Government.

13. In Selecting the approved supplier the Committee should see that the Government got fair return for the money they spent. Every precaution must be taken to prevent any official from having any personal interest direct or indirect.

Indents

14. Every year by the Ist of August at the latest all officers concerned holding charge of stores viz. P. M. H. Os., A. D. H. Ss. D. M. & H. Os. and C. M. Os., are required to furnish detailed lists in the form given below to the D. M.&H.S. of their approximate annual requirement in respect of each article required by the institutions under their control. The list will be scrutinized by the D. M. & H. S. specially in the light of the budget provision and then by the second week of August in each year the list will be passed on to the Secretary, Stores Purchase Committee, who will then compile the catalogues and will issue the Tender Notice as required under Article 20.

Estimates Requirements During the Year________

Item No.	Name of the Article	Average quantity of last three years consumption	Approximate quantity required during the year	Last year's approved rates	Total cost	Remarks
1	2	3	4	5	6	7

Below the statement the following details should be given:-

(1) Approximate balance likely to remain at the end of the closing year____________

(2) Total budget provision for the last year__________

(3) Grand total arrived as per column (6) of the above list __________

(4) Proposed amount to be kept reserve for unforseen, emergent and minor local purchases__________

Signature of Officer-in-Charge.

15. In the annual list of requirement as per Article 14, column No. 4 should be filled by officer concerned on the basis of the average actual consumption during the preceding three years so as to avoid the possibility of unnecessary ever-stocking of articles. The quantity as mentioned in column No. 4 should be carefu y calculated, as it may not be possible to alter it when included in the totalled requirements furnished to the approved tenderers as it will have to be purchased from the approved suppliers according to the minimum guarantee given as per terms of tender.

16. Intelligent anticipation of demands is the Keynote in preparing the list of requirements of each store and the officers concerned will be entirely responsible to adjust their requirements within the allotted budget. It is suggested that the annual requirements should be so arrived at as to allow due margin in respect of the following:-

(i) Stock likely to remain in hand with them at the close of the year.

(ii) Unforeseen requirments.

17. On receipt of the list of requirements submitted by all Officers-in-Charge of Stores from the Director, Medical and Heath Services, by the end of the first week of August in each year, the Secretary, Stores Purchase Committee will consolidate, scrutinize and prepare the catalogues Parts A and B in the form prescribed in Appendix A by the end of the last week of October in each year at the latest and will get them printed for issue to the tenderers as require in the tender notice latest by the third week of October in each year.

18. The Secretary, Stores Purchase Committee will preparing the catalogue should exclude items of the following categories:--

(i) Drugs, medicines and equipment which are manufactured in the Central Government Stores and Factories. These are to be purchased as far as possible direct from the Central Government.

(ii) Linen requirements which are available in Rajasthan Jail Department and Cottage Industries will be obtained from these departments;

(198)

(iii) Items the requirements of which are very small provided the cost of which does not go beyond Rs. 500/-.

Tenders

19. Tenders for the purchase of stores should invariably be invited by notification published in the leading and approved newspapers through the Director of Public Relations so as to secure wide publicity and encourage free and unfattered competition. Besides publishing the advertisement in newspapers copy of the Tender Notice may also be supplied to some selected, reputed firms individually.

20. Notice of Tender should be in the prescribed form for the purpose of Appendix B.

21. While submitting the Tenders, the instructions laid down in the Tender Notice and in the Tender Form must be complied with (Appendices A and B) by the tenderers.

22. Ordinarily one month's time should be allowed to the tenderers for submission of their tenders from the date of the Tender Notice.

23. Tender Forms should be made available before the Tender Notice is published. A register will be maintained with the Secretary, Stores Purchase Committee in the following form in order to account for the Tender Forms issued and received vide Appendix B.

24. Proper receipts will be issued by the Secretary, Stores Purchase Committee for the amounts received on account of cost of Tender Forms and should be credited to Government income under appropriate head soon after receipt. Similarly Post Office Cash Certificates, Indian Postal Orders and Fixed Deposit Receipts received on account of earnest money and Security Deposit should be acknowledged accounted for and kept in the safe custody.

25. If, on account of any reason the Earnest Money or the Security Deposit is received in cash and if the same is accepted on account of special circumstances the party concerned be asked to deposit the same in the Treasury direct under 'Revenue Deposit' as envisaged in Article No 319 (b) (i) of the General Financial and Account Rules.

(199)

26. On receipt of the tend from the tenderers either through Post or Agent they shou'd immediately be entered in the register as indicated vide para 23 and the register be kept in the personal custody of the Secretary. The Secretary, Stores Purchase Committee will keep proper account of all samples received in prescribed register and will keep them duly sealed in his personal custody.

27. On the date of opening, the tenders will be opened by the President of the Stores Purchase Committee before the representative of the tenderers, if they are present. The tenders when opened will be dated, numbered and initialled on each page by the President and the Accounts Officer. The President will also sign the register maintained vide para 23 and an endorsement will be made at the bottom of the register certifying the total No. of Tender forms issued, total No. of tenders received within the time allowed and total amount received on account of (i) cost of tender forms, (ii) earnest money. All corrections, alterations etc. in the tenders should be initialled by the President and the Accounts Officer.

28. After opening of the tenders, the Secretary will prepare the comparative statements for presentation to the Committee for discussion in selecting approved suppliers. The comparative statements will be signed by the Secretary as a token of its corrections.

29. When the comparative statements are ready the same will be presented to the Committee, for consideration and decision. The competing tenderers will not be allowed to be present while the Committee considers the comparative statements. No supplementary offer or revised offer should be accepted unless equal opportunity is given to all tenderers to revise their quotations in the light of any further facts elucidated during the discussions of the Purchase Committee.

30. It is not binding on the Committee to accept the lowest tender. Ordinarily a lowest quotation is to be accepted. As a matter of Principle it is left entirely to the discretion of the Committee to accept the rates. No reasons need be communicated to any competing tenderer when his tendered quotations have not been accepted by the Committee. The Committee will record their reasons against the item in not selecting the lowest rates.

31. In selecting the tender to be accepted, the respectability and financial status of the tendering firm or individual firm should be taken into consideration in addition to other relevant factors, regarding his or their reputation established during the years the department, etc

32. The Secretary, Purchase Committee should keep ready all the relevant records of the previous suppliers in respect of past history, the antecedent, success or failures of the competing contractors, the suitability or otherwise of the quality of the material tendered or any other fact worth noting and which he considers worth bringing to the notice of the Committee, shall be put by him at the time of selecting the approved contractors.

33. (a) The Stores Purchase Committee is full competent to approve the articles and rates subject to the condition that in case rates higher than the lowest quotations are approved the Committee shall assign and record specific reasons against each of such items to approved the higher rates in preference to the lowest rates.

(b) All matters regarding disputes etc. in execution of breach of contract with the approved items will be decided by the following members of the Stores Purchase Committee:—

1. D.M. & H.S. (President).
2. Dy. Secretary, Medical & Health (Member).
3. One Physician or Surgeon (Member).
4. Accounts Officer of Directorate of Medical & Health (Member).

Approved Suppliers and Security

34. On receipt of the Stores Purchase Committee approval, the D. M. & H. S., will communicate the formal sanction to the Secretary, Stores Purchase Committee to communicate the names of the approved suppliers to all the officers concerned. Likewise he will also inform the individual firms regarding the acceptance of their rates.

35. The Secretary will then ask the approved suppliers to execute an agreement in the prescribed form (Appendix C) and on its receipt the same will be kept in his personal safe custody.

36. Successful tenderers will have to execute an agreement in the prescribed form with the Director of Medical & Health Services and deposit security for the due performance of the contract within 'thirty days' from the date on which the acceptance of the tender is communicated to him. The security will be refunded after six months, from the date of completion of the approximate agreed supply. No interest will be paid by the Department on such security amount. If a tenderer fails to deposit the security or to execute the agreement within the period specified such a failure will be treated as breach of the terms and conditions of the tender and may result in the forfeiture of the earnest money. The expenses of completing and stamping the agreement shall be paid by the tenderer who shall furnish to the Director of Medical & Health Services on executed stamped counter-part of the agreement free of charge. The extent of the security amount will be as under in the forms as mentioned for earnest money:—

Approximate cost of approved items.	*Amount of security to be furnished*
(i) Up to Rs. 25,000/-	Rs. 500/- fixed.
(ii) Above Rs. 25,000/- and up to Rs. 50,000/-	Rs. 1,000/- fixed.
(iii) Above Rs. 50,000/- and up to Rs. 1,00,000/-	Rs. 3,000/- fixed.
(iv) Above Rs. 1,00,000/- and up to Rs. 2,00,000/-	Rs. 5,000/- fixed.
(v) Above Rs 2,00,000/-	Rs. 7,000/- fixed.

37. No interest will be given by the Department to the approved suppliers for security lodged by them as required vide article 36

38. Proper receipt will be issued for the security deposit and a register will be maintained by the Secretary, showing the details and its disposal after fulfilment of the agreement.

MISCELLANEOUS

39. On receipt of the information of the approved suppliers, the officers concerned are at liberty to place direct orders on the approved firms up to the extent their funds permit.

40. The officer concerned while placing orders with the approved firms will send a copy of their order to the Secretary, Stores Purchase Committee for his records. The officers concerned will be responsible for payment to the firms direct.

41. The Secretary on receipt of the copies of orders placed by the officers will consolidate and will maintain the record of each firm.

42. In case any of the selected suppliers or firms of all to make supplies of the indents placed with them or fail to give satisfactory reason for not doing so within six weeks of the date of the order, the D.M.H.S. shall be at liberty to make purchases of such articles at the lowest market rates.

43. The time for delivery is the essential feature of the contract. In case of delay in delivery, purchaser shall be entitled to withhold the payment until the whole of the stores have been supplied and to recover from the contractor 1% per day of the price of the stores which the contractor had failed to deliver in time.

44. The mode of payment should be by bank draft as far as possible. The bills and R/R's of the consignments should be sent to the purchasing officers who has placed the relative orders. The bill must contain all reference of the number and date of order, the details of the R/R and the No. of packages covered under it.

45. Matters relating to interpretation of the rules, terms and conditions etc. shall be decided by the Government on reference by the Director of Medical & Health Services.

46. If supplies are not made within a month from the date of order and even after two reminders at the interval of one week (total 15 days) the supplies are not received, the order will be treated as automatically cancelled after the total period of one and half months from the date of order.

परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 179 का विवरण)

Statement showing the details of Earnest/Security money amount received from the suppliers for the period mentioned below are to be refunded

S. No.	Name of the Firm		AMOUNT DEPOSITED UNDER THE RATE CONTRACT Period from 1-4-72 to 30-9-74 Amount and year E. M.	S. M.	1-10-74 to 31-3-76 Amount and year E. M.	S. M.	1-4-76 to 30-9-77 Amount and year E. M.	S. M.	Remarks
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1. M/s	Apolo Pharmaceutical Laboratory, Alwar.	Rs.	200/-	5000/-	100/-	—	100/-	500/-	
2. ,,	Amar Medical Agencies, Jaipur	,,	100/-	—	—	—	—	—	
3. ,,	Arona Medical, Delhi	,,	300/-	—	—	—	—	—	
4. ,,	Anil Distributors, Jaipur	,,	200/-	700/-	—	—	—	—	
5. ,,	Alok Laboratories, Ratlam	,,	200/-	—	—	—	100/-	—	
6. ,,	Baropharm Chemicals Ltd., Baroda	,,	300/-	—	300/-	3000/-	—	—	

1	2		3	4	5	6	7	8	9
7. M/s	Bayar India Ltd., Bombay	Rs.	300/-	5500/-	100/-	—	-	--	
8. ,,	Biddle Sawyer & Co. (India) Pvt. Ltd., Madras	,,	100/-	500/-	—	—	—	--	
9. ,,	British Medical Stores, Jaipur	,,	300/-	3500/-	3000/-	—	300/-	—	
10. ,,	British Pharmaceutical Laboratories, Bombay.	,,	300/-	—	—	—	—	—	
11. ,,	Caronet Pharma, Bombay	,,	100/-	—	—	—	—	--	
12. ,,	Commercial India, Calcutta	,,	600/-	—	—	—	—	—	
13. ,,	M/s Chemicos, Ajmer	,,	100/-	—	—	—	—	—	
14. ,,	Delhi Medical Stores, Jaipur	,,	700/-	—	400/-	5000/-	200/-	7000/-	
15. ,,	Franco Indian Pharmaceuticals Pvt. Ltd., Bombay	,,	300/-	—	—	—	—	—	
16. ,,	Firpo Traders, Jaipur	,,	100/-	—	—	—	—	--	
17. ,,	Gel Pharma, Jaipur	,,	300/-	—	—	—	-	—	
18. ,,	Himalya Drug Co. Pvt. Ltd., Bombay	,,	100/-	1000/-	100/-	1000/-	100/-	500/-	
19. ,,	Hofal Chemicals, Udaipur	,,	100/-	—	—	—	—	—	
20. ,,	Henery S. Clark & Co., Calcutta	,,	100/-	—	—	—	—	—	

21.	,,	Hindustan Surgicals, Jaipur	,,	100/-	—	—	—	—	—
22.	,,	Harish Bros., Jodhpur	,,	300/-	—	—	—	—	—
23.	,,	India Schering Ltd., Bombay	,,	300/-	—	—	—	—	—
24.	,,	Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd., Ahmedabad	,,	100/-	7000/-	—	—	—	—
25.	,,	Ika Laboratories Pvt. Ltd., Bombay	,,	500/-	—	—	—	—	—
26.	,,	International Medicals, Jaipur	,,	100/-	—	—	—	—	—
27.	,,	International Scientific and Chemicals Industries, Jaipur	,,	500/-	—	300/-	—	—	—
28.	,,	Imperial Chemical (India) Jaipur	,,	300/-	—	—	—	—	—
29.	,,	J. S. Pharma, Alwar	,,	100/-	—	—	—	—	—
30.	,,	Jagonpal & Co., Delhi	,,	200/-	—	—	—	—	—
31.	,,	J. L. Morison & Jones (India) Ltd., Delhi	,,	300/-	—	—	—	—	—
32.	,,	Jelson Chemical Industries, Bombay	,,	300/-	—	—	—	—	—
33.	,,	Jai Hind Traders, Jaipur	,,	200/-	—	—	—	—	—
34.	,,	Jayanti Medical Hall, Alwar	,,	200/-	—	—	—	—	—
35.	,,	Jaipur Pharmaceutical Works, Jaipur	,,	400/-	—	700/-	7000/-	500/-	—

Page No 206

(206)

1		2		3	4	5	6	7	8	9
36.	M/s	J. Pravin & Co., Bombay	Rs.	500/-	—	—	—	—	—	
37.	„	Varajdas & Co., Bombay	„	500/-	—	—	—	—	—	
38.	„	Kamdar Bros., Bombay	„	200/-	—	100/-	7000/-	100/-	—	
39.	„	Kansul & Co., Delhi	„	500/-	—	400/-	1000/-	—	—	
40.	„	Khandelw ncies, Lucknow.	„	500/-	—	500/-	—	1600/-	—	
41.	„	Krank Sales Corporation, Jaipur.	„	300/-	—	—	—	—	—	
42.	„	Kalpana Sales Corpn., Alwar.	„	200/-	—	—	—	—	—	
43.	„	Kin Agencies, Jaipur	„	100/-	—	—	—	—	—	
44.	„	Lister Lab., Bombay	„	100/-	—	—	—	—	—	
45.	„	Lyka Lab., Bombay	„	300/-	—	—	—	—	—	
46.	„	Mewar Distilleries and Chemicals Works, Bopalsagar, Distt. Chittorgarh.	„	100/-	7000/-	100/-	—	—	—	
47.	„	Metro Trading Corporation, Jaipur.	„	200/-	—	100/-	1000/-	400/-	—	
48.	„	Mahaveer Medical Hall, Jaipur.	„	600/-	—	—	—	400/-	—	
49.	„	Napha (National Pharmaceuticals), Bombay.	„	400/-	—	300/-	7000/-	300/-	—	
50.	„	Oswal Medical Agencies, Jaipur.	„	500/-	5000/-	—	—	—	—	
51.	„	Om Pharmacy, Bombay	„	100/-	—	—	—	—	—	

52.	,,	Praveen Chemicals, Bombay.	,,	100/-	—	—	—	—	—
53.	,,	Pure Drugs (India), Bombay.	,,	200/-	—	—	—	—	—
54.	,,	Pharma Chem Industries, Jaipur.	,,	300/-	—	100/-	—	—	—
55.	,,	Rallies India Ltd., Bombay.	,,	400/-	7000/-	—	—	300/-	7000/-
56.	,,	Pharmadeel Corporation, Jaipur.	,,	300/-	—	—	—	—	—
57.	,,	Raj Enterprises, Bikaner	,,	100/-	—	—	—	—	—
58.	,,	Redicura Pharmaceuticals, Jaipur.	,,	300/-	—	—	—	—	—
59.	,,	Sambhar Chemicals, Sambhar Lake	,,	100/-	—	—	—	—	—
60.	,,	Snow White, Dehradun	,,	100/-	—	—	—	—	—
61.	,,	Spencar & Co., Jaipur	,,	300/-	1000/-	100/-	3000/-	200/-	—
62.	,,	Sarabhai Chemicals, Jaipur.	,,	100/-	1000/-	—	—	—	—
63.	,,	Samarath Pharmaceuticals, Bombay.	,,	300/-	7000/-	300/-	7000/-	300/-	—
64.	,,	Shyam Medical Agencies, Jaipur.	,,	100/-	—	—	—	—	—
65.	,,	Therapeutic Pharmaceuticals, Bombay.	,,	300/-	—	—	—	—	—
66.	,,	Tulsidas & Sons, Jaipur	,,	700/-	—	500/-	5000/-	—	—
67.	,,	Traders & Traders, Jaipur	,,	100/-	—	—	—	—	—

1		2	3	4	5	6	7	8	9
68.	M/s	Tara Chem. Lab. Mfg. Chemist, Jaipur.	Rs. 300/-	—	—	—	—	3000/-	
69.	„	Thio Pharma, Falna	„ 400/-	—	—	—	200/-	7000/-	
70.	„	U. S. Vitamin & Pharmaceuticals Corpn. (India) Ltd., Bombay.	„ 600/-	—	—	—	—	500/-	
71.	„	Vashishtba Bros., Jaipur	„ 100/-	—	200/-	500/-	—	—	
72.	„	Vimal Medical Hall, Jaipur.	„ 200/-	—	—	—	—	—	
73.	„	Veer Medicals, Jaipur	„ 400/-	—	—	—	—	—	
74.	„	Vimal Agencies, Udaipur	„ 100/-	—	—	—	—	—	
75.	„	Ward Blaking & Co. (India) Ltd., Madras.	„ 100/-	—	—	—	—	—	
76.	„	Warner Hindustan Ltd., New Delhi.	—	1000/-	—	—	—	—	
77.	„	National Pharma Pvt., Ltd, Bombay.	„ 100/-	—	—	—	—	—	
78.	„	Sigma Laboratories, Bombay.	„ 100/-	—	—	—	—	—	
79.	„	Ajay Traders, Jaipur	„ 100/-	—	100/-	5000/-	300/-	200/-	
80.	„	International Corpn., Delhi.	„ 100/-	—	100/-	—	—	—	
81.	„	Basant Pharmacy, Jaipur	„ 100/-	—	100/-	5000/-	300/-	200/-	
82.	„	Jamna Das & Sons, Bombay.	„ 100/-	—	—	—	—	—	
83.	„	K. Pharmaceuticals, Haryana.	„ 100/-	—	—	—	—	—	

84.	,,	Narain das Bhagwandas & Co., Delhi.	,,	100/-	—	—	—	—	—
85.	,,	Vijay Trading Co., Bombay.	,,	100/-	—	—	—	—	—
86.	,,	Albert David, Ltd. Calcutta.	,,	—	—	300/-	—	300/-	/-
87.	,,	Biochem Pharmaceuticals Industries, Bombay.	,,	—	—	300/-	—	—	—
88.	,,	British Pharmaceuticals Lab., Bombay.	,,	—	—	100/-	3000/-	—	—
89.	,,	Baxsi Pharmaceuticals and Cosmetics, Jaipur.	,,	—	100/-	—	—	—	—
90.	,,	Eastern Medical and Surgical Copn., Lucknow.	,,	—	—	800/-	6200/-	600/-	—
91.	,,	Kumar Brothers, Jaipur	,,	—	—	100/-	5000/-	—	—
92.	,,	Lances Pharmaceuticals Pvt. Ltd., Bombay.	,,	—	—	100/-	—	—	—
93.	,,	Medicine Supply Co., Delhi.	,,	—	—	200/-	—	—	—
94.	,,	National Medical Hall, Jaipur.	,,	—	—	200/-	7000/-	300/-	—
95.	,,	Organon (I) Ltd., Calcutta.	,,	—	—	100/-	—	—	—
96.	,,	Pharmachem Lab., Lucknow.	,,	—	—	300/-	—	—	—
97.	,,	Reetu Enterprises, Jaipur	,,	—	—	100/-	—	—	—
98.	,,	Suhrid Geigy Ltd., Jaipur	,,	—	—	300/-	7000/-	—	—
99.	,,	Subh Laxmi Agencies, Jaipur.	,,	—	—	300/-	2000/-	—	—

Page No 210

1		2	3	4	5	6	7	8	9
			Rs.						
100.	M/S	Universal Agencies, Nagpur.	—	—	100/-	5000/-	300 /-	—	
101.	„	Warner Pharmaceuticals, Pvt. Ltd., Bombay .. „	—	—	100/-	—	—	—	
102.	„	Western Pharmaceuticals Thana. .. .. „	—	—	100/-	—	—	—	
103.	„	Ciba Geigy of India Ltd., Bombay .. „	—	—	—	—	100/-	—	
104.	„	Indo Pharma Pharmaceuticals Works, Bombay. „	—	—	—	—	—	7000/-	
105.	„	Intra Drugs, New Delhi „	—	—	—	—	200/-	—	
106.	„	Indian Chemicals and Pharmaceutical, Works Jaipur.	—	—	—	—	100/-	—	
107.	„	Paramount Medicine and Pharmaceuticals Co. Jaipur. .. .. „	—	—	—	—	200 /-	—	
108.	„	Syrup Thie Kof Manufacturing Co. (I), Bombay. .. .. „	—	—	—	—	100/-	400/-	
109.	„	TheraChem Labs. Bombay „	—	—	—	—	100/-	5000/-	
110.	„	Jagat Pharma. Pvt., Ltd., Bombay. .. „	—	—	—	—	—	500/-	
111.	„	Pharmaceuticals Laboratories, Sholapur. .. „	—	—	100/-	—	—	—	

परिशिष्ट 12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 180 की सूची)

मल्टीपरपज स्कीम के अन्तर्गत केडर, योग्यता एवं वेतन की सूची

क्र.सं.	पद का नाम	योग्यता	टेवल नम्वर	वेतन श्रृंखला
1.	चिकित्सा अधिकारी	एम. वी. वी. एस.	(19)	750–1350
2.	ब्लॉक विस्तार शिक्षक	स्नातक या समकक्ष मय एक वर्ष का फील्ड सर्वे या सामुदायिक और समाज कार्य का अनुभव।	(10)	440–770
3.	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	एल. एच. बी. का प्रशिक्षण प्राप्त	(10)	440–770
4.	सफाई निरीक्षक	एस. आई. का कोर्स पास	(8)	370–590
5.	टीका निरीक्षक	मैट्रिक मय 10 वर्ष का वेक्सीनेटर के पद का अनुभव	(8)	370–590
6.	मलेरिया निगरानी निरीक्षक	मैट्रिक उत्तीर्ण	(10)	440–770
7.	परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक	मैट्रिक, सैकण्डरी या समकक्ष मय एक वर्ष का सामुदायिक सोशियल फील्ड वर्क या परिवार कल्याण कार्य का अनुभव ।	(8)	370–590
8.	बुनियादी स्वावर्धक कार्यकर्ता/निगरानी कार्यकर्ता	आठवीं कक्षा पास	(4)	255–420
9.	वेक्सीनेटर	आठवीं कक्षा पास मय वेक्सीनेटर प्रशिक्षण प्राप्त	(3)	250–360

Page No 212

(212)

परिशिष्ट 13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 183 की सूची)

मान चित्र माह अक्टूबर, 1974 से कार्यरत कर्मचारियान (अवैध नियुक्तियों)

क्रमांक	नाम कर्मचारी	पद	नियुक्ति तिथि	विवरण
1.	श्री कालूराम सैनी	अनुच (उद्यान)	1-10-74	
2.	श्री फूलचन्दनहन्या	स. कर्त्ता	14-10-74	
3.	श्रीमती कमला	,,	4-5-75	दैनिक वेतन पर
4.	श्री राम प्रसाद पैरवा	कनिष्ठ लिपिक	13-1-77	
5.	श्री मंगल चन्द गोयल	चुंगी गार्ड	1-3-77	
6.	श्री किशोरी लाल जाटव	,,	1-3-77	
7.	श्री ईश्वरी प्रसाद सोनी	,,	1-3-77	
8.	श्री गिर्राज प्रसाद विजय	,,	1-3-77	
9.	श्री नन्द किशोर पटेल	,,	1-3-77	
10.	श्री उमा शंकर तिवाड़ी	,,	1-3-77	
11.	श्री छीतर मल बनजारा	अनुचर	1-3-77	
12.	श्री रामकिशन प्रधान	चौकीदार	1-3-77	
13.	श्री देवा राम सैनी	अनुचर (उद्यान)	1-3-77	
14.	श्री जय प्रकाश सैनी	कनिष्ठ लिपिक	18-7-77	
15.	श्री भगवान	स. कर्त्ता	4-9-77	
16.	श्री कपूरचन्द सैनी	अनुचर (उद्यान)	1-10-77	
17.	श्री लीला राम सैनी	अनुचर	19-10-77	दैनिक वेतन पर
18.	श्री कल्याण सहाय	,,	7-1-78	,,
19.	श्री अशोक कुमार गोपालिया	,,	12-10-77	
20.	श्री यादव चन्द सैनी	अनुचर (प्याऊ)	14-10-77	
21.	श्री रामचन्द सैनी	,,	14-10-77	
22.	श्री परमानन्द सैनी	अनुचर (उद्यान)	14-10-77	
23.	श्री केवल	स. कर्त्ता	14-10-77	
24.	श्रीमती नर्बदा	,,	15-10-77	
25.	श्री सत्यनारायण साहू	अनुचर (प्याऊ)	1-1-78	
26.	श्री महेश चन्द बरवाडा	अनुचर	8-5-78	दैनिक वेतन पर
27.	श्री मोहन लाल	स. कर्त्ता	16-9-78	
28.	श्री लिछमन	,,	16-9-78	

हस्ताक्षर

अधिशाषी अधिकारी,
नगरपालिका, राजगढ़ (अलवर)।

213

परिशिष्ट 14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 184 की सूची)

तारांकित प्रश्न संख्या 35/सी एम/ द्वारा—श्री ओंकारलाल चौहान

नगरपालिका मण्डवा में कुल स्वीकृत पद मय अधिशाषी अधिकारी एवं कार्यरत कर्मचारी मय पद व नाम के निम्न हैं :—

क्र.सं.	स्वीकृत पद का नाम	स्वीकृत संख्या	कार्यरत कर्मचारी
1.	अधिशाषी अधिकारी	1	श्री गोविन्द नारायण शर्मा
2.	स. राजस्व निरीक्षक	1	रिक्त
3.	नाकेदार	1	श्री गोपाल शर्मा
4.	सब-नाकेदार	2	क-श्री ईश्वर सिंह ख-श्री भगवान सिंह
5.	सहायक स्वास्थ्य निरीक्षक	1	रिक्त
6.	ड्राफ्ट्समैन-कम-सर्वेयर	1	रिक्त
7.	ड्राइवर	1	रिक्त
8.	कनिष्ठ लिपिक	2	क-श्री घनश्याम शर्मा ख-रिक्त
9.	वरिष्ठ लिपिक	1	श्री देवकी नन्दन शर्मा
10.	मोहर्रिर	2	रिक्त
11.	नाका गार्ड	6	1. श्री निवास राम 2. श्री कुशाल चन्द 3. श्री सावरमल 4. श्री नवल किशोर 5. श्री राम मिश्र 6. रिक्त
12.	चौकीदार	1	श्री राम सैनी
13.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3	1. श्री मोहन लाल 2. श्री प्रहलाद राम 3. रिक्त
14.	जमादार	1	श्री बनवारीलाल
15.	भिस्ती	1	रिक्त
16.	सफाई कर्मचारी	40	1. श्री घासीराम 2. श्री गेंडाराम 3. श्री देबुराम 4. श्रीमती सन्तरा 5. श्रीमती रामप्यारी 6. श्रीमती बसंती 7. श्रीमती लक्ष्मी 8. श्रीमती ग्यारसी 9. श्रीमती मैनकी 10. श्रीमती शान्ति I 11. श्रीमती किसना देवी 12. श्रीमती शांति II 13. श्रीमती इन्द्रमणी 14 श्रीमती गायत्री

परिशिष्ट 15

(स्थगित प्रश्न संख्या 52 की सूची)

नाम डिविजन	कार	जीप	एफ. सी.	स्टेशन वैगन	पिक अप	बस	मिनी बस	मोटर साइकल	टैम्पो स्कूटर	ट्रक	मेटा-डोर	अन्य	चालु	खराब	बेचने योग्य	कुल
अजमेर ..	2	154	10	14	7	8	9	15	3	16	11	42	220	31	30	281
बीकानेर ..	..	64	13	6	10	2	1	3	..	10	8	10	87	21	19	127
जोधपुर ..	..	77	10	11	10	5	5	5	3	7	6	9	109	17	22	148
कोटा ..	..	46	1	2	1	..	..	..	..	4	2	2	49	4	5	58
उदयपुर ..	1	90	4	1	6	1	5	..	2	10	8	11	114	10	15	139
योग ..	3	431	38	34	34	16	20	13	8	47	35	74	579	83	91	753

परिशिष्ट 16

(स्थगित प्रश्न संख्या 68 की सूची)

परिशिष्ट-क

आई० ए० एस० अधिकारियों द्वारा भवन निर्माण हेतु लिये गये ऋण की सूची–

क्र०सं०	नाम	भवन निर्माण	भवन मरम्मत	टिप्पणी
1.	श्री बी० एन० मल्हन	25,000/-		
2.	श्री जी० के० मनोत	50,000/-		
3.	श्री शेर सिंह	25,000/-	15,000/-	
4.	श्री टी० एन० चतुर्वेदी	49,899/-	24,000/-	
5.	श्री जे० एस० मेहता	49,560/-	15,750/-	
6.	श्री भीम सिंह	19,200/-		
7.	श्री आर० सी० सूद	60,000/-	–	
8.	श्री के० एस० उज्जवल	8,200/-	12,240/-	
9.	श्री डी० सी० जोसफ	30,000/-		
10.	श्री एम० एम० के० वली	50 000/-		
11.	श्री बी० हूजा	50,000/-	22 ,500/-	
12.	श्री मंगल बिहारी	..	27,500/-	
13.	श्री डी० के० सक्सेना	50,000/-	2,500/-	
14.	श्री ए० एल० रूंगटा	45,400/-	11,430/-	
15.	श्री आर० के० सक्सेना	50,000/-		
16.	श्री पी० के० वी० कुरुप	50,000/-		
17.	श्री के० एल० वराया	25,000/-	7,000/- 9,720/-	
18.	श्री वी० बी० एल० माथुर	70,000/-		
19.	श्री तेज कुमार	44,640/-		
20.	श्री वी० आई० राजगोपाल	59,000/-		
21.	श्री के० वी० शंकरन	70,000/-		
22.	श्री अनिल वोर्दिया	70,000/-		
23.	श्री आर० रामाकृष्ण	70,000/-		
24.	श्री आर० जे० मजीठिया	50,000/-		
25.	श्री पी० एन० बहल	30,000/-		
26.	श्री एस० पी० विश्नोई	50,000/-		
27.	श्री बी० एन० ढोंडियाल	70,000/-		
28.	श्री यतिन्द्र सिंह	50,000/-		
29.	श्रीमती ओतिमा वोर्दिया	70,000/-		
30.	श्री आर० एल० मिश्रा	10,000/-		राजस्थान आवासन बोर्ड में पंजीकरण हेतु

Page No 216

(216)

1	2	3	4	5
31.	श्री एल. एन. गुप्ता	41,400/-	10,890/-	
32.	श्री पी. बी. माथुर	50,000/-		
33.	श्री के. एस. रस्तोगी	47,880/-		राजस्थान आवासन
34.	श्री जी. जे. मिश्रा	44,640/-		बोर्ड में पंजीकरण
35.	श्री विनय व्यास	10,000/-		हेतु ।
36.	श्री एच. एम. माथुर	43,560/-		
37.	श्री ए. बी. गनेशन	50,000/-		
38.	श्री एच. सी. पांडे	42,480/-		
39.	श्री बी. एस. वर्मा	35,000/-		
40.	श्रीमती कुसुम प्रसाद	37,800/-		
41.	श्री असीम चटर्जी	50,000/-		
42.	श्री जी. रामचन्द्र	40,320/-		
43.	श्री बी. के. जुत्शी	69,200/-		
44.	श्री ए. एस. मेहता	40,000/-		
45.	श्री डी. आर. मेहता	50,000/-	18,000/-	
46.	श्री एल. एन. लड्ढा	45,360/-		
47.	श्री आर. एस. कुमट	32,400/-	14,000/-	
48.	श्री के. के. भटनागर	67,000/-		
49.	श्री एस. एल. जोशी	69,200/-		
50.	श्री विजय सिंह	10,000/-		
51.	श्री एम. एल. मेहता	50,000/-		
52.	श्री अरुन कुमार	37,800/-	18,000/-	
53.	श्री के. के. सक्सेना	37,800/-		
54.	श्री मायाराम	30,600/-		
55.	श्री के. एन. भार्गव	70,000/-		
56.	श्री अनिल कुमार	5,000/-		राजस्थान आवासन बोर्ड में पंजीकरण हेतु ।
57.	श्री आई. एस. कावडिया	5,000/-		
58.	श्री हनुमान प्रसाद	54,000/-		
59.	श्री इन्द्रजीत खन्ना	34,200/-		
60.	श्री आई. सी. श्रीवास्तव	70,000/-		
61.	श्री तुलसी राम अग्रवाल	4,000/-	1,000/-	
62.	श्रीमती कृष्णा भटनागर	32,400/-		
63.	श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा	2,800/-		
64.	श्री उम्मेद सिंह	16,000/-	6,000/-	
65.	श्री बाला सहाय शर्मा	29,000/-	10,000/-	
66.	श्री यशोदेव शर्मा	32,400/-	2,120/-	
67.	श्री गनपत राय शर्मा	..	8,730/-	
68.	श्री प्रहलाद राय शर्मा	8,000/-	5,000/-	

1	2	3	4
69.	श्री एम. एल. सुरेखा	16,000/-	
70.	श्री एम. एल. गोयल	19,810/-	
71.	श्री एम. एल. कक्कड़	25,000/-	
72.	श्री राजेन्द्रपाल सिंह	19,260/-	9,900/-
73.	श्री के. महादेव मल सिंघवी	70,000/-	
74.	श्री आर. डी. गुप्ता	24,320/-	10,500/-
75.	श्री जे. एन. आर. गौड़	22,860/-	11,340/-
76.	श्री रामेश्वर सिंह	19,200/-	

परिशिष्ट "ख"

आई. ए. एस. अधिकारियों द्वारा कार क्रय हेतु लिये गये ऋण की सूची

क्रम. संख्या	नाम	राशि रुपयों में
	सर्व श्री	
1.	जे. एम. ललवाणी	18,000
2.	शेर सिंह	14,000
3.	भीम सिंह	15,000
4.	बृज राज बहादुर	23,100
5.	के. एस. उज्जवल	20,000
6.	आर. के. शास्त्री	21,600
7.	ए. एल. रूंगटा	13,600
8.	आर. के. सक्सैना	20,000
9.	वी. सी. पाण्डे	15,000
10.	पी. के. वी. कुरूप	12,587
11.	के. एल. बराया	18,500
12.	तेज कुमार	12,250
13.	वी. आई. राजगोपाल	18,000
14.	के. वी. शंकरन	20,000
15.	अनिल बोर्दिया	8,000
16.	आर. रामाकृष्णा	20,000
17.	पी. एन. बहल	20,000
18.	एस. पी. विश्नोई	20,950
19.	राजेन्द्र जैन	20 000
20.	यतीन्द्र सिंह	20,000
21.	ओंकार सिंह	20,000
22.	आर. एल. मिश्रा	20,000
23.	पी. बी. माथुर	20,000
24.	के. एस. रस्तोगी	20,000
25.	जी. के. मिश्रा	17,500
26.	एच. एम. माथुर	15,000
27.	ए. वी. गणेशन	15,000
28.	टी. बी. रमणन्	30,000
29.	एच. सी. पाण्डे	18 000
30.	ए. एस. राठौड	18,000
31.	श्रीमती कुसुम प्रसाव	20,000
32.	जी. रामचन्द्र	15 000
33.	सतीश कुमार	18,000
34.	वी. के. जुत्शी	20 000
35.	ए. एस. मेहता	18,000
36.	डी. आर. मेहता	20,000
37.	एल. एन. गढ़्ढा	18 000
38.	आर. एस. कुमट	20,000
39.	के. के. भटनागर	16 000
40.	एस. एल. जोशी	19,000

Page No 219

(219)

1	2	3
	सर्वश्री	
41.	महेन्द्र सिंह	20,000
42.	विजय सिंह	20,000
43.	एम. एल. मेहता	28,000
44.	के. के. सक्सेना	18,000
45.	बृजेन्द्र सिंह	20,000
46.	चन्द्र प्रकाश	19,080
47.	अनिल कुमार	26,000
48.	बी. एन. बहादुर	19,080
49.	पी. एन. भण्डारी	9,000
50.	आई. एस. कावडिया	13,600
51.	हनुमान प्रसाद	18.000
52.	इन्द्रजीत खन्ना	16,200
53.	आई. सी. श्रीवास्तव	16,000
54.	ओ. पी. बिहारी	17,100
55.	बनवारीलाल शर्मा	20,000
56.	हरीश नय्यर	16,200
57.	सुधीर वर्मा	16,200
58.	श्रीमती कृष्णा भटनागर	16,200
59.	जे. एम. खान	19,800
60.	आर. के. नय्यर	16,200
61.	एन. एस. सिसोदिया	16,200
62.	एन. के. वर्मा	16,200
63.	उम्मेद सिंह	14,000
64.	ए. के. सक्सेना	29,920
65.	अजय दुबे	27,180
66.	श्रीमती चित्रा चोपड़ा	16,200
67.	बी. एस. मिनहास	29,920
68.	गणपत राय शर्मा	11,700
69.	अनिल वैश्य	20,000
70.	प्रियदर्शी ठाकुर	16,200
71.	प्रहलाद राय शर्मा	8,000
72.	एम. एल. सुरेखा	20,000
73.	अर्जुन राज भंडारी	20,000
74.	एम. एल. कक्कड़	7,000
75.	कुमारी ए. के. आहूजा	27,500
76.	बी. एन. शर्मा	30,000
77.	गोपेश्वर भट्ट	24,000
78.	गुमान सिंह	20,000
79.	डी. एन. उपाध्याय	20,000
80.	जी. एन. हल्दिया	26,400
81.	परमेश चन्द्र	17,000
82.	श्रीमती कुशल सिंह	25,000
83.	श्रीमती रुक्मणी राधा हल्दिया	14,600
84.	चंचल राज मेहता	19,000

220

परिशिष्ट 17

(स्थगित प्रश्न संख्या 97 की सूची)

दिनांक 22 जून, 1977 से 30 सितम्बर, 1978 तक राज्य मंत्री परिषद् की हुई बैठकों की तालिका मय दिनांक:—

30-6-77
1-7-77
2-7-77
13-7-77
14-7-77
15-7-77
16-7-77
29-7-77
17-8-77
29-8-77
30-8-77
17-10-77
18-10-77
3-12-77
4-12-77
6-12-77
8-12-77
13-12-77
14-12-77
27-12-77
29-12-77
3-1-78
4-1-78
6-1-78
7-1-78
24-1-78
25-1-78
11-2-78
12-2-78
13-2-78
14-2-78
15-2-78
21-2-78
25-2-78
5-3-78
17-3-78
28-3-78
29-3-73

4-4-78
11-4-78
18-4-78
2-5-78
9-5-78
23-5-78
30-5-78
6-6-78
13-6-78
15-6-78
20-6-78
21-6-78
18-7-78
25-7-78
1-8-78
2-8-78
8-8-78
19-8-78
31-8-78
2-9-78
12-9-78
16-9-78
19-9-78
26-9-78
28-9-78

कुल 3 बैठकें हुईं।

Page No 222

(222)

परिशिष्ट 'ब'

मंत्री परिषद् की बैठक में सर्वाधिक अनुपस्थित रहने वाले मंत्रियों की क्रमानुसार सूची। दिनांक 22-6-77 से 30-9-78 तक कुल 63 बैठकें हुई।

	मंत्री	अनु. संख्या	दिवस जयपुर में रहे	दिवस जयपुर से बाहर रहे
1.	श्री त्रिलोकचन्द जैन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री।	13	5	8
2.	श्री विज्ञान मोदी, भू. पू. राज्य मंत्री	10	1	9
3.	प्रो. केदारनाथ शर्मा, श्रम व यातायात मंत्री	9	2	7
4.	मास्टर आदित्येन्द्र, वित्त मंत्री	8	2	6
5.	श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, सिंचाई मंत्री,	7	2	5
6.	श्रीमती विद्या पाठक, राज्य मंत्री, समाज कल्याण।	7	1	6
7.	श्री सम्पतराम, गृह मंत्री	7	..	7
8.	श्री कैलाश मेघवाल, सहकारिता मंत्री	7	1	6
9.	श्री भंवरलाल शर्मा, शिक्षा मंत्री	6	3	3
10.	श्री जयनारायण पूनिया, सार्वजनिक निर्माण मंत्री।	5		5
11.	श्री सूर्यनारायण चौधरी, उद्योग मंत्री	5		5
12.	श्री महबूब अली, राज्य मंत्री, जन सम्पर्क	4	2	2
13.	श्री नन्दलाल, राज्य मंत्री, भेड़ व ऊन	4	3	1
14.	श्री दिग्विजयसिंह, कृषि मंत्री	2	1	1
15.	श्री लालचन्द, भू. पू. राज्य मंत्री	2	2	..
16.	श्री भैरोंसिंह शेखावत, मुख्य मंत्री	2	1	1
17.	श्री पुरुषोत्तम मंत्री, राजस्व मंत्री	1	..	1